पंचदश माला, खंड 32, अंक 19

बुधवार, 20 मार्च, 2013
29 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 4 July 2016

(खंड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

जगपाल सिंह रावत
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

मनोज कुमार सिंह
सहायक सम्पादक

© 2013 **लोक सभा सचिवालय**

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदशमाला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2013/1934 (शक)]

अंक 19, बुधवार, 20 मार्च, 2013/29 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्न का मौखिक उत्तर	2
*तारांकित प्रश्न संख्या 321	2-7
प्रश्नों के लिखित उत्तर.	8-588
तारांकित प्रश्न संख्या 322 से 340	8-85
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910	86-588
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	588-598
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां	598
कार्य सारांश	598
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	598
33वां प्रतिवेदन	598
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	598-599
26वां प्रतिवेदन	
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	599-600
56वां और 57वां प्रतिवेदन	
''केन्द्रीय विद्यालयों'' के बारे में दिनांक 19.12.2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण	600-603
श्री एम.एम. पल्लम राजू	600-603
मंत्री द्वारा वक्तव्य	603
(एक) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	603-604
(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	605
श्री वी. नारायणसामी	605
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	607
18वां प्रतिवेदन	607

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में सदस्य ने ही पूछा था।।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	608
(एक) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के विजेथुआ महावीरन धाम पर्यटन स्थल पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डॉ. संजय सिंह	608-609
(दो) तमिलनाडु के महान आध्यात्मिक कवि, नायकी स्वामीगल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	609-610
(तीन) सूखा प्रभावित केरल के लिए राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.आई. शानवास	610-611
(चार) राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नीलगायों और जंगली सुअरों से फसलों को बचाने की आवश्यकता	
श्री इज्यराज सिंह	611
(पांच) ओलम्पिक में कुश्ती को एक खेल के रूप में बनाए रखने जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से मांग किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदम्बिका पाल	611-612
(छह) केरल में काली मिर्च उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	612
(सात) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री दत्ता मेघे	612-613
(आठ) महाराष्ट्र राज्य में, विशेषकर जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री दानवे रावसाहेब पाटील	613-614
(नौ) उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं द्वारा पेठे की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रामशंकर	614
(दस) छत्तीसगढ़ में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता	
कुमारी सरोज पाण्डेय	614-615
(ग्यारह) महाराष्ट्र में अमरावती और धुलिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को शीघ्र चार लेन का किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.टी. नाना पाटील	615
(बारह) उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुशीला सरोज	615-616

विषय **कॉलम**

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मऊआइमा विकास खंड के गांवों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मुनि करवारिया 616

(चौदह) बिहार में खगड़िया नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव 616-617

(पन्द्रह) संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 617

(सोलह) तमिलनाडु के चित्तलपक्कम सेकंड मेनरोड, चेन्नई में आवंटित भूमि पर डाकघर भवन का निर्माण करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. राजेन्द्रन 617-618

(सत्रह) देश में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 618

(अठारह) आखिल भारतीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के पुराने स्वरूप को ही बनाए रखे जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 619

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 619

मलेशियाई कंपनी को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में याट मरिना और स्टार होटल बनाने संबंधी अनुमति से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री विष्णु पद राय 620

श्री आर.पी.एन. सिंह 620-622

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 623-624

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 624-634

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 635

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 636-638

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
डॉ. सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 20 मार्च, 2013/29 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी, श्री नरेश कुमार बालियान के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री नरेश कुमार बालियान 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बालियान 1991 से 1992 तक याचिका समिति और 1993 से 1995 तक विभागों से संबद्ध खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे।

श्री नरेश कुमार बालियान का निधन 77 वर्ष की आयु में 17 मार्च, 2013 को मुजफ्फरनगर में हुआ।

हम श्री नरेश कुमार बालियान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं इस सभा की ओर से और अपनी ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 321–श्रीमती सुस्मिता बाउरी।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री ए.के.एस. विजयन, श्री ओ.एस. मणियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के लिए खडे हो गए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02$^1/_4$ बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02$^1/_2$ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 321, श्रीमती सुस्मिता बाउरी।

[हिंदी]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

***321. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:**
श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत जागरूकता अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए सकारात्मक परिणामों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी क्षेत्रों/एजेंसियों से सहायता मांगी गई है अथवा मांगे जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियम की गई और खर्च की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने का ठोस प्रयास वर्ष 2011 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। यह अभियान समुदाय को प्रेरित करने, स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) के प्रशिक्षण और हितधारकों के साथ पारस्परिक क्रिया के जरिए स्कूल के मानकों और स्कूल के निष्पादन के लिए आरटीई अधिनियम में किए गए प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए था। सर्व शिक्षा अभियान आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य साधन है, समुदाय को संघटित करना इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत समर्थन और जागरूकता के लिए नियमित आधार पर जिला और राज्य स्तरीय कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

जागरूकता अभियान से हितधारकों में आरटीई अधिनियम के बारे में उत्साह पैदा हुआ है और उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली है। 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 9,84,174 स्कूल प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं और स्कूल प्रबंध समितियों के 39,45,146 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए 345 गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों ने भी जागरूकता लाने के कार्यक्रमों में भागीदारी की है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		जारी	व्यय (राज्य के हिस्से सहित)	जारी	व्यय (राज्य के हिस्से सहित)	जारी	व्यय (राज्य के हिस्से सहित)	जारी (11.2.2013)	(31.12.2012) व्यय (राज्य के हिस्से सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	38569.90	72257.36	81000.00	144044.00	183551.72	337247.68	111049.46	174028.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	11427.95	12427.83	20401.77	20993.09	23880.10	26705.67	17984.73	18734.89
3.	असम	47480.00	50780.61	76854.35	85575.16	106921.15	124930.52	90881.60	79620.85
4.	बिहार	121739.06	224870.24	204789.63	349506.91	185108.20	408963.04	272462.25	409445.36
5.	छत्तीसगढ़	55592.82	96340.63	87863.00	123107.25	69870.22	133902.11	85015.73	108060.30
6.	गोवा	550.58	0.00	671.27	1459.10	1079.14	1934.35	513.04	1030.64
7.	गुजरात	20031.73	40058.48	44065.01	82624.00	88027.79	141781.07	113918.08	143531.05
8.	हरियाणा	27600.00	45620.98	32786.11	64378.71	40461.41	77193.80	29910.35	47257.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	8608.00	14610.06	13786.66	21756.06	14192.78	25196.78	7052.93	14472.83
10.	जम्मू और कश्मीर	37363.27	22257.61	40348.79	64000.64	30070.50	104733.46	40805.85	48439.70
11.	झारखंड	70940.22	119946.99	89562.26	159246.86	57903.46	117232.77	56183.87	97313.41
12.	कर्नाटक	44220.60	83028.85	66903.00	114457.93	62788.35	124995.76	39936.69	93882.04
13.	केरल	11989.50	19233.00	19660.73	26071.88	17021.85	26046.45	13449.14	23923.17
14.	मध्य प्रदेश	113249.00	194011.77	176783.00	293543.00	190427.12	342831.85	135343.30	246798.24
15.	महाराष्ट्र	56432.00	107883.64	85537.00	143200.00	117962.58	181066.45	99574.30	115198.31
16.	मणिपुर	1500.00	0ए00	13253.77	10659.22	3940.55	8389.53	15862.44	6757.72
17.	मेघालय	9383.00	12093.67	18540.90	20050.00	14410.60	19782.59	13670.78	16283ए15
18.	मिजोरम	6617.75	8254.45	10115.31	9073.47	10814.05	14084.57	7820.60	7446.00
19.	नागालैंड	4913.00	5439.51	8636.83	10349.83	9798.33	10315.05	7791.12	9387.08
20.	ओडिशा	63061.60	112011.89	73177.85	146508.08	92719.98	162570.06	100807.62	138621.84
21.	पंजाब	20044.00	36772.00	39612.74	55943.00	48112ए44	64703.06	41972.68	54362.98
22.	राजस्थान	127124.00	199893ए55	146182.29	270368.00	148580.86	313064.40	143520.11	257663.11
23.	सिक्किम	1736.00	2040.90	4469.19	3915.93	4022.84	4453.04	1493.85	2856.63
24.	तमिलनाडु	48366.00	78267.24	69068.57	119480.84	68141.96	116817.50	38672.47	61264.50
25.	त्रिपुरा	7473.00	9196.44	17121.48	14283.80	17493.76	24263.63	8010.11	9031.41
26.	उत्तर प्रदेश	196011.90	335048.80	310462.88	511096.00	263682.61	515804.16	362476.26	420993.89
27.	उत्तराखंड	16006.29	27187.03	25793.94	36831.60	20892.49	39936.44	17941.10	28591.08
28.	पश्चिम बंगाल	104142.00	162540.01	174703.17	305333.13	177652.74	298627.19	258056.58	368542.46
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	412.44	0.00	357.78	885.55	907.36	1606.37	589.28	1245.47
30.	चंडीगढ़	1100.72	2063.43	2155.89	2566.09	1611.21	3301.27	972.64	2531.76
31.	दादरा और नगर हवेली	350.18	631.10	413ए78	692.07	564.35	796.36	652.76	958.80
32.	दमन और दीव	169.00	324.15	162.99	374.81	257.06	485.42	233.12	398.75
33.	दिल्ली	3088.62	3684.61	3552.71	4657.72	3783.29	8008.74	3251.90	4338.94
34.	लक्षद्वीप	143.80	24.5	127.39	292.95	127.86	363.28	57.62	179.14
35.	पुदुचेरी	669.96	1124.6	485.38	1296.00	757.62	1275.50	518.9	779.78
	कुल	1278107.89	2100146.98	1959407.42	3218622.68	2077538.33	3783409.92	2138453.27	3013971.08

[हिन्दी]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: मैडम, शिक्षा का अधिकार कानून में यह प्रावधान है कि निजी और नामांकन स्कूल में छह साल से बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। 25 परसेंट गरीब बच्चों का दाखिला किया जाएगा, लेकिन इसका कोई सरकार के पास आंकड़ा है या नहीं? जो प्राइवेट स्कूल 25 परसेंट गरीब बच्चों को दाखिल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्या एक्शन ले रही है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

[अनुवाद]

डॉ. शशी थरूर: अध्यक्ष महोदया शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम संप्रग सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी। यह इस बात को सुनिश्चित करने का रास्ता है कि हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप इसे नीचे करिए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों का लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय मछुआरों को निरुद्ध किया जाना

***322. श्री आर. थामराईसेलवन:**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रीलंका सहित हमारे पड़ोसी देशों द्वारा समुद्री सीमा के कथित उल्लंघन हेतु भारतीय मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित निरुद्ध किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तूतीकोरिन के निकट हाल की घटना सहित तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश की अभिरक्षा में कितने मछुआरे और मत्स्य नौकाएं हैं; और

(घ) उन्हें रिहा कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) सरकार को समय-समय पर समुद्री सीमा के तथाकथित उल्लंघन के लिए पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों द्वारा गिरफ्तार किए मछुआरों, जिन्हें भारतीय माना गया है, की संख्या इस प्रकार है।

देश	2010	2011	2012	2013 आज तक
श्रीलंका	32	203	202	69
पाकिस्तान	100	476	250	27
बांग्लादेश	02	79	82	शून्य
मालदीव	शून्य	शून्य	11	शून्य

उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार मात्स्यकी संबंधी आरोपों में पाकिस्तान की हिरासत में 400 मछुआरे तथा लगभग 600 नावें हैं तथा श्रीलंका की हिरासत में (13 मार्च, 2013 को श्रीलंका नौसेना द्वारा गिरफ्तार) 19 मछुआरे

तथा 4 नावें हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं। इसके अलावा नवम्बर, 2011 में श्रीलंका की समुद्री सीमा में एक नाव सहित 5 मछुआरों को स्वापकों तथा मादक द्रव्यों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सरकार भारतीय मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा तथा रक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की रिपोर्टें प्राप्त होते ही सरकार ने राजनीतिक मामलों से उनकी शीघ्र रिहाई तथा वापसी के मामले को तत्काल तथा निरन्तर संबंधित सरकारों के साथ उठाया है। कई स्तरों पर द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भी इस मामले को उठाया गया है। सरकार ने मानवीय व्यवहार तथा यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में मछुआरों के विरूद्ध हिंसा की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

मार्ग विसर्जन संबंधी मार्ग निर्देश

***323. श्री तकाम संजयः** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व जैसे सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में विमान सेवाओं में सुधार हेतु मार्ग विसर्जन संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन करने का विचार है/कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छोटे कस्बों और शहरों हेतु कम किराए के आधार पर विमान संपर्क के विस्तार हेतु नीतिगत ढांचे के लिए किसी कन्सल्टेंसी फर्म की सेवाओं को सूचीबद्ध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कन्सल्टेंसी फर्म द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्व राज्यों हेतु कम किराए वाली विमान कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) क्षेत्रीय अनुसूचित प्रचालनों (आएसओपी) संबंधी नागर विमानन अपेक्षा और हवाई सम्पर्कता संबंधी अन्य मुद्दों की समीक्षा के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा श्री रोहित नंदन, तत्कालीन संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश मौजूदा मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के संशोधन से संबंधित थी।

(ग) और (घ) जी हां। देश में क्षेत्रीय और दूर-दराज के क्षेत्रों की हवाई सम्पर्कता को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिशों करने के लिए मंत्रालय द्वारा 'डेलॉएट टच मोमात्सू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं:-

(i) हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए कस्बों/नगरों की पहचान।

(ii) मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों में संधोधन।

(iii) क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता निधि (आरएसीएफ) का सृजन।

(iv) एयरलाइनों पर लगाए गए विभिन्न प्रभारों/करों पर पुनर्विचार।

(v) राज्य सरकारों की ओर से सुरक्षा, भूमि, सड़कों के विस्तार, सम्पत्ति कर में कमी और बचाव तथा अग्निशमन सेवाओं के रूप में समर्थन।

(vi) कम लागत वाले हवाई अड्डों का निर्माण।

(ङ) नागर विमानन मंत्रालय के पास पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कम लागत वाले विमान वाहकों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय द्वारा मैसर्स नॉर्थ ईस्ट शटल प्रा. लि. को पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनुसूचित हवाई परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं प्रचालित करने के लिए प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

रिएक्टरों की लागत में वृद्धि

***324. श्री जोस के. मणिः**
श्री बसुदेव आचार्यः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने जैतपुर परमाणु विद्युत संयंत्र हेतु फ्रांस की कम्पनी अरेवा से छह इवॉल्युशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टरों की खरीद के लिए कोई औपचारिक सौदा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी ने इवॉल्युशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर की लागत काफी बढ़ा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे संयंत्र की निर्माण लागत बढ़ जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संयंत्र से उत्पादित की जाने वाली विद्युत की अनुमानित लागत कितनी होगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि अरेवा कम्पनी ने फिनलैंड और फ्रांस सहित विश्व में कहीं भी इसकी निर्माणाधीन परियोजनाओं में एक भी इवॉल्युशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर चालू नहीं किया है और;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अरेवा कम्पनी से इतने मंहगे और गैर-परीक्षित इवॉल्युशनरी प्रेशराइज्ड रिएक्टर खरीदने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्तमान में चार विकासात्मक दाबित रिएक्टर (ईपीआर), दो चीन में और फिनलैंड तथा फ्रांस में एक-एक, निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। सार्वजनिक प्रक्षेत्र की रिपोर्टों के अनुसार, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इन रिएक्टरों को अगले दो से चार वर्षों में कमीशन किया जाएगा। 'अरेवा' द्वारा जैतापुर में जिन रिएक्टरों को स्थापित किए जाने की योजना है, वे विकासात्मक दाबित रिएक्टर (ईपीआर) डिजाइन के हैं, जिनका विकास, फ्रांस में 'एन 4' और जर्मनी में 'कॉनवॉय' रिएक्टरों, जोकि सफल हैं और पिछले कई वर्षों से सुरक्षित रूप से प्रचालन कर रहे हैं, के प्रमाणित और परीक्षण किए गए डिजाइन, सुरक्षा सिद्धांतों तथा इन रिएक्टरों में काम में लाई गई प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं। विकासात्मक दाबित रिएक्टर (ईपीआर) का डिजाइन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) की सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है, और इसे कई देशों में विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु मानदंड

***325. श्री भूपेन्द्र सिंह:**
श्री पी.के. बिजू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या केंन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा की क्वालिटी निजी स्कूलों से बहुत बेहतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वर्ष 2013-14 हेतु प्रवेश संबंधी दिशानिर्देशों, विशेषकर वंचित वर्गों और कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित श्रेणी में संशोधन करने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दिशानिर्देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानक संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) केंद्रीय विद्यालय, पिछले वर्षों में सतत रूप से उत्कृष्ट निष्पादन कर रहे हैं, जैसाकि अन्य विद्यालयों की तुलना में केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के विगत तीन वर्ष के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नीचे दिए गए परिणामों से देखा जा सकता है:-

वर्ष	2010		2011		2012	
	X	XII	X	XII	X	XII
केंद्रीय विद्यालय	96.64	91.13	99.21	93.42	99.36	94.13
स्वायत्त स्कूल	91.79	79.42	98.65	81.63	99.20	80.11

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की 2011 की रिट याचिका संख्या 4194 (ग) और 2012 की रिट याचिका सं. 801 (ग) में दिनांक 9 नवंबर, 2012 के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अलग-अलग श्रेणियों हेतु कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित किए बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/गरीबी रेखा से नीचे का वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/नि:शक्त व्यक्तियों को एक साथ शामिल करके निकटवर्ती स्थानों के कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूह के बच्चों के लिए कक्षा-I में प्रवेश हेतु 25% आरक्षण की व्यवस्था करवाने के लिए वर्ष 2013-14 के लिए प्रवेश सबधी दिशा-निर्देशों को संशाधित किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ये प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप है जिसमें निकटवर्ती स्थानों के कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों के बच्चों में से, वार्षिक दाखिला कक्षा-I (अथवा पूर्व-प्राथमिक भाग, जैसा भी मामला हो) में कम से कम 25% को प्रवेश प्रदान करने की व्यवस्था है।

विवरण-I

केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानदंड

1. नए केंन्द्रीय विद्यालय (सैन्ट्रल स्कूल) खोलने के प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाता है जब निम्नलिखित में से किसी द्वारा प्रायोजित किया जाता है:

(i) (क) भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग

(ख) राज्य सरकारें

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(घ) पात्र श्रेणियों से संबंधित कर्मचारी संगठन

(ii) प्रदान की गई नि:शुल्क भूमि निम्न प्रकार निर्धारित है:

क्र.सं.	स्थिति	(पप) वांछनीय भूमि (एकइ में)
1.	महानगर	04
2.	पर्वतीय क्षेत्र	08
3.	शहरी क्षेत्र	08
4.	अर्थ शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	10

प्रायोजक प्राधिकरण उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार पर्याप्त और उपर्युक्त भूमि अभिनिर्धारित और सीमांकित करने और उसे केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में नि:क्षुल्क अंतरण करने के प्रति उत्तरदायी होगा। नया केंद्रीय विद्यालय खोलने से पहले अभिनिर्धारित और सीमांकित भूमि लीज अथवा स्थायी अंतरण के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को अंतरित होनी चाहिए।

(iii) (क) जब रक्षा सेवाओं अथवा केंद्र सरकार अथवा भारत सरकार के उपक्रम की अलग से अथवा संयुक्त रूप से कर्मचारियों की संख्या कम से कम 500 हो।

(विशेष फोकस वाले जिलों के मामले में 20);

(ख) जब I से III श्रेणियों के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु निर्धारित श्रेणियों के बच्चों का न्यूनतम संभावित नामांकन 200 हो अथवा प्रति कक्षा औसत 30 हो, जो भी अधिक हो।

(iv) जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी पट्टे की भूमि पर स्वयं अपना विद्यालय का निर्माण नहीं करता, तब तक प्रायोजक प्राधिकरण विद्यालय के अस्थाई आवास को किराया मुक्त या मामूली किराये पर उपलब्ध कराएगा और; और

(v) प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा कम से कम 50% स्टॉफ को रिहायशी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल खोलने से पहले ऐसे आवासीय यूनिटों की संख्या निर्धारित करना आवश्यक है।

विवरण-II

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं के परिसरों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानक।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से उनके परिसरों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, बहुधा प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, यदि निम्नलिखित पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा कर लिया जाता है और संबधित विभाग, नीचे दिए गए मानक, शर्तों और निबंधनों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो जाता है:-

I. पूर्व-अपेक्षाएं:

केंद्रीय विद्यालयों का उद्देश्य स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उनके माता-पिता का एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, उनके बच्चों की शिक्षा, अध्ययन के माध्यम में

परिवर्तन होने के कारण बाधित न हो। तदनुसार, केंद्रीय विद्यालयों को खोलने में स्थानांतरणीयता की शर्त प्रमुख है। इसको ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थान के परिसर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए पूर्वापेक्षाएं पूरी होनी चाहिए जो निम्नवत है:

1. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की शाखाएं/कार्यालय, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में होनी चाहिए।
2. विभाग के कर्मचारी, एक शाखा से दूसरी शाखा और मुख्यालय में स्थानांतरणीय (वास्तव में) होने चाहिए।
3. जहां पर भारत सरकार के उपक्रम के कम से कम 500 कर्मचारियों की बहुलता हो और शुरूआत में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में नामांकन कराने हेतु कम से कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामले में 500 बच्चे) इच्छुक हों।
4. स्टेशन पर कोई भी वैकल्पिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होनी चाहिए।
5. प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय के संबंध में होने वाले सभी आवर्ती और अनावर्ती व्यय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा वहन किए जाएंगे।
6. विभाग, विद्यालय की स्थापना हेतु उपयुक्त, निःशुल्क भूमि और भवन उपलब्ध कराएगा।
7. विभाग, विद्यालय के भावी विकास के लिए निःशुल्क भूमि और भवन उपलब्ध कराएगा।
8. विभाग, विद्यालय को सभी उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।
9. विभाग, अपने कर्मचारियों हेतु यथा निर्धारित समान आधार पर और समान दरों पर शिक्षण और अन्य सहायक स्टॉफ को उपयुक्त रिहायशी आवास उपलब्ध कराएगा।
10. प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय को, समय-समय पर यशासंशोधित संगठन के नियमों के अनुसार प्रबंधित और शासित किया जाएगा।
11. संगठन, विभाग के परिसर के भीतर चल रहे मौजूदा स्कूल के स्टॉफ और विद्यार्थियों के प्रति किसी भी जवाबदेही को स्वीकार नहीं करेगा।
12. विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को, प्रवेश के मामले में पहली प्राथमिकता (तरजीह) दी जाएगी। तथापि, विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को समायोजित करने के पश्चात् उपलब्ध सीटों पर, पात्र श्रेणियों के बच्चों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

वंचित वर्गों के लिए आवासीय इकाइयां

*326. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य/निजी विकासकर्त्ता सरकार की इस सलाह का पालन कर रहे हैं कि आवासीय इकाइयों का कतिपय प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों के लिए रखें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों/निजी विकासकत्ताओं ने इस संबंध में आपत्ति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 में यह व्यवस्था की है। प्रत्येक नई सार्वजनिक/निजी आवास परियोजना में 10 से 15 प्रतिशत भूमि अथवा फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर)/फर्शी क्षेत्रफल सूचकांक (एफएसआई) का 20 से 25 प्रतिशत जो कि अधिक होगा, उपयुक्त कानूनी शर्तों और विशेष प्रोत्साहनों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह अपेक्षा मंत्रालय के जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत किए जाने वाले सुधारों में से एक है, जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि मिश्रित इम्दादी प्रणाली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सरकारी और निजी दोनों एजेंसियों द्वारा विकसित की गई) में न्यूनतम 25% भूमि आरक्षण के लिए निर्धारित की जाए।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएस) के 65 मिशन शहरों में से 29 राज्यों में 62 शहरों ने पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों की श्रेणियों के लिए विकसित भूमि का आरक्षण करने के लिए प्रावधान कर दिए हैं/नीतिगत निदेश जारी कर दिए हैं। शेष 3 शहरों (2 राज्यों) ने भी सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे आवश्यक प्रावधान अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर कर दी है। सरकार ने भी जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) घटकों की कार्य अवधि को 31.3.12 से दो वर्ष अर्थात् 31.3.2014 तक बढ़ा दिया है ताकि स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करना तथा सुधारों का क्रियान्वयन सुगम हो सके।

(ग) से (ङ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) पर राज्यों के दौरों/पुनरीक्षाओं से प्राप्त फीडबैक से ऐसा पता चलता है कि मिश्रित इम्दादी प्रणाली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा विकसित की गई) में न्यूनतम 20-25% भूमि का आरक्षण निर्धारित करने संबंधी सुधार का क्रियान्वयन, व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन सुधार पाया गया है और अनेक राज्यों का यह मानना है कि यह व्यवहारिक नहीं है। गरीबों के आवास के लिए भूमि के आरक्षण के प्रतिशत को कम करने की मांग की गई है क्योंकि मिश्रित इम्दाद की किसी भी राशि ऐसा आरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि भूमि के मूल्य बहुत अधिक हैं।

रिअल इस्टेट डेवलेपर्स के साथ हुई पुनरीक्षा बैठकों में भी यह पता चला है कि निजी डेपलेपर्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों की श्रेणियों के लिए रिहायशी यूनिटों के लिए निर्धारित प्रतिशत आरक्षित करने में इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ऐसी परियोजनाएं उन्हें व्यवहार्य और लाभप्रद प्रतीत नहीं होती हैं।

राज्यों और निजी डेवलेपर्स से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मेरे मंत्रालय ने राजीव आवास योजना का प्रस्ताव किया है जिसके बारे में ईएफसी के नोट पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है। इस प्रस्तााव में यह निर्धारित है कि जैसा कि जेएनएनयूआरएम-1 के मामले में हुआ है, राजीव आवास योजना के अंतर्गत निधियों की अधिगम्यता, राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की सहमति से तय की गई समय-सीमा के अनुसार स्लम में सुधार लाने और गरीबी के उपशमन के लिए प्रमुख सुधारों के क्रियान्वयन पर आकस्मिक देयताएं जैसी होगी। सुझाए गए अनिवार्य सुधारों में से एक सुधार 15% रिहायशी फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर)/फर्शी क्षेत्रफल सूचकांक (एफएसआई) अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों की श्रेणियों के लिए 35% रिहायशी यूनिट, इसमें से जो भी अधिाक है, का निर्धारण करना है ऐसों का आरक्षण करने के और निर्धारित किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी भावी आवास परियोजनाओं में मिश्रित इम्दाद देने के प्रावधान के साथ जहां राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों ने जेएनएनयूआरएम-1 के अंतर्गत सुधारों के अनुसार भूमि का आरक्षण किया है और ऐसा आरक्षण, एफएआर/एफएसआई के 15% से श्रेष्ठ है अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूहों की श्रेणियों के लिए 35% रिहायशी यूनिट, इसमें से जो भी अधिक हो, यह सुधार लागू नहीं होगा। यदि यह कम है तो भूमि के विकास के अनुमोदन के चरण में और आवास विकास परियोजना के अनुमोदन के चरण में आरक्षण, "एफएआर/एफएमआई के 15% अथवा रिहायशी यूनिटों का 35% जो भी अधिक हो", होगा।

नागर विमानन महानिदेशालय की निरीक्षण क्षमता

***327. श्री अनूप कमार साहा:**
श्री नीरज शेखर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई कर्मचारियों की भर्ती उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने नागर विमानन महानिदेशालय की तकनीकी और/अथवा अन्य कमियों पर पहले भी प्रतिकूल टिप्पणी की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय की निरीक्षण क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में की गई भर्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	की गई भर्तियों की संख्या
2010	शून्य
2011	16
2012	44
2013	07

प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या और उनके प्रशिक्षण पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष .... प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या..... .... खर्च की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)

2009-10	273	1.59
2010-11	356	1.06
2011-12	254	1.87
2012-13	208	0.40 (जनवरी तक)

(ग) और (घ) इकाओ ने वर्ष 2006 में डीजीसी का एक ऑडिट किया था और इसकी कार्यप्रणाली के विभिन्न पक्षों के बारे में कुल 70 टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें डीजीसीए में मानवशक्ति की कमी से संबंधित थीं। इकाओं की सिफारिशों के आधार पर, डीजीसीए द्वारा एक सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की गई जिसे इकाओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, समूह 'क' के 427 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है, जिससे कुल क्षमता 574 हो गई है। इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की कार्रवाई की गई है। इस अंतराल में, संबंधित तकनीकी क्षेत्रों की गहन जानकारी रखने वाले 62 विशेषज्ञों की परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति की गई है।

(ङ) डीजीसीए की संरक्षा निगरानी क्षमता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गई हैं:

- वायुयान अधिनियम में संशोधन करके हवाई दिक्चालन सेवाओं को विनियमित करने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

- एएनएस सुविधाओं और विमानन दस्तावेजों को डीजीसीए के निरीक्षकों के सुलभ कराने से संबंधित मुद्दों पर नए विनियम प्रख्यापित किए गए हैं।

- विमानों की लीजिंग से संबंधित मानदंडों पर विनियम जारी किए गए हैं।

- उड़ान-प्रचालनों में संरक्षा को पुनः-प्रवर्तित करने के लिए, स्वैच्छिक सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

- अतिरिक्त तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों का सृजन किया गय है।

- नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

- डीजीसीए में एक पृथक केबिन संरक्षा प्रभाग का गठन किया गया है।

विमान कंपनियों के लाइसेंस रद्द किया जाना

***328. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किन्हीं विमान कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने उक्त विमान कंपनियों को अपने कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विमान कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कर्मचारियों और यात्रियों के हित में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। सरकार द्वारा देश की किसी भी अनुसूचित एयरलाइन का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस के एओपी (अनुसूचित प्रचालन परमिट) संख्या एस-12 दिनांक 26.08.2003 को 20 अक्टूबर, 2012 से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि एयरलाइन अपनी पुनरोत्थान योजना प्रस्तुत नहीं करती जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह इंगित किया जाना है कि यह एअरलाइन किस प्रकार अपने कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान और हवाईअड्डा प्रचालकों, तेल कंपनियों, बैंकों आदि सहित अन्य स्टेकहोल्डरों के बकायों का समाधान करना प्रस्तावित करती है। प्रसंगवश मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस का हवाई प्रचालन परमिट 31.12.2012 को समाप्त हो चुका है और इसका नवीकरण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। नागर विमानन महानिदेशक ने, दिनांक 2 अक्टूबर, 2012 को मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस के सीईओ के

साथ हुई बैठक में, उन्हें अपने कर्मचारियों की देनदारियों को शीघ्रातिशीघ्र चुकाने हेतु कहा था। एयरलाइन द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

डीजीसीए ने यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए, एयरलाइन टिकटों की धन-वापसी, बोर्डिंग से मना किए जाने, उड़ानों के रद्दकरण और विलंब, कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली, वैश्विक वितरण प्रणाली आदि के संबंध में विभिन्न नागर विमानन विनियम (सीएआर) जारी किए हैं।

ब्रिटेन के कब्जे में कलाकृतियां

***329. श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटिश शासन काल के दौरान ले जाई गई अमूल्य कलाकृतियों की सूची क्या है;

(ख) क्या भारत ने ब्रिटेनन से कोहिनूर हीरे सहित इन अमूल्य कलाकृतियों को वापिस करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में भारत का यूनेस्को की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने का इरादा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विदेशी मंत्री (श्री सलमान खुर्शी): (क) से (ङ) सरकार को कुछ बहुमूल्य कलाकृतियों तथा वस्तुओं जैसे कोहिनूर हीरे, के ठिकानों के बारे में जानकारी है। सरकार वर्षों से इस मामले पर लंदन स्थित हमारे उच्चायोग के माध्यम से ब्रिटिश सरकार में संबंधित प्राधिकारियों के सम्पर्क में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जानकारी दी है कि सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी से संबंधित 'यूनेस्को' अभिसमय 1972 के तहत ऐसी मदें शामिल नहीं हैं।

एअर इंडिया की उड़ानों को पुनर्निर्धारित किया जाना/बंद किया जाना

***330. श्री चार्ल्स डिएस:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ानों के पुनर्निर्धारण/सेवा वापिस लेने/संवा बंद करने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उड़ान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी उड़ानों को फिर से शुरू करने/उनके स्थान पर नई उड़ानें शुरू किए जाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी हां।

(ख) से (घ) उद्योग की परिपाटी के अनुसार, एअर इंडिया अपनी प्रचालन अनुसूची वर्ष में दो बार (ग्रीष्म अनुसूची और शीत अनुसूची) घोषित करती है जो प्रत्येक वर्ष मार्च और अक्टूबर के अंतिम शनिवार से प्रभावी होती है। यह अनुसूची ऐतिहासिक अनुसूची और विमानों, विमानों, कर्मीदल आदि के रूप में उपलब्ध मौजूदा संसाधनों के आधार पर नियोजित की जाती है। एअर इंडिया, विमानों की संख्या और प्रकार की उपलब्धता, मूल और गंतव्य स्थल पर मौसम स्थितियों में परिवर्तन, प्रचलित लोड फैक्टर आदि की वजह से अपनी नियोजित अनुसूची में बदलाव करने पर मजबूर हो जाती है। निरंतर हो रहे घाटों की वजह से, एअर इंडिया द्वारा पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में अपने 17 मार्गों (जिनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय और 05 घरेलू मार्ग शामिल हैं) पर प्रचालन बंद/पुनर्निधारित किए गए हैं। ऐसे मार्गों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	मार्गों की संख्या
2010	08
2011	01
2012	07
2013	01
कुल योग	17

उड़ानों को हटाए जाने के कारणों सहित मार्गों को बंद/पुनर्निधारित करने से संबधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

एअर इंडिया अपने उड़ान निष्पादन की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करती है और उपलब्ध संसाधनों और बाजार मांग के अनुसार अपने

प्रचालनों में तालमेल बैठाती है। उड़ानों की बहाली, संसाधनों की उपलब्धता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। बहरहाल, एअर इंडिया की किसी भी हानिप्रद मार्ग पर प्रचालन बहाल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

विवरण

बंद किए गए/पुनर्निर्धारित किए गए मार्ग

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

उड़ान सं.	मार्ग	हटाए जाने की तिथि	कारण
1	2	3	4
		2010	
200/201	मुंबई-नौरेबी और वापसी	जनवरी-10	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई
141/140	मुंबई-न्यूयॉर्क और वापसी	नवंबर-10	भारत-अमेरिका प्रचालनों की पुनर्संरचना करके मुंबई-दिल्ली-न्यूयॉर्क और मुंबई-नेवार्क तथा वापसी अविराम उड़ानें चालू की गई।
955/956	चेन्नै-कुआलालंपुर और वापसी	नवंबर-10	नकद घाटों की वजह से हटाई गई। एअर इंडिया एक्सप्रैस के दैनिक प्रचालन हैं।
993/994	मुंबई-कुवैत और वापसी	नवंबर-10	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
961/962	हैदराबाद-शारजाह और वापसी	दिसंबर-10	कम लोड तथा तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
		2011	
987/988	चेन्नै-दम्मम और वापसी	जून-11	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
		2012	
918/917	कोचीन-कोझीकोड-दम्मम और वापसी	अप्रैल-12	केरल-दम्मम मार्ग पर फिलहाल एअर इंडिया एक्सप्रैस द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है।
915/916	त्रिवेंद्रम-दम्मम और वापसी	अप्रैल-12	
911/910	मुंबई-दम्मम और वापसी	अप्रैल-12	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने
935/936	हैदराबाद-दम्मम और वापसी	अप्रैल-12	की वजह से हटाई से हटाई गई।

1	2	3	4
			अप्रैल, 2012 से, एआई ने दिल्ली और दम्मम के बीच आवृत्ति प्रति सप्ताह 2 से बढ़ाकर प्रतिदिन कर दी। फिलहाल, हैदराबाद/चेन्नै/मुंबई से दम्मम की संपर्कता दिल्ली होकर जाने के लिए सुविधाजनक है।
187/188	अमृतसर/दिल्ली-टोरोंटो और वापसी	जून-12	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
		घरेलू उड़ानें	
		2010	
925/926	चेन्नै-कोझीकोड और वापसी	जून-10	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
547	हैदराबाद-कोच्चि-कोयंबटूर-हैदराबाद	नवंबर-10	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
		2012	
537/538	चैन्नै-विजाग-भुवनेश्वर-चेन्नै	नवंबर-12	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
769/770	कोलकाता-भुवनेश्वर और वापसी	नवंबर-12	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।
		2013	
723/724	कोलकाता-इम्फाल और वापसी	फरवरी-13	कम लोड तथा प्रचालनों की नकद लागत तक पूरी न होने की वजह से हटाई गई।

उत्तर-पूर्व में विशिष्ट पहचान संख्या

***331. श्री जोसेफ टोप्पो:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को विशिष्ट पहचान संख्याएं जारी करने की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशिष्ट पहचान संख्या वितरण का कार्य कब तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासियों को विशिष्ट पहचान संख्याएं प्राप्त करने से रोकने के लिए कोई रणनीति/दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) 28.2.2013 की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्व राज्यों में किए गए नामांकनों के संबंध में संलग्न विवरण के अनुसार, 43,79,066 आधार संख्या सृजित की गई हैं।

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में, राज्य पंजीयकों द्वारा केवल त्रिपुरा और सिक्किम में नामांकन किया जा रहा है। त्रिपुरा में, जनगणना (2011) के अनुसार राज्य की लगभग 90% जनसंख्या का आधार के लिए नामांकन किया जा चुका है। सिक्किम राज्य की लगभग 90% जनसंख्या का आधार के लिए नामांकन किया जा चुका है। सिक्किम के लिए यह आंकड़ा 83% है। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुचाचल प्रदेश और मिजोरम के शेष उत्तर-पूर्व राज्यों में, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजनन के कार्य के एक भाग के रूप में भारत के महापंजजीयक (आरजीआई) द्वारा किए गए बायोमीट्रिक नामांकन के माध्यम से आधार संख्या सृजित की जाएंगी। आरजीआई ने नागालैंड और मणिपुर में बायोमीट्रिक नामांकन आरंभ कर दिया है और इसने 2014 तक उत्तर-पूर्व राज्यों में बायोमीट्रिक नामांकन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत, जनगणना प्रचालनों के दौरान निवासियों की गणना के आधार पर निवासियों का नामांकनन करने का अधिदेश है। आपत्तियां और दावे आमंत्रित करने के लिए ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों द्वारा जनसंख्या रजिस्टर का सामाजिक पुनरीक्षण भी किया जाएगा। स्थानीय राजस्व पदाधिकारियों द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों की जांच की जाएगी। यूआईडी (आधार संख्या), निवासी की वैयक्तिक पहचान को विशिष्ट तौर पर प्रमाणित करती है। यह न तो कोई हकदारी अथवा पात्रता की गारंटी देती है और न ही नागरिकता प्रदान करती है।

विवरण

आधार सृजन रिपोर्ट (28.02.2013 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शुरूआत से फरवरी, 2013 तक
1.	अरुणाचल प्रदेश	999
2.	असम	23,944
3.	मणिपुर	6,33,564
4.	मेघालय	1,193
5.	मिज़ोरम	8.571
6.	नागालैंड	2,63,335
7.	सिक्किम	4,88,458
8.	त्रिपुरा	29,59,002
	कुल जोड़	43,79,066

मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों की स्थिति

***332. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/वार मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं, जो मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र अपनी शिक्षा और मान्यता के संबंध में अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) वर्तमान में, देश में 130 मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालय हैं। इनका राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है:- आंध्र प्रदेश-7, अरुणाचल प्रदेश-1, बिहार-2 चंडीगढ़-1, दिल्ली-12, गुजरात-2, हरियाणा-5, झारखण्ड-2, कर्नाटक-15, केरल-2, मध्य प्रदेश-3, महाराष्ट्र-21, ओडिशा-2, पंजाब-2, पुदुचेरी-1, राजस्थान-8, तमिलनाडु-29, उत्तर प्रदेश-10, पश्चिम बंगाल-1।

(ख) और (ग) जी, हां। कतिपय मानित समझी जाने वाली विश्वविद्यालय संस्थाओं में शैक्षिक मानकों की कमी के बारे में आम धारणा के आधार पर, सरकार ने इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा उन्हें जारी करने की वांछनीयता पर विचार करने हेतु दिनांक 06 जुलाई, 2009 को लब्धप्रतिष्ठित शैक्षिक विशेषज्ञों की की एक समिति का गठन किया था। समीक्षा समिति ने अपने मूल्यांकन एवं आंकलन के आंकलन के आधार पर मौजूदा मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया था:- नामत: (1) 38 संस्थाएं, जिन्हें उनकी समग्र उपलब्धियों तथा कार्य-निष्पादन एवं संभावना के आधार पर बतौर मानित विश्वविद्यालय जारी रखने को न्यायोजित ठहराया (श्रेणी 1 या क)। (2) 44 संस्थाएं, जिनमें समग्र रूप से कुछ पहलुओं में कमियां पाई गई थीं जिन्हें 'मानित विश्वविद्यालय' के तौर जारी रखने हेतु श्रेणी-1 में अंतरित करने के लिए तीन वर्ष की अवधि में दूर किया जाना आवश्यक था (श्रेणी-II या ख)। (3) 44 मानित समझी जाने वाली

विश्वविद्यालय संस्थाएं, जो न तो अपने पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर और न ही भावी आश्वासन के आधार पर विश्वविद्यालय का दर्जा बनाए रखने की विशेषताएं रखती हैं (श्रेणी-III या ग)। यह रिपोर्ट सैद्धांतिक तौर पर सरकार द्वारा स्वीकाार कर ली गई है। श्रेणी 'III' में रखे गए मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में, मामला वर्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 142 (विप्लव शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) के अंतर्गत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है।

(घ) और (ङ) श्रेणी 'ग' संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों की संरक्षा के लिए तौर-तीरके सुझाने हेतु दिनांक 16. 11.2009 को एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने इन संस्थाओं को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है तथा प्रत्येक श्रेणी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों की संरक्षा के लिए संभावित तरीके सुझाए हैं। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय के हितों की संरक्षा के लिए संभावित तरीके सुझाए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 44 मानित समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाने की वजह से इस रिपोर्ट पर कोई और कार्रवाई नहीं की गई।

स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग

*333. **श्री आनंदराव अडसुल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी एजेंसियों को आबंटित किए गए स्पेक्ट्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी एजेंसियों को आबंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग उनके द्वारा दक्षतापूर्वक किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को आबंटित स्पेक्ट्रम एयरवेव्स की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इन एजेसियों द्वारा स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग हेतु सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सुरक्षा, सार्वजनिक संरक्षा, कानून और व्यवस्था इत्यादि जैसे अनेक अनुप्रयोगों हेतु विभिन्न सरकारी एजेंसियों को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम आवंटित किए जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार दिनांक 01.06.2004 से सरकारी एजेंसियों पर भी लगाया जा रहा है ताकि इसका दक्षता-पूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार अन्य बातों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम की मात्रा, कवरेज इत्यादि पर निर्भर करता है। स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार से स्पेक्ट्रम उपयोगिता की दक्षता में सुधार होता है।

(ग) से (ङ) दिनांक 26 नवंबर, 2009 को मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ई-जीओएम) बनाया गया जिसके विचारणीय विषय अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा, अंतरिक्ष, अर्धसैनिक बलों इत्यादि जैसे अनेक वर्तमान प्रयोक्ताओं से पर्याप्त अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खाली करने के उपाय सुझाना था ताकि राष्ट्र के व्यापक हित में देश में मोबाइल टेलीफोन और ब्राडबैंड क्षेत्र का समयबद्ध तरीके से विस्तार करने हेतु उपायों की सिफारिश की जा सके और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाविधि के अनुरूप अन्य सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम खाली करने के लिए स्पेक्ट्रम कुशल उपयोग डिजीटल स्थलीय प्रसारण को शीघ्र लागू करने के उपाय सुझाए जा सके।

राष्ट्रीय सूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर रिफार्म और वैकल्पिक बैंक अथवा मीडिया आवंटित किए जाए।

स्पेक्ट्रम की रिफार्मिंग एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है ताकि नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने हेतु स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और सरकार समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती रहे।

मूल्य आधारित शिक्षा और लैंगिक अध्ययन

*334. **श्री संजय भोई:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड युवावस्था से महिलाओं के प्रति किए जाने वाले एक जैसे अपराधों से लड़ने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने तथा छात्रों की मदद करने के लिए कोई महिला संवेदी माड्यूल तैयार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु शारीरिक शिक्षा के भाग के रूप में आत्मरक्षा संबंधी प्रशिक्षण शामिल करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी उपयोग की जांच करने के लिए कोई कार्यबल गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के स्कूलों में छात्रों को नैतिक विज्ञान और मूल्य आधारित शिक्षा दिए जाने पर ध्यान केन्द्रित करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा और लैंगिक अध्ययन शुरू करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) और (ख) केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और युवावस्था से महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण के विरूद्ध लड़ाई लड़ने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए निम्नलिखित लैंगिक संवेदी मॉडयूल तैयार कर रहा है:–

- शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु लैंगिक संवेदी प्रशिक्षण मॉड्यूल निम्न रूप में:

  (i) सुग्राह्यता और जागरूकता सृजित करने हेतु अधिवक्तृता कार्यक्रम

  (ii) चिह्नित और प्रेरित काउंसलर तथा नोडल शिक्षकों के लिए मुख्य प्रशिक्षक कार्यक्रम

- कक्षा I-XII के छात्रों के लिए लैंगिक संवेदी शिक्षक/प्रशिक्षक मैनुअल और प्रतिविधि सूची शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण और अधिकतर स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में होने के कारण, इस मामले में उपयुक्त निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेना है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि (i) लैंगिक अनुकूल सामग्री हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्य-पुस्तकों की पुन: समीक्षा करें और उसमें सुधार किया जाए (ii) वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सभी शिक्षकों के साथ कम से कम 2-3 दिन का लैंगिक मॉडयूल कार्यक्रम आयोजित किया जाए (iii) स्कूल निगरानी प्रणाली ऐसे लैंगिक संवेदी पैरामीटरों की जांच-सूची शामिल करे जो कक्षा-कक्ष गतिविधियों में और स्कूल की सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दे (iv) उच्च प्राथमिक कक्षाओं से शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में बालिकाओं के लिए आत्म-रक्षा प्रशिक्षण शामिल हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा 2005 पर आधारित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा कक्षा I-X के लिए तैयार किए गए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शामिल किए गए मानव शरीर, संरक्षा एवं सुरक्षा, आत्म-रक्षा से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों और लैंगिक सुग्राह्यता कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए जनवरी 2013 में एक कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल को परिसरों में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा की मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

(घ) और (ङ) सीबीएसई ने स्कूल स्तर पर प्रभावी मूल्य आधारित शिक्षा और लैंगिक अध्ययनों को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- वर्ष 2012-13 से कक्षा IX-X में योगात्मक मूल्यांकन-II में और कक्षा XI-XIII में वर्षांत परीक्षा में मूल्य आधारित प्रश्नों को शामिल करना
- वर्ष 1997 में और पुन: वर्ष 2003 में नैतिक शिक्षा पर शिक्षकों के लिए हैंडबुक प्रकाशित करना
- पर्यावरणीय शिक्षा और किशोरावस्था शिक्षा पर अध्यापक मैनुअल का प्रकाशन
- किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम मॉडयूलों में लैंगिक संवेदी कार्यकलाप शामिल हैं।

शांति मूल्यों के संवर्धन और वृहत् प्रचार-प्रसार के लिए 2010 के दौरान एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए एक संसाधन पुस्तक 'वेज ऑफ पीस' प्रकाशित की गई। एनसीईआरटी ने ''स्कूलों में शिक्षा के मूल्यों'' पर एक कार्यढांचे को भी अंतिमम रूप दिया है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष कार्यक्रम

***335. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
श्री ए. सम्पत:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान प्रक्षेपित किए गए अनेक उपग्रहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत द्वारा इन अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उन पर खर्च की गई धनराशि का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है.

(ग) उक्त अवधि के दौरान अन्य देशों के उपग्रहों के प्रक्षेपण द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(घ) वर्ष 2020 तक निष्पादन हेतु निर्धारित अंतरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) गत तीन वर्षों (2009-2012) और चालू वर्ष (2012-13) के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 13 भारतीय उपग्रहों और 19 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए इसरो को आवंटित तथा इसरो द्वारा खर्च की गई धनराशि का कार्यक्रम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों (2009-2012) और चालू वर्ष (2012-13) के दौरान इसरो ने 19 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है तथा इन उपग्रहों के प्रक्षेपण द्वारा अर्जित राजस्व 25.83 मिलियन यूरो और 1 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) अंतरिक्ष विभाग ने 2020 तक निष्पादन हेतु आगामी अंतरिक्ष कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस योजना में बेहतर विभेदन सहित उन्नत प्रक्षेपक राकेट, प्रणालियों, विषय संबंधी भू-पर्यवक्षणात्मक उपग्रहों, उच्च-शक्ति उच्च-थ्रुपुट संचार उपग्रहों, सूक्ष्मतरंग बहु-स्पेक्ट्रमी सुदूर संवेदन उपग्रहों, मौसम और जलवायु संबंधी अध्ययनों, क्षेत्रीय नौवहन के लिए उपग्रहों के समूह का विकास, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहीय अन्वेषण के उद्देश्य से मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान और उपग्रहों के लिए क्रांतिक प्रौद्योगिकियों का विकास अभिकल्पित है।

विवरण-I

प्रक्षेपित उपग्रह

क. भारतीय उपग्रह

क्र.स.	उपग्रह का नाम	प्रक्षेपण तिथि	उपयोग के क्षेत्र
1.	सरल	25.02.2013	समुद्रविज्ञान और समुद्री मौसम विज्ञान
2.	जीसैट-10	29.09.2012	संचार एवं नौवहन
3.	रिसैट-1	26.04.2012	प्राकृतिक संसाधन एवं आपदा प्रबंधन
4.	मेघा-ट्रॉपिक्स	12.10.2011	मौसम विज्ञान
5.	जीसैट-12	15.07.2011	संचार
6.	जीसैट-8	21.05.2011	संचार एवं नौवहन
7.	रिसोर्ससैट-2	20.04.2011	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध
8.	यूथसैट	20.04.2011	अंतरिक्ष विज्ञान
9.	जीसैट-5पी @	25.12.2010	संचार
10.	कार्टोसैट-2बी	12.07.2010	मानचित्रकला और बृहत पैमाना मानचित्रण
11.	जीसैट-4 @	15.04.2010	संचार एवं नौवहन
12.	औशनसैट-2	23.09.2009	समुद्र की स्थिति का पूर्वानुमान, संभावित मत्स्य क्षेत्र का मानचित्रण
13.	रिसैट-2	20.04.2009	आपदा प्रबंधनन

@ प्रक्षेपण की विफलता के कारण कक्षा में नहीं पहुंच पाया।

ख. विदेशी उपग्रह

क्र.स.	उपग्रह का नाम	प्रक्षेपण तिथि	उपयोग के क्षेत्र
1.	सैफायर	कनाडा	25.02.2013
2.	रियोससैट	कनाडा	25.02.2013
3.	एनएलएस-8.1	आस्ट्रिया	25.02.2013
4.	एनएलएस-8.2	आस्ट्रिया	25.02.2013
5.	एनएलएस-8.3	डेनमार्क	25.02.2013
6.	स्ट्रैंड-1	यूनाईटेड किंगडम	25.02.2013
7.	स्पॉट-6	फ्रांस	09.09.2012
8.	प्रोइटेरेस	जापान	09.09.2012
9.	एक्स-सैट	सिंगापुर	20.04.2011
10.	वेसलसैट-1	लक्जमबर्ग	12.10.2011
11.	अल्सैट-2ए	अल्जीरिया	12.07.2011
12.	एनएलएस-6.1	कनाडा	12.07.2011
13.	एनएलएस-6.2	स्वीट्जरलैंड	12.07.2011
14.	क्यूबसैट-2	जर्मनी	23.09.2009
15.	क्यूबसैट-3	तुर्की	23.09.2009
16.	क्यूबसैट-4	स्वट्जरलैंड	23.09.2009
17.	रुबिन-9.1	जर्मनी	23.09.2009
18.	रुबिन-9.2	जर्मनी	23.09.2009
19.	क्यूबसैट-1	जर्मनी	23.09.2009

विवरण-II

इसरो को आबंटित तथा इसरो द्वारा खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.म.	उपग्रह का नाम	प्रक्षेपण तिथि	आबंटित निधियां (परियोजना लागत)	व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	सरल	25.02.2013	73.75	50.35
2.	जीसैट-10 (प्रमोचन सेवाओं सहित)	29.09.2012	735.00	620.2

1	2	3	4	5
3.	रिसैट-1	26.04.2012	378.49	375.50
4.	मेघा-ट्रॉपिक्स	12.10.2011	81.60	81.33
5.	जीसैट-12	15.07.2011	80.00	80.00
6.	जीसैट-8 (प्रमोचन सेवाओं सहित)	21.05.2011	610.00	608.91
7.	रिसोर्ससैट-2	20.05.2011	610.00	608.91
8.	यूथसैट	20.04.2011	24.45	23.38
9.	जीसैट-5पी	25.12.2010	123.75	122.32
10.	कार्टोसैट-2बी	12.07.2010	प्रयोक्ता द्वारा निधि प्राप्त परियोजना	
11.	जीसैट-4	15.04.2010	99.00	97.78
12.	ओशनसैट-2	23.09.2009	129.15	126.18
13.	रिसैट-2	20.04.2009	प्रयोक्ता द्वारा निधि प्राप्त परियोजना	

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर

***336. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई तथा "क" और "ख" श्रेणी के अन्य शहरों सहित शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर नहीं बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय और अन्य सहायता का शहर, वर्ष और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त सहायता से किए गए कार्यों का शहर और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) आर (ख) भारतीय संवधिान की सूची-II राज्य सूची प्रविष्टि 6 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य का विषय है।

स्वच्छता की परिभाषा मानव मलमूत्र के सुरक्षित परिरोध, शोधन, निपटान एवं स्वस्थ रखने से जुड़ी कार्य-प्रणालियों के सुरक्षित प्रबंधन के रूप में की गई है। मानव मलमूत्र के प्रबंधन एवं संबद्ध लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा, यह माना जाता है कि समेकित स्वच्छता समाधानों में पर्यावरणीय स्वच्छता के अन्य घटकों अर्थात् ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक एवं अन्य विशेषीकृत/खतरनाक कचरे के उत्पादन एवं ड्रेनेज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह परिभाषित नहीं है लेकिन अलग-अलग कई देशों में स्वच्छता को परिभाषित करने के लिए तरीके है। भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 3.10.2008 को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एनयूएसपी) तैयार की थी। एनयूएसपी का एक घटक स्वतंत्र एजेंसियां द्वारा शहरों की आवधिक स्वच्छता रेटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गिरानी एवं मूल्यांकन है।

शहरों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एनयूएसपी) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों और कस्बों को पूरी तरह से स्वच्छ, स्वास्थ्यकर एवं रहने योग्य बनाना है। इस प्रकार का पहला कार्य वर्ष 2009-2010 के दौरान किया गया और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर 423 श्रेणीबद्ध शहरों (100,000 से अधिक

आबादी) के कार्य-निष्पादन का निर्धारण मई, 2010 में प्रकाशित किया गया।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय शहरी स्वच्छता पर व्यापक नीतियां, कार्यक्रम एवं दिशानिर्देश तैया करने में मदद करता है। केन्द्र सरकार निम्नलिखित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में राज्य सरकरों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है:-

(i) राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने देश के सभी शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जिसमें सुधार उन्मुखी कार्यसूची समेत स्वच्छता शामिल है, के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया था। जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) उप-मिशन तथा छोटे एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के माध्यम से शहरों को सहायता प्रदान की जाती है। सीवरेज, ड्रेनेज एवं ठोस कचरा प्रबंधन क्षेत्र की परियोजताओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) शहरी विकास मंत्रालय ने एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए, सैटेलाइट आउन मैगनेटों में शहरी अवस्थापना विकास (यूआईडीएसएसटी) संबंधी एक स्कीम भी तैयार की है। इस स्कीम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सात मेगा शहरों के आस-पास के सैटेलाइट कस्बों/काऊंटर मैगनेटों में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकास और ठोस कचरा प्रबंधन आदि जैसी शहरी अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।

(iii) मंत्रालय ने पूर्वोत्तर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) भी शुरू किया है। प्रथम चरण में पाँच राज्यों के राजधानी शहरों अर्थात् अगरतला (त्रिपुरा), आईजोल (मिजोरम), गंगटोक (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड), और शिलॉग (मेघालय) को शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान की जाती है।

जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वच्छता (ठोस कचरा प्रबंधन, ड्रेनेज और सीवरेज) के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय एवं अन्य सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। मिलियन से अधिक आबादी वाले सैटेलाइट टाउन/मैगनेटों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसटी) के तहत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विरण-III में दिया गया है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) के लिए परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन एवं वर्षा जल निकाली समेत स्वच्छता परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार प्रतिबद्ध/जारी एसीए

लाख रुपये में
28.02.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-2013			कुल योग			
			अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	बचनवद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी एसीए	अनुमोदित परियो-जनाओं की संख्या	वचनवद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी एसीए	अनुमोदित परि-योजनाओं की संख्या	वचनवद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी एसीए	अनुमोदित परियो-योजनाओं की संख्या	वचनवद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी एसीए	अनुमोदित परि-योजनाओं की संख्या	वचनवद्ध एसीए	*उपयोग के लिए जारी एसीए	पूर्ण परि-योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	0	0.00	3809.47	0	0.00	1671.04	0	0.00	2230.32	0	0.00	2198.44	0	0.00	9909.27	0
		तिरुपति	2	4935.00	1234	0	0.00	1728.38	0	0.00	2815.63	0	0.00	465.8	3	6798.20	3996.7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		विजयवाड़ा	0	0.00	3418.24	0	0.00	1728.38	0	0.00	2815.63	0	0.00	2226.88	0	0.00	10189.13	3
		विशाखापट्नम	0	0.00	3097.3	0	0.00	845.59	0	0.00	4239.24	0	0.00	0.00	0	0.00	8182.13	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	0	0.00	288.74	0	0.00	0.00	0	0.00	429.98	0	0.00	0.00	0	0.00	698.72	0
3.	असम	गुवाहाटी	0	0.00	791.26	0	0.00	0.00	0	0.00	474.76	0	0.00	0.00	0	0.00	1266.02	0
4.	बिहार	बौद्धगया	0	0.00	1918.87	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1151.32	0	0.00	3070.19	0
		पटना	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	86.69	0	0.00	86.69	0
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0
7.	दिल्ली	नई दिल्ली	2	14197.00	3480.28	1	47520.00	14096.99	0	0.00	0.00	0	0.00	1330.19	3	61177.00	18907.48	0
8.	गोवा	पणजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	गुजरात	अहमदाबाद	0	0.00	10540.27	0	0.00	2192.72	0	0.00	6117.46	0	0.00	2683.85	0	0.00	21534.3	9
		पोरबंदर	0	0.00		0	0.00	0.00	1	8944.52	0.00	0	0.00	2236.13	1	8944.52	2236.13	0
		राजकोट	1	9000.00	3301.08	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	9000.00	3301.08	0
		सूरत	0	0.00	9196.61	0	0.00	2833.14	0	0.00	5382.68	0	0.00	0.00	0	0.00	17412.33	11
		वडोदरा	0	0.00	5227.68	0	0.00	454.18	0	0.00	2608.53	0	0.00	0.00	0	0.00	8290.39	1
10.	हरियाणा	फरीदाबाद	0	0.00	0.00	0	0.00	1582.64	0	0.00	719.5	0	0.00	1333.31	0	0.00	3635.45	0
11.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1	3880.00	970	0	0.00	0.00	1	840.50	0.00	0	0.00	210.13	2	4720.50	1180.13	0
12.	जम्मू और	जम्मू	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	1828.83	1744.61	0	0.00	457.2	1	1828.83	2201.81	0
	कश्मीर	श्रीनगर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	4785.12	0	0.00	0.00	0	0.00	4785.12	0
13.	झारखंड	धनबाद	0	0.00	698.24	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	698.24	0
		जमशेदपुर	0	0.00	0.00	1	1668.12	417.03	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	1668.12	417.03	0
		रांची	0	0.00	1027.89	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1027.89	0
14.	कर्नाटक	बैंगलोर	0	0.00	4589.27	0	0.00	0.00	0	0.00	4953.88	0	0.00	5579.85	0	0.00	15123	0
		मैसूर	0	0.00	500	0	0.00	1500	0	0.00	5355.7	0	0.00	0.00	0	0.00	7355.7	0
15.	केरल	कोचीन	0	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0	0.00	660.9	0	0.00	0.00	0	0.00	680.9	0
		तिरुवनन्तपुरम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	785.92	0	0.00	0.00	0	0.00	785.02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16.	मध्य प्रदेश	भोपाल	0	0.00	382.13	0	0.00	229.28	0	0.00	0.00	0	0.00	382.13	0	0.00	993.54	0
		इंदौर	0	0.00	1081.16	0	0.00	2303.77	0	0.00	0.00	0	0.00	4163.91	0	0.00	7548.91	0
		जबलपुर	1	16324.50	4081.12	0	0.00	0.00	0	0.00	2448.68	0	0.00	1116.16	1	16324.50	7645.91	0
17.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	1	1745.40	8751.87	0	0.00	13926.55	1	3829.55	14586.07	0	0.00	7437.43	2	5574.95	44701.92	5
		नागपुर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	975.83	0	0.00	975.83	0
		नांदेड	0	0.00	6278.57	0	0.00	914.62	0	0.00	3608.93	0	0.00	914.62	0	0.00	8116.74	3
		नासिक	1	8591.46	11761.12	0	0.00	1307.06	0	0.00	0.00	0	0.00	1288.71	1	8591.46	14356.89	1
		पुना	0	0.00	6482.39	0	0.00	4948.98	0	0.00	5780.05	0	0.00	3572.23	0	0.00	20783.65	3
18.	मणिपुर	इम्फाल	1	9225.12	2306.28	0	0.00	0.00	0	0.00	1732.17	0	0.00	2886.94	1	9225.12	6925.39	0
19.	मेघालय	शिलांग	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	330.21	0	0.00	550.35	0	0.00	880.56	0
20.	मिजोरम	आइजवाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैण्ड	कोहिमा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	3623.49	905.87	0	0.00	543.52	1	3623.49	1449.39	0
22.	ओडिशा	भुवनेश्वर	0	0.00	1366.6	0	0.00	0.00	0	0.00	6806.92	0	0.00	9978.27	0	0.00	18151.79	0
		पुरी	1	4500.00	1125	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	4500.00	1125	0
23.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	21.89	0	0.00	2.52	0	0.00	2441	0
24.	पंजाब	अमृतसर	0	0.00	906.12	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	906.12	0
		लुधियाना	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1810.43	0	0.00	1810.43	0
25.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	0	0.00	1221.5	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1065.06	0	0.00	2286.56	0
		जयपुर	0	0.00	1550.72	0	0.00	0.00	0	0.00	1443.65	0	0.00	0.00	0	0.00	2994.37	1
26.	सिक्किम	गंगटोक	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	322.92	0	0.00	538.2	0	0.00	861.12	0
27.	तमिलनाडु	चेन्नई	0	0.00	3693.37	1	4063.50	165.26	0	0.00	37765.7	0	0.00	1953.56	1	4063.50	29577.89	3
		कोयंबटूर	1	8962.07	8653004	0	0.00	0.00	0	0.00	4902.3	0	0.00	2022.85	1	89621.07	15578.19	1
		मदुरै	0	0.00	13886.76	0	0.00	0.00	0	0.00	4165.81	0	0.00	0.00	0	0.00	18052.57	1
28.	त्रिपुरा	अगरतला	1	9000.00	2250	0	0.00	0.00	0	0.00	1350	0	0.00	0.00	1	9000.00	9642.8	1
29.	उत्तर प्रदेश	आगरा	1	9000.00	3176	0	0.00	1350	0	0.00	5116.8	0	0.00	0.00	1	9000.00	9642.8	1
		इलाहाबाद	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	7151.99	0	0.00	380.19	0	0.00	7532.18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		कानपुर	0	0.00	5671.06	0	0.00	0.00	0	0.00	6074.33	0	0.00	0.00	0	0.00	11745.39	1
		लखनऊ	0	0.00	8385.6	0	0.00	6803.56	0	0.00	12488.59	0	0.00	0.00	0	0.00	27677.75	1
		मथुरा	1	4500.00	1672.32	0	0.00	1046.4	0	0.00	2736.31	0	0.00	0.00	1	4500.00	5455.03	1
		मेरठ	1	9000.00	2250	0	0.00	0.00	0	0.00	1519.46	0	0.00	0.00	1	9000.00	3769.46	0
		वाराणसी	0	0.00	773	0	0.00	3735.55	0	0.00	7232.8	0	0.00	0.00	0	0.00	11761.35	0
30.	उत्तराखंड	देहरादून	1	4628.00	2249.75	0	0.00	0.00	0	0.00	2738.2	0	0.00	1157	1	4628.00	6144.95	0
		हरिद्वार	0	0.00	0.00	2	2757.06	0.00	0	0.00	689.27	0	0.00	0.00	2	2757.06	689.27	0
		नैनीताल	0	0.00	392.5	1	744.80	186.2	0	0.00	235.2	0	0.00	392	1	744.80	1205.9	0
31.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	1	2004.41	501.1	0	0.00	0.00	0	0.00	544.66	0	0.00	0.00	1	2004.41	1045.78	0
		कोलकाता	3	2713.95	7504.07	3	5408.33	5094.17	2	5513.45	4480.28	0	0.00	3458.52	8	13635.73	20537.04	6
	कुल		21	122206.91	158822.25	9	62161.81	70093.61	8	26443.54	170206.8	0	0.00	69049.77	38	210812.26	468172.43	55

* जारी एसीए में मार्च, 2009 से पहले स्वीकृत की गई परियोजनाएं भी शामिल है।

* पूर्ण परियोजनाओं में मार्च, 2009 से पहले स्वीकृत की गई परियोजनाएं भी शामिल है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में सीवरेज परियोजनाएँ

क्र.सं.	राज्य	कस्बे/शहरों के नाम	स्कीम/घटक का नाम	एसएलएससी द्वारा अनुमोदित लागत	2009-10 के दौरान जारी एसीए	2010-11 के दौरान जारी एसीए	2011-12 के दौरान जारी एसीए	2012-13 के दौरान जारी एसीए	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	सीवरेज	4915.00		1966.00			1966.00
2.	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	सीवरेज	6237.00		2494.80			2494.80
3.	आंध्र प्रदेश	मियालागुडा	सीवरेज	3493.00		1397.20			1397.20
4.	आंध्र प्रदेश	नालगगोंडा	सीवरेज	4687.50		1875.00			1875.00
5.	आंध्र प्रदेश	नरसारावपेट	सीवरेज	2641.00		8.19			8.19
6.	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	सीवरेज	8106.00		3242.40			3242.40
7.	आंध्र प्रदेश	नागरी	सीवरेज	983.00		393.20			393.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	आंध्र प्रदेश	यूमिनागनूर	भूमिगत जल निकास	3983.00	58.01		1593.40		1651.41
9.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	सेनेटरी सीवरेज प्रणाली	19025.00			4289.00		4289.00
10.	हरियाणा	बहादुरगढ़	सीवरेज	4576.04	0.00	0.00	1830.41		1830.41
11.	हरियाणा	बहादुरगढ़	सीवरेज शोधन संयंत्र	2707.01	0.00	0.00	1082.81		1082.81
12.	हरियाणा	अम्बाला	सीवेरज शोधन संयंत्र	2082.19	0.00	0.00	0.00		0.00
13.	हरियाणा	नारनौल	सीवेरज शोधन संयंत्र	812.99	0.00	0.00	0.00		0.00
14.	हरियाणा	चरकी-दादरी	सीवेरज शोधन संयंत्र	709.25	0.00	0.00	0.00		0.00
15.	हरियाणा	अम्बाला	सीवरेज	3728.00				1491.20	1491.20
16.	कर्नाटक	बवावना बागेवाड़ी	सीवरेज	844.00			337.60		337.60
17.	कर्नाटक	चन्नापटना	भूमिगत जल निकास	1311.00			524.40		524.040
18.	कर्नाटक	देवानगिरि	भूमिगत जल निकास	336.00					0.00
19.	कर्नाटक	होलेनारसिपुरा	सीवरेज	303.00			121.20		121.20
20.	कर्नाटक	मालावल्ली	भूमिगत जल निकास	730.41		292.16			292.16
21.	कर्नाटक	नान्जांगुड	भूमिगत जल निकास	974.58			389.83		389.83
22.	कर्नाटक	पंडवापुरा	भूमिगत जल निकास	602.09		240.84			280.84
23.	कर्नाटक	शिकारीपुरा	सीवरेज	1317.00					0.00
24.	कर्नाटक	श्रीरंगापटना	भूमिगत जल निकास	522.18					0.00
25.	कर्नाटक	सौंदत्ती	सीवरेज	867.84					0.00
26.	केरल	चालाक्कुडी	सीवरेज	4978.00					0.00
27.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	सीवरेज	3198.00	0.00	1279.20			1279.20
28.	महाराष्ट्र	सिरडी	सीवरेज	2426.00	970.40				970.40
29.	महाराष्ट्र	अम्बाद	सीवरेज	811.00	324.40				324.40
30.	महाराष्ट्र	सवनेर	सीवरेज	631.50	0.00				0.00
31.	महाराष्ट्र	शिरूर	भूमिगत जल निकास	889.80	0.00		355.36		355.36
32.	महाराष्ट्र	अमरावती	भूमिगत जल निकास (फेस-I)	8612.28	0.00		3444.91		3444.91
33.	महाराष्ट्र	अकोला	सीवरेज	13275.00	0.00				0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	महाराष्ट्र	पचगनी	सीवरेज	320.00	0.00		128.00		128.00
35.	महाराष्ट्र	चन्द्रापुर	सीवरेज	7201.30	0.00		2880.52		2880.52
36.	महाराष्ट्र	दौंड	सीवरेज	1915.80	0.00		766.32		766.32
37.	महाराष्ट्र	पनवेल	सीवरेज	3107.15	0.00		1242.86		1242.86
38.	महाराष्ट्र	मल्परल	सीवरेज	1884.40	0.00				0.00
39.	महाराष्ट्र	बेंगूली	सीवरेज	795.35	0.00		318.14		314.14
40.	महाराष्ट्र	अलीबाग	सीवरेज	1240.00	0.00				0.00
41.	महाराष्ट्र	काम्पट्टी	सीवरेज	2221.21	0.00				0.00
42.	महाराष्ट्र	गोंदिया	सीवरेज	8233.70	0.00			3293.48	3293.48
43.	मध्य प्रदेश	बुधनी	सीवरेज	195.05	0.00			1.95	1.95
44.	मध्य प्रदेश	इटारसी	सीवरेज	708.43	0.00			10.63	10.63
45.	मध्य प्रदेश	जाओरा	सीवरेज	294.25	0.00			2.94	2.94
46.	मध्य प्रदेश	रेहती	सीवरेज	143.48	0.00			1.43	1.43
47.	मध्य प्रदेश	विदिशा	सीवरेज	218.00	0.00				0.00
48.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सीवरेज	6650.00	0.00				0.00
49.	मध्य प्रदेश	सागर	सीवरेज	7661.55	0.00			114.92	114.92
50.	ओडिशा	सम्बलपुर	सफाई	593.23	0.00				0.00
51.	पंजाब	जालन्धर	सीवरेज	4955.00	0.00	1982.00			1982.00
52.	पंजाब	जालन्धर	सीवरेज-फेज-II	4696.85	0.00				0.00
53.	पंजाब	मलौत	सीवरेज	2286.00	0.00				0.00
54.	पंजाब	पठानकोट	सीवरेज	4766.00	0.00				0.00
55.	पंजाब	जिरकपुर	सीवरेज	4197.61	0.00				0.00
56.	जंजाब	पटियाला	सीवरेज	8940.00	0.00				0.00
57.	पंजाब	तलवन्डीसाबो	सीवरेज	1016.00	0.00				0.00
58.	पंजाब	मुक्तसर	सीवरेज	2789.45	0.00			1112.12	1112.12
59.	राजस्थान	बिकानेर	सीवरेज	3876.10	0.00				0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	राजस्थान	चित्तौरगढ़	सीवरेज और जल निकास	328.18	0.00				0.00
61.	राजस्थान	जालौर	सीवरेज	1066.31	0.00				0.00
62.	राजस्थान	झालावाड़ और झालावाड़पाटन	सीवरेज	1904.02	0.00				0.00
63.	राजस्थान	सुमेरपुर	सीवरेज	927.74	0.00				0.00
64.	राजस्थान	माउंटआबू	सीवरेज	2715.00	0.00			27.15	27.15
65.	राजस्थान	जोधपुनर	सीवरेज	6167.00	0.00				0.00
66.	राजस्थान	किशनगढ़	सीवरेज	2601.00	0.00			26.01	26.01
67.	राजस्थान	अनुमानगढ़	सीवरेज	4279.00	0.00			24.39	24.39
68.	राजस्थान	पाली	सीवरेज	3329.53	0.00			32.48	32.48
69.	राजस्थान	कोटा	सीवरेज	5122.42	0.00				0.00
70.	राजस्थान	झूनझूनू	सीवरेज	3781.00	0.00			26.09	26.09
71.	सिक्किम	सरदारशहर	सीवरेज	3692.00	0.00			23.63	23.63
72.	सिक्किम	नामची	सीवरेज शोधन संयंत्र	1097.00	0.00		493.65		493.65
73.	सिक्किम	जोरथंग	सीवरेज शोधन संयंत्र	480.00	0.00		216.00		216.00
74.	सिक्किम	मेल्ली	सीवरेज शोधन संयंत्र	341.00	0.00		153.45		153.45
75.	सिक्किम	रांगपो	सीवरेज शोधन संयंत्र	494.00	0.00		222.30		222.30
76.	तमिलनाडु	मामल्लापुरम	सीवरेज	608.00	243.20				243.20
77.	तमिलनाडु	मारैमालेनगर	सीवरेज	375.00	150.00				150.00
78.	तमिलनाडु	तिरुचेन्दुर	भूमिगत सीवरेज	1122.00	0.00				0.00
79.	तमिलनाडु	उडुमेलपेट	सीवरेज	3034.23	0.00				0.00
80.	तमिलनाडु	अरियालुर	सीवरेज जल निकास	2555.20	0.00			1022.08	1022.08
81.	तमिलनाडु	नागेरकोयल	भूमिगत सीवरेज	6556.47					0.00
82.	उत्तर प्रदेश	बलिया	सीवरेज	4472.31					1786
83.	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	सीवरेज	8691.66					3424.08
84.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	सीवरेज	4874.18					1949.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	सीवरेज	7341.24	2882.64				2882.64
86.	उत्तर प्रदेश	वृन्दावन	सीवरेज	3463.00		1384.87			1384.87
87.	उत्तराखंड	मसूरी	सीवरेज	6173.25	0.00	0.00	0.00	2469.30	2469.30
82.	पश्चिम बंगाल	कुरसेंग	सीवरेज	1251.59	0.00	0.00	0.00		0.00
82.	दमन और दीव	मोती और नन्दी दमन	भूतिगत सीवरेज	942.37	0.00	0.00	0.00		0.00
	कुल		89	282007.27	4636.84	23707.70	20390.16	9679.80	58414.50

विवरण-III

शहरी स्वच्छता के लिए सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसटी) के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	*परियोजना का नाम*	*स्वीकृति का वर्ष*	*स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)*	*वास्तविक प्रगति (%)*
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	भूमिगत जल निकास स्कीम, विकाराबाद	2010-11	5179	20%
	कुल		5179	
	गुजरात			
1.	साणंद कस्बा के लिए सीवरेज प्रणाली	2010-11	4678.94	ठेका दिया गया
2.	साणंद नगरपालिका के ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	170.9	ठेका दिया गया
	कुल		4849.84	
	हरियाणा			
1.	सोनीपत कस्बा के लिए म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन स्की	2010-11	196.8	ठेका दिया गया
	कुल		1996.8	
	कर्नाटक			
1.	होस्कोटे कस्बे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	2011-12	2767.12	राज्य द्वारा स्वीकृत
	कुल		2767.12	

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
1.	वसई-विरार उप-क्षेत्र एसटीपी-2 के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	2011-12	5298.1	विविदा के तहत
2.	कचरा प्रबंधन	2010-11	2538.12	25%
	कुल		7836.22	
	तमिलनाडु			
1.	भूमिगत सीवरेज स्कीम, श्रीपेरम्बदुर	2011-12	4497.6	ठेका दिया गया
2.	एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना,	2011-12	355.02	ठेका दिया गया
	कुल		4852.62	
	उत्तर प्रदेश			
1.	पिलखुआ सीवरेज स्कीम,	2010-11	2950.01	50%
2.	म्युनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	718.16	राज्य द्वारा अनुमोदित
	कुल		3668.17	
	सकल योग		43175.41	

विवरण-IV

शहरी स्वच्छता परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम

विछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी, 13 तक)
1.	नागालैण्ड	कोहिमा	शून्य	शून्य	1.85	5.57
2.	मेघालय	शिलांग	शून्य	शून्य	शून्य	0.06

(घ) निर्माण का विवरण

उक्त कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबंधन एवं सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

1. निम्नलिखित के लिए वर्ष 2009 में स्वीकृत ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाएं:

(क) कोहमा (नागालैंड) के लिए 16.85 करोड़ रुपये

(ख) शिलांग (मेघालय) के लिए 2.06 करोड़ रुपये

2. निम्नलिखित के लिए वर्ष 2012 में स्वीकृत ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनां;

(ग) गंगटोक (सिक्किम) के लिए 16.48 करोड़ रुपये

(घ) शिलांग (मेघालय) के लिए 4.25 करोड़ रुपये

2. निम्नलिखित के लिए वर्ष 2012 में स्वीकृत सीवरेज परियोजनाएं;

(क) आईजाल (मिजोरम) के लिए 35.38 करोड़ रुपये

विमानपत्तप प्रभार

***337. श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को विमानपत्तन प्रभावों की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ विमानपत्तन आने वाले यात्रियों से प्रयोक्ता विकास प्रभार वसूल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विमान यात्रा को और अधिक किफायती बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने प्रमुख हवाईअड्डों पर उपलब्ध कराई जाने वाली वैमानित सेवाओं के लिए टैरिफ तथा अन्य प्रभावों को विनियमित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) नामक एक आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की है। प्राधिकरण समय-समय पर देश भर के प्रमुख हवाईअड्डों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है और हवाईअड्डों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा यात्रियों के हितों के दृष्टिगत आदेश जारी करता है। इस समय केवल आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय आगमनकर्ता यात्री पर अलप पूरी के लिए 436/- रुपये, मध्यम दूरी के लिए 699/- रुपये तथा लंबी दूरी के लिए 881/- रुपये और प्रत्येक घरेलू यात्री के मामले में अल्प दूरी के लिए 195/- रुपये तथा लंबी दूरी के लिए 391/- रुपये का प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) वसूला जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के आदेश विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएएटी) के समक्ष अपील-योग्य हैं।

मॉडल स्कूल

***338. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
श्री वरूण गांधी:

क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत किए गए और उनमें से खोले गए मॉडल स्कूलों का राज्य/स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/स्थान-वार कितने मॉडल स्कूल खोजे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि सहित प्रस्तावित मॉडल स्कूलों में प्रदान की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं और संकाय तथा बनाई वाली प्रवेश संबंधी औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूरे देश में सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत मॉडल स्कूल स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमानतः कितने स्कूल स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमानतः कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे और इन स्कूलों की स्थापना हेत क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इन स्कूलों के कार्यकरण पर निगरानी हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) ग्रामीण जनसंख्या के लाभार्थ ब्लॉक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लमराजू): (क) और (ख) मॉडल स्कूल योजना के तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से 3500 स्कूल स्थापित किए जाने हैं और यह योजना 2009-10 से कार्यान्वित की जा रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना और दौरान, 1587 मॉडल स्कूल संस्वीकृत किए गए और उनमें से 438 स्कूल कार्यात्मक हो गए हैं। कार्यात्मक मॉडल स्कूलों का राज्यवार और उनकी अवस्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया

है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से व्यावहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराने की उनकी तैयारी के आधार पर और इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक जनशक्ति और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी 3500 स्कूलों का खोला जाना प्रस्तावित है।

(ग) स्थापित किए जाने वाले मॉडल स्कूल केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की अवसंरचना और संकाय के अनुरूप होंगे और इन स्कूलों में दाखिला संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। वर्तमान में योजना कक्षा VI से XII वाले प्रति कक्षा दो अनुभाग वाले मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए अनावर्ती लागत के रूप में अधिकतम 3.02 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराती है। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए निर्माण लागत से 20 प्रतिशत अधिक की छूट दी जाती है। इसके अलावा प्रति स्कूल वार्षिक आवर्ती लागत के रूप में 0.75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) मॉडल स्कूल योजना के तहत 12वीं योजना अवधि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत उन ब्लॉकों में जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं 2500 मॉडल स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। 2012-13 से इस संघटक का कार्यान्वयन आरंभ किया गया और पात्र संस्थाओं की छंटनी के लिए अर्हता के अनुरोध के प्रत्युत्तर में पात्र निजी संस्थाओं के पूर्व-अर्हक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चयनित निजी संस्थाएं डिजाइन, वित्त तथा संचालन के आधार पर मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगी। सरकार प्रतिव्यक्ति आधार पर सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रों के लिए आवर्ती लागत का अंशदान करेगी। इसके अलावा अवसंरचनात्मक अनुदान के रूप में प्रत्येक प्रायोजित छात्र के लिए ऐसी सहायता के 25 प्रतिशत की राशि के बराबर जो स्कूल में पूँजीगत निवेश के 10 प्रतिशत की राशि से अधिक न हो, भी उपलब्ध कराई जाएगी। गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की ऐसी व्यवस्था का प्रारंभिक करार प्रत्येक स्कूल के लिए 10 वर्ष का होगा जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा।

मंत्रालय ने ऐसे 2500 मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए देश में 3203 ब्लॉकों की पहचान की है जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। स्थापित किए जाने वाले स्कूलों की अनुमानित संख्या निजी संस्थाओं द्वारा दर्शाई गई अभिरूचि पर निर्भर करेगी। योजना में इन स्कूलों के प्रशासन और कार्यकरत के प्रबंधन की निगरानी के लिए मॉडल स्कूल संगठन स्थापित करने की व्यवस्था है।

(ङ) योजना के तहत वित्तीय सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इन स्कूलों में शिक्षा का गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निष्पादन पैरामीटरों के पूरा करने के अध्यधीन है।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत और खोले गए मॉडल स्कूलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत मॉडल स्कूलों की संख्या	खोले गये मॉडल स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	355	0
2.	असम	62	0
3.	बिहार	105	0
4.	छत्तीसगढ़	74	72
5.	गुजरात	74	12
6.	हरियाणा	36	0
7.	हिमाचल प्रदेश	5	0
8.	जम्मू और कश्मीर	19	0
9.	झारखंड	40	40
10.	कर्नाटक	74	74
11.	मध्य प्रदेश	201	201
12.	महाराष्ट्र	43	0
13.	मेघालय	9	0
14.	मिजोरम	1	0
15.	नागालैंड	11	0
16.	ओडिशा	111	0
17.	पंजाब	21	21
18.	राजस्थान	134	0
19.	तमिलनाडु	44	18
20.	उत्तर प्रदेश	148	0
21.	पश्चिम बंगाल	20	0
	कुल	1587	438

विवरण-II

खोले गये मॉडल स्कूलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	ब्लॉक
1	2	3	4
1.	पंजाब	21	1. संगत
			2. तलवंडी साबो
			3. मंडी फूल वेस्ट/मोइ
			4. खुहियां सवर
			5. अबोहर
			6. फाज़िलका
			7. जलालाबाद
			8. ममदोत
			9. फिरोजपुर
			10. मानसा
			11. बुढ़लाडा-I/भीक्खी
			12. बरेटा/बुढ़लाडा स्थित बुढलाडा-II
			13. झुनीर-I
			14. सरदुलगढ़ स्थित झुनीर-II
			15. लाम्बी
			16. मुक्तसर
			17. समाना-I/पतरन स्थित समाना-I
			18. लेहरा गागा
			19. अनदाना
			20. सौनाम
			21. वालटोहा
2.	कर्नाटक	74	1. रामदुर्ग
			2. परसगड (साउदाती)
			3. बिलागी
			4. मुधोल
			5. बागलकोट
			6. बादामी
			7. हुंगुड
			8. बीजापुर
			9. सिंधागी
			10. बी. बगेवाडी
			11. मुद्देबिहल
			12. इण्डी
			13. अलन्द
			14. अफजापुर
			15. गुलबर्गा
			16. चिंचोली
			17. चीतापुर
			18. बसावाकल्यान
			19. बीदर
			20. हुमनाबाद
			21. औरद
			22. लिंगासुर
			23. देवगुर्गा
			24. मानवी
			25. रायचूर
			26. सिंधानुर
			27. येलबर्गा

1	2	3	4
			28. कुसतागी
			29. गंगावथी
			30. कोपल
			31. रोना
			32. मुन्दारगी
			33. धारवाड़
			34. कलघाटगी
			35. एच. बोमानाहाली
			36. होसपेट
			37. सिरागुप्पा
			38. बेलारी
			39. सन्दुर
			40. कुडीलिगी
			41. मोलकालमुर
			42. चलाकेरे
			43. हरपनहाली
			44. पवागाडा
			45. गुडीबेंडे
			46. बागपाली
			47. चिंतामणि
			48. श्रीनिवासपुर
			49. बंगारपेट
			50. मुलेबागिलु
			51. गारीबिदानुर
			52. चानापटना
			53. कनकपुर
			54. होलेनारासीपुर
			55. के.आर. नगर
			56. हुन्सुर
			57. मैसूर
			58. हेगादादवेनकोटे
			59. ननजनगुड
			60. टी. नरसीपुर
			61. गुंडलापेट
			62. चामराजनगर
			63. येलेन्दुर
			64. कोलेगल
			65. पानवापुर
			66. मालावली
			67. गोकक
			68. रायाबाग
			69. सीदम
			70. शाहपुर
			71. सुरपुर
			72. यादगीर
			73. जामाखंडी
			74. जेवारगी
3.	गुजरात	12	1. अमीरगढ़
			2. दंता
			3. खेडग्रह्मा
			4. दाहोद
			5. झालोद

1	2	3	4
			6. लिमखेडा
			7. संतरामपुर
			8. छोटा उदयपुर
			9. नसवाडी
			10. कावंत
			11. पवी जैतपुर
			12. देदियापाडा
4.	तमिलनाडु	18	1. नल्लौर
			2. पनरूति
			3. पेन्नाग्राम
			4. शूलगिरि
			5. केलामंगलम
			6. अम्मापट्टी
			7. नाम्बीयर
			8. मूलानूर
			9. कद्दावूर
			10. कोलीहिल्स
			11. एडापडी
			12. कडयमपट्टी
			13. कोंगनापुरम
			14. एस. पुदुर
			15. थियागादुर्गम
			16. रिषिवन्धियम
			17. कालाकुरिची
			18. थिरूकोइलूर
5.	छत्तीसगढ़	72	1. लोरमी

1	2	3	4
			2. भोपाल पट्नम
			3. छिंदगढ़
			4. जिदम
			5. कुआकोंडा
			6. सुकमा
			7. उसूर
			8. बिमेत्रा
			9. धर्मजयगढ़
			10. बटाउली
			11. भैयाथन
			12. कुसमी
			13. लखनपुर
			14. लूंदरा
			15. मेनपट
			16. ओदगी
			17. प्रतापपुर
			18. राजपुर
			19. रामचन्द्रपुर
			20. सीतापुर
			21. बस्तर
			22. कोंडागांव
			23. जगदलपुर
			24. टोकापाल
			25. दरभा
			26. लोहानदीगुडा
			27. बस्तानर

1	2	3	4
			28. माखदी
			29. बाकावंद
			30. फारसगांव
			31. बडराजपुर
			32. केशक्ता
			33. बेहरामगढ़
			34. बीजापुर
			35. बिलहा
			36. गोरेला
			37. कोटा
			38. मारवाही
			39. मस्तूरी
			40. मूंगेली
			41. पाथारिया
			42. पेंडरा
			43. तख्तपुर
			44. दांतेवाड़ा
			45. कोटेकल्याण
			46. कोंटा
			47. पामगढ़
			48. बगीचा
			49. कंसाबल
			50 पथालगांव
			51. कवारदा
			52. पनादारिया
			53. बोडला
			54. कोरबा
			55. करताला
			56. करतघोरा
			57. पाली
			58. पोंडयचूपरोरा
			59. खाडगांवन
			60. मनेन्द्रागढ़
			61. भरतपुर
			62. नारायणपुर
			63. ओरझाप (बस्तर जिले में एमडीएम सूची में)
			64. लालुंगा
			65. देवभोग
			66. मेनपुर
			67. बिलाईगढ़
			68. कसदोल
			69. बलोदाबाजार
			70. बातापरा
			71. अम्बिकापुर
			72. सूरजपुर
6.	मध्य प्रदेश	201	1. मंगोली
			2. ईसागढ़
			3. बरासिया
			4. खाकनर
			5. बुरहानपुर
			6. गोरीहार

1	2	3	4
			7. बिजावर
			8. बक्सवाहा
			9. तमिया
			10. अमरवदा
			11. परसिया
			12. जमाई
			13. भितरवार
			14. घाटीगांव
			15. खिरकिया
			16. सोहागपुर
			17. बंबई
			18. बनखेड़ी
			19. शाहपुर
			20. हरसूद
			21. पमधाना
			22. बलादी (किलोद)
			23. पन्न
			24. पवई
			25. बान्दा
			26. बीना
			27. खुराई
			28. मलथोन
			29. शाहगढ़
			30. बसोदा
			31. नतारन
			32. सिरोंगे
			33. लतारी,
			34. अलीराजपुर
			35. भाबरा
			36. जोबट
			37. कठवाड़ा
			38. सोनदवा
			39. उदयगढ़
			40. अनूपपुर
			41. जैथाहरी
			42. कोटमा
			43. पुष्पराजगढ़
			44. अशोकनगर
			45. चन्देरी
			46. बैहर
			47. बिरसा
			48. बरवानी
			49. निवाली
			50. पानसेमल
			51. पाती
			52. राजपुर,
			53. सेन्धवा
			54. भीमपुर
			55. घोराडोंगरी
			56. शाहपुर
			57. गोहड
			58. फंदा

1	2	3	4
			59. बड़ामलेहरा
			50. छत्तरपुर
			61. लौंडी
			62. नवगांव
			63. राजनगर
			64. हरराय
			65. बतियागढ़
			66. दमोह
			67. हाट्टा
			68. जबेरा
			69. पतेरा
			70. पथारिया
			71. तेंदुखेड़ा
			72. बागली
			73. देवास
			74. कन्नौद
			75. खटेगांव
			76. सोनाकच्छ
			77. कॉकखुर्द
			78. बदनावर
			79. बाग
			80. दही
			81. धार
			82. धर्मपुरी
			83. गंधवानी
			84. कुकशी

1	2	3	4
			85. मनावर
			86. नलचा
			87. निसारपुर
			88. सरदारपुर
			89. तिरला
			90. उमरबंद
			91. अमरपुर
			92. बजाग
			93. दीनदौरी
			94. करनजिया
			95. मेहदवाणी
			96. समानापुर
			97. शाहपुरा
			98. ओरान
			99. बमोरी
			100. चचोड़ा
			101. गुना
			102. रघुगढ़
			103. दाबरा
			104 मोरार
			105. देपालपुर
			106. इंदौर
			107. मौऊ
			108. मनवेर
			109. कुंदम
			110. झबुआ

1	2	3	4
			111. मेघनगर
			112. पेटलावार
			113. राम
			114. रानापुर
			115. थानडला
			116. बहोरीबन्द
			117. बरवारा
			118. धीमरखेड़ा
			119. कटनी
			120. रिथी
			121. विजयराघवगढ़
			122. खलवा
			123. भगवानपुरा
			124. झीरनिया
			125. बिच्छिया
			126. बिजाडंडी
			127. घुघोरी
			128. मवाई
			129. मोहगांव
			130. नारायणगंज
			131. निवास
			132. भानपुरा
			133. गरोथ
			134. जौरा
			135. केलारस
			136. मुरैना
			137. पहाड़गढ़
			138. सबलगढ़
			139. जवाद
			140. मनासा
			141. नीमच
			142. अजयगढ़
			143. बायोरा
			144. खिलचीपुर
			145. नरसिंगहढ़
			146. राजगढ़
			147. सारंगपुर
			148. जीरापुर
			149. बाजना
			150. सेलाना
			151. गंजयू
			152. हनुमाना
			153. जावा
			154. मौगंज
			155. नईगढ़ी
			156. तयोंथार
			157. मेहर
			158. मझगांव
			159. रामनगर
			160. उछेरा
			161. आस्ता
			162. इछावर

1	2	3	4
			163. श्योहोर
			164. लखनदोन
			165. बियोहरि
			166. बुधार
			167. गोपारू (पाली नं. 1)
			168. जयसिंहनगर
			169. सोहगपुर
			170. अगर
			171. बाडोड
			172. कराहल
			173. श्योपुर
			174. विजयपुर
			175. बदरवास
			176. करेरा
			177. खनियाधाना
			178. कोलारस
			179. पिछोड़े
			180. पोहारी
			181. शिवपुरी
			182. कुसमी
			183. मझौली
			184. रामपुर नेकिन
			185. सीधी
			186. सिहावल
			187. चितरंगी
			188. देवसर
			189. वैधान
			190. बालदेवगढ़
			191. जतरा
			192. निवादी
			193. पलेरा
			194. पृथ्वीपुर
			195. टीमकमगढ़
			196. घाटिया
			197. खचरोड़
			198. महीद्पुर
			299. उज्जैन
			200. गोहपारू
			201. करकेली
7.	झारखंड	40	1. मानिका
			2. कुन्दा
			3. लौलंग
			4. बरखाटा
			5. चौपारन
			6. तिसरी
			7. गावन
			8. गगोडर
			9. गनदेय
			10. बिरनी
			11. देवारी
			12. धनवर
			13. गिरडिह (सदर)

1	2	3	4
			14. बेंगाबाद
			15. डुमरी (बालथारिया)
			16. पिरटानर
			17. बोरियो
			18. बरहेट
			19. मांडरो
			20. तलझारी
			21. लिट्टीपाड़ा
			22. पाकुर
			23. जरमुंडी
			24. रानेश्वर
			25. शिकारीपाड़ा
			26. मसालिया
			27. सारियाहाट
			28. रामगढ़
			29. टुंडी
			30. बेड़ो
			31. इरकी (तमाड II)
			32. कर्रा
			33. खूँटी
			34. किस्को
			35. भंडारा
			36. जलदेगा
			37. मनोहरपुर
			38. इचागढ़
			39. निमडीह
			40. डुमरई

निवल राज्य घरेलू उत्पाद

***339. डॉ. एम. तम्बिदुरई:**
श्री रेवती रमण सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औसत की तुलना में भारत में कुछ राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों के प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप इन राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा संतलित क्षेत्रीय विकास और निर्धनता में कमी को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर एनएसडीपी द्वारा मापित प्रति व्यक्ति आय संबंधी अद्यतन सूचना के आधार पर, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान वास्तविक प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विकास दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2010-11 तथा 2011-12 दोनों वर्षों के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति एनएसडीपी की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है।

(ग) और (घ) गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 2004-05 तथा 2009-10 के लिए उपलब्ध हैं। 2004-05 तथा 2009-10 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कमी तथा इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति एनएसडीपी में वार्षिक औसत विकास दर के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में वर्ष 2004-05 तथा 2009-10 के बीच, राष्ट्रीय औसत की तुलना में गरीबी में कमी का स्तर उच्च रहा है तथा इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति एनएसडीपी की औसत विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है।

(ङ) सरकार देश के विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) शामिल है जिसे चिह्नत पिछड़े जिलों में विकास संबंधी महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए 2006-07 में शुरू किया गया था। बीआरजीएफ में 272 जिलों के जिला संघटक, बिहार के लिए विशेष योजना, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष पैकेज, पश्चिम बंगाल के लिए विशिष्ट योजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सूखा कम करने का पैकेज तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) शामिल हैं। इसके अलावा, क्षेत्र विकास हेतु अन्य कार्यक्रम भी हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) आदि। इसके अतिरिक्त, कई मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य विशिष्ट स्कीमों से इन राज्यों की जीएसडीपी की विकास दर बढ़ने का अनुमान है।

सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने हेतु कई उपाय किए हैं तथा गरीबी कम करने संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर, प्रत्येक हस्तक्षेप के सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने हेतु कई उपाय किए हैं तथा गरीबी कम करने संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर, प्रत्येक हस्तक्षेप के माध्यम से देश में गरीबी को कम करने से निबटने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआईजीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान (एमएसए), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि। देश में जीडीपी की विकास दर को बढ़ाने वाली सरकार की सभी नीतिगत पहलों ने समय के साथ लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने तथा भीषण गरीबी और अभावग्रस्तता को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से कम करने में योगदान दिया है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 1993-94 से 2004-08 के ग्यारह वर्षों में गरीबी के अनुपात में प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत अंकों की तुलना में 2004-05 से 2009-10 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत अंकों की कमी आई।

विवरण-I

2004-05 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2010-11	2011-12
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8.6	6.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	-0.2	8.6
3.	असम	6.8	5.1
4.	बिहार	9.5	11.7
5.	छत्तीसगढ़	6.6	4.6
6.	गोवा	9.6	7.8
7.	गुजरात	9.4	6.9
8.	हरियाणा	7.4	6.4
9.	हिमाचल प्रदेश	7.7	4.5
10.	जम्मू और कश्मीर	5.1	4.8
11.	झारखंड	7.6	7.8
12.	कर्नाटक	8.1	4.7
13.	केरल	7.6	9.1
14.	मध्य प्रदेश	5.1	10.4
15.	महाराष्ट्र	10.3	8.7
16.	मणिपुर	3.0	4.7
17.	मेघालय	8.1	5.0
18.	मिजोरम	5.9	7.7
19.	नागालैंड	4.7	1.8
20.	ओडिशा	4.5	1.1
21.	पंजाब	4.6	3.7
22.	राजस्थान	13.7	4.4
23.	सिक्किम	6.4	7.0

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	9.0	6.7
25.	त्रिपुरा	6.6	7.4
26.	उत्तर प्रदेश	6.0	5.0
27.	उत्तराखंड	8.3	3.7
28.	पश्चिम बंगाल	8.4	5.8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.6	4.9
30.	चंडीगढ़	2.7	1.6
31.	दिल्ली	8.8	9.3
32.	पुदुचेरी	8.1	-6.6
	अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एनएनआई	7.2	4.7

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय की 27.02.2013 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत			प्रति व्यक्ति एनएसडीपी में वार्षिक औसत वृद्धि (2004-05 से 2009-10)*
		2004-05	2009-10	अंतर	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	29.6	21.1	8.5	7.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.4	25.9	5.5	5.1
3.	असम	34.4	37.9	.3.5	4.0
4.	बिहार	54.4	53.5	0.9	6.5
5.	झारखंड	45.3	39.1	6.2	3.5
6.	गोवा	24.9	8.7	16.2	4.4
7.	गुजरात	31.6	23	8.6	9.0
8.	हरियाणा	24.1	20.1	4.0	7.7
9.	हिमाचल प्रदेश	22.9	9.5	13.4	5.5
10.	जम्मू और कश्मीर	13.1	9.4	3.7	4.1
11.	कर्नाटक	33.3	23.6	9.7	6.9
12.	केरल	19.6	12.0	7.6	7.6
13.	मध्य प्रदेश	48.6	36.7	11.9	6.4
14.	छत्तीसगढ़	49.4	48.7	0.7	5.6
15.	महाराष्ट्र	38.2	24.5	13.7	8.6

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	37.9	47.1	-9.2	3.6
17.	मेघालय	16.1	17.1	-1.0	6.3
18.	मिजोरम	15.4	21.1	-5.7	7.1
19.	नागालैंड	8.8	20.9	-12.1	5.9
20.	ओडिशा	57.2	37.0	20.2	5.4
21.	पंजाब	20.9	15.9	5.0	5.3
22.	राजस्थान	34.4	24.8	9.6	5.6
23.	सिक्किम	30.9	13.1	17.8	20.2
24.	तमिलनाडु	29.4	17.1	12.3	9.4
25.	त्रिपुरा	40.0	17.4	22.6	7.2
26.	उत्तर प्रदेश	40.9	37.7	3.2	4.8
27.	उत्तराखंड	32.7	18.0	14.7	12.5
28.	पश्चिम बंगाल	34.2	26.7	7.5	5.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.0	0.4	2.6	8.7
30.	चंडीगढ़	11.6	9.2	2.4	4.4
31.	दिल्ली	13.0	14.2	-1.2	9.4
32.	पुदुचेरी	14.2	1.2	13.0	11.0
33.	अखिल भारत	37.2	29.8	7.4	7.0

स्रोत: योजना आयोग

* वार्षिक औसत विकास दर की गणना केंन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से 27.02.2013 की स्थिति के अनुसार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई है।

विमान कंपनियों/ट्रैवल पोर्टल्स को शामिल करने संबंधी दिशानिर्देश

***340. श्री निशिकांत दुबे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान कंपनियों द्वारा जाली बुकिंग और अनुचित टिकट प्रणालियों के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी विमान कंपनी और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स सहित विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा कंपनी के बिक्री काउंटरों से बेचे गए टिकट देश में ट्रैवल एजेंसियों और ट्रैवल पोर्टल्स द्वारा बेचे गुए टिकटों से काफी अधिक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं;

(घ) जाली बुकिंग को रोकने सहित उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के संबंध में विमान कंपनियों/ट्रैवल पोर्टल्स को शासित करने वाले नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। एयरलाइन कंपनियों द्वारा जाली बुकिंग तथा अनुचित टिकट प्रणालियों का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को मार्च, 2012 में कुछ घरेलू एयरलाइनों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कतिपय ऑनलाइन यात्रा पोर्टल तथा makemytrip.com, via.com, yatra.com 'ओपेक/बार्गेन किरायों' के अंतर्गत एयरलाइन टिकटें बेच रहे थे, जिसमें एयरलाइन की पहचान तथा उड़ान संबंधी ब्यौरा अपफ्रंट पर प्रदर्शित नहीं किया गया था।

(ग) सरकार द्वारा एयरलाइन टिकट बिक्री संबंधी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस)/वैश्विक वितरण प्रणाली (जीडीएस) संबंधी नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) जारी की है जिसमें प्रावधान है कि ग्राहक कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली/वैश्विक वितरण प्रणाली में जाली आरक्षण नहीं करेगा और किसी प्रकार की अनुचित टिकट प्रणाली का प्रयोग नहीं करेगा। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस समय कोई भी अनुसूचित घरेलू एयरलाइन ओपेक/बार्गेन किराया पद्धति में भाग नहीं ले रही है और ऑनलाइन यात्रा पोर्टलों ने अपनी संबंधित वेबसाइटों से इन्हें हटा दिया है।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने एक जन सूचना जारी की है, जिसमें एयरलाइनों को यह निर्देश दिया गया था कि वे ऐसी किसी योजना में अपनी भागीदारी को तत्काल वापस ले लें जहां वाहक के संबंध में सम्पूर्ण सूचना अपफ्रंड पर उपलब्ध न कराई गई हो। दर सूची प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत नागर विमानन महानिदेशलय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

– अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी वेबसाइटों पर, मासिक आधार पर, मार्गवार और किराया श्रेणीवार स्थापित टैरिफ प्रदर्शित करें और कोई भी उल्लेखनीय और सूचना योग्य परिवर्तन किए जाने के 24 घंटे के भीतर ऐसे परिवर्तनों के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय को सूचित भी करे।

– नियमित आधार पर टैरिफ की मॉनीटरिंग के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में एक टैरिफ विश्लेषण इकाई की स्थापना की गई है।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि

3681. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप से छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्रस्ताव समेकित वित्त विभाग के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) जही, हां। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नवम्बर, 2012 में प्राप्त हुआ था और उसकी मंत्रालय के समेकित वित्त विभाग (आईएफडी) के परामर्श से जांच की गई थी। इस प्रस्ताव पर विचार करना आसान बनाने क लिए आईएफडी ने कुछ अतिरिक्त ब्यौरे/सूचना मांगी है। तद्नुसार 8 मार्च, 2013 को शिक्षा निदेशालय, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तर नहीं हुआ है।

स्थान आधारित सेवाएं

3682. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने देश में कार्यरत मोबाइल सेवा प्रदाताओं से स्थान आधारित सेवा प्रणाली करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ उत्पन्न होने की संभावना है।

(ग) क्या सभी सेवा प्रदाताओं ने उक्त प्रणाली स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कंपनी-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि प्रत्येक कंपनी द्वारा इस प्रणाली की स्थापना शीघ्र की जाए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग ने, सुरक्षा संबंधी मुद्दों को देखते हुए, देश में कार्य कर रहे मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अवस्थिति आधारित सेवा (एलबीएस) प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा हरित अभियान शुरू करना

3683. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने जोरदार हरित अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनिल काकोदकर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में पेश किए विचार को कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) काकोदर समिति ने भारत में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वालली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को संधारणीय वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के अग्रिम मोर्चे पर रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। आईआईटी परिषद् की स्थायी समिति (एसएसआईसी) की सिफारिश पर परिषद् ने 07.01.2013 को आयोजित अपनी 46वीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक आईआईटी अपनी पाठ्यचर्या और अपनी संस्थागत प्रबंध पद्धतियां अर्थात ऊर्जा, जल, अपशिष्ट, निर्माण परियोजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों (वन, जल आदि) और जैव-विविधता संरक्षण की ग्रीन लेखापरीक्षा करने के लिए ग्रीन कार्यालय स्थापित किया जाएगा और संस्थान अधिक समुदाय तक सुलभ होने की दिशा में प्रयास करेंगे। प्रत्यक छात्र को स्थानीय विकास के बारे में अपनी विशेषता/विषय के क्षेत्र से संबंधित कम से कम एक प्रौद्योगिकी परियोजना पूरी करनी होगी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को हरित आवास के आदर्श बनाने के लिए हरित कार्यसूची तैया करने के लिए नेटवर्क बनाएंगे।

प्रत्येक कार्यालय में एक ग्रीन हाउस स्थापित करने और बुनियादी रूपरेखा और संकेतक, जो वेब पर उपलब्ध कराये जाएंगे, विकसित कर ने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलूर ने आईआईटी के साथ अपनी कार्यशाला आयोजित की है।

निगरानी रडारों द्वारा कवर्ड एटीएस मार्ग

3684. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रयोक्ताओं के लिए विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक मार्गों को निगरानी रडार या विमान यातायात नियंत्रण कक्ष द्वारा कवर नहीं किए जाने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी मार्गों को प्रभावी तरीके से निगरानी रडार या विमान यातायात नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां। नागरिक तथा सैन्य विमानों, दोनों के लिए भारतीय महाद्वीपीय वायुक्षेत्र तथा महासागरीय वायुक्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विमान यातायात नियंत्रण (एटीएस) सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) महाद्वीपीय वायुक्षेत्र के ज्यादातर एटीएस मार्ग निगरानी राडार/ऑटोमैटिक डिपेन्डेन्ट सर्विलेंस-ब्रॉडकास्ट (एडीएस-बी) द्वारा कवर किए जाते हैं। राडार/एडीएस-बी का एकीकरण महाद्वीपीय वायुक्षेत्र के ऊपर निगरानी क्षेत्र में और वृद्धि करेगा। महासागरीय वायुक्षेत्र में सारे एटीएस मार्ग ऑटोमैटिक डिपेन्डेन्ट सर्विलेंस कान्ट्रेक्स (एडीएस-सी) प्रणाली के अन्तर्गत हैं।

(ङ) सभी वायु मार्गो को सर्विलेंस राडार या विमान यातायात नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:-

(i) महाद्वीपीय वायुक्षेत्र के सर्विलेंस अन्तराल को कवर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नौ नए राडार स्थापित किए गए हैं।

(ii) सर्विलेंस अन्तरालों को कवर करने के लिए 8 अतिरिक्त राडार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

(iii) सर्विलेंस अन्तरालों को कवर करने के लिए 14 स्थानों पर एडीएस-बी स्थापित किए गए हैं।

(iv) एएआई ने चेन्नई ऑटोमेशन प्रणाली के चेन्नई एफआईआर में सफलतापूर्व सभी राडारों को एकीकृत कर दिया है तथा महाद्वीपीय वायुक्षेत्र में निगरानी रखने के लिए प्रमुख एटीसी केन्द्रों में सभी राडारों एवं एडीएस-बी चरणबद्ध तरीके से एकीकृत करने की योजना है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार

3685. श्री संजय निरूपम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रवेश में बहुत सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार करने संबंधी अनेक सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों के नामांकन 2009-10 में 14.67 करोड़ से 2011-12 में बढ़कर 15.28 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 2009-10 में 4.09 करोड़ से 2011-12 में बढ़कर 4.62 करोड़ हो गया है। राष्ट्रीय नामांकन अनुपात (जीईआर) 2008-09 में 115.31 से 20.11-12 में बढ़कर 118.94 हो गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद शिक्षा के प्राथमिक पूर्व और माध्यमिक स्तरों तक इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की सिफारिशें की गयी हैं।

परमाणु अपशिष्ट का निपटान

3686. श्री कीर्ति आजाद: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु अपशिष्ट निपटान का तरीका/पद्धति क्या है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में निजी एजेंसियों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों का चयन करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय संदर्भ में रेडियो अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में, संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र से और चिकित्सा, उद्योग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में रेडियान्यूक्लाइडों का उपयोग करने वाली संस्थापनाओं से भी सृजित होने वाले सभी किस्म के रेडियोसक्रिय पदार्थ शामिल हैं। प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को चयन करते समय, इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है कि, कम से कम और बहुत मामूली-सी प्रमात्रा में अपशिष्ट पदार्थ सृजित हों। व्यापक स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन संबंधी कार्य, सभी निर्धारित विनियामक अपेक्षाएं पूरी करते हुए किए जाते हैं।

हमारे नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरूआत में ही, नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नाभिकीय विद्युत सुविधाओं के प्रचालन और रख-रखाव संबंधी कार्यकलापों के दौरान, गैसीय, द्रव तथा ठोस रूप में नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई संसाधन प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के बार में संक्षिप्त रूप से नीचे बताया जा रहा है:

1. गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को उत्पादन के स्रोत पर ही उपचारित किया जाता है। इसके लिए काम में लाई जाने वाली तकनीकें हैं, सक्रियित चारकोल पर अधिशोषण, और उच्च दक्षता कणिकीय वायु फिल्टर द्वारा निस्यंदन (फिल्टरन)। उपचारित गैसों को रेचित वायु के साथ तनुकृत किया जाता है, और निगरानी के साथ उसे एक ऊंची चिमनी के माध्यम से निस्सरित किया जाता है।

2. द्रव अपशिष्ट पदार्थ स्ट्रीमों को, उनके स्वरूप, आयतन तथा उनमें विकिरणसक्रियता के अंश पर निर्भर करते हुए, निस्यंदन, अधिशोषण, रासायनिक उपचार, वाष्पन, आयन विनिमय, प्रतिलोम परासरण आदि जैसी विभिन्न तकनीकों की सहायता से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आयतन को घटाने पर जो दिया जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न सांद्र को सीमेंट आदि जैसी अक्रिय सामग्रियों में अचलीकृत किया जाता है।

3. नाभिकीय विद्युत सुविधाओं के प्रचालन और रख-रखाव के दौरान उत्पन्न विकिरणसक्रिय ठोस अपशिष्ट पदार्थ को अलग किया जाता है, और संहनन तथा भस्मीकरण जैसी विभिन्न प्रोद्योगिकियों को काम में लाकर आयतन को घटाया जाता है। हस्तन, परिवहन तथा निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठोस/ठोसीकृत अपशिष्ट पदार्थ की पैकेजिंग उपयुक्त पात्रों में की जाती है। अपशिष्ट पदार्थ का निपटान, पत्थर की दीवारों वाली खाइयों, पुनर्बलित कंकरीट की खाइयों और टाइल होलों जैसे विशेष तौर पर निर्मित संरचनाओं को किया जाता है।

4. भारत ने बद्ध ईंधन चक्र के विकल्प को अपनाया है, जिसके अंतर्गत, भुक्तशेष ईंधान का पुनर्संसाधन तथा पुनर्चक्रण शामिल है। पुनर्संसाधन के दौरान, भुक्तशेष ईंधन का केवल लगभग दो से तीन प्रतिशत हिस्सा अपशिष्ट बनता है, और शेष का पुनर्चक्रया किया जाता है। इस अपशिष्ट को, उच्च स्तर पर अपशिष्ट (एचएलडब्ल्यू) कहा जाता है जिसे काचीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से कांच में परिवर्तित किया जाता है। इस काचीकृत अपशिष्ट पदार्थ को गहरे भू-निक्षेपागार में निपटान करने से पूर्व, प्राकृतिक शीतलन के लिए 30 से 40 वर्षों के लिए एक ठोस भंडारण निगरानी सुविधा में भंडारित किया जाता है। गहरे भू-निक्षेपागार की आवश्यकता केवल तीन से चार दशक के बाद ही उत्पन्न होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर, यह लागू नहीं होता।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमन

3687. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियमनन की वैश्विक समीक्षा चल रही है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका भारतीय मोबाइल तथा इंटरनेट प्रयोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) समीक्षा में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में भारत का क्या रूख है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) अंतर्राष्ट्रीय सूरसंचार विनियमन (आईटीआर) की वैश्विक समीक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संबंधी विश्व सम्मेलन (डब्ल्यूसीआईटी-12) में दिनांक 3-14 सिदंबर, 2012 के दौरान दुबई में की गई थी।

(ख) आईटीआर दिनांक 01 जनवरी, 2015 से लागू होंगे और नीचे दी गई मद (घ) में उल्लिखित विवरण के अनुसार भारत ने आईटीआर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त आईटीआर केवल अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार से संबंध रखता है और इंटरनेट से उनका संबंध नहीं है। मोबाइल प्रयोक्ताओं के संबंध में, आईटीआर में प्रावधान हैं कि प्रचालन एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग मूल्यों और संबद्ध संगत शर्तो सहित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं के संबंध में मूल प्रयोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से नि:शुल्क, पारदर्शी सूचना प्रदान करेंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा और संतोषजनक गुणवत्ता के साथ मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान हैं।

(ग) आईटीआर की समीक्षा, दुबई के डब्ल्यूसीआईसी-12 के दौरान दिनांक 14.12.2012 को पूर्ण की गई थी।

(घ) भारत ने आईटीआर पर हस्ताक्षर नहीं किए, तथापि निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया।

"भारत प्रस्तावित आईटीआर और संकल्प 1, 2, 4 और 5 का समर्थन करता है। हम इंटरनेट की अधिक संवृद्धि हेतु समर्थित वातावरण के बारे में संकल्प पूर्ण 3 के व्यापक प्रभाव, विशेष रूप से इसकी इंटरनेट की बहु-पणधारी प्रकृति की मान्यता और विश्व के देशों में इसके विस्तृत सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का समर्थन करते हैं। भारत का यह विचार है कि यह संकल्प वर्तमान एवं भावी वैश्विक वास्तविकताओं और इंटरनेट की गति को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

आईटीआर पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई निर्णय लेने के पहले हमें इस संकल्प के व्यापक शाखा-विस्तार पर विचार करने की जरूरत है। अत: अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करने के पहले हम अपने देश में आवश्यक विचार-विमर्श करना चाहेंगे।"

डब्ल्यूसीआईटी-12 के बाद, कोई नया परामर्श नहीं किया गया है और इस प्रकार आईटीआर के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पूर्व की ओर देखो नीति

3688. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व की ओर देखो नीति की क्या स्थिति है तथा इसे नया आयाम देने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) भारत को सड़क द्वारा आसियान क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) भारत द्वारा आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए क्या विभिन्न पहलें की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) वर्ष 1990 के प्रारम्भ में शुरू की गई भारत की पूर्व की आरे देखो नीति का उद्देश्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के आदान-प्रदान को सशक्त बनाना है। 20-21 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत ने आसियान के साथ वार्ता सम्बन्धों के 20 वर्षों तथा शिखर सम्मेलन स्तरीय सहभागिता के 10 वर्षों के स्मारक के रूप में आयोजन किया। आसियान नेताओं तथा प्रधानमंत्री ने भावी आसियान-भारत रणनीतिक सहभागिता पर एक लक्ष्य वक्तव्य पारित किया।

(ख) आसियान के साथ सड़क सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवतहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में आसियान परिवहन सम्पर्क पर एक अन्तरमंत्रालयी समूह गठित किया गया।

(ग) भारत सरकारों, संस्थाओं तथा लोगों के आपसी स्तरों पर भारत तथाा आसियान के बीच एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजनैतिक, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा विकास क्षेत्रों में आसियान देशों के साथ सहयोग करता रहा है। इस सम्बन्ध में हम शांति, प्रगति तथा साझा समृद्धि के लिए आसियान-भारत सहभागिता को कार्यान्वित करने के लिए आसियान-भारत कार्य योजना (2010-15) द्वारा निर्देशित हैं।

कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंतर्गत सीबीएसई विद्यालय

3689. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने विभिन्न राज्यों में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंतर्गत सीबीएसई के नए विद्यालयों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों को संबंधन प्रदान करता है और नए स्कूल संस्वीकृत नहीं करता। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पंजाब में राज्य सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पद्धति के तहत् स्थापित 8 स्कूलों को संबंधन प्रदान किया है।

अनुबंध वाले कर्मचारी

3690. श्री पी.सी. मोहन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केन्द्रीय मंत्रालयों में मंत्रालयवार तथा विभागवार कितने पदों को अनुबंध आधार वाले कर्मचारियों से भरा जा रहा है;

(ख) क्या उन पर सीसीएस नियम लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो उन अनुबंध कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने के लिए किस प्रणाली का पालन किया जाता है; और

(घ) उन्हें उपलब्ध अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) यदि संबंधित पद के भर्ती नियमों में इस प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान हो तो संस्वीकृत-नियमित पदों के लिए संविदा नियुक्ति, भर्ती संबंधी प्रक्रिया का भली भांति पालन करके की जा सकती है। विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली का लागू होना तथा पारिश्रमिक सहित हितलाभ संविदा की निबंधन और शर्तों के आधार पर होता है।

[हिन्दी]

कट-ऑफ अंक

3691. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
प्रो. रामशंकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्च कट-ऑफ अंकों के कारण बड़ी संख्या में छात्र शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा सके हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उसके द्वारा चालित शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं की प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निर्धारित अंक, एक संस्था में दूसरी संस्था और एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में अलग-अलग होते हैं। जो विद्यार्थी अपेक्षित निर्धारित अंकों से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वले अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिला है और इसलिए, वे अन्य पाठ्यक्रम या अन्य संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, पांच वर्ष की अवधि में एक करोड़ अतिरिक्त नामांकन की व्यवस्था है। इसमें केन्द्रीय निधिबद्ध शिक्षण संस्थाओं में वर्तमान नामांकन को दो गुना करने की भी व्यवस्था है।

(ङ) विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होने के कारण स्वास्थ्य निकाय होते हैं और ये अपने घटक और संबद्ध कॉलेजों सहित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। सरकार की इन मामलों में कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।

यूरेनियम की कमी

3692. श्री राकेश सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारा देश यूरेनियम की आपूर्ति के लिए अभी भी अन्य देशों पर निर्भर है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हमारे देश के पास यूरेनियम में आत्मनिर्भर होने की क्षमता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) देश में प्रचालनरत 19 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों, जिनकी स्थापित क्षमता 4680 मेगावाट है, में से 2840 मेगावाट क्षमता वाले दस नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में स्वदेशी यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जोकि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। शेष 9 नाभिकीय रिएक्टर, जिनकी क्षमता 1840 मेगावाट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षोपायों के अंतर्गत आते हैं। इन 9 रिएक्टरों में आयोतित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जो अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभाग ने, अब तक, फ्रांस, रूस और कजाकिस्तान से ईंधन का आयात किया है।

(ङ) जी, हां।

(च) भू-वैज्ञानिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हमारे देश के कई भागों में यूरेनियम के पर्याप्त स्वस्थाने स्रोतों को उपलब्ध कराने की क्षमता है। परमाणु अन्वेषण तथा अनुसंधान विदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, यूरेनियम के स्वस्थाने स्रोतों का पता लगाने के कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और इसने, अभी तक, देश में 1,86,653 टन स्वस्थाने यूरेनियम (U_3O_8) स्रोतों का पता लगाया है।

नियुक्ति/तैनाती में रोटेशन की नीति

3693. श्री हर्ष वर्धन:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने विभिन्न संवेदनशील पदों पर नियुक्ति/तैनाती में रोटेशन की नीति का अनुपालन करने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय में कौन से पद संवेदनशील श्रेणी में आते हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों से लगातार ऐसे पदों पर काम कर रहे अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान किन पदों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय में कोई भी पद संवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रतिपादित रोटेशनल स्थानांतरण नीति इस मंत्रालय के सीएसएस/सीएसएसएस सवर्ग के संदर्भ में लागू है।

[अनुवाद]

विमानों में चिकित्सा सुविधाएं

3694. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान यात्रा के दौरान चिकित्सा संबंधी आपातकाल से निपटने के पर्याप्त प्रबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमान यात्रा के दौरान कर्मी दल के सदस्यों के रूप में डाक्टरों को तैनात करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विमान यात्रा के दौरान चिकित्सा संबंधी आपातकाल से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां। विमान यात्रा के दौरान चिकित्सा संबंधी आपातकाल से निपटने के पर्याप्त प्रबंध हैं।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर), खंड-II, शृंखला 'X' भाग III के अन्तर्गत, नागरिक विमानों में निम्नलिखित की व्यवस्था अनिवार्य की गई है;

i. प्राथमिक उपचार किट।

ii. 100 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए प्राधिकृत और 2 घण्टे से अधिक लम्बी दूरी के सेक्टर के लिए जाने वाले विमान के लिए चिकित्सा किट

iii. उन सभी विमानों के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट जिनमें एक केबिन कर्मी सदस्य की अपेक्षा है।

iv. आटोमेटिड एक्सर्टनल डीफाईब्रिलेटर

(ग) जी नहीं। वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विमान यात्रा के दौरान चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खंड-9, शृंखला-ई, भाग-1 के अन्तर्गत विमान के कप्तान को चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति से निपटने के लिए विमान को सबसे नजदीकी उपयुक्त एयरफील्ड पर ले जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

ii. केबिन कर्मियों को उनके प्रारम्भिक तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिया जाता है।

iii. आपातकाल/मामूली चिकित्सा की स्थिति में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे डॉक्टर बहुधा अन्य यात्रियों की सहायता करते हैं।

iv. यात्रा के दौरान बीमार यात्रियों की सेवा के लिए हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/निजी हवाई अड्डे/एयरलाइन द्वारा चिकित्सा व्यवस्था संचालित की जाती है।

[हिन्दी]

यूआईडी के अंतर्गत सूचना की सुरक्षा

3695. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूआईडी परियोजना के अंतर्गत एकत्रित व्यक्तिगत सूचना के चोरी होने का जोखिम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा यूआईडी के अंतर्गत एकत्रित सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यूआईडीएआई ने निवासी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भौतिक सुरक्षा को शामिल करने, नियंत्रण रखने, नेटवर्क की सुरक्षा, सख्त लेखा-परीक्षा व्यवस्था, 24x7 घंटे निगरानी और डेटा विभाजन तथा डेटा इन्क्रिप्शन जैसे अनेक उपाय किए हैं। यूआईडीएआई का सामान्य उद्देश्य एक प्रचालक मॉडल तैयार करना है, जो डेटा की सुरक्षा का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने, कार्यक्षमता में सुधार करने और प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए फ्रंट एंड में समावेशी है, परन्तु बैक एंड में पूरी तरह से परिष्कृत साफ्टवेयर, बायोमीट्रिक्स, फ्रॉड एनालीटिक्स और डेटा माइनिंग का उपयोग करता है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाण-पत्र ((एसटीक्यूसी) कार्यालय ने डेटा केन्द्रों के लिए यूआईडीएआई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और आईटी अवसंरचना सुरक्षा ऑडिट की लेखा-परीक्षा की है।

[अनुवाद]

परमाणु विज्ञान में अनुसंधान

3696. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में परमाणु विज्ञान संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भविष्य में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु विज्ञान अनुसंधान संबंधी प्रस्तावित कार्यक्रमों को ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), नाभिकीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रगति गणित के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी गतिविधियों के संबंध में काम कर रहा है। इन अनुसंधान तथा विकास संबंधी गतिविधियों को विभाग के अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) के माध्यम से बाह्य सहायता प्रदान करके भी चलाया जाता है। विभाग ने, XIIवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल देते हुए परियोजनाओं का सूत्रण किया है। XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंतर्गत, अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के लिए, 19,740 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभाग ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए, अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के अंतर्गत पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

2010-11: 11817.07 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय)

2011-12: 2512.63 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय)

2012-13: 2940.90 करोड़ रुपये (अनुमोदित परिव्यय)

विभाग द्वारा, नाभिकीय विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं:

(i) हरियाणा में वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा सहभागिता केन्द्र (जीसीएनईपी) की स्थापना।

(ii) 'सर्न' में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय परीक्षणात्मक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना/जूल्स होरोविट्ज रिएक्टर परियोजना (फ्रांस) आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रमों में भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभागिता।

(iii) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), जोकि एक मानद विश्वविद्यालय है, के अंतर्गत पहल करके नाभिकीय विज्ञान के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण और विशेषज्ञता का निर्माण, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (नाइजर), मुंबई विश्वविद्यालय परमाणु ऊर्जा विभाग-मूलभूत विज्ञान उत्कृतष्टता केन्द्र (यूएम-डीएई-सीबीएस) की स्थापना, भारत और विदेश के विश्वविद्यालयों के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसंधान केन्द्रों/सहायता प्राप्त संस्थानों का सहयोगात्मक संबंध है।

(iv) विजाग में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नए परिसर, हैदराबाद में बहुविषयक विज्ञान संबंधी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान केन्द्र (टीसीआईएस) और बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केन्द्र (आईसीटीएस) को स्थापित करने के लिए नई परियोजना संबंधी गतिविधियां चलाकर अनुसंधान तथा विकास संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना।

(v) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और संलयन अनुसंधान कार्यक्रमों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना।

(ख) और (ग) विजाग स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नए परिसर में, दो अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उनमें से एक अनुसंधान रिएक्टर, मौजूदा 100 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 'ध्रुव' अनुसंधान रिएक्टर के जैसा होगा। दूसरा अनुसंधान रिएक्टर, 30 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला रिएक्टर होगा, जिसका अभिकल्पन, उच्च विशिष्ट सक्रियता वाले रेडियोआइसोटोपों का उत्पादन करने, जिनका वर्तमान में देश में उत्पादन नहीं किया जा रहा है, के लिए विशेष रूप से किया गया है।

(घ) विभाग ने XIIवीं पंचवर्षीय योजना में, अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र के अंतर्गत कुल 400 परियोजनाओं के लिए 19740 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। कुछ उल्लेखनीय प्रयासों को नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

परमाणु ऊर्जा विभाग-उल्लेखनीय प्रयास

क्र.सं.	कार्यक्रम का महत्व	शीर्षक
1.		उच्च अभिवाह अनुसंधान रिएक्टर और आइसोटोप संसाधन प्रयोगशाला
2.		125 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला तापीय अनुसंधान रिएक्टर
3..		पेटा फ्लॉप श्रेणी की समानान्तर अति अभिकलन सुविधा
4.		सोडियम प्रौद्योगिकी मिश्र
5.		अस्थिरत और विरल आइसोटोप किरणपुंजों के लिए प्रगत राष्ट्रीय सुविधा भारत आधारित न्यूट्रीनों वेधशाला (आईएनओ) उच्च ऊर्जा और नाभिकीय भौतिकी अनुसंधान के लिए विश्व स्तर की एक भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग की एक बहु-संस्थागत हरित क्षेत्र परियोजना।
7.		इंडस सिंक्रोट्रॉन प्रयोक्ता सुविधा का विस्तार
8.	प्रमुख कार्यक्रम	जीसीएनईपी का विकास-अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अपना नेतृत्व प्रमाणित करने संबंधी एक पहल। • अनुसंधान शीर्षक के अंतर्गत परम्परागत विषयों का एकीकरण। • नई प्रौद्योगिकियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञानों का अभिसरण। • शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों को इस ढंग से एकीकृत करना कि वे एक दूसरे को सुदृढ़ और उन्नत कर सकें।
10.		विजाग में कैंसर अस्पताल की स्थापना
11.		नाइजर परिसर
12.	विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधनों को विकास और नए अवसरों को बढ़ावा देना	अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केन्द्र-टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरू का विकास • विज्ञान शिक्षा और संचार संबंधी कार्यक्रम • महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम • छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ओपन कोर्सवेयर • प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ परस्पर संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करके, हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों का उत्साहवर्धन

तकनीकी संस्थानों के लिए कानूनों में संशोधन

3697. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित तकनीकी संस्थानों की स्थापना संबंधी कानूनों में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए कानून के कब तक लागू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। देश में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के संबंध में किसी कानून में कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 को संधोधित करके बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू)-शिबपुर, (पश्चिम बंगाल) का रूपांतरण करके और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इकसा समावेश करके भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान-शिबपुर, पश्चिम बंगाल (आईआईईएसटी) की स्थापना करने का विनिश्चय किया।

(ख) प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था है:-

(i) प्रस्तावित तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आईआईईएसटी-शिबपुर के मानित समावेशन के लिए एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 की धारा 4 में एक उपधारा (1ए) का अंत: स्थापन।

(ii) अधिनियम की धारा 30ए का विलोपन, जिससे कि प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और प्रस्तावित तृतीय अनुसूची में सूचीबद्ध सभी संस्थानों के लिए एक सामान्य परिषद स्थापित की जा सके, और

(iii) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिबपुर, पश्चिम बंगाल अधिनियम, 4004 को निरस्त करना।

(ग) संशोधित अधिनियम उस तारीख को लागू होगा जिसे केन्द्र सरकार राजस्व में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक समान लेखापरीक्षा प्रणाली

3698. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की मात्रा का पता लगाने के लिए विद्यालयों द्वारा किए गए व्यय का अनुमान लगाने में राज्य की सहायता करने हेतु एक समान लेखापरीक्षा मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों को इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गई है और वितरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आरटीई वितरण के लिए एक समान लेखापरीक्षा प्रणाली निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आरटीई के अंतर्गत धनराशि के समुचित वितरण हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (I) (ग) में कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के बालकों के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा। अथवा प्राथमिक पूर्व, जैसा भी मामला हो, 25 प्रतिशत प्रवेश का प्रावधान है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) में संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उस राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उस राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय अथवा बालक से प्रभावित वास्तविक रकम के आधार पर प्रतिपूर्ति के मानदंड अधिसूचित करेगा। अत: प्रतिपूर्ति के मानदंड राज्य दर राज्य भिन्न हैं। अभी तक 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिपूर्ति के अपने मानदंड निर्धारित किए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलाभित समूह और कमजोर वर्ग के बालकों के नामांकन का सत्यापन करने के बाद राज्य/जिला स्तर पर प्रतिपूर्तियां की जाती हैं।

आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

3699. श्री सी. शिवासामी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किफायती आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या लाभ मिलने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने किफायती आवास क्षेत्र को "अवसंरचना का दर्जा" देने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अवसंरचना उप क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में विभिन्न अवसंरचना उप-क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित संस्थागत तंत्र (आईएम) के विचाराधीन है।

"अवसंरचना के दर्जे" वाले क्षेत्र बढ़ी हुई सीमा में ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षेत्र बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) की बढ़ी हुई राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षेत्र, बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग कंपनी लिमिटिड (आईआईएफसीएल) से निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं और विनिश्वित अवधि (कर अवकाश) के लिए कम अथवा शून्य दरों पर लाभ के कराधान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईए (4) के अंतर्गत विनिश्चित लाभ आदि प्राप्त कर सकते हैं।

एयरलाइनों को झूठी कॉलें

3700. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरलाइनों को झूठी कॉल संबंधी घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी घटनाओं से एयरलाइन-वार तथा विमानपत्तन-वार कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) अब तक झूठी कॉल करने वालों को दंड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2010, 2011, 2012 तथा 2013 में अब तक प्राप्त हवाई अड्डा वार झूठी कॉलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसी घटनाओं के कारण उठाई जाने वाली अनुमानित हानियों से संबंधित सूचना सरकार नहीं रखती है।

(ग) इस प्रकार की झूठी कॉलों से निपटने की विस्तृत प्रक्रिया बम की धमकी संबंधी आकस्मिक योजना में उल्लेखित है जिसके अनुसार किसी कॉल को विशिष्ट अथक झूठी कॉल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। झूठी कॉल होने की दशा में, प्रभावित एयरलाइनें इसका पता लगाने तथा संगत कानूनी प्रावधानी के अनुसार आगे की आवश्यकता कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है।

विवरण-I

वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 में आज तक हवाई अड्डे वार प्राप्त झूठी कॉलों से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं.	हवाई अड्डा	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013 में आज तक
1	2	3	4	5	6
1.	मुम्बई	03	03	07	03
2.	गोवा	शून्य	शून्य	01	शून्य
3.	पुणे	शून्य	01	शून्य	शून्य
4.	कोलकाता	शून्य	02	शून्य	01
5.	पटना	शून्य	शून्य	01	शून्य
6.	गुवाहाटी	शून्य	शून्य	01	01

1	2	3	4	5	6
7.	हैदराबाद	03	शून्य	शून्य	01
8.	बैंगलोर	02	01	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	08	09	05	03
10.	वाराणसी	01	शून्य	शून्य	शून्य
11.	जयपुर	01	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	18	16	15	09

पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण

3701. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों में पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण तंत्र संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की इन कंपनियों में कार्यरत पेंशनभोगी संघ के क्या नाम हैं;

(ग) क्या पेंशनभोगियों की शिकायतों को उठाने के लिए इन पेंशनभोगी संघों को कोई विधिक प्राधिकार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों (पीएसयू) यानी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलीकम्युनिकेशन कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) एवं भारत टेलीकॉम उद्योग लिमिटेड (आईटीआई) और आईटीआई में पेंशन स्कीम लागू नहीं है। बीएसएनएल और एमटीएनएल में पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान की कार्यविधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में पेंशनभोगी संघ को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि नियमों में चुनाव की निर्धारित प्रक्रिया की मार्फत कार्यरत कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता दी गई है। ताथापि, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दूरसंचार विभाग एवं संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ अपने सदस्यों की शिकायतों को उठाने के लिए पेंशनभोगी संघ बना लिए हैं।

विवरण

बीएसएनएल और एमटीएनएल में पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान की कार्य विधि

क. बीएसएनएल

बीएसएनएल ने पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए अलग से कोई निपटान कार्यविधि तैयार नहीं की है। तथापि, बीएसएनएल पेंशनभोगी केंद्र सरकार की साइट "www.pgportal.gov.in" की केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उपर्युक्त साइट पर बीएसएनएल से संबंधित शिकायतों की दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल के जन शिकायत प्रकोष्ठों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। पेंशनभोगी लिखित में या ई-मेल के द्वारा अपनी शिकायतें भेज सकते हैं जिन पर दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल के संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

ख. एमटीएनएल

एमटीएनएल के पेंशनभोगी की शिकायतों को एमटीएनएल की शिकायत निपटाय स्कीम के अनुसार निपटाया जाता है। तथापि, एमटीएनएल के पेंशनधारक ऊपर उल्लिखित पोर्टल सीपीजीआरएएमएस पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत निवारण तंत्र

3702. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला और सेकेण्डरी स्वीचिंग एरिया (एसएसए) स्तर पर प्रभावी लोक/उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो देश में जिला और एसएसए स्तर पर कार्यशील ऐसे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त स्तर पर उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करने के लिए ऐसे प्रकोष्ठ/तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का उपभोक्ता शिकायत निवारण तन्त्र, सभी संबंधित सेकण्डरी स्वीचिंग क्षेत्रों (एसएसए) को कवर करता है।

(ख) बीएसएनएल ने सभी एसएसए में कम्प्यूटरीकृत दोष सुधार सेवा एवं परस्पर संवाद वायस प्रत्युत्तर प्रणाली (एफआरएस/आईवीआरएस) के साथ शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता नीचे दर्शाए गए टोल फ्री नम्बरों पर कॉल सेन्टर में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है:-

- वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शनों हेतु:
  1500 अथवा 1800-345-1500
- डब्ल्यूएलएल एवं वाई-मैक्स कनेक्शनों हेतु:
  1502 अथवा 1800-180-1502
- जीएसएम मोबाइल सेवाओं हेतु:
  1503 अथवा 1800-180-1503
- ब्रॉडबैंड एवं इन्टरनेट कनेक्शनों हेतु:
  1504 अथवा 1800-345-1504

बीएसएनएल के पास वायर लाइन एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए 11 (ग्यारह) कॉल सेन्टर तथा मोबाइल सेवाओं के लिए 14 (चौदह) कॉल सेन्टर हैं, जो संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दूरसंचार सर्कल स्तर पर कार्यरत हैं। अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करने के लिए बीएसएनएल के पास प्रत्येक सर्कल/एसएसए में जन-शिकायत प्रकोष्ठ भी है।

एमटीएनएल (दिल्ली और मुम्बई के लिए) की शिकायत निवारण प्रणाली का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. आईवीआरएस (परस्पर संवाद वायस प्रत्युत्तर प्रणाली) से संबंधित शिकायत केन्द्र "198" पर।
2. एमटीएनएल की वेबसाइट-httpèkèkdelhi.mtnl.net.in (एमटीएनएल दिल्ली), www.mtnlamumbai.in (एमटीएनएल मुम्बई)।
3. कॉल सेन्टर–

   1500-लैंडलाइन सेवाएं.

   1502-सीडीएमए (कोड प्रभाग बहुआयामी अभिगम) सेवाएं;

   1503-मोबाइल सेवाएं;

   1504-ब्रॉडबैंड सेवाएं।
4. उपभोक्ताओं सेवा केन्द्र/संचार हाट।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर लागू नहीं होता।

विवरण

दूरसंचार सर्कल स्तर पर कार्यरत कॉल सेन्टर

लैंडलाइन एवं ब्रॉडबैंड कॉल में सेंटरों की सूची

क्र.सं.	कॉल सेंटर की अवस्थिति	कवर किए गए दूरसंचार सर्कल
1	2	3
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	बैंगलुरु	कर्नाटक, केरल
3.	चेन्नै	तमिलनाडु, चेन्नै टेलीफोन जिला

1	2	3
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
5.	नोएडा	उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तराखंड
6.	चंडीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जन्मू और कश्मीर
7.	भुवनेश्वर	बिहार, झारखंड, ओडिशा
8.	अहमदाबाद	गुजरात
9.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता टेलीफोन जिला, असम, अंडमान और निकोबार, पूर्वोत्तर I एवं पूर्वोत्तर II
10.	गुड़गांव	हरियाणा, राजस्थान
11.	पुणे	महाराष्ट्र

मोबाइल सेवाओं के लिए कॉल सेंटरों की सूची

क्र.सं.	कॉल सेंटर की अवस्थिति	कवर किए गए दूरसंचार सर्कल
1.	अजमेर	राजस्थान
2.	अहमदाबाद	गुजरात
3.	बैंगलूरू	कर्नाटक, केरल
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
5.	भुवनेश्वर	ओडिशा
6.	चैन्नै	तमिलनाडु, चेन्नै टेलीफोन जिला
7.	देहरादून	उत्त प्रदेश (पश्चिम एवं उत्तराखंड)
8.	गुवाहटी	असम, पूर्वोत्त-I एवं पूवोत्तर-II
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	करनाल	हरियाणा, हिमालय प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब
11.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल एवं कलकत्ता टेलीफोन जिला
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
13.	पटना	बिहार एवं झारखंड
14.	पुणे	महाराष्ट्र

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सुझाव

3703. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के उपायों के बारे में कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सुझाव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस हद तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंचों से दिए गए अपने भाषणों में भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय सुझाए हैं।

(ख) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दिए गए कुछ सुझाव हैं:-

(i) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दिए गए कुछ सुझाव हैं:-

(ii) पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(iii) लोगों को सूचित करने के लिए लोक प्राधिकरियों को स्वेच्छा से अधिक से अधिक जानकारी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखनी चाहिए।

(iv) दोषी पर कार्रवाई करने के लिए अन्वेषण एजेंसियों द्वारा शुरू से अंत तक त्वरित अन्वेष्णण किया जाना चाहिए जिसके बाद त्वरित अभियोजन चलाया जाना चाहिए।

सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने एवं इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(ii) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(iv) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना;

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन करना;

(vii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखना;

(viii) विभिन्न राज्यों में केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों की सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन करना। सरकार ने देश भर में विभिन्न राज्यों में 22 और विशेष न्यायालयों के सृजन का हाल ही में अनुमोदन किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हाल ही में संसद में अनेक विधायनों का पुरस्थापन भी किया है:-

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

(ii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011;

(iii) विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011;

(iv) समान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी हेतु नागरिक अधिकार तथा शिकायत निपटान विधेयक, 2011; तथा

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012

(ग) भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है एवं भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को सुदृढ़ करना ही सरकार का प्रयास है।

आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्रियाकलाप

3704. श्री सुदर्शन भगतः क्या **क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय क्षेत्रों सहित महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में बेड़े पैमाने पर वाणिज्यिक क्रियाकलाप संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे वाणिज्यिक क्रियाकलाप का कॉलोनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) गैर-अनुमेय वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में विशेष शिकायतें मिलने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उचित प्रवर्तन कार्रवाई करता है। सरकारी कॉलोनी के संबंध में क्वार्टर के दुरूपयोग के बारे में शिकायतें मिलने पर, आवंटन के नियमों और शर्तों के उल्लंघन हेतु अनुपूरक नियम 317-ख-21 के अंतर्गत सरकारी वास में वाणिज्यिक गतिविधियों में लिप्त आवंटियों के विरूद्ध कार्रवाई की जारी है। अन्य महानगरों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा सूचना संकलित नहीं की जाती है क्योंकि यह राज्य का विषय है।

[अनुवाद]

महिला समाख्या कार्यक्रम

3705. श्रीमती मौसम नूर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला समाख्या कार्यक्रम की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना पर किए गये व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों का चयन करने के मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) महिला समाख्या कार्यक्रम 10 राज्यों अथात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 122 जिलों में चलाया जा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) महिला समाख्या कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों वाले जिलों में कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	महिला समाख्या राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (18.3.2013 की स्थिति)
1.	आंध्र प्रदेश	522.11	641.71	736.14	903.70
2.	असम	480.00	393.67	427.52	544.88
3.	बिहार	544.24	541.41	599.45	694.44
4.	छत्तीसगढ़	100.00	93.25	73.63	178.16
5.	गुजरात	250.00	222.47	368.25	456.79
6.	झारखंड	310.63	576.43	519.68	500.00
7.	कर्नाटक	453.01	631.95	762.05	853.55
8.	केरल	211.19	293.10	317.11	323.47
9.	उत्तर प्रदेश	853.82	760.20	735.19	875.16
10.	उत्तराखंड	450.00	418.81	433.98	489.85
	कुल	4175.00	4573.00	4973.00	5820.00

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के लिए निधि

3706. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने राज्य में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं जिनमें विलम्ब हुआ है के लिए आवंटित निधि को तत्काल जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विलम्ब से विकास कार्य बाधित हुए हैं और इससे लोकहित प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के कार्य से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा, पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए स्कीम के दिशानिदेशों के अनुसार राज्यों तथा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2011-12 और 2012-13 के दौरान विभिन्न याजना स्कीमों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्र द्वारा जारी की गई राज्य-वर योजनागत सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.		2009-10			2010-11			2011-12			2012-13*		
		राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	कुल	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	केन्दीय प्रायोजित स्कीमें	कुल	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	कुल	राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4579.96	7627.46	12207.42	6371.12	13698.96	20070.08	5942.93	12970.26	18913.19	4837.24	11234.36	16071.60
2.	उत्तर प्रदेश	6105.01	18275.14	24380.15	7505.39	20449.21	27954.60	7490.16	18222.34	25712.50	5954.97	15575.59	21530.56

* 15.03.2013 की स्थिति के अनुसार जारी की गई राशि

स्रोत: सीपीएसएमएस

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन

3707. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से सरकार द्वारा प्राप्त किए गये प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी लंबित परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने

वाले शहरी गरीबों द्वारा स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करके, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक संपतियों का निर्माण करने के लिए उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें वेतन रोजगार प्रदान करके शहरी बेरोजगार और शहरी अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है।

स्वर्ण जयंती शहरी योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निधियों का आवंटन, शरीर गरीब जनसंख्या/शहरी जनसंख्या की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है और उनके द्वारा निर्धारित मानदंड को पूरा करने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियों और वास्तविक प्रगति को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न क्रमशः विवरण-I और विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 2009-10 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के अंतर्गत राज्यवार जारी केन्द्रीय निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (16.03.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3390.53	5226.02	6910.24	5638.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.93	201.79	129.99	0.00
3.	असम	1478.03	2869.96	3274.79	3413.28
4.	बिहार	895.12	2001.40	1579.36	0.00
5.	छत्तीसगढ़	881.30	1201.95	1921.96	1349.54
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1501.44	1928.53	3843.37	4855.11
8.	हरियाणा	585.34	654.37	1597.70	1866.07
9.	हिमाचल प्रदेश	12.15	50.00	109.54	335.61
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	135.21	293.30	296.27
11.	झारखंड	0.00	814.88	814.00	1782.29
12.	कर्नाटक	3524.71	5376.04	4874.28	5058.16

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	948.13	474.03	1970.37	2634.58
14.	मध्य प्रदेश	4087.96	5914.80	5719.08	4743.32
15.	महाराष्ट्र	8075.96	10464.11	10304.04	10271.98
16.	मणिपुर	461.88	448.43	399.65	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	234.74
18.	मिजोरम	369.51	641.66	514.74	435.41
19.	नागालैंड	277.13	419.06	269.06	443.18
20.	ओडिशा	1476.59	1650.75	2083.28	1669.30
21.	पंजाब	0.00	0.00	2275.11	1344.04
22.	राजस्थान	1311.76	2932.96	4187.60	1976.70
23.	सिक्किम	46.19	194.84	44.84	116.63
24.	तमिलनाडु	3817.38	4267.63	6346.09	7480.88
25.	त्रिपुरा	0.00	224.25	523.81	0.00
26.	उत्तराखंड	488.70	546.34	583.96	625.97
27.	उत्तर प्रदेश	6462.43	7224.67	11119.01	4668.63
28.	पश्चिम बंगाल	1940.44	2169.31	5764.81	6290.54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	18.75	23.34	9.27
30.	चंडीगढ़	0.00	39.26	147.13	68.21
31.	दादरा और नगर हवेली	17.58	8.79	8.65	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	175.00	250.01
34.	पुदुचेरी	6.66	50.00	75.00	0.00
	कुल	42160.85	58149.79	77883.10	67858.33

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत 2009-10 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान सृजित रोजगार अवसर

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13*	
		व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की की संख्या (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (यूएसईपी)	कौशल प्रशिक्षण (स्टेप-अप) प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7389	23914	9005	26753	12259	67664	7718	41000
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	20	12	28	89	213	73	168
3.	असम	472	420	90	470	126	1006	1205	10243
4.	बिहार	0	0	0	17134	1396	5170	380	
5.	छत्तीसगढ़	1993	1083	1862	3701	2687	10505	2120	11363
6.	गोवा	0	0	0	0	14	59	36	40
7.	गुजरात	19324	23754	8015	31517	8914	43179	3636	32491
8.	हरियाणा	3348	5495	1606	4724	1511	2440	925	4696
9.	हिमाचल प्रदेश	33	170	24	112	68	262	2	148
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	200	2356	85	1380	25	1904
11.	झारखंड	364	209	402	2874	81	438	42	4005
12.	कर्नाटक	3541	15853	3527	13397	5080	26644	6369	17157
13.	केरल	813	2696	1065	3190	1668	5040	814	5923
14.	मध्य प्रदेश	15232	33088	16743	31439	11724	27586	9840	35135
15.	महाराष्ट्र	6074	40693	7449	38669	6708	56168	3121	28507
16.	मणिपुर	8	3335	8	131	0	1283	0	1025
17.	मेघालय	24	47	52	154	0	0	34	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	29	230	216	3145	359	2755	372	4913
19.	नागालैंड	142	46	130	154	296	864	130	3652
20.	ओडिशा	5907	5697	5168	3356	2851	7364	1691	7138
21.	पंजाब	14	0	66	0	59	995	5	1503
22.	राजस्थान	9404	5315	7305	3355	5727	9131	2758	24912
23.	सिक्किम	86	0	80	320	106	908	72	907
24.	तमिलनाडु	2065	1224	3925	7198	5755	29656	2850	42000
25.	त्रिपुरा	200	1014	362	1586	253	1688	194	1659
26.	उत्तराखंड	992	1744	904	2168	725	1890	509	0
27.	उत्तर प्रदेश	3145	15281	7402	52419	4605	31846	4561	8011
28.	पश्चिम बंगाल	5024	7049	4412	5878	6346	24870	3197	30537
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43	1	43	0	65	0	39	0
30.	चंडीगढ़	0	0	112	124	429	616	170	486
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	5	60	12	
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0		
33.	दिल्ली	95	109	2298	548	306	1230	251	3600
34.	पुदुचेरी	306	44	497	276	478	760	178	215
	कुल	86083	188531	82980	257176	80775	363670	53329	323488

*फरवरी 2013 के अंत में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार।

बीपीओ क्षेत्र

3708. श्री नवीन जिन्दल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र में कार्यरत लोगों की वर्ष-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय बीपीओ क्षेत्र की बाजार मे हिस्सेदारी विशेषकर आवाज आधारित क्षेत्र में फिलीपिंस, लातिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप आदि जैसे उभरते बाह्यस्रोतन क्षेत्र से पतिस्पर्धा के कारण कम हो रही है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वैश्विक बीपीओ उद्योग में भारतीय बीपीओ क्षेत्र की भागीदारी कितनी है और इसके बाजार भागीदारी में आई कमी के वर्ष-वार क्या कारण हैं; और

(घ) बीपीओ क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए उठाए गये/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार विगत तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र में नियुक्त लोगों की वर्षवार कुल संख्या निम्नानुसार है:

बीपीओ की कुल संख्या (निर्यात + घरेलू राजस्व)

वित्त वर्ष 2009-10	14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर
वित्त वर्ष 2010-11	17.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
वित्त वर्ष 2011-12	19.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
वित्त वर्ष 2012-13 (ई)	20.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर

ई-अनुमानित रोजगार (बीपीओ निर्यात)

	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13 (ई)
प्रत्यक्ष	770,000	826,000	879,000	917,000

नैसकॉम के अनुसार, राज्यवार डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत में वित्त वर्ष 2010 से वित्त वर्ष 2013 के दौरान निर्यात 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 17.8 बिलियन डॉलर (अनुमानित) तक बढ़ा है। नैसकॉम के अनुसार, बीपीओ क्षेत्र में, विशेष रूप से आवाज आधारित क्षेत्र में फिलीपींस का राजस्व बढ़ रहा है परन्तु भारत अभी भी विश्व के बीपीओ बाजार में 37% की भागीदारी के साथ आगे है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वैश्विक बीपीओ उद्योग में भारतीय बीपीओ का बाजार शेयर निम्नानुसार है:

	2009	2010	2011	2012 (ई)
वैश्विक बीपीओ सोर्सिंग बाजार (यूससडी लियिन)	36-38	40-42	44-46	48-50
भारत का शेयर (%)	34%	35%	36%	37%

(घ) सरकार देश में आईटी और आईटीईएस/बीपीओ निर्यात राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन देती है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना जिसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त, सोसाइटी, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा शासित किया जाता है, के अन्तर्गत आईटी और आईटीईएस/बीपीओ इकाइयां विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जैसे आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एमडीए) और बाजार अभिगम प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन के कार्यकलापों के लिए निर्यातकों विशेषकर लघु और मसौले उद्यमों की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 आईटी-आईटीईएस विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिसूचित किए गए हैं। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 10 कक में एसईजेड में स्थित इकाइयां चरणबद्ध तरीके से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर लाभ के पात्र हैं। आईटी और आईटीईएस एसईजेड इकाइयां क्षेत्र के निर्यात राजस्व में वृद्धि के लिए काफी योगदान दे रही हैं।

शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां

3709. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता अधिक महसूस कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में अब तक क्या कदम उठाए गये; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या राय है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सरकार मौजूदा योजनाओं और नई आरम्भ होने वाली योजनाओं के अनुसरण में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में पेश आ रही चुनौतियों के हल निकालती रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 01.04.2010 को लागू हुआ और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों सहित 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिदेश दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यक्रम जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लक्ष्यों को पूरा करने का मुख्य साधन है, को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालय अवसंरचना, अतिरिक्त शिक्षक, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, नि:शुल्क वर्दियां आदि के प्रावधानों के लिए सहायता प्रदान करता है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 85.99% प्राथमिक विद्यालय हैं। ग्यारहवीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 77408.80 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंश के रूप में जारी किए गए थे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मार्च 2009 में आरम्भ किया गया था ताकि माध्यमिक शिक्षा की सुलभता में वृद्धि की जा सके और इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। आरएमएसए द्वारा भवनों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालायों, आदि सहित भौतिक अवसंरचना मुहैया कराने और शिक्षक के पदों की व्यवस्था कराने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता मुहैया करायी जाती है। ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अन्तर्गत राज्यों को कुल 4530.89 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधियां जारी की गई हैं।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, केन्द्र सरकार के भागीदार के रूप में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन कर रही हैं।

शोधार्थी को यूजीसी नॉन-नेट अध्येतावृत्ति

3710. श्री के.पी. धनपालन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को दी जाने वाली यूजीसी नॉन-नेट अध्येतावृत्ति को बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की योजना राज्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को भी अधयेतावृत्ति प्रदान करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमें सूचित किया है कि उसने योजना के तहत पूर्णकालिक पी-एच.डी. और पूर्णकालिक एम.फिल के लिए योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि को 1 अप्रैल, 2012 से क्रमश: 8,000 रुपये (5000 रुपये प्रतिमाह से) और 5000 रुपये (3000 रुरुपये प्रतिमाह से) तक पहले ही संशोधित कर दिया था।

(ग) यूजीसी की कनिष्ठ शोध फैलोशिप/वरिष्ठ शोध फैलोशिप, राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप, मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध फैलोशिप, मेधावी छात्रों के लिए मानविकी तथा समाज विज्ञान में शोध फैलोशिप आदि की योजनाएं, राज्य विश्वविद्यालयों में पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध हैं।

संस्कृत विश्वविद्यालय

3711. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चल रहे संस्कृत विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) 11वीं और 12वीं योजनावधि के दौरान ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए आवंटित/जारी और व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) वर्तमान में देश में सम विश्वविद्यालय संस्थाओं सहित 15 संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 11वीं और 12वीं योजनावधि में प्रत्येक विश्वविद्यालय को आवंटित, जारी तथा खर्च की गई निधि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में चल रहे संस्कृत विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्कृत विश्वविद्यालयों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517507
2.	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, अलीपीनी चन्दागनी, बाईपास रोड, तिरुपति
3.	असम	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी, असम
4.	बिहार	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा-846008
5.	दिल्ली	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम विश्वविद्यालय) 56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
6.	दिल्ली	श्री लाल बाहदुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
7.	गुजरात	सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, सोमनाथ ट्रस्ट, बिटको बिल्डिंग, प्रबास पाटन, सोमनाथ, जूनागढ़
8.	केरल	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री शंकरापुरम, पी.बी. सं. 14, कलादी, जिला एरनाकुलम-683574
9.	कर्नाटक	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, चामरिंदा संस्कृत महापाठशाला, बैंगलोर
10.	महाराष्ट्र	कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, बघेला भवन, शीतलबाड़ी, मौदा रोड, रामटेक-441106
11.	मध्य प्रदेश	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, बी.एम. बिरला शोध संस्थान परिसर, देवास रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश
12.	ओडिशा	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, श्रीविहार, पुरी-752003
13.	राजस्थान	जगद्‌गुरु रामानंदचार्या राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ग्राम मडयू (मुहाना), पीओ भानकरोटा, जयपुर-302026
14.	उत्तर प्रदेश	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221002
15.	उत्तराखंड	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत भवन, दिल्ली राजमार्ग, पोस्ट-ज्वालापुर, हरिद्वार-249407

विवरण-II

आवंटित और व्यय की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	संस्कृत विश्वविद्यालयों का नाम	XIवीं योजना में आवंटन	XIवीं योजना में जारी अनुदान	व्यय	XIIवीं योजना जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश*	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ विरुपति-517507	8718.81	7747.11	7664.67	1341.98
2.	बिहार	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर दरभंगा-846008	708.38	359.55	20.29	157.97

1	2	3	4	5	6	7
3.	दिल्ली	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय नई दिल्ली-110016	9284.82	7841.11	7841.11	1455.30
4.	दिल्ली	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम विश्वविद्यालय) 56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	39601.67	39601.67	40853.95 ##	11130.00
5.	केरल	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय श्री शंकरापुरम, पी.बी. सं. 14, कलादी, जिला एरनाकुलम-574683	1002.00	349.90	228.00	130.00
6.	ओडिशा	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्रीविहार, पुरी-752003	847.50	658.25	211.76	156.88
7.	उत्तर प्रदेश	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी-221002	853.00	388.85	19.87	155.00

व्यय आवंटित निधि से अधिक रहा है क्योंकि कथित सम विश्वविद्यालय की अपनी भी आन्तरिक स्रोतों से आय है।

आईआईटी में बालिकाओं को दाखिला

3712. श्री मानिक टैगोर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में बालिकाओं के दाखिलों का प्रतिशत बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईआईटी में बालिकाओं के दाखिले के प्रतिशत कम रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) आईआईटी में दाखिला लेने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) यद्यपि, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में रजिस्टर्ड महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्रमशः 24.82, 23.44 और 33.28 तथा तथापि उनसे संबद्ध दाखिला दर केवल 10.28, 9.97 और 9.78 थी। इसके कारण भिन्न-भिन्न होते हैं, परंतु अंतिम दाखिले परीक्षाओं में उनकी सफलता को ही प्रदर्शित करते हैं।

(ग) जेईई-2012 में रजिस्टर्ड महिला अभ्यर्थियों के प्रतिशत में हाल ही में वृद्धि अनुमानतः लड़कियों के लिए आवेदन शुल्क में भारी कमी के कारण हुई है। जेईई (मुख्य) और जेईई (एडवान्सड) 2013 में महिला अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस क्रमशः 50 प्रतिशत और 'शून्य' होगी।

[हिन्दी]

आई.आई.टी. द्वारा प्रौद्योगिकी कॉलेजों का विलय

3713. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के साथ निकट के तकनीकी कॉलेजों का विलय किए जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई कार्यविधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय से आईआईटी के वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निष्पादन अनुदान

3714. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गुजरात राज्य सरकार को निष्पादन अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निष्पादन अनुदान कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) सामान्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2011-12 से चार वर्षों की अवधि के लिए उन राज्यों को दिया जाता है जो तेरहवें वित्त आयोग (एफ.सी. XIII) द्वारा संस्तुत कतिपय निष्पादन आधारित शर्तों को पूरा करते हैं। जब कोई राज्य विशेष वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक इन शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह निष्पादन अनुदान की अपनी पात्रता से वंचित हो जाता है तथा उसकी पात्रता राशि को वित्त आयोग XIII द्वारा तक इन शर्तों को पूरा करने मे असफल रहता है तो वह निष्पादन अनुदान की अपनी पात्रता से वंचित हो जाता है तथा उसकी पात्रता राशि को वित्त आयोग XIII द्वारा यथा संस्तुत राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाएगा अर्थात् पचास प्रतिशत सभी राज्यों को और पचास प्रतिशत उन राज्यों को, जिन्होंने निर्धारित शर्तें पूरी कर ली है। गुजरात राज्य को वर्ष 2011-12 के लिए जब्त अनुदान में अंश के रूप में 1352. 37 लाख रुपये पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और 934. 41 लाख रुपये शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को जारी किये गये थे।

(ख) वर्ष 2011-12 के लिए गुजरात राज्य को पीआरआई और यूएलबी के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया गया है क्योंकि उसने निष्पादन आधारित सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है।

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र राज्य को सामान्य निष्पादन अनुदान और विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए निष्पादन आधारित सभी शर्तों को वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) पूर्ण किया जाना चाहिए।

यूरेनियम का आयात

3715. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूरेनियम के आयात हेतु निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये नियम यूरेनियम युक्त पदार्थों पर लागू होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आस्ट्रेलिया से यूरेनियम युक्त तांबा सांद्रण का आयात करने वाली निजी कम्पनियों के बारे में पता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उत्तरदायी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) यूरेनियम अथवा थोरियम अयस्कों व सांद्रों, तथा विकिरणसक्रिय रासायनिक तत्वों और विकिरणसक्रिय आइसोटोपों (जिनमें विखण्डनीय अथवा उर्वर रासायनिक तत्व तथा आइसोटोप शामिल हैं) तथा उनके यौगियों; इन उत्पादों से युक्त मिश्रणों अथवा अवशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध है और इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार प्राप्त होना आवश्यक है, और ये आगे, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के उपबंधों, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

एस.एस.ए. हेतु धनराशियां

3716. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण अवसंरचना और अन्य सुविधाओं को मार्च, 2013 तक पूरा करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत गुजरात को पूर्ण बजटीय आवंटन मंजूर नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुपूरक बजट के रूप में कटौती बजट राशि को मंजूर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष धनराशि को कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य की वार्षि कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीऔरबी) के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के व्यय की गति और कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर किस्तों में केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं। इस मापदंड के आधार पर गुजरात राज्य को केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 1,13,918.08 लाख रुपये दो किस्तों में जारी किए गए थे। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 540 करोड़ रुरुपये का अव्ययित शेष उपलब्ध था।

(घ) और (ङ) गुजरात सहित किसी भी राज्य के संबंध में 2012-13 के लिए एसएसए के अंतर्गत अनुपूरक वार्षिक कार्य कार्य योजना और बजट के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी संस्थानों का बंद होना

3717. श्री एस. सेम्मलई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर के प्रौद्योगिकी संस्थाओं से उन्हें बंद करने हेतु बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों को बंद करने के लिए मुख्य कारण क्या बताए गये हैं;

(घ) क्या एआईसीटीई ने इन संस्थानों को बंद करने की अनुमति दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रौद्योगिकी संस्थानों को वर्ष-वार बंद किया गया; और

(च) सरकार द्वारा इस मुद्दे को निपटाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी हां। विगत दो वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर के तकनीकी संस्थानों से उन्हें बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) इन संस्थानों को बंद करने के मुख्य कारणों में अव्यवहार्यता और दाखिले के लिए कम विद्यार्थियों का आना शामिल है। बंद होने का एक कारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मानदंडों और मानकों का अनुपालन न करने के कारण दंड स्वरूप अनुमोदन का वापस ले लिया जाना भी है।

(घ) और (ङ) जही, हां। विगत दो वर्ष के दौरान बंद हुए अवर स्नातक इंजीनियरी और प्रबंध संस्थानों की राज्यवार संख्या में ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) एआईसीटीई अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करती है और ऐसे कार्यक्रमों का वित्तपोषण भी करती हैं। एआईसीटीई बेहतर परिणामों और प्लेसमेंट में सुधार लाने के लिए सीआईआई, एफआईसीसीआई, एएसएसओसीएचएएम, एनएएसएससीओएम आदि जैसे उद्योग निकायों के साथ उद्योग अंत:क्रिया और सहयोग को भी बढ़ावा देती है। एआईसीटीई ने इंस्टटीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर एंड रिसर्च (आईएएमआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन ऐसी राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति प्रणाली तैयार करने के लिए संपन्न किया है जिससे उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रीय और शिषयवार दोनों प्रकार की मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर आयोजना तैयार की जा सके।

विवरण-I

प्रौद्योगिकी/व्यावसायिक संस्थानों को बंद करना

राज्य	2011-12 के दौरान अवर स्नातक इंजीनियरिंग संस्थानों को बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	2011-12 के दौरान प्रबंध संस्थानों को बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	8	32
गुजरात	2	

1	2	3
हरियाणा	4	15
हिमाचल प्रदेश	1	5
झारखंड	1	-
कर्नाटक	3	8
केरल	1	6
महाराष्ट्र	3	20
पंजाब	4	20
राजस्थान	4	18
तमिलनाडु	2	-
उत्तर प्रदेश	4	32
पश्चिम बंगाल	1	-
मध्य प्रदेश	-	-
कुल	38	166

राज्य	2012-13 के दौरान अवर स्नातक इंजीनियरिंग संस्थानों को बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	2012-13 के दौरान प्रबंध संस्थानों को बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	10	44
दिल्ली	-	1
गुजरात	-	4
हरियाणा	4	2
केरल	-	2
मध्य प्रदेश	-	11
महाराष्ट्र	6	6
ओडिशा	-	1

1	2	3
पंजाब	1	1
राजस्थान	2	20
तमिलनाडु	–	7
उत्तर प्रदेश	–	15
असम	1	–
झारखंड	1	–
कुल	25	114

राज्य	2013-14 के दौरान अवर स्नातक इंजीनियरिंग संस्थानों को बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	2013-14 के दौरान प्रबंध संस्थानों को बंद करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	12	37
गुजरात	–	9
हरियाणा	4	7
हिमाचल प्रदेश		
झारखंड		
कर्नाटक	–	2
केरल	–	1
महाराष्ट्र	6	7
पंजाब	1	6
राजस्थान	1	6
तमिलनाडु	1	2
उत्तर प्रदेश	3	13
पश्चिम बंगाल	1	–
उत्तराखंड	–	1
मध्य प्रदेश	–	3
ओडिशा	1	–
कुल	30	94

विवरण-II

विगत दो वर्षों के दौरान बंद हुए इंजीनियरिंग और प्रबंध संस्थानों की संख्या

राज्य	2011-12 के दौरान बंद हुए अवर स्नातक इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या	2011-12 के दौरान बंद हुई प्रबंध संस्थाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	6	28
गुजरात	1	-
हरियाणा	2	12
हिमाचल प्रदेश	1	4
झारखंड	1	-
कर्नाटक	1	3
केरल	1	4
महाराष्ट्र	1	12
पंजाब	3	16
राजस्थान	4	15
तमिलनाडु	2	-
उत्तर प्रदेश	4	24
पश्चिम बंगाल	1	-
मध्य प्रदेश	-	6
कुल	28	124

राज्य	2012-13 के दौरान बंद हुए अवर स्नातक इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या	2012-13 के दौरान बंद हुई प्रबंध संस्थानों के संख्या
1 2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	42
दिल्ली	-	1
गुजरात	-	2
हरियाणा	1	1
केरल	-	2
मध्य प्रदेश	-	11

1	2	3	4
महाराष्ट्र		2	6
ओडिशा		-	1
पंजाब		1	1
राजस्थान		2	20
तमिलनाडु		-	2
उत्तर प्रदेश		-	7
असम		1	
झारखंड		1	
कुल		12	101

एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना

3718. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) कॉलेजों या संस्थानों को शुरू करने के इच्छुक निकायों को अनुमति या मान्यता प्रदान कर रही है;

(ख) यह हां, तो ऐसे अनुमति/मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि एआईसीटीई में संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने भ्रष्ट आचरणों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के खंड 10(ट) के उपबंधों के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार इत्यादि के अधीन पंजीकृत सोसाइटी/न्यासों/कंपनियों द्वारा नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

(ख) अनुमोदन प्रदान करने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंड समय-समय पर जारी विनियमन और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्धारित किए गए हैं। सूचना वेबसाइट www.aicte.india.org पर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के विरूद्ध कुछ मामले दर्ज किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता, सरलता के लिए एक अनुमोदन प्रक्रिया ई-गवर्नेंस शुरू की है और आवेदक द्वारा आवेदन की तलाश करने के लिए संप्रेषण, शीघ्र प्रक्रिया और सुविधा का आश्वासन दिया है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से निरीक्षण नहीं बल्कि संस्थाओं द्वारा स्वत: घोषणा पर बल दिया जा रहा है। देशव्यापी विशेषज्ञों का डाटाबेस तैयार किया गया है और विशेषज्ञों का चयन कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इस प्रकार से विशेषज्ञ समितियों के गठन में मानवीय हस्तक्षेप का परिहार किया जाता है। अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ समिति के गठन को उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और व्यवसायरत वास्तुकारों और प्रोफेसरों को सदस्यों के रूप में शामिल करके आशोधित किया गया है।

वास्तविक और अकादमिक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति का दौरा संचालित करते समय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए "सतर्कता जागरूकता"

शीर्षक से एक सार्वजनिक सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है। सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि यदि उनके पास विशेषज्ञ के दौरों के बारे में कोई शिकायत है, तब वे एक विशिष्ट ई-मेल आईडी अर्थात् aictevigilence@gmail.com पर अपनी फीड बैक/शिकायत भेज सकते हैं।

विमान कम्पनियों हेतु पुनरुद्धार योजनाएं

3719. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विमान कम्पनियों ने अपनी आंतरिक पुनरुद्वार योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमान-कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक सहायता

3720. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश के अनेक शहरों तथा नगरों में सड़कों व उपरिपुलों के निर्माण के लिए कोई सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नगर-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इ सकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी इस कार्य का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां। तथापि, यह चुनिंदा प्रदर्शन शहरों तक ही सीमित है।

(ख) विश्व बैंक पिंपरी-चिंचवाड़ (महाराष्ट्र) में दो फ्लाई ओवरों और सड़क के निर्माण का वित्तपोषण करके द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) के कार्यान्वयन हेतु सुस्थिर शहरी परिवहन परियोजना (एसयूटीपी) के अंतर्गत सहायता मुहैया कर रहा है। ये परियोजनाएं हैं:

1. नासिक फाटा में फ्लाई ओवर और मार्गोपरि पुल (आरओबी) का डिजाइन और निर्माण: परियोजना की कुल लागत 98.81 करोड़ रुपये है।
2. पवना नदी पर पुल और कालेवाडी फाटा से देहू अलंदी रोड तक पहुंच मार्गों और रैम्प सहित फ्लाई ओवर और मार्गोपरि पुल का डिजाइन और निर्माण: यह कालेवाडी से देहू-अलंदी रोड बीआरटी कॉरीडोर पर है। परियोजना की कुल लागत 99.42 करोड़ रुपये है।

(ग) जी हां।

(घ) कर्नाटक से एसयूटीपी के अंतर्गत विश्व बैंक ऋण सहायता हेतु हुबली-धारवाड़ बीआरटीएस परियोजना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

महिला अध्ययन केन्द्र

3721. श्री के. सुगुमार:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और महिला संबंधी अध्ययनों पर जोर देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमें सूचित किया है कि समूचे देश में, 7वीं योजना के आगे, 158 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में स्थापित मौजूदा महिला अध्ययन केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में, विश्वविद्यालयों में जेंडर संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त बल सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी कुलपतियों और संस्थाओं के प्रमुखों को लिखा है। उन्होंन उन्हें यह अनुरोध भी किया है कि वे उच्चतर शिक्षा में पाठ्यचर्या संबंधी क्षेत्रों में जेंडर सुग्राहीकरण मोड्यूल को सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012 को भी अधिसूचित किया है, जो विद्यार्थियों के मध्य भी जेंडर समानता का संवर्धन करने के लिए समुचित उपाय करने के लिए अधिदेश प्रदान करता है। "उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता-निर्माण" संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कीम में जेंडर सुग्राहीकरण और जेंडर अध्ययनों पर बल दिया गया है, ताकि महिला संकाय प्रशासकों और उच्त्तर शिक्षा प्रणाली के तहत स्टॉफ के निर्वाचन-क्षेत्रों, की सुविधा दी जा सके और उच्चतर शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि की जा सके।

विवरण

विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में स्थापित 158 महिला अध्ययन केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला अध्ययन केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	कर्नाटक	10
3.	केरल	4
4.	तमिलनाडु	21
5.	पुदुचेरी	1
6.	गुजरात	4
7.	महाराष्ट्र	23
8.	गोवा	1
9.	राजस्थान	7
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	छत्तीसगढ़	2
12.	दिल्ली	5
13.	हरियाणा	5
14.	हिमाचल प्रदेश	1
15.	जम्मू और कश्मीर	9
16.	पंजाब	5
17.	चंडीगढ़	3
18.	उत्तर प्रदेश	8
19.	उत्तराखंड	3
20.	ओडिशा	4
21.	पश्चिम बंगाल	11
22.	असम	7
23.	अरुणाचल प्रदेश	1
24.	मणिपुर	2
25.	मेघालय	1
26.	नागालैण्ड	1
27.	त्रिपुरा	1
	योग	158

[हिन्दी]

पौराणिक सरस्वती नदी

3722. श्री हरीश चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरस्वती नदी के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए प्रयास किया है और इस प्रयोजन के लिए समिति का भी गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उपग्रह चित्र से कोई मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उत्तर पश्चिम भारत में पुराचैनलों का अध्ययन किया है और सरस्वती नदी के चैनलों के साथ जोड़ा है। इसरो ने इस प्रयोजन के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) हिमालय में उद्गम से कच्छ के रन तक सरस्वती नदी का एक समेकित पुराचैनल मानचित्र तैयार किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में सरस्वती नदी के लिए मानचित्रित मार्ग के उद्गम का सतलज और यमुना नदियों के माध्यम से हिमालय के चिरस्थायी स्रोत के साथ संबंध स्थापित किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) अंकीय उन्नतांश मॉडल सहित भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए उत्तर पश्चिम भारत में 'सरस्वती' नदी के संपूर्ण मार्ग को निरूपित करने का कार्य किया गया। उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंब बहु-स्पेक्ट्रमी एवं बहु-कालिक हैं तथा इनमें साररूपी दृश्य का लाभ विद्यमान है, जो कि पुराचैनलों का पता लगाने में उपयोगी हैं। एतिहासिक मानचित्रों, पुरातत्वविज्ञानी स्थलों, जल-भूविज्ञानी और वेधन आंकड़ों का उपयोग करते हुए पुराचैनलों का वैधीकरण किया जाता है। यह पाया गया कि कालीबंगा (राजस्थान), बनावली एवं राखीगढ़ी (हरयाणा), धौलावीरा एवं लोथल (गुजरात) के प्रमुख हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं।

[अनुवाद]

अवसंरचना निर्माण और अन्य सुविधाएं

3723. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य अल्पसंख्यक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अवसंरचना निर्माण तथा अन्य सुविधाओं में निजी व्यक्तियों को शामिल करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मॉडल स्कूल योजना के संघटक के रूप में सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत उन ब्लॉकों जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में 2500 मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना अनुमोदित की है। इस संघटक का कार्यान्वयन 2012-13 से आरंभ हुआ है। निजी संस्थाएं इन स्कूलों का विकास, अभिकल्प, निर्माण और संचालन करेंगी जिसके लिए सरकार प्रायोजित छात्रों हेतु प्रति व्यक्ति आधार पर आवर्ती लागत का अंशदान करेगी। इसके अलावा, अवसंरचना अनुदान के रूप में ऐसे प्रत्येक प्रायोजित छात्र के लिए ऐसी सहायता के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि, जो स्कल में पूंजीगत निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, भी उपलब्ध कराई जाएगी। गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की ऐसी व्यवस्था का प्रारंभिक करार प्रत्येक स्कूल के लिए 10 वर्ष का होगा जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में राज्य मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े निर्धारित 374 जिलों में से प्रत्येक जिले जहां सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम है, में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करन की केन्द्र-राज्य निधियन योजना 2010 से कार्यान्वित की जा रही है। शैक्षिक दृष्टि पिछड़े 374 जिलों में अल्पसंख्यक बहुत 62 जिलों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार यदि वह चाहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि निजी क्षेत्र की ऐसी भागीदारी से लाभवंचित समूहों की शिक्षा की पहुंच पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, निजी लाभ न कमाने वाले प्रतिभागियों (सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति में) को चुन सकती है।

उड़ानों का रद्द किया जाना

3724. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विमान कंपनियां अपनी उड़ानों को रद्द किए जाने के पश्चात् यात्रियों को ठहरने की जगह प्रदान करने से मना करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विमान कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे उड़ानों के रद्द होने के बारे में यात्रियों को समय रहते सूचित करें और जिन फंसते हुए यात्रियों को रद्दीकरण की सूचना नहीं दी गई है, उन्हें ठहरने की जगह/सहायता प्रदान करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि विमान द्वारा यात्रा यात्री वाहक के बीच संविदागत मुद्दा है, इसलिए सामान्यत: यात्रियों द्वारा शिकायतें सीधे एयरलाइनों के पास दायर की जाती हैं।

(ग) और (घ) बोर्डिंग से इंकार किए जाने, उड़ानों के रद्द होने तथा विलंब से उड़ने के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खंड-3, शृंखला-एम, भाग-IV जारी किया है। सभी अनुसूचित अनुसूचित एयरलाइनें उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही हैं।

नौकरशाहों को सेवा विस्तार दिया जाना

3725. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छह वर्षों के दौरान कितने नौकरशाहों को सेवा विस्तार प्रदान किया गया है;

(ख) गत छह वर्षों के दौरान सेवानिवृत्ति के पश्चात् सांविधिक और संवैधानिक पदों पर नियुक्त हुए नौकरशाहों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के ऐसे निर्णय सामान्य प्रकृति के हैं अथवा किसी बाध्यता के तहत ऐसे निर्णय लिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) दिए गए विस्तार का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) सांविधिक एवं संवैधानिक नियुक्तियों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) मूल नियम 56(घ) के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा में विस्तार जनहित को ध्यान में रखते हुए, विरले और आपवादिक मामलों में दिया जाता है। सांविधिक और संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार संगत संविधियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों को प्रदत्त निधि

3726. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के तहत ओडिशा के पिछड़े जिलों सहित देश के 250 पिछड़े जिलों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जिलों से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीआरजीएफ के तहत प्रत्येक जिले में उनके हक के अनुसार वार्षिक रूप से आवंटित निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के जिला घटक को अनुमोदित किया था और प्रारंभ में 27 राज्यों के 250 जिलों को शामिल किया गया। चालू वर्ष में मुख्यत: नए मौजूदा बीआरजीएफ जिलों के बनाए जाने के कारण जिलों की कवरेज को 272 जिलों तक बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम के दो घटक अर्थात् विकास अनुदान एवं क्षमता निर्माण अनुदान हैं। बीआरजीएफ निधियां अधिकांशत: मुक्त रूप में होती हैं और इनका उपयोग महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक (28.02.2013 की स्थिति के अनुसार) बीआरजीएफ के जिला घटक के विकास अनुदान एवं क्षमता निर्माण अनुदान घटक के अंतर्गत राज्य-वार/जिला-वार वार्षिक हकदारी एवं प्रदान की गईं निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों/जिलों द्वारा सड़कों, पुलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों में कक्षों, पंचायत भवनों, सामुदायिक केन्द्रों, पेयजल एवं ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना, स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि से संबंधित कार्यों को पूरा किया गया।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक (28.02.2012 की स्थिति के अनुसार) पंचायत राज मंत्रालय की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) स्कीम के विकास अनुदान एवं क्षमता निर्माण अनुदान घटकों के अंतर्गत राज्य-वार/जिला-वार हकदारी एवं प्रदान की गईं निधियां

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य जिला का नाम	वार्षिक हकदारी	प्रदान की गई निधियां			
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (28.02.2013)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	अदिलाबाद	29.88	26.54	26.54	29.88	18.57
2.	अनंतपुर	35.80	31.47	31.47	35.89	14.96
3.	चित्तूर	32.85	29.00	29.00	32.85	25.50
4.	कुड्डपाह	29.83	26.50	26.50	29.83	24.05
5.	करीमनगर	29.14	25.92	25.92	28.63	14.23
6.	खम्माम	30.15	26.76	26.76	16.65	35.73
7.	महबूबनगर	34.71	30.56	30.56	34.71	4.92
8.	मेडक	25.19	22.63	22.63	25.19	18.26
9.	नलगोंदा	30.50	27.05	27.05	30.50	17.49
10.	निजामाबाद	22.86	20.70	7076	22.80	18.44
11.	रंगारेड्डी	25.86	23.29	23.19	25.13	0.00
12.	विजयानगरम	20.70	18.90	18.90	20.70	3.83
13.	वारंगल	29.30	26.06	26.06	27.85	0.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	376.77	335.28	335.34	360.52	196.08
	क्षमता निर्माण घटक	13.00	22.11	13.00	6.07	0.00
	योग	389.77	357.39	348.34	366.59	196.08

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश						
1.	उच्च	15.38	11.77	12.70	10.70	0.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	15.38	11.77	12.70	10.70	0.00
	क्षमता निर्माण घटक	1.00	2.90	0.00	0.00	0.00
	योग	16.38	14.67	12.70	10.70	0.00
असम						
1.	बक्सा	14.56	0.00	0.00	0.00	13.10
2.	बारपेटा	16.58	12.22	9.77	4.56	8.05
3.	बोंगईगांव	13.06	8.60	13.23	0.00	3.19
4.	कैचर	16.98	9.75	14.23	1.86	15.28
5.	चिरंग	12.91	0.00	0.00	0.00	11.62
6.	धेमाजी	14.19	0.00	13.48	9.50	0.00
7.	गोलपाड़ा	13.86	0.00	11.89	8.50	0.00
8.	हैलाकांडी	12.55	8.48	7.68	7.42	9.37
9.	कर्बी अंगलोंग	20.66	16.98	10.29	0.00	22.75
10.	कोकड़झार	15.32	0.00	14.53	9.61	5.84
11.	मोरेगांव	13.36	0.00	10.19	0.00	1.78
12.	उत्तरी कैचर	14.49	0.00	8.72	0.00	0.00
13.	उत्तरी लखीमपुर	14.24	0.00	12.03	8.18	0.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	192.76	56.03	126.04	49.63	90.98
	क्षमता निर्माण घटक	13.00	0.00	13.08	9.76	1.24
	योग	205.76	56.03	139.12	59.39	92.22
बिहार						
1.	अररिया	18.12	12.64	20.88	8.81	2.72
2.	अरवल	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	औरंगाबाद	18.13	12.52	21.00	12.13	7.02
4.	बांका	16.81	15.67	15.67	14.72	0.00
5.	बेगुसराय	17.92	16.59	16.59	12.88	18.20
6.	भागलपुर	18.64	13.00	21.38	3.00	11.87
7.	भोजपुर	18.01	15.00	18.34	14.44	8.85
8.	बक्सर	15.18	10.79	17.83	11.08	11.92
9.	दरभंगा	20.78	14.34	23.60	11.14	10.09
10.	गया	23.44	16.07	26.29	15.63	0.00
11.	गोपालगंज	17.49	16.23	16.23	11.96	12.95
12.	जामुई	16.30	11.53	18.95	14.20	13.15
13.	जेहानाबाद	14.02	11.41	17.55	10.18	13.23
14.	कैमूर	16.22	11.47	18.87	11.30	7.19
15.	कटिहार	18.95	13.58	17.44	3.94	15.01
16.	खगरिया	14.68	10.50	17.28	7.95	5.87
17.	किशनगंज	15.08	14.23	14.23	7.65	13.26
18.	लखीसराय	13.23	9.55	15.83	9.55	8.59
19.	मधेपुरा	15.59	13.19	16.11	12.95	9.29
20.	मधुबनी	22.53	14.39	26.47	14.56	0.00
21.	मुंगेर	14.23	10.04	17.00	10.35	10.38
22.	मुजफ्फरपुर	22.73	15.33	25.85	14.80	14.68
23.	नालंदा	18.34	12.55	21.33	10.74	7.00
24.	नवाडा	16.92	11.98	19.54	15.06	5.46
25.	पश्चिम	22.50	15.36	25.44	13.38	14.67
26.	पटना	25.38	17.18	28.40	16.62	5.00
27.	पुरबी	23.90	21.57	21.57	11.22	13.66
28.	पुरनिया	19.52	17.92	17.92	9.12	4.75

1	2	3	4	5	6	7
29.	रोहतास	19.76	14.31	21.93	12.78	16.55
30.	सहरसा	15.44	11.74	17.30	9.35	9.63
31.	समस्तीपुर	21.56	19.62	19.62	11.19	10.44
32.	सारन	20.95	14.49	23.73	12.74	0.00
33.	शेखपुरा	11.90	11.58	11.58	6.57	11.54
34.	सिओहर	11.63	8.59	14.13	9.14	1.93
35.	सीतामढ़ी	19.17	13.28	21.98	15.27	0.00
36.	सिवान	21.42	0.00	0.00	0.00	19.28
37.	सुपौल	16.62	11.51	19.51	9.78	0.00
38.	वैशाली	19.02	13.46	21.54	12.40	13.22
	विकास अनुदान का उप-जोड़	684.70	493.21	708.91	408.58	327.40
	क्षमता निर्माण घटक	38.00	25.78	31.34	0.00	0.00
	योग	722.70	518.99	740.25	408.58	327.40
छत्तीसगढ़						
1.	बस्तर	19.45	22.86	22.86	25.45	13.95
2.	बीजापुर	15.56	0.00	0.00	0.00	8.14
3.	बिलासपुर	23.07	20.87	20.87	23.07	13.62
4.	दंतेवाड़ा	18.88	12.75	34.57	26.42	21.18
5.	धमतरी	15.24	14.36	14.36	15.24	13.61
6.	जशपुर	16.76	15.62	15.62	16.76	5.00
7.	कबीरधाम	14.07	13.39	13.39	14.07	6.06
8.	कांकेर	17.29	12.52	19.60	17.29	15.48
9.	कोरबा	18.10	16.74	16.74	18.10	18.10
10.	कोरिया	16.94	15.77	15.77	16.94	8.63
11.	महासमुंद	16.19	15.15	15.15	16.19	13.99
12.	नारायणपुर	10.93	0.00	0.00	0.00	5.61

1	2	3	4	5	6	7
13.	रायगढ़	19.14	17.60	17.60	9.28	11.80
14.	राजनंदगांव	20.03	18.35	18.35	20.03	17.53
15.	सरगुजा	28.10	11.62	38.48	28.10	5.35
	विकास अनुदान का उप-जोड़	269.75	207.60	263.36	246.94	178.05
	क्षमता निर्माण घटक	15.00	8.46	17.54	13.00	0.00
	योग	284.75	216.06	280.90	259.94	178.05
गुजरात						
1.	बनासकांठा	25.47	20.58	22.87	25.47	14.39
2.	दहोद	18.68	15.49	17.22	18.68	9.29
3.	दंग	11.94	10.46	11.62	11.94	5.02
4.	नर्मदा	13.48	11.61	12.90	13.48	0.00
5.	पंचमहल	18.44	15.32	17.02	18.44	1.16
6.	साबरकांठा	21.63	17.71	19.68	21.63	7.98
	विकास अनुदान का उप-जोड़	109.64	91.17	101.31	109.64	37.84
	क्षमता निर्माण घटक	6.00	5.47	1.85	0.00	0.00
	योग	115.64	96.64	103.16	109.64	37.84
हरियाणा						
1.	महेन्द्रगढ़	13.63	8.53	17.51	13.63	5.78
2.	सिरसा	16.52	10.82	20.02	4.00	16.93
	विकास अनुदान का उप-जोड़	30.15	19.35	37.53	17.63	22.71
	क्षमता निर्माण घटक	2.00	0.00	2.00	1.04	1.49
	योग	32.15	19.35	39.53	18.67	24.20
हिमाचल प्रदेश						
1.	चंबा	16.65	13.98	15.53	16.65	14.38
2.	सिरमौर	13.57	11.67	12.97	4.97	20.81

1	2	3	4	5	6	7
	विकास अनुदान का उप-जोड़	30.22	25.65	28.50	21.62	35.19
	क्षमता निर्माण घटक	2.00	1.76	2.00	2.00	0.00
	योग	32.22	27.41	30.50	23.62	35.19
जम्मू और कश्मीर						
1.	डोडा	13.74	0.00	17.97	14.35	0.00
2.	किश्तवाड़	16.29	0.00	0.00	0.00	4.00
3.	कुपवाड़ा	13.39	0.00	11.54	7.84	5.14
4.	पूंछ	13.68	0.00	11.75	8.21	10.93
5.	रामबन	11.88	0.00	0.00	0.00	6.30
	विकास अनुदान का उप-जोड़	68.98	0.00	41.26	30.40	26.37
	क्षमता निर्माण घटक	5.00	9.00	0.00	0.00	1.84
	योग	73.98	9.00	41.26	30.40	28.21
झारखंड						
1.	बोकारो	17.12	9.52	15.92	12.08	11.13
2.	चत्रा	15.14	7.86	14.27	4.95	0.00
3.	डियोघर	15.17	11.10	14.30	12.29	8.83
4.	धनबाद	18.17	11.78	16.80	8.88	0.00
5.	दुमका	17.82	10.27	16.50	11.52	10.21
6.	गरवा	16.12	8.23	15.09	3.42	4.90
7.	गिरिडीह	19.19	13.34	17.65	7.72	12.12
8.	गोड्डा	14.68	7.59	13.89	6.40	4.91
9.	गुमला	17.99	11.38	16.65	13.00	9.87
10.	हजारीबाग	17.60	7.99	18.45	6.49	12.21
11.	जामतारा	12.95	7.40	12.45	9.12	7.91

1	2	3	4	5	6	7
12.	खूंटी	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कोडर्मा	13.42	9.80	12.84	1.57	0.00
14.	लातेहार	14.73	7.62	13.94	10.79	6.01
15.	लोहारडग्गा	12.20	9.03	11.83	5.19	3.87
16.	पाकर	13.37	8.94	12.81	8.07	7.45
17.	पलामू	19.24	9.87	17.69	9.10	0.00
18.	रामगढ़	13.77	0.00	0.00	0.00	10.38
19.	रांची	19.13	15.19	21.42	15.11	0.00
20.	साहिबगंज	14.28	10.13	13.56	12.79	7.90
21.	सरायकेला	14.06	9.71	13.38	9.69	0.00
22.	सिमडेगा	14.27	7.48	13.55	6.67	0.00
23.	पश्चिम	21.50	14.95	19.57	8.75	0.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	365.16	209.18	322.56	183.60	117.70
	क्षमता निर्माण घटक	23.00	0.00	8.46	0.00	0.00
	योग	388.16	209.18	331.02	183.60	117.70
कर्नाटक						
1.	बीदर	18.54	15.40	18.82	15.81	18.27
2.	चित्रदुर्ग	22.27	20.21	22.23	17.45	6.31
3.	दबंगेरे	19.79	16.33	19.95	17.74	15.24
4.	गुलबर्गा	25.76	25.34	30.96	17.56	0.00
5.	रायचूर	21.49	17.60	21.52	21.49	6.49
6.	यादगीर	17.21	0.00	0.00	0.00	11.20
	विकास अनुदान का उप-जोड़	125.06	94.88	113.48	90.05	57.51
	क्षमता निर्माण घटक	6.00	8.39	5.00	2.69	3.50
	योग	131.06	103.27	118.48	92.74	61.01

1	2	3	4	5	6	7
केरल						
1.	पलक्काड	20.19	13.80	24.34	20.91	0.00
2.	वायनाड	13.92	8.41	5.97	13.75	0.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	34.83	22.21	30.31	34.66	0.00
	क्षमता निर्माण घटक	2.00	2.00	1.28	0.00	0.67
	योग	36.83	24.21	31.59	34.66	0.67
मध्य प्रदेश						
1.	अलीराजपुर	13.76	0.00	0.00	0.00	7.85
2.	अनूपपुर	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	अशोकनगर	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बालघाट	21.56	13.24	19.62	21.56	2.96
5.	बारवानी	17.34	11.90	20.30	17.34	9.63
6.	बेतूल	21.94	14.20	25.66	21.94	21.94
7.	बुरहानपुर	14.76	0.00	0.00	0.00	10.22
8.	छत्तरपुर	21.04	11.76	19.18	21.04	7.20
9.	छिदवाड़ा	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	दमोह	18.86	12.53	17.37	18.86	9.44
11.	धार	21.33	11.37	27.47	21.33	2.18
12.	डिंडोरी	12.67	10.52	16.38	17.67	2.28
13.	गुना	18.20	13.82	18.06	19.69	4.91
14.	झाबुआ	15.55	9.64	25.80	8.87	17.09
15.	कटनी	16.99	11.79	19.83	8.52	10.31
16.	खंडवा	18.36	12.62	25.18	1.14	24.09
17.	खरगौन	20.66	18.86	18.86	20.66	6.90
18.	मांडला	17.08	12.79	18.99	17.08	12.53
19.	पन्ना	18.08	12.40	21.06	18.08	9.53

1	2	3	4	5	6	7
20.	राजगढ़	18.39	11.92	22.04	18.39	13.56
21.	रीवा	20.48	13.90	23.54	20.48	12.30
22.	सतना	21.15	14.65	23.89	3.70	28.41
23.	सियोनी	20.26	12.27	18.54	20.26	11.61
24.	शहडोल	17.36	11.81	22.85	18.81	14.55
25.	शियोपुर	16.93	11.37	20.17	5.67	19.94
26.	शिवपुरी	22.26	14.84	25.56	13.87	12.43
27.	सिंधी	20.86	16.09	26.35	23.49	8.21
28.	सिंगरौली	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	टीकमगढ़	17.35	12.84	19.38	17.35	8.77
30.	उमरिया	15.16	12.86	15.72	15.16	9.53
	विकास अनुदान का उप-जोड़	556.88	309.99	511.80	390.96	298.35
	क्षमता निर्माण घटक	30.00	5.66	24.00	12.41	0.00
	योग	586.88	315.65	535.80	403.37	298.35
महाराष्ट्र						
1.	अहमदनगर	34.85	27.61	33.75	34.85	25.17
2.	अमरावती	26.98	21.72	26.54	15.87	28.05
3.	औरंगाबाद	26.08	21.03	25.71	26.08	20.54
4.	बांद्रा	16.21	13.64	16.68	6.57	19.73
5.	चंद्रपुर	24.86	20.12	24.60	24.86	20.17
6.	धुले	20.47	16.83	20.59	20.47	10.30
7.	गादचिरोली	24.44	19.81	24.23	14.66	21.48
8.	गोंडिया	17.69	14.76	18.04	17.69	15.48
9.	हिंगोली	16.48	13.85	16.93	16.48	11.87
10.	नांदेड	26.39	21.27	25.99	26.39	17.47
11.	नंदूरबार	18.39	15.28	18.68	18.39	10.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	यवतमाल	27.72	22.27	27.21	27.72	10.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	280.56	228.19	278.95	250.03	210.26
	क्षमता निर्माण घटक	12.00	0.00	12.00	5.06	6.94
	योग	292.56	228.19	290.95	255.09	217.20
मणिपुर						
1.	चंदेह	12.90	5.81	19.01	12.90	0.00
2.	चुरचंद्रपुर	14.33	10.13	17.07	14.33	3.47
3.	तामेंगलोंग	13.70	11.77	16.22	4.26	12.90
	विकास अनुदान का उप-जोड़	40.93	27.71	52.30	31.49	16.37
	क्षमता निर्माण घटक	3.00	0.00	2.02	0.67	0.00
	योग	43.93	27.71	54.32	32.16	16.37
मेघालय						
1.	रि-भोई	12.49	6.61	12.07	10.29	8.60
2.	दक्षिण गारो हिल्स	11.83	7.03	16.01	4.21	11.52
3.	पश्चिमी गारो हिल्स	14.12	7.50	19.34	8.06	14.09
	विकास अनुदान का उप-जोड़	38.44	21.14	47.42	22.56	34.21
	क्षमता निर्माण घटक	3.00	2.36	3.00	2.04	0.00
	योग	41.44	23.50	50.42	24.60	34.21
मिजोरम						
1.	लौंग्टलाई	11.82	10.16	12.86	11.82	8.58
2.	सैहा	11.76	9.12	13.82	11.76	10.58
	विकास अनुदान का उप-जोड़	23.58	19.28	26.68	23.58	19.16
	क्षमता निर्माण घटक	2.00	2.00	2.00	1.32	0.00
	योग	25.58	21.28	28.68	24.90	19.16

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड						
1.	किफरी	11.21	5.39	5.39	5.60	5.04
2.	लोंगलेंग	10.85	6.97	6.97	7.24	6.50
3.	मोन	12.51	10.50	10.50	10.91	9.81
4.	तेनसंग	12.21	9.17	9.17	9.53	8.58
5.	वोखा	11.75	5.01	5.01	5.20	4.68
	विकास अनुदान का उप-जोड़	58.53	37.04	37.04	38.48	34.61
	क्षमता निर्माण घटक	5.00	6.00	3.00	3.00	4.20
	योग	63.53	43.04	40.04	41.48	38.81
ओडिशा						
1.	बारगढ़	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बोलांगीर	16.41	9.45	23.37	16.41	6.13
3.	बौध	13.54	11.58	19.79	13.54	6.43
4.	देवगढ़	13.03	10.38	14.66	13.03	13.03
5.	धेंकानल	16.52	16.61	26.12	16.52	8.37
6.	गजापति	14.74	9.64	18.24	14.74	12.60
7.	गंजम	25.45	14.98	22.85	25.45	18.73
8.	झारसुगुडा	13.10	7.54	12.58	13.10	11.14
9.	कालाहांडी	16.98	4.32	16.98	16.98	11.72
10.	कंधमल	18.28	9.48	24.30	18.28	11.44
11.	कोंझार	20.97	6.52	31.74	20.97	10.80
12.	कोरापुट	16.82	5.86	16.82	16.82	0.00
13.	मलकानगिरी	13.84	8.09	19.59	13.84	3.30
14.	मयूरभंज	24.47	14.43	29.65	24.47	20.46
15.	नबरंगपुर	15.04	9.74	20.34	15.04	0.00

1	2	3	4	5	6	7
16.	नौपाडा	13.07	7.20	18.94	13.07	9.33
17.	रायागाडा	15.37	9.83	15.37	15.37	10.74
18.	संबलपुर	18.00	7.47	16.66	18.00	6.32
19.	सोनपुर	12.48	8.45	16.51	12.48	8.57
20.	सुंदरगढ़	22.85	28.83	20.69	22.85	10.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	340.03	200.40	385.20	320.96	179.11
	क्षमता निर्माण घटक	20.00	23.27	0.00	4.99	0.00
	योग	360.03	223.67	385.20	325.95	179.11
पंजाब						
1.	होशियारपुर	16.80	14.08	17.22	14.50	12.04
	विकास अनुदान का उप-जोड़	16.80	14.08	17.22	14.50	12.04
	क्षमता निर्माण घटक	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	योग	17.80	15.08	18.22	15.50	12.04
राजस्थान						
1.	बांसवाड़ा	18.40	10.90	22.66	17.20	4.78
2.	बाड़मेर	38.36	12.98	54.20	38.36	22.37
3.	चित्तौड़गढ़	20.21	8.10	21.34	16.06	5.40
4.	डूंगरपुर	16.06	4.45	15.04	16.06	12.61
5.	जैसलमेर	42.59	14.99	37.11	42.59	9.56
6.	जालौर	22.56	10.12	30.78	22.56	15.62
7.	झालावाड़	18.23	4.46	16.85	18.23	16.21
8.	करौली	17.98	7.50	16.64	17.98	10.82
9.	प्रतापगढ़	15.52	0.00	0.00	10.40	5.99
10.	सवाई	16.86	8.40	15.70	16.86	10.96
11.	सिरोही	16.46	5.67	15.38	16.46	5.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	टोंक	19.12	9.17	26.01	19.12	9.08
13.	उदयपुर	28.95	12.60	24.52	25.57	12.54
	विकास अनुदान का उप-जोड़	291.30	109.34	296.23	277.45	140.94
	क्षमता निर्माण घटक	13.00	32.08	8.45	8.70	8.68
	योग	304.30	141.42	304.68	286.15	149.62
सिक्किम						
1.	उत्तरी जिला	13.58	10.86	15.08	13.58	0.00
	विकास अनुदान का उप-जोड़	13.58	10.86	15.08	13.58	0.00
	क्षमता निर्माण घटक	1.00	0.73	0.84	0.63	0.53
	योग	14.58	11.59	15.92	14.21	0.53
तमिलनाडु						
1.	कुड्डालोर	19.33	9.70	17.76	8.60	16.40
2.	डिंडिगुल	20.46	10.32	18.70	20.46	9.80
3.	नागापत्तनम	16.08	8.33	15.06	16.08	4.70
4.	शिवगंगा	16.63	8.71	15.52	16.63	8.81
5.	तिरूवन्नामलाई	21.14	10.65	19.27	14.16	18.87
6.	विल्लूपुरम	24.10	14.38	21.73	24.10	14.91
	विकास अनुदान का उप-जोड़	117.74	62.09	108.04	100.03	73.49
	क्षमता निर्माण घटक	6.00	0.00	5.24	6.00	0.00
	योग	123.74	62.09	113.28	106.03	73.49
त्रिपुरा						
1.	धलाई	12.66	7.69	12.21	12.66	11.28
	विकास अनुदान का उप-जोड़	12.66	7.69	12.21	12.66	11.28
	क्षमता निर्माण घटक	1.00	0.89	1.00	1.00	0.30
	योग	13.66	8.58	13.21	13.66	11.58

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
1.	अंबेडकर	17.39	6.27	26.01	17.39	0.00
2.	आजमगढ़	23.84	21.51	21.51	11.16	11.83
3.	बदायूं	22.52	20.42	20.42	16.89	12.12
4.	बहरायच	19.98	18.30	18.30	19.98	0.00
5.	बलरामपुर	17.28	16.06	16.06	14.42	10.12
6.	बांदा	17.84	11.35	21.71	4.91	8.57
7.	बाराबंकी	20.82	13.66	24.34	18.44	10.45
8.	बस्ती	17.90	16.57	16.57	14.73	0.00
9.	चन्दौली	16.52	15.42	15.42	16.52	5.90
10.	चित्रकूट	14.58	11.06	16.56	8.38	0.00
11.	ऐटा	17.33	19.29	19.29	21.17	0.00
12.	फरूखाबाद	16.03	15.02	15.02	10.05	5.98
13.	फतेहपुर	19.62	18.00	18.00	17.45	5.01
14.	गोंडा	20.74	18.94	18.94	20.74	9.39
15.	गोरखपुर	22.92	20.75	20.75	20.63	19.28
16.	हमीरपुर	16.29	15.23	15.23	4.60	4.60
17.	हरदोई	24.07	12.81	26.06	24.07	7.79
18.	जालौन	17.64	11.59	21.13	17.64	0.00
19.	जौनपुर	23.87	21.54	21.54	18.06	0.00
20.	कासगंज	15.96	0.00	0.00	0.00	10.49
21.	कौशांबी	15.13	14.27	14.27	15.13	4.28
22.	कुशीनगर	20.18	18.47	18.47	20.18	0.00
23.	लखीमपुर	24.94	22.43	22.43	24.94	7.60
24.	ललितपुर	16.74	13.88	17.32	16.74	8.97
25.	महाराजगंज	18.27	16.88	16.88	7.79	13.19

1	2	3	4	5	6	7
26.	महोबा	14.24	9.58	17.48	1.52	0.00
27.	मिर्जापुर	19.39	17.81	17.81	9.48	9.91
28.	प्रतापगढ़	20.41	18.66	18.66	14.56	0.00
29.	रायबरेली	21.52	19.59	19.59	18.90	0.00
30.	संत कबीर	15.16	14.29	14.29	8.95	0.00
31.	श्रावस्ती	15.22	14.34	14.34	15.22	7.94
32.	सिद्धार्थ	17.83	16.51	16.51	15.75	0.00
33.	सीतापुर	24.51	22.07	22.07	21.72	15.49
34.	सोनभद्र	19.47	17.87	17.87	19.47	0.00
35.	उन्नाव	21.02	19.17	19.17	21.02	16.82
	विकास अनुदान का उप-जोड़	667.17	559.61	640.02	528.60	201.13
	क्षमता निर्माण घटक	35.00	20.26	28.07	12.21	0.00
	योग	702.17	579.87	668.09	540.81	201.13
उत्तराखंड						
1.	चमौली	17.44	0.00	14.57	9.95	13.96
2.	चंपावत	11.96	0.00	10.47	6.76	10.76
3.	टिहरी गढ़वाल	14.84	0.00	12.62	10.84	9.60
	विकास अनुदान का उप-जोड़	44.24	0.00	37.66	27.55	34.32
	क्षमता निर्माण घटक	3.00	0.00	0.00	1.99	0.00
	योग	47.24	0.00	37.66	29.54	34.32
पश्चिम बंगाल						
1.	24 दक्षिण	34.84	7.24	30.66	34.84	28.78
2.	बांकुरा	24.24	8.52	21.85	17.16	16.49
3.	वीरभूमि	21.85	19.86	19.86	21.85	6.93
4.	दीनजपुर	15.87	7.55	22.21	15.87	6.90
5.	दीनजपुर उत्तर	19.18	11.51	17.64	19.18	7.27

1	2	3	4	5	6	7
6.	जलपाईगुड़ी	24.28	8.43	35.33	24.28	14.38
7.	मालडा	21.84	32.06	19.85	21.84	7.31
8.	मेदिनीपुर पूर्व	25.59	24.81	22.97	8.53	32.00
9.	मेदिनीपुर पश्चिम	32.32	11.44	28.57	3.81	25.00
10.	मुर्शिदाबाद	30.20	24.07	26.81	4.73	31.47
11.	पुरूलिया	21.93	15.09	19.93	21.93	6.38
	विकास अनुदान का उप-जोड़	272.14	170.58	265.68	194.02	182.91
	क्षमता निर्माण घटक	11.00	10.52	11.00	11.00	9.84
	योग	283.14	181.10	276.68	205.02	192.75
	योगविकास अनुदान का उप-जोड़	5077.98	3344.32	4852.83	3810.42	2538.01
	क्षमता निर्माण घटक	272.00	190.64	197.17	106.58	39.23
	योग	5349.98	3534.96	5050.00	3917.00	2577.24

मानित विश्वविद्यालय

3727. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में नए क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर किए गए अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानित विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने के पूर्व इन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ऐसे अनुसंधाान कार्य हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अनुसंधान अवसंरचना तथा वित्तीय दशा का आकलन करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानित विश्वविद्यालयों के दर्जे के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 के खंड 4.0 में निहित उपबन्धों के अनुसार की जाती है। इसका ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन, विशेषज्ञ समिति की सहायता से किया जाता है जिसमें संबंधित क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञ एवं संबंधित सांविधिक परिषदों के नामित व्यक्ति शामिल होते हैं।

विशेषज्ञ समिति आवेदक संस्थाओं का मूल्यांकन, अनुसंधान कार्य से संबंधित निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों के आधार पर करती है:

1. गुणवत्तायुक्त अनुसंधान एवं आधुनिक सूचना संसाधनों की बाधा रहित सुलभता हेतु आवश्यक संरचना होनी चाहिए।
2. विभिन्न सार्वजनिक/निजी एजेंसियों से मेरिट-आधारित बाह्य अनुसंधान निधियां प्राप्त करने का सिद्ध रिकार्ड होना चाहिए।

3. अनुसंधान पत्रों, पेटेण्टस, कॉपीराइट, एम.फिल. पी-एच. डी. डिग्रियों के रूप में अनुसंधान परिणाम तथा बौद्धिम सम्पदा का सृजन किया हो तथा वांछनीय विशेषज्ञता तक प्रौद्योगिकी अंतरण की सुविधा प्रदान की हो।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीजी) (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के खंड 7.0 के अनुसार मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से पूर्व इन संस्थाओं की वांछनीय शैक्षिक एवं अनुसंधान अवसंरचना तथा वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसका ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है।

स्मारकों की स्थापना

3728. श्रीमती मीना सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों के नामों पर स्मारकों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न वर्गों से होने वाली मांग के मद्देनजर सरकार का स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई का स्मारक बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के स्मारकों का विवरण इस प्रकार है:

(i) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली।

(ii) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी, दिल्ली।

(iii) तीन मूर्ति भवन, दिल्ली।

(iv) लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, दिल्ली।

(v) राजीव गांधी निनईवकम, तमिलनाडु।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आईएएस/आईपीएस के स्थानान्तरण संबंधी नियम

3729. श्री बलीराम जाधवः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के स्थानानांतरण हेतु नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए तय समय सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में किसी राज्य में सेवा कर रहे आईएएस अधिकारी के 20 वर्षों की सेवा में लगभग 40 बार स्थानांतरण का मामला आया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे अधिकारी के स्थानांतरण आदेश को राज्य सरकार द्वारा 'रूटीन स्थानांतरण' की संज्ञा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकार के साथ उस अधिकारी के रूटीन स्थानांतरण हेतु अपने रूख को न्यायोचित ठहराने के लिए इस मामले को उठाया है अथवा उठाने का इरादा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग नियमावली के प्रावधानों में यह परिकल्पित है कि केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से संबंधित राज्य के लिए विनिर्दिष्ट सभी अथवा हिन्दीं संवर्ग पदों की अवधि को निर्धारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कोई अधिकारी केवल न्यूनतम कार्यकाल पर समिति की सिफारिश पर ही न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ख) विशेष रूप से राज्यों में, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कार्यकाल की स्थिरता, एक चिंता का विषय है तथा सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने तेरह राज्यों/संयुक्त संवर्गों के लिए मुख्य सचिव के पद के सिवाय भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी संवर्ग पदों के लिए नियुक्ति का दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल अधिसूचित किया है। ग्यारह राज्य/संयुक्त संवर्ग, संवर्ग, इस कार्यकाल नियम को अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए हैं।

गृह मंत्रालय ने अब तक भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी संवर्ग पदों के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है।

(ग) राज्य सरकार के मामलों के संबंध में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण/नियुक्तियां, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। इस संबंध में सेवा के किसी भी सदस्य से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

कर मुक्त म्युनिसिपल बांड

3730. **श्री धनंजय सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न नगर निगमों द्वारा जारी कर मुक्त म्युनिसिपल बांडों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस तंत्र के जरिये जुटाई गई निधि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विभिन्न परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिसके लिए निधियां कर मुक्त म्युनिसिपल बांडों के माध्यम से जुटाई गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई कर मुक्त म्यूनिसिपल बॉड जारी नहीं किए गए थे। तथापि जल और स्वच्छता सांझा कोष, तमिलनाडु ने क्रमश: 6 भूमिगत सीवरेज स्कीमों और सात शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित की जा रही एक जल आपूर्ति परियोजना के लिए सांझा वित्त विकास कोष स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 83.19 करोड़ रुपये की धनराशि के कर मुक्त बांड जारी किए थे।

[हिन्दी]

जन शिकायत प्रणाली

3731. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में जन शिकायत निवारण प्रणाली ने कार्य करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समस्याओं के त्वरित निपटान के लिए जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा नई ई-प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दि.वि.प्रा. ने सूचित किया है कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के लिए परीक्षण आधार पर एक नई ई-प्रणाली आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

प्रतिभावान अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना

3732. **श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्रों हेतु व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) 'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सर्वोच्च शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना', 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सर्वोच्च शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना' उच्चतर अध्ययन, चिकित्सा अध्ययन, इंजीनियरी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों और स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा IX से कक्षा XII तक अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए है। डिप्लोमा/प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्र राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता योजना में शामिल नहीं किए जाते हैं। वर्तमान में इन छात्रवृत्ति योजनाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एनआरआई द्वारा निवेश

3733. **श्री गोपाल सिंह शेखावत:**
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री रवनीत सिंह:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में भारत में प्रवासी भारतीय नागरिकों (एनआरआई) द्वारा किया गया निवेश कितना है;

(ख) उन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें निवेश किए गए हैं;

(ग) शामिल क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए निवेश का प्रभाव क्या है; और

(घ) देश भर में एनआरआई निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) विदेशी पर आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रखे जाते हैं। तथापि, उनके द्वारा अनिवासी निवेश पर अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, विगत पांच वर्षों में, स्वचालित और अनुमोदित रूट के अधीन कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह के आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह (अमेरिकी डालर मिलियन में)
1.	2008-09	26732
2.	2009-10	22458
3.	2010-11	14939
4.	2011-12	23473
5.	2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर, 2012)	13920

प्रमुख क्षेत्र जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्वाह किया जाता है वे, सेवा, धातु उद्योग, विनिर्माण विकास, सूचना एवं प्रसारण, कैमिकल एवं वस्त्र हैं।

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति, अनिवासी भारतीय से निवेश सहित, स्वचालित रूट के अधीन कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है। निवेश को प्रोत्साहन, निवेश के अनुकूल माहौल और भारत में अवसरों पर सूचना का प्रचार करके और अनिवासी भारतीय निवेशकों सहित, भावी निवेशकों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा कर, दिया जाता है। 'इन्वेस्ट इण्डिया', जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री (एफआईसीसीआई) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, अनिवासी भारतीयों सहित भावी निवेशकों के लिए, सुकारक के रूप में कार्य करता है। इस मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा, प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र नामक एक संगठन की स्थापना की गई है। प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र विभिन्न देशों में परस्पर विचार विमर्श और प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान निवेश मूलक बैठकों का आयोजन करता है।

विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान

3734. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देशभर में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया गया है उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मदरसों को विनियामक ढाचे के साथ संबद्ध करना

3735. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मदरसों को किसी विनियामक ढांचे के साथ जोड़ने के लिए कोई तंत्र बनाने के लिए कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि रोजगार और शिक्षा के उच्चतर स्तरों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए भारत में विनिर्दिष्ट राज्य मदरसा बोर्ड के प्रमाण-पत्र/अर्हताएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओबीएसई) और अन्य स्कूल बोर्डों के समकक्ष हैं।

इसके अतिरिक्स, मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना में अपेक्षा की गई है कि मदरसों में गुणवत्तयुक्त सुधार लाया जाए जिससे मुस्लिम बच्चे आधुनिक विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानदंडों तक पहुंच सकें। मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना की मुख्य विशेषताएं मदरसों में औपचारिक पाठ्यचर्या विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन

इत्यादि की शिक्षा के लिए अध्यापकों को बढ़े हुए मानदेय का भुगतान करने, नई शिक्षा शास्त्रीय प्रथाओं में हर दो वर्षों में ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, विज्ञान प्रयोगशालाओं, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में रख-रखाव की वार्षिक लागत के साथ कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किटों की व्यवस्था करने, पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों के सुदृढ़ीकरण तथा मदरसों के सभी स्तरों पर शिक्षण-अधिगम सामग्री प्रदान करने के माध्यम से क्षमता का सुदृढ़ीकरण करना है। इस संशोधित योजना की एकमात्र विशेषता राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के साथ मदरसों के संयोजन को प्रत्यायित केन्द्रों के रूप में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की है जो ऐसे मदरसों में अध्ययन करने वाले बच्चों को 5, 8, 10 और 12 वीं कक्षा के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगे। वे उच्चतर अध्ययन के योग्य होंगे और परंपरागत शिक्षा प्रणाली में समान गुणवत्ता स्तर भी सुनिश्चित होगा। एनआईओएस का पंजीकरण व परीक्षा शुल्क तथा प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री भी इस योजना में शामिल होगी। इस योजना के अंतर्गत एनआईओएस का विस्तार मदरसों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जाएगा।

'आधार' की अनिवार्य आवश्यकता

3736. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि लोगों को यूआईडी आधार स्कीम हेतु नामांकन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विशेषकर महाराष्ट्र में आधार कार्ड नहीं होने के कारण सिविल कर्मचारियों/शिक्षकों के वेतन को रोके जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) सृजित और जारी करने का अधिदेश दिया गया है। आधार के लिए नामांकन करवाना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यह निर्णय कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा कि क्या किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में, शिक्षकों/छात्रों से कहा गया है कि लाभों के लिए वे आधार नामांकन को पूरा करवाएं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि किसी भी स्कीम में आधार को तब तक अनिवार्य नहीं किया जाएगा जब तक उस जिले में 80% नामांकन न हो जाए।

[हिन्दी]

यूरेनियम खनन के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति

3737. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की निजी क्षेत्र की कंपनियों ने यूरेनियम खनन की स्वीकृति के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एनईएलपी के अनुरूप यूरेनियम के अन्वेषण और खनन की अनुमति प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। ''परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962'' के अंतर्गत यूरेनियम एक ''विहित पदार्थ'' है। ''परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962'' और ''परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यकरण, खनिज और विहित पदार्थों का हस्तन) नियम, 1984'' दोनों के अंतर्गत ''विहित पदार्थों' का हस्तन विनियमित किया गया है, जिनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राधिकारी (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त) से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ऐसे किसी अयस्क खनिज अथवा अन्य सामग्री, जिसमें एक एक अथवा उससे अधिक विहित पदार्थों का निष्कर्षण किया जा सकता है, का खनन, पोषण, संसाधन और/अथवा हस्तन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1948 में भारत की औद्योगिक नीति की शुरुआत से ही, ''परमाणु ऊर्जा'' का विषय सरकार के अन्नय प्रक्षेत्र में सदा से आरक्षित रहा है, और इस प्रकार, केवल केन्द्र सरकार और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को ही यूरेनियम का अन्वेषण, खनन, संसाधन आदि करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ''नई अन्वेषण लाइसेंस नीति''

(एनईएलपी) को प्रतिपादित किया गया है और यह केवल देश के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए ही लागू है। उपर्युक्त के मद्दे नजर, वर्तमान में, देश में यूरेनियम का अन्वेषण और खननन करने क लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को लाइसेंस अथवा अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश में भारतीय कामगार

3738. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय विदेशी सरकारों ने अपने देशों में विशेषकर निर्माण उद्योगों हेतु भारतीय कामगारों को आमंत्रित करने में दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों का ब्यौरा क्या है और इन देशों में कुशल/अर्द्धकुशल कामगारों को भेजने के संबंध में विद्यमान प्रणाली क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की विद्यमान नीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कामगारों को भेजने के संबंध में विद्यमान प्रणाली क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार अन्य देशों में कामगारों को भेजने के लिए पंजीकृत एजेन्सियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन एजेन्सियों के माध्यम से अन्य देशों में भेजे जाने वले लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेशा/कुशलता की मांग का ब्यौरा क्या है;

(च) इन एजेन्सियों द्वारा उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान अब तक इन एजेन्सियों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) रिकॉर्ड में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की विधमान नीति का उद्देश्य उत्प्रवास की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, उसे पैर प्रतिबंधक करना और वैध उत्प्रवास को प्रोत्साहित करना है ताकि प्रवासी कामगारों के हितों को अपेक्षाकृत बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सकें।

पहचान किए गए 17 उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में रोजगार हेतु जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित पासपोर्ट धारकों को देश के विभिन्न राज्यों में स्थित उत्प्रवास संरक्षी के 9 कार्यालयों द्वारा उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान की गई है। गैर ईसीआर पासपोर्ट धारकों अथवा गैर ईसीआर देशों में जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए उत्प्रवास स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) पंजीकृत भर्ती एजेंटों की राज्य-वार संख्या की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) उन व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है जिन्हें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान की गई है।

(च) और (छ) समय-समय पर भारतीय कामगारों से विदेशी रोजगार के लिए धोखेबाजी, संविदात्मक उल्लंघनों और विदेशी नियोक्ताओं/भर्ती एजेंटों की ओर से धोखे से संबंधित शिकायतों के मामले प्राप्त होते रहते हैं। उत्प्रवास अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों और भर्ती एजेंटों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

पंजीकृत भरती एजेंटों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत भरती एजेटों की सं.
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
2.	आंध्र प्रदेश	40
3.	अरुणाचल प्रदेश	-
4.	असम	-
5.	बिहार	5
6.	चंडीगढ़	15
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दादरा और नगर हवेली	-
9.	दमन और द्वीव	-
10.	दिल्ली	196

1	2	3
11.	गोवा	12
12.	गुजरात	11
13.	हरियाणा	8
14.	हिमाचल प्रदेश	-
15.	जम्मू और कश्मीर	2
16.	झारखंड	-
17.	कर्नाटक	8
18.	केरल	195
19.	लक्षद्वीप	-
20.	मध्य प्रदेश	-
21.	महाराष्ट्र	703
22.	मणिपुर	-
23.	मेघालय	-
24.	मिजोरम	-
25.	नागालैंड	-
26.	ओडिशा	3
27.	पुदुचेरी	1
28.	पंजाब	58
29.	राजस्थान	27
30.	सिक्किम	-
31.	तमिलनाडु	110
32.	त्रिपुरा	-
33.	उत्तर प्रदेश	15
34.	उत्तराखंड	1
35.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	1421

विवरण-II

वर्ष 2010-2013 के दौरान उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान किए गए कामगारों के राज्यवार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	2010	2011	2012	2013 (फरवरी तक) प्रतीक्षित
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		93	97	48
2.	आंध्र प्रदेश	72,220	71,589	92,803	19039
3.	अरुणाचल प्रदेश	188	175	153	44
4.	असम	2,133	2,459	3,384	731
5.	बिहार	60,531	71,438	84,078	17372
6.	चंडीगढ़	831	861	823	285
7.	छत्तीसगढ़	81	114	111	15
8.	दमन और दीव	11	13	31	15

1	2	3	4	5	6
9.	दिल्ली	2,583	2,425	2,842	471
10.	दादरा और नगर हवेली/संघ राज्य क्षेत्र	11	53	20	08
11.	गोवा	1,380	1,112	1,338	303
12.	गुजरात	8,245	8,369	6,999	1764
13.	हरियाणा	958	1,058	1,196	243
14.	हिमाचल प्रदेश	743	739	847	141
15.	जम्मू और कश्मीर	4,080	4,137	4,737	957
16.	झारखंड	3,922	4,287	5,292	1281
17.	कर्नाटक	17,295	15,394	17,960	3123
18.	केरल	1,04,101	86,783	98,178	17158
19.	लक्षद्वीप	18	11	13	08
20.	मध्य प्रदेश	1,564	1,378	1,815	311
21.	महाराष्ट्र	18,123	16,698	19,259	4068
22.	मणिपुर	22	11	07	06
23.	मेघालय	11	16	39	05
24.	मिजोरम	4	0	03	00
25.	नागालैंड	2	39	03	05
26.	ओडिशा	7,344	7,255	7,478	1622
27.	पुदुचेरी	223	211	257	64
28.	पंजाब	30,974	31,866	37,472	7693
29.	राजस्थान	47,803	42,239	50,295	9526
30.	सिक्किम	8	8	13	01
31.	तमिलनाडु	84,510	68,732	78,185	14461
32.	त्रिपुरा	454	465	514	135
33.	उत्तर प्रदेश	1,40,826	1,55,301	1,91,341	21699
34.	उत्तराखंड	1,177	1,441	2,470	389
35.	पश्चिम बंगाल	28,900	29,795	36,988	6532
	कुल	**6,41,356**	**6,26,565**	**7,47,041**	**1,47,630**

विवरण-III

प्राप्त शिकायतें और भर्ती एजेंटों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्र.सं.	कुल	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी)		छोड़े गए/ निपटाए गए + रद्द किए गए
			निलंबित	रद्द की गई	
2010	145	145	10	29	82
2011	212	212	20	44	94
2012	267	267	43	18	40
2013 (तक) (10.03.2013)	74	74	05	00	00

[अनुवाद]

दलितों के लिए उप कोटा

3739. श्री शेर सिंह घुबाया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार के पैटर्न पर केन्द्रीय सेवाओं में महादलितों/जनजातियों तथा अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए उप-कोटा का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर वर्गों को लाभ

3740. डॉ. मिर्जा महबूब बेग: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा., अ.ज.आ. और अ.पि.व. के लिए आरक्षण का लाभ राजपत्रित अधिकारियों और उपुर्यक्त श्रेणियों से जुड़े समाज के अन्य क्रीमीलेयर वर्ग के बच्चों को भी दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अ.जा. और अ.ज.जा. के राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को इस श्रेणी से निकालने पर विचार कर रही है ताकि इस आरक्षण का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण के लाभ राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के संबंध में संलग्न विवरण में दिए गए मानदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में आने वाले माता-पिता के बच्चों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण के लाभ की श्रेणी से निकालने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

केन्द्र एवं राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों के बच्चों को क्रीमीलेयर में शामिल माना जाएगा:-

(क) ऐसे माता-पिता, जिन दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी 1/समूह क अधिकारी के रूप में हुई हो।

(ख) ऐसे माता-पिता, जिनमें से किसी एक की सीधी भर्ती श्रेणी 1/समूह क अधिकारी के रूप में हुई हो।

(ग) ऐसे माता-पिता, जिन दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी 1/समूह क अधिकारी के रूप में हुई हो, लेकिन उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो अथवा स्थाई रूप से असमर्थ हो गया हो।

(घ) ऐसे माता-पिता, जिनमें से किसी एक की सीधी भर्ती श्रेणी 1/समूह क अधिकारी के रूप में हुई हो और दोनों की मृत्यु हो गई हो अथवा स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हों और मृत्यु अथवा स्थाई असमर्थता या दोनों से पहले उनमें से किसी एक को यूएन, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक नियुक्ति का लाभ मिला हो।

(ङ) ऐसे माता-पिता, जिन दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी 1/समूह क अधिकारी के रूप में हुई हो और दोनों की मृत्यु अथवा स्थाई असमर्थता हुई हो और मृत्यु अथवा स्थाई असमर्थता या दोनों से पहले उनमें से किसी एक को यूएन, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक नियुक्ति का लाभ मिला हो।

(च) ऐसे माता-पिता, जिन दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी II/समूह ख अधिकारी के रूप में हुई हो।

(छ) ऐसे माता-पिता, जिनमें से केवल पति की सीधी भर्ती श्रेणी II/समूह ख अधिकारी के रूप में हुई हो और वह 40 वर्ष या इससे कम आयु में श्रेणी I/समूह क बन गया हो।

(ज) ऐसे माता-पिता, जिनमें दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी II/समूह ख अधिकारी के रूप में हुई हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हुई हो अथवा स्थाई असमर्थता हुई हो और उनमें से किसी एक को यूएन, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक नियुक्ति का लाभ मिला हो।

(झ) ऐसे माता-पिता, जिनमें से पति श्रेणी I/समूह क अधिकारी (सीधी भर्ती अथवा 40 से कम आयु में पदोन्नत) हो अथवा वह स्थायी रूप से असमर्थ हो गई हो; और

(ञ) ऐसे माता-पिता जिनमें से पत्नी श्रेणी I/समूह क अधिकारी (सीधी भर्ती अथवा 40 से कम आयु में पदोन्नत) हो और पति सीधी भर्ती से श्रेणी II/समूह ख अधिकारी बना हो और पति की मृत्यु हो गई हो अथवा स्थाई असमर्थता आ गई हो;

केन्द्र और राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं के निम्नलिखित व्यक्तियों के बच्चों को क्रीमीलेयर में शामिल नहीं माना जाएगा:

(i) ऐसे माता-पिता, जिनमें से किसी एक या दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी I/समूह क अधिकारी/अधिकारियों के रूप में हुई हो, और उनमें से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई अथवा स्थाई रूप से असमर्थता आ गई हो।

(ii) ऐसे माता-पिता, जिनमें से दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी II/समूह ख अधिकारी के रूप में हुई हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु या स्थाई असमर्थता आ गई हो।

(iii) ऐसे माता-पिता, जिनमें दोनों की सीधी भर्ती श्रेणी II/समूह ख अधिकारी के रूप में हुई हो और उनमें से दोनों की मृत्यु हो गई हो अथवा वे स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हों, उनकी मृत्यु अथवा असमर्थता से पहले चाहे उनमें से किसी एक को यूएन, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष के लिए नियुक्ति का लाभ मिला हो।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन

3741. श्री जयराम पांगी:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित एक कार्य समूह ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और समेकन हेतु विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों के युक्तिसंगती/समेकन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना और करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित "अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण" संबंधी कार्यदल तथा "अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण" संबंधी कार्यदल ने अपनी सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न

स्कीमों/कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु कार्यनीतियों का सुझाव दिया है। इन कार्यनीतियों को 12वीं योजना दस्तावेजों के "सामाजिक समावेशन" अध्याय में शामिल किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना

3742. श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन में सम्मिलित किए जाने के लिए दालों, खाद्य तेल और सब्जियों सहित विभिन्न वस्तुओं की प्रति-बालक आधार पर कोई मात्रा निर्धारित की गई है और क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय/राज्यीय स्तरों पर इन वस्तुओं की लागत का निर्धारण किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्यों को विभिन्न मदों की कीमत का निर्धारण प्रचलित पदों पर करने की अनुमति देने का और रसोई-लागत सहित इन मदों पर राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के 75 प्रतिशत का वहन भी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का रसोई लागत मानको की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों की निम्नलिखित मात्रा निर्धारित की गयी है:

क्र.सं.	मद	मात्रा प्रति दिवस	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियां (पत्तेदार सब्जियां भी)	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और इलाइची	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों को आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से निःशुल्क की जाती है। भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, तेल और वसा जैसे अन्य घटकों की प्रति व्यक्ति लागत भ शामिल की जाती है जो कि प्राथमिक के लिए 3.11 तथा उच्चतर प्राथमिक छात्रों के लिए 4.65 रुपये है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों में दालों, सब्जियों, तेल, वसा के लिए प्रचलित भिन्न बाजार कीमतों को देखते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भोजन पकाने की लागत एक समान निर्धारित की गयी है। लागत में वृद्धि के प्रभाव को निष्क्रिय बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों में भोजन पकाने की लागत में प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। भोजन पकाने की लागत की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षक-छात्र अनुपात

3743. श्री संजय भोई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात का विश्वविद्यालय-वार, विषय-वार वर्तमान ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने उक्त अनुपात में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए/करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय सहित इन विश्वविद्यालयों में तदर्थ/अतिथि शिक्षकों से कितने शिक्षकों के पद भरे गए तथा तदर्थ/अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का लंबे समय से शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को स्थायी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मौजूदा स्टॉफ संख्या के अनुसार 31.03.2012 तक का छात्र-अध्यापक अनुपात (एसटीआर) संलग्न विवरण में दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विषय-वार एसटीआर का अनुरक्षण नहीं करता है।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की रिक्तियों को भरने संबंधी प्रगति का निरंत अनुवीकरण करते रहे हैं। इस मुद्दे पर माननीय भारत राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी जिसमें कुलपतियों को समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने के लिए कहा गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, मंत्रालय ने सभी कुलपतियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय को कार्यान्वित करने तथा तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा है। एक बार इन रिक्तियों के भर जाने के बाद छात्र अध्यापक अनुपात में स्वत: ही सुधार होगा।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ/अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति के आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि यह एक अल्पकालिक अस्थायी प्रबंध होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अध्यापकों तथा अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता विनियम तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010 के अनुसार संविदा आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वही अर्हताएं निर्धारित की गई हैं जो नियमित अध्यापकों के लिए निर्धारित हैं। प्रासंगिक विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/oldpdf/regulations/englishgazette.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जो अपने संबंधित अधिनियम, संविधियों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं, जो उनके सांविधिक निकायों को तदर्थ अध्यापकों को नियमित करने सहित सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में छात्र-अध्यापक अनुपात

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	छात्र-शिक्षक अनुपात
1	2	3
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1:11.88
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1:7.50
3.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	1:14.22
4.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	1:15.53
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	1:30.27
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1:15.91
7.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	1:8.19

1	2	3
8.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवनंततपुरम	1:23.50
9.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	1:12.78
10.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	1:12.18
11.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	1:9.11
12.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	1:15.40
13.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान, जयपुर	1:8.54
14.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1:13.78
15.	इलाहाबाद, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	1:71.79
16.	मेहवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1:13.78
17.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1:7.79
18.	विश्व-भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल	1:9.05
19.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, त्रिपुरा, अगरतला	1:16.37
20.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	1:12.18
21.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	#
22.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1:16.63
23.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक, गुलबर्गा	1:7.93
24.	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	1:24.50
25.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	1:21.11
26.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	1:16.79
27.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1:20.20
28.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, पटना	1:6.12
29.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, नारनौल	1:5.47
30.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	1:11.69
31.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	1:8.63
32.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर, श्रीनगर	1:6.76
33.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	1:7.93

1	2	3
34.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, भुवनेश्वर	1:23.50
35.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम, गंगटोक	1:3.70
36.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु, थिरूवरूर	1:13.89
37.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, भटिंडा	1:2.48
38.	बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	1:16.39
39.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	1:23.50
40.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1:9.59

मुक्त विश्वविद्यालय होने के नाते छात्र-अध्यापक अनुपात लागू नहीं है।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3744. श्री निदेश चन्द्र यादव:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से दूरसंचार और दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियां इस नीति का विरोध कर रही हैं जिसके अंतर्गत दूरसंचार में एफडीआई को सीमित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

3745. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009 से लेकर आज की तारीख तक, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इसकी किन-किन सिफारिशों को स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या उक्त परिषद् द्वारा सरकार के लिए उसकी विधिक और संवैधानिक स्थिति के संबंध में कोई नीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सरकार द्वारा नीति तैयार करने में सूचनाएं प्रदान करने और सरकार को इसके विधायी कार्यों में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने अपने पुनर्गठन की तारीा से अब तक सरकार को संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 31 सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिशें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विचार/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सिफारिशों के ब्यौरे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की वेबसाइट http://knac.nic.in पर उपलब्ध हैं।

विवरण

मार्च, 2010 में अपने गठन से लेकर आज तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें:

क्र.सं.	तारीख	विषय
1	2	3
1.	27 अक्टूबर, 2010	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) की मूल रूपरेखा
2.	9 नवम्बर, 2010	हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का उन्मूलन
3.	14 जनवरी, 2011	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकने संबंधी विधेयक, 2010
4.	2 फरवरी, 2011	बीपीएल के निर्धारण में कतिपय श्रेणियों को शामिल करना
5.	12 मार्च, 2011	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वनाधिकार को मान्यता) अधिनियम, 2006
6.	31 मार्च, 2011	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तावित सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों में संशोधन
7.	4 मई, 2011	घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति से संबंधित आवश्यक तत्व
8.	6 जून, 2011	भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापना और पुनर्वास विधेयक से संबंधित सिफारिशों का नोट
9.	8 जून, 2011	संशोधित एवं सशक्त समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के संबंध में सिफारिशें
10.	8 जून, 2011	फेरी वालों के आजीविका अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए केन्द्रीय कानून के संबंध में सिफारिशें
11.	9 जून, 2011	हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में अनुवर्ती उपाय संबंधी सिफारिशें
12.	9 जून, 2011	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सिफारिशें
13.	7 जुलाई, 2011	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011
14.	22 जुलाई, 2011	सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा (न्याय एवं क्षतिपूर्ति प्राप्ति) निवारण विधेयक, 2011
15.	14 सितम्बर, 2011	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटकों का सुदृढ़ीकरण
16.	20 दिसंबर, 2011	14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बाल-मजदूरी पर रोक।
17.	20 दिसंबर, 2011	अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने हेतु समावेशी विकास

1	2	3
18.	20 दिसंबर, 2011	अनूसूचित जाति उपयोजना/जनजाति उपयोजना में सुधार
19.	20 दिसंबर, 2011	राजीव आवास योजना हेतु प्रस्तावित सुधार
20.	14 मार्च, 2012	शहरी बेघर लोगों के लिए आवास और अन्य सेवाओं संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम
21.	19 अप्रैल, 2012	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
22.	16 मई, 2012	विमुक्त, घुमंतू एवं उर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के संबंध में सिफारिशें
23.	31 मई, 2012	प्रस्तावित विकलांगता अधिकार कानून के संबंध में सिफारिशें
24.	5 जून, 2012	जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करने संबंधी सिफारिशें
25.	5 नवंबर, 2012	जनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना की कार्यान्वयन रूपरेखा से संबंधित सिफारिशें
26.	12 दिसंबर, 2012	शिक्षा का अधिकार को सुदृढ़ बनाने संबंधी सिफारिशें
27.	14 दिसंबर, 2012	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास
28.	31 दिसंबर, 2012	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
29.	12 फरवरी, 2013	बाजार एकीकरण के माध्यम से छोटे किसानों की कृषि आय को बढ़ाना
30.	14 फरवरी, 2013	शिक्षा का अधिकार के संबंध में सिफारिशें- (क) स्कूलों में भेदभाव को दूर करना, और (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निगरानी, जवाबदेही और शिकायत निवारण।
31.	12 मार्च, 2013	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण (उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम, 1989 और नियम 1995

जी.आई. सैट

3746. श्री एंटो एंटोनी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) ने 'जीआई-सैट' नामक भू-चित्रण उपग्रह तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी.आई. सैट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) 'इसरो' द्वारा पूर्व में प्रक्षेपित किए गए दूर-संवेदी उपग्रहों की तुलना में जीआई-सैट से क्या लाभ होगा;

(घ) इस परियोजना के लिए कुछ वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ङ) जीआई-सैट को कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक भू-प्रतिबिंबन उपग्रह (जीआई सैट) का डिजाइन तैयार कर रहा है।

(ख) जीआई सैट बहु-स्पेक्ट्रमी (दृश्य, निकट अवरक्त और तापीय), बहु-विभेदन (50 मी. से 1.5 किमी.) प्रतिबिंबन उपकरणों सहित एक भू-प्रतिबिंबक अपने साथ ले जाएगा। जी आई सैट को 36,000 कि.मी. की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

(ग) इसरो द्वारा प्रक्षेपित सुदूर संवेदन उपग्रह प्रत्येक 2 से 24 दिनों के अंतराल के बार उस क्षेत्र पर दुबारा पहुंचते हैं और विभिन्न

स्थानिक विभेदन (360 मीटर से 1 मीटर से बेहतर) पर भौगोकि पट्टी (प्रमार्ज) के प्रबिबिंब लेते हैं। जीआई सैट निरंतर अंतरालों पर मेघरहित स्थितियों में देश के बृहत क्षेत्रों के निकट वास्तविक काल के चित्र प्रदान करेगा। 50 मीटर के स्थापिक विभेदन पर प्रत्येक 5 मिनट के क्षेत्र-वार प्रतिबिंब और प्रत्येक 30 मिनट के संपूर्ण भारतीय भू-भाग के प्रतिबिंब का चयन किया जाता है।

(घ) प्रक्षेपण लागत के अलावा इस परियोजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ₹392 करोड़ है। मार्च 2012 तक व्यय की गई राशि ₹9.9 करोड़ है और वर्ष 2012-13 के लिए ₹50 करोड़ के बजट अनुमान का प्रावधान किया गया।

(ङ) वर्ष 2016-17 के दौरान जी आई सैट के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है।

स्कूलों में प्रथमोपचार का प्रशिक्षण

3747. **श्री प्रेम दास राय:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों में प्रथमोपचार (फर्स्ट-एड) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आपातकालीन स्थितियों हेतु विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए स्कूल स्तर पर प्रथमोपचार संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण प्रारंभ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने और अधिकतर स्कूलों के राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इस मामले में उपयुक्त निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेना होता है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा जो एक अनिवार्य विषय है, के अंतर्गत प्रत्येक छात्र द्वारा की जाने वाली किन्हीं दो अनिवार्य गतिविधियों की सूची में प्रथमोवचार गतिविधि को शामिल किया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अरबी भाषा की शिक्षा

3748. **श्री अब्दुल रहमान:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अरबी भाषा की शिक्षा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अरबी भाषा शिक्षण का स्तर संतोषजनक नहीं है और सउदी अरब के साथ बेहतर शैक्षणिक विनियम की दृष्टि से मुस्लिम विद्वानों द्वारा भारत में इसके एक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामत: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, विश्व भारती, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में अरबी भाषा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अरबी एवं फारसी भाषा में अवर स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए लखनऊ में एक सैटेलाइट परिसर की स्थापना हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को 14.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सऊदी अरब के साथ बेहतर शैक्षिक आदान-प्रदान हेतु मुस्लिम विद्वानों से भारत में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने संबंधी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

राज्यों की विकास-दर

3749. **श्री खगेन दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कथित 'बीमारू' विशेषण से चिह्नित कुछ राज्यों ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए उक्त विशेषण को अप्रासंगिक बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से अब तक 29 समाजार्थिक सूचकोंकों के सापेक्ष में इन राज्यों द्वारा दर्ज की गई विकास-दर का वर्ष-वार, राज्य-वार और सूचकांक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कुछ विकसित राज्यों की विकास-दर में गिरावट दर्ज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे राज्यों का राज्य-वार सूचकांक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) परिवर्णी शब्द 'बीमारु' का प्रयोग सर्वप्रथम नामी जनसांख्यिकीविद् श्री आशीष बोस द्वारा सन् 1985 में किया गया था, जो अविभाजित बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में उच्च जनसंख्या वृद्धि और कम आर्थिक वृद्धि के कारण उनके पिछड़ेपन को दर्शाता हे। इन राज्यों ने हाल ही के वर्षों में सशक्त विकास निष्पादन दर्शाया है। तथापि, प्रभावशाली विकास दर होने के बावजूद ये राज्य मानव विकास सूचकांकों के निष्पादन के मामले में लगातार नीचे बने हुए हैं। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के राज्य-वार विकास दर के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। महत्वपूर्ण समाजार्थिक सूचकांकों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। विकसित राज्यों ने भी राज्य-विशिष्ट कारणों की वजह से विभिन्न वर्षों में अलग-अलग विकास दर दर्शाया है।

विवरण-I

स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की राज्य-वार विकास दर

क्र.सं.	राज्य	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8.16	4.22	2.73	9.35	8.15	9.57	11.18	12.02	6.88	4.53	9.66	7.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.07	15.7	-4.31	10.94	16.46	2.75	5.25	12.06	8.73	9.86	1.25	10.84
3.	असम	2.53	2.6	7.07	6.02	3.74	3.40	4.65	4.82	5.72	9.00	7.89	6.47
4.	बिहार	16.04	-4.73	11.82	-5.15	12.17	0.17	15.69	5.72	12.16	7.09	11.29	13.26
5.	छत्तीसगढ़	-9.85	6.79	2.54	8.03	15.21	3.23	18.60	861	8.39	3.42	9.75	8.14
6.	गोवा	-3.74	4.5	7.08	7049	10.19	7.54	1002	554	1002	1020	10.15	9.39
7.	गुजरात	.4.89	8.41	8.14	14.77	8.88	14.95	8.39	1100	6.78	11.25	1000	8.53
8.	हरियाणा	8.16	7.81	6.52	9.86	8.42	9.20	11.22	8.45	817	11.72	8.84	7.92
9.	हिमाचल प्रदेश	6.32	5.21	5.06	8.08	7.56	8.43	9.09	8.55	7.42	8.09	8.74	7.44
10.	जम्मू और कश्मीर	3.53	1.96	5.13	5.17	5.23	5.78	5.95	6.40	6.46	4.51	5.96	6.22
11.	झारखंड	1.42	2.8	4.55	3.46	9.86	-320	2.38	20.52	-1.75	10.14	8.67	8.92
12.	कर्नाटक	3.53	5.17	7.3	6.25	9.97	10.51	9.98	12.60	7.11	1.29	9.66	5.50
13.	केरल	-6.93	7.12	-3.91	11.42	3.08	1009	7.90	8.77	5.56	9.17	8.05	9.51
14.	मध्य प्रदेश	-5.17	13.2	-0.06	16.55	5.49	531	9.23	4.69	12.47	9.88	7.13	11.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	-2.1	4.05	6.81	8	8.71	13.35	13.53	11.26	2.58	917	11.34	8.54
16.	मणिपुर	-6.35	6.81	.0.46	10.84	9.7	6.35	2.00	5.96	656	6.89	5.07	6.71
17.	मेघालय	5.45	6.89	3.79	6.78	7.11	7.91	7.74	4.51	1294	655	872	6.31
18.	मिजोरम	4.97	6.52	10.39	3.19	4.15	6.97	4.78	10.98	13.34	1238	7.25	10.09
19.	नागालैंड	16.6	11.45	9.45	5.02	4.59	1022	7.80	7.31	6.34	6.90	5.46	509
20.	ओडिशा	-1.66	6.29	-0.65	15.15	13.19	568	12.85	10.94	7.75	4.55	7.50	492
21.	पंजाब	3.93	1.92	2.85	6.07	4.95	590	10.18	9.05	5.85	6.29	6.53	5.94
22.	राजस्थान	-2.01	10.87	-9.9	28.67	-1.85	6.68	11.67	5.14	9.09	6.70	15.28	6.11
23.	सिक्किम	7.59	7.88	7.31	7.89	7.72	9.78	602	7.61	16.39	73.61	8.13	8.17
24.	तमिलनाडु	5.87	-1.56	1.75	5.99	11.45	13.96	15.21	6.13	4.89	1036	983	7.37
25.	त्रिपुरा	5.88	14.07	6.41	5.88	8.14	5.82	8.28	770	9.44	1065	8.20	8.67
26.	उत्तर प्रदेश	2.19	2.17	372	5.27	5.4	6.51	8.07	7.32	699	6.58	7.81	6.86
27.	उत्तराखंड	12.04	5.53	9.92	7.61	12.99	14.34	13.59	18.12	12.65	18.13	9.94	5.28
28.	पश्चिम बंगाल	3.84	7.32	3.78	6.2	6.89	6.29	7.79	776	4.90	8.03	9.22	658
	अखिल भारतीय जीडीपी विकास	4.35	5.81	3.84	8.52	7.47	9.48	9.57	932	6.72	859	9.32	6.21

* 2000-01 से 2004-05 के लिए: 1999-2000 आधार पर और 2005-06 से 2012-13 के लिए: 2004-05 आधार पर

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों का आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और अखिल-भारतीय के लिए-केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालय

विवरण-II

स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की राज्यवार विकास दर

क्र.सं.	सूचकांक	स्रोत	आवर्तिता/नवीनतम उपलब्ध आंकड़े	वर्तमान स्थिति														
				अखिल भारतीय	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीस-गढ़	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	2004-05 कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी (रुपये)	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	43624	47848	42228	26133	15417	34401	128686	66784	69876	60907	34703	28815	48789	60063	70885
	2004-05 की कीमतों पर 11वीं योजना के दौरान जीडीपी/जीएसडीपी में वृद्धि (%)																	
2	कुल	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	8	8.3	9.4	6.9	11.1	8.4	9	9.8	91	8.1	6	9.3	7.6	8	8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	कृषि	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	3.7	4.7	5.7	4.8	5.9	6.9	-0.2	4.1	4.3	1.4	1.6	6	5.3	-0.4	2.6
4	उद्योग	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	7.2	8.1	13.9	4.5	16.9	7.3	71	9.8	6.9	8.2	3.7	7.4	5.3	5.9	8.1
5.	सेवाएं	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	9.7	9.6	10.2	89	12.9	11.2	11.9	11.5	12.7	11.8	9.5	13.3	9.5	10.3	9.9
6.	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	जनगणना	दशकीय/2011	382	308	17	397	1102	189	394	308	573	123	124	414	319	859	365
7.	जनसंख्या (2001-2011) की दशकीय विकास दर (%)	जनगणना	दशकीय/2011	17.64	11.1	25.92	16.93	25.07	22.59	8.17	19.17	19.9	12.81	23.71	22.34	15.67	4.86	15.99
8.	लिंग अनुपात (महिलाएं/1000 पुरुष)	जनगणना	दशकीय/2011	940	992	920	954	916	991	968	918	877	974	883	947	968	1084	925
9.	लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (बालिका/1000 बालक)	जनगणना	दशकीय/2011	914	943	960	957	933	964	920	886	830	906	859	943	943	959	883
10.	कुल साक्षरता दर (%)	जनगणना	दशकीय/2011	74.04	67.66	66.9	73.18	63.82	71.04	87.4	79.31	76.64	83.78	68.73	67.63	75.6	93.91	82.91
11.	पुरुष (%)	जनगणना	दशकीय/2011	82.14	75.56	73.69	78.81	73.39	81.45	92.81	87.23	85.38	90.83	78.26	78.45	82.85	96.02	89.82
12.	महिला (%)	जनगणना	दशकीय/2011	65.46	59.74	59.57	67.27	53.33	60.59	81.84	70.73	66.77	76.6	58.01	56.21	68.13	91.98	75.48
13.	साक्षरता में लिंग में अंतर (%)	जनगणना	दशकीय/2011	16.68	15.82	14.12	11.54	20.06	20.86	10.97	16.5	18.61	14.23	20.25	22.24	14.72	4.04	14.34
14.	शिशु मृत्यु दर (आईएसमआर) (प्रति 1000 जीवत प्रसव)	एसआरएस	वार्षिक/2011	44	43	32	55	44	48	11	41	44	38	41	39	35	12	25
15.	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 100000 जीवित प्रसव)	एसआरएस	3 वर्ष/2007-09	212	134	एनए	390	261	269	एनए	148	153	एनए	एनए	261	178	81	104
16.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (जन्म/महिला)	एसआरएस	2010	2.5	1.8	एनए	2.5	3.7	2.8	एनए	2.5	2.3	1.8	2	3	2	1.8	1.9
17.	प्रसव पूर्व मृत्यु दर (एनएमआर) (प्रति 1000 जीवित प्रसव)	एसआरएस	2010	33	30	एनए	33	31	37	एनए	31	33	31	35	29	25	7	22
18.	5 मृत्यु दर के अंतर्गत (यू-5एमआर) (प्रति 1000 जीवित प्रसव)	2010	एसआरएस	59	48	एनए	83	64	61	एनए	56	55	49	48	59	45	15	33
19.	जन्म दर (%)	एसआरएस	वार्षिक/2011	21.8	17.5	198	21.8	27.7	24.9	13.3	21.3	21.8	16.5	17.8	25	18.8	15.2	16.7
20.	मृत्यु दर (%)	एसआरएस	वार्षिक/2011	7.1	7.5	5.8	8	6.7	7.9	6.7	6.7	6.5	6.7	5.5	6.9	7.1	7	6.3

विवरण-III

क्र.सं.	सूचकांक	स्रोत	आवर्तिता/नवीनतम उपलब्ध आंकड़े	वर्तमान स्थिति													
				मणिपुर	मेघालय	मिजोर	मध्य प्रदेश	नागालैंड	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	2004-05 कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी (रुपये)	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	27031	42497	एन	27850	46900	32584	52918	31468	83565	61531	42468	20708	60734	37070
	2004-05 की कीमतों पर 11वीं योजना के दौरान जीडीपी/जीएसडीपी																
2.	कुल	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	6.5	8.1	11	9.4	6.2	82	6.7	7.2	22.8	7.7	87	6.9	13.7	6.9
3.	कृषि	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	7.7	2.3	7.3	6.9	5.1	3.2	1.7	7.9	3.6	3.3	5.2	3.2	3.2	2.3
4.	उद्योग	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	3.6	10	12.3	9.6	9	8.3	9	5.2	46.4	7.6	9.3	5.5	16	5.1
5.	सेवाएं	सीएसओ	वार्षिक/2011-12	8	9.2	11.2	10.6	6.1	10.3	8.3	9.1	12.5	8.8	9.8	9.6	15.2	9
6.	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	जनगणना	दशकीय/2011	122	132	52	236	119	269	550	201	86	555	350	82	189	1029
7.	जनसंख्या (2001-2011) की दशकीय विकास दर (%)	जनगणना	दशकीय/2011	18.65	27.82	22.78	20.3	.0.47	13.97	13.73	21.44	12.36	15.6	14.75	20.09	19.17	13.93
8.	लिंग अनुपात (महिलाएं/1000 पुरुष)	जनगणना	दशकीय/2011	987	986	975	930	931	978	893	926	889	995	961	908	963	947
9.	लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) (बालिका/1000 बालक)	जनगणना	दशकीय/2011	934	970	971	912	944	934	846	883	944	946	953	899	886	950
10.	कुल साक्षरता दर (%)	जनगणना	दशकीय/2011	79.85	75.48	91.58	70.63	80.11	73.45	76.68	67.06	82.2	80.33	87.75	69.72	79.63	77.08
11.	पुरुष (%)	जनगणना	दशकीय/2011	86.49	77.17	93.72	80.53	83.29	82.4	81.48	80.51	87.29	86.81	92.18	79.24	88.33	82.67
12.	महिला (%)	जनगणना	दशकीय/2011	73.17	73.78	89.4	ळ९.02	76.69	64.36	71.34	52.66	76.43	73.86	83.15	59.16	70.7	71.16
13.	साक्षरता में लिंग में अंतर (%)	जनगणना	दशकीय/2011	13.32	3.39	4ए32	20.51	6.6	18.04	10.14	27.85	10.86	12.95	9.03	19.98	17.63	11.51
14.	शिशु मृत्यु दर (आईएसमआर) (प्रति 1000 जीवत प्रसव)	एसआरएस	वार्षिक/2011	11	52	34	59	21	57	30	52	26	22	29	57	36	32
15.	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 100000 जीवित प्रसव)	एसआरएस	3 वर्ष/2007-09	एनए	एनए	एनए	269	एनए	258	172	318	एनए	97	एनए	359	एनए	145
16.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (जन्म/महिला)	एसआरएस	2010	एनए	एनए	एनए	32	एनए	2.3	1.8	3.1	एनए	1.7	एनए	35	एनए	1.8
17.	प्रसव पूर्व मृत्यु दर (एनएमआर) (प्रति 1000 जीवित प्रसव)	एसआरएस	2010	एनए	एनए	एनए	44	एनए	42	25	40	एनए	16	एनए	42	एनए	23

1	2	3															
18.	5 मृत्यु दर के अंतर्गत (यू-5एमआर) (प्रति 1000 जीवित प्रसव)	एसआरएस	2010	एनए	एनए	एनए	82	एनए	78	43	69	एनए	27	एनए	79	एनए	37
19.	जन्म दर (%)	एसआरएस	वार्षिक/2011	14.4	24.1	16.6	26.9	16.1	20.1	16.2	26.2	17.6	15.9	14.3	27.8	18.9	16.3
20.	मृत्यु दर (%)	एसआरएस	वार्षिक/2011	4.1	7.8	4.4	4.2	3.3	8.5	6.8	6.7	5.6	7.4	5	7.9	6.2	6.2

अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई-लर्निंग वर्ल्ड

3750. डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट-आधारित एक साझा ज्ञान-सहभागिता मंच शीघ्र ही देश में 20,000 कॉलेजों को जोड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई-लर्निंग वर्ल्ड (ए-व्यू) के माध्यम से कोई अच्छा अध्यापक देशभर में विभिन्न स्थानों पर हजारों विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के अन्तर्गत 25,000 से अधिक कॉलेजों और 2000 पॉलीटेक्निकों को प्रत्येक को 512 केबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन 15-20 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्राडबेड (वीपीएलओबीबी) प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों में 19875 कॉलेजों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी हां। ए-वीयू, ऑन लाईन अध्ययन हेतु एक उपयुक्त वीडियो कान्फ्रेंस के यंत्रों में से एक है और एक साथ दूरवर्ती स्थलों पर छात्रों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच

3751. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डाक विभाग के विरुद्ध जांच और प्रतिवेदनार्थ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त इन शिकायतों की राज्य-वार संख्या और इनका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या जांच और सीवीसी को उसके प्रतिवेदन भेजने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जांच में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विलंब हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 42 है। शिकायतों की राज्य-वार, वर्ष-वार संख्या और स्वरूप के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। प्राप्त हुई 42 शिकायतों में से 14 शिकायतों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश के साथ बन्द कर दिया गया है तथा 21 शिकायतों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके बिना किसी कार्रवाई के बन्द कर दिया गया है, क्योंकि आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाती थी। 7 शिकायतों के संबंध में प्रारंभिक जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जांच और प्रतिवेदनार्थ प्राप्त हुई केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सभी शिकायतों की निदेशालय, सर्किल और क्षेत्रीय स्तर पर नियमित मानीटरिंग की जाती है। जांच हेतु सीवीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुपालनार्थ सभी स्तरों पर प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों 2010, 2011 और 2012 के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या और स्वरूप

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वर्षों के दौरान जांच और प्रतिवेदनार्थ सीवीसी से प्राप्त शिकायतों की संख्या				शिकायतों का स्वरूप	अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश के साथ बन्द की गई शिकायतों की संख्या (वर्षवार)				बिना किसी कार्रवाई की सिफारिश के साथ बन्द की गई शिकायतों की संख्या, क्योंकि आरोपों की पुष्टि नहीं हो पायी थी (वर्षवार)				सर्किलों द्वारा जांच की गई शिकायतों की संख्या तथा प्राप्त हुई प्रारंभिक रिपोर्ट
	2010	2011	2012	कुल		2010	2011	2012	कुल	2010	2011	2012	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
असम	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
बिहार	1	3	1	5	2010 (1) आरओ मुजफ्फरपुर में अनियत मजदूरों की नियुक्ति में तथापित अनियमिताएं 2011 (1) जीपीओ बिहारशरीफ के अधिकारियों द्वारा चन्दे के नाम पर पोस्टल आर्डरों को जारी करने के लिए तथाकथित रूप से अतिरिक्त धन प्रभारित करना 2011 (3) जीडीएस पदों पर तथाकथित अनियमित नियुक्ति, पोस्टमैन परीक्षा में अनियमितताएं एवं अनियमित स्थानांतरण/तैनाती। 2012 (1) जीडीएस पदों पर अनियमित नियुक्ति	1	1	1	1	1	1	1	1	1
छत्तीसगढ़	0	1	0	1	2011-अधिप्रापण, अनुरक्षण कान्ट्रैक्ट	0	0	0	0	0	1	0	1	
गोवा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
गुजरात	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
हरियाणा	1	1	1	1	2010 (1) तथाकथित फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर छंटाई सहायक के पद के लिए नियुक्ति संबंधी शिकायत। 2011 (1) डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता फोरम में तथाकथित जाली शपथपत्र प्रस्तुत करना। 2012 (1) पोस्टमैन परीक्षा में तथाकथित अनियमितताएं।	1	0	1	2	0	1	0	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
झारखंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
कर्नाटक	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
केरल	0	0	0	1	2012-विभागीय परीक्षा में तथाकथित अनियमितताएं	0	0	0	0	0	0	1	1	
मध्य प्रदेश	1	0	1	2	2010-स्थानांतरण तैनाती और प्रशासनिक मामलों में अनियमिताएं, वित्तीय अनियमितताएं 2012-वित्तीय अनिममितताएं, ग्रामीण डाक सेवक की नियुक्ति	10	0	0	1	0	0	1	1	
महाराष्ट्र	1	3	2	6	2010-डाक निरीक्षक के विरूठ 2011 (1) भवन के संबंध में आरोप, (2) तथाकथित भ्रष्टाचार, (3) भूमि/भवन में तथाकथित भ्रष्टाचार 2012 (1) तथाकथित अनियमितताएं/भ्रष्टाचार (2) तथाकथित अनियमितताएं/भ्रष्टाचार	0	2	1	3	1	1	1	3	
मणिपुर	0	0	0	0	-									
मेघालय	0	0	0	0	-									
मिजोरम	0	0	0	0	-									
नागालैंड	0	0	0	0	-									
ओडिशा	0	0	0	0	-									
पंजाब	0	0	0	0	-									
राजस्थान	0	1	0	1	2011-अधिकारियों का तथाकथित उत्पीड़न	0	0	0	0	0	1	0	1	
सिक्किम	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
तमिलनाडु	0	4	0	3	2011 (1) नियुक्ति के समय तथाकथित जाली एसटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना। (2) प्राइवट निर्मित आईएलसी का उपयोग करके एलआईसी और अन्य द्वारा राजकोष को तथाकथित भारी नुकसाना (3) एसपीओ की ओर से तथाकथित वित्तीय अनियमितताएं। (4) चैन्नई जीपीओ के पोस्टमैन द्वारा पेंशन आदि से धन की तथाकथित गैर-कानूनी कटौती।	0	2	0	2	0	1	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
त्रिपुरा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0		
उत्तरा प्रदेश	0	2	3	5	2010-तथाकथित धोखाधड़ी 2011 (1) तथाकथित धोखाधड़ी (2) तथाकथित धोखाधड़ी (3) किसान विकास पत्र के परिपक्वता मूल्य का भुगतान न करना, (4) विभागीय परीक्षा में डाक सहायकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार। 2012 (1) तथाकथित धोखाधड़ी (2) झूठे जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति, धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न करना, (3) पोस्टमैन परीक्षा में अनियमितताएं (4) धोखाधड़ी के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई करते समय तथाकथित भ्रष्टाचार	0	0	0	0	02	2	4	1	
उत्तराखंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
पश्चिम बंगाल	0	3	3	6	2011 (1) एसएसपीओ, मिदनापुर, मिथ्या शिकायत (2) विभिन्न अनियमितताएं (3) भ्रष्टाचार 2012 (1) कोलाघाट डाकघर (2) एससी प्रमाणपत्र (3) ऑफिसियलज एमआईएस फ्रॉड	0	0	2	2	0	3	0	3	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
चंडीगढ़	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
दमन और दीव	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
दिल्ली	4	4	0	8	2010 (1) केवीपी का दोहरा भुगतान, (3) धन आहरण में अनियमितताएं (3) संविदाओं में अनियमितताएं (4) डाकघर में अनियमितताएं। 2011 (1) अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत (2) कन्सलटेन्ट का चयन, (3) डाक सहायकों का चयन (4) निविदाएं प्रदान करने में अनियमितताएं।	0	1	0	1	3	1	0	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
लक्षद्वीप	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
पुडुचेरी	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल	9	19	14	42		3	6	5	14	4	12	5	21	7

विमानन संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह करना

3752. **श्री पी.टी. थॉमस:**
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
प्रो. रामशंकर:
श्री नरेनभाई काछादिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी विमानन संस्थान झूठे दावों के विज्ञापन के साथ विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी मामला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्यार्थियों के साथ मानदंडों और समझौतों के ऐसे उल्लंघन हेतु उक्त संस्थाओं के विरुद्ध नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) द्वारा की गई कार्यवाही का मामला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या काफी सारे अभ्यर्थियों को झूठे रोजगार की पेशकश करके उनके साथ धोखा किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विमानन संस्थानों हेतु विनिर्धारित मानदण्डों को कड़ा बनाने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार, उनके पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस संबंध में कुछ निजी संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें हैं जिन्हें नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय को इस मामले की जांच करने के निदेश दिए गए हैं।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को अनुमोदन प्रदान करता है और वायुयान अधिनियम, 1934 तथा वायुयान नियम, 1937 और समय-समय पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पश्चात् वार्षिक आधार पर अनुमोदन का नवीकरण किया जाता है।

द्विपक्षीय शिक्षा शिखर-सम्मेलन

3753. **श्री शिवकुमार उदासी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कोई द्विपक्षीय शिक्षा शिखर-सम्मेलन हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिखर-सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) 12 जून, 2012 को वाशिंगटन डीसी में भारत-अमरिका रणनीतिक वार्ता के साथ-साथ भारत-अमेरिका उच्चतर शिक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। उच्चतर शिक्षा वार्ता की अध्यक्षता माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने संयुक्त रूप से की थी तथा इसमें दोनों पक्षों के सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, अग्रणी उद्यमी एवं संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित थे।

(ग) और (घ) उच्चतर शिक्षा वार्ता का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तृत करने के लिए रणनीतिक संस्थागत भागीदारी को बढ़ावा देना; समुदाय कॉलेजों की स्थापना की भागीदारी

सहित व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना; और विद्यार्थी एवं संकाय संवर्धन के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना था। इस वार्ता के परिणाम के रूप में सिंह ओबामा ज्ञान पहल के अंतर्गत 8 संयुक्त अनुसंधान अवार्ड प्रदान करने के प्रथम बैच की घोषणा की गई है तथा द्वितीय चरण में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। 6-7 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में समुदाय कॉलेजों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। जिसमें अमेरिकी संस्थाओं ने प्रभावी रूप से भाग लिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अमेरिकी संस्थाओं में रोजगार पाने के लिए संकाय विकास के उद्देश्य से भारत के पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येताओं के पहले बैच को भी अंतिम रूप दिय जा चुका है।

[हिन्दी]

परमाणु-खनिजों का निर्यात

3754. श्री राजीव रंजन सिंह 'उर्फ' ललन सिंह:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 जनवरी, 2006 को एक अधिसूचना के माध्यम से परमाणु ऊर्जा अधिनियम में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे परिवर्तनों के कारण मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत देश से अनेक परमाणु-खनिजों का निर्यात होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, ऐसे खनिजों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को इन खनिजों के निर्यात से वित्तीय हानि होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी की गई 18 जनवरी, 2006 की अधिसूचना, विहित पदार्थों, विहित उपस्करों तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस अधिसूचना में सूचीबद्ध की गई मदें, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती हैं।

(ग) और (घ) किसी विहित पदार्थ का अर्जन, उत्पादन अधिग्रहण, उपयोग, निपटान, निर्यात और आयात करने के लिए पृथक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। विहित पदार्थों में अन्य बातों के साथ-साथ यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम तथा थोरियम युक्त कोई सामग्री, पदार्थ अथवा सांद्र, और नायोबियम, टेंटलम, तथा बेरिलियम भी शामिल होते हैं। इन तत्वों और उनके खनिजों का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्व है, और उपर्युक्त के संबंध में किए गए किसी परिवर्तन की वजह से, इनके निर्यात के लिए खुला सामान्य लाइसेंस नहीं किया जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना

3755. श्री मधुसूदन यादव:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए निर्धारित मानक क्या हैं;

(ख) देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में विगत वर्षो के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार ने क्या अंतिम निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोई मानदंड/मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) XIवीं योजना के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा इक्कीस केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इनमें से तीन विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित रूप में थे। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित किसी भी राज्य सरकार से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे।

(च) नीतिगत मामले के रूप में, केन्द्र सरकार ने किसी और राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित नहीं करने का निर्णय लिया है।

विवरण

क्रसं.	राज्यों के नाम	विश्वविद्यालय के नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने की तारीख
1.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	2.7.2007
2.	बिहार	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार	15.1.2009
3.	गुजरात	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात	15.1.2009
4.	हरियाणा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा	15.1.2009
5.	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	15.1.2009
6.	-	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	15.1.2009
7.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	15.1.2009
8.	झारखंड	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	15.1.2009
9.	कर्नाटक	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक	15.1.2009
10.	केरल	केन्द्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल	15.1.2009
11.	मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	फरवरी, 2008
12.	ओडिशा	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा	15.1.2009
13.	पंजाब	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब	15.1.2009
14.	राजस्थान	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	15.1.2009
15.	तमिलनाडु	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	15.1.2009
16.	आंध्र प्रदेश	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	अगस्त, 2007
17.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	15.1.2009
18.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय	15.1.2009
19.	उत्तराखंड	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	15.1.2009
20.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	9.4.2007
21.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	9.4.2007

बेरोजगारी में बढ़ोतरी

3756. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में घटती उत्पादकता बेरोजगारी के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) 66वें दौर के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मौजूदा दैनिक स्थिति (सीडीएस) की दृष्टि में बेरोजगारी दर में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि वर्ष 2004-05 में 8.2% से कम होकर यह 2009-10 में 6.6% हो गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय में रिक्त पद

3757. डॉ. बलीरामः
श्री सोनवणे प्रताप नारायणरावः
डॉ. रतन सिंह अजनालाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्राचार्यो तथा विभिन्न विषयों के सहायक-अध्यापकों/अध्यापकों के कुछ पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है और इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को स्थायी आधार पर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी हां। दिनांक 01.02.2013 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में भिन्न-भिन्न संवर्गों में कुल संस्वीकृत 43188 पदों की संख्या के मुकाबले में प्रधानाचार्य सहित निम्नानुसार 6816 शिक्षण पद रिक्त हैं:

पद	संस्वीकृत	रिक्त
प्रधानाचार्य	978	97
प्राथमिक शिक्षक	15474	2007
मुख्य अध्यापक	686	217
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	15178	2780
स्नातकोत्तर शिक्षक	9486	1648
पुस्तकालयाध्यक्ष	1147	67
योग	239	0
योग	43188	6816

(ख) और (ग) रिक्ति बनने और भर्ती के बीच समय लगने के कारण शिक्षकों का रिक्तियां हमेशा रहती हैं। प्रधानाचार्यों के संस्वीकृत और रिक्त पदों को छोड़कर देशभर में 01.02.2013 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न केवी में भिन्न-भिन्न संवर्गों में 42210 संस्वीकृत पदों के मुकाबले में 6719 शिक्षक पद रिक्त हैं। वर्ष 2011-12 के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और स्नातकोत्तर शिक्षक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (विविध) की पहले ही तैनाती कर दी गई है। तथापि, प्राथमिक शिक्षकों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा सकी क्योंकि चयन पैनल के प्रचालन की प्रक्रिया न्यायाधीन है। वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की रिक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है।

फ्रेंचाइजी डाक-केन्द्र

3758. श्री कपिल मुनि करवारियाः
श्री राम सुन्दर दासः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खोले गए विशेष काउंटरों/फ्रेंचाइजी डाक-केन्द्रों का वर्षवार, सर्किलवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन डाक-केन्द्रों के कार्य-निष्पादन का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे डाक केन्द्रों को उन क्षेत्रों में खोलने का है जहां बुनियादी डाक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त डाक-केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देशभर में खोले गए फ्रेंचाइजी डाक केन्द्रों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। फ्रेंचाइजी डाक केन्द्र योजना के कार्य-निष्पादन का वर्ष 2007-08 में मूल्यांकन किया गया था और यह पाया गया कि योजना अपने निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। फ्रेंचाइजी योजना ऐसे शहरी क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी डाक केन्द्र खोलने का प्रावधान देती है जहां डाकघर खोलने का औचित्य तो है परन्तु किन्हीं कारणवश इसे खोलना संभव नहीं हो पा रहा है। फ्रेंचाइजी डाक केन्द्र खोलना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (28.02.2013 को) के दौरान खोले गए फ्रेंचाइजी डाक केन्द्रों की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (28.02.2013 को)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	38	8	40	18
2.	असम	15	10	5	0
3.	बिहार	15	13	29	2
4.	छत्तीसगढ़	0	0	21	7
5.	दिल्ली	15	10	22	19
6.	गुजरात	14	19	41	13
7.	हरियाणा	15	20	7	10
8.	हिमाचल प्रदेश	5	5	20	2
9.	जम्मू और कश्मीर	5	0	1	0
10.	झारखंड	10	0	20	7
11.	कर्नाटक	6	3	7	3
12.	केरल	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	13	10	1	15
14.	महाराष्ट्र	20	26	27	14

1	2	3	4	5	6
15.	पूर्वोत्तर	7	2	1	4
16.	ओडिशा	12	10	24	9
17.	पंजाब	10	10	6	10
18.	राजस्थान	26	11	85	11
19.	तमिलनाडु	25	20	77	27
20.	उत्तराखंड	4	3	18	16
21.	उत्तर प्रदेश	31	34	89	10
22.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
	कुल	286	224	545	199

[अनुवाद]

सिविल सेवा परीक्षाओं में फर्जी जाति/जनजाति प्रमाणपत्र

3759. श्री प्रेमदास:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर वर्ष 1980 की परीक्षा में सिविल सेवा परीक्षा हेतु बैठे या चयनित अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों के प्रयोग की कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा संस्तुत सफल उम्मीदवारों का सेवा आवंटन करता है। सफल उम्मीदवारों को सेवा आवंटन किए जाने के पश्चात् इन उम्मीदवारों के डोजियर उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को भेज दिए जाते हैं ताकि वे उनके जाति सत्यापन सहित सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा कर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर सकें।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आईएएस एवं सीएसएस से संबंधित सिविल सेवा परीक्षा, 1980 के अधिकारियों के संबंध में फर्जी जाति/जनजाति प्रमाण पत्र का कोई मामला इस समय इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

सिविल सेवा परीक्षा, 1980 के अधिकारियों के संबंध में आईएएस एवं सीएसएस से इतर सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में फर्जी जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों के मामलों से संबंधी आंकड़ें केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मुस्लिमों में साक्षरता-दर

3760. श्री रतन सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बीच साक्षरता की दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समुदाय में साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों (2001 की जनगणना) से चलता है कि मुसलमानों को छोड़कर अल्पसंख्यकों में साक्षरता दर नीचे दिए गए अनुसार तत्कालीन राष्ट्रीय औसत से अधिक है:-

सभी धार्मिक समुदाय	64.8%
हिंदू	65.1%
मुसलमान	59.1%
इसाई	80.3%
सिख	69.4%
बौद्ध	74.7%
जैन	94.1%

(ग) और (घ) देश में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग और 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में साक्षरता के स्तर में वृद्धि करने क लिए सरकार सर्व सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और साक्षर भारत जैसी अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। दोनों योजनाओं में अल्पसंख्यकों-विशेष रूप से मुसलमानों पर ध्यान दिया जाता है। मुस्लिम बच्चों के नामांकन की दरों में सुधार लाने के लिए एसएसए में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं: नए स्कूल खोलना, स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षाकक्षों का निर्माण, छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) के अनुसार अतिरिक्त अध्यापक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) एसएसए के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, उर्दू माध्यम स्कूलों के लिए और विषय के रूप में उर्दू के लिए उर्दू पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क वर्दियां (दो सेट) प्रदान करना। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा में मुस्लिम नामांकन में लगातार वृद्धि हो रही है जो वर्ष 2007-08 में 1.84 करोड़ था और वर्ष 2011-12 में बढ़कर 2.54 करोड़ हो गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुष और महिला साक्षरता स्तर बढ़कर क्रमशः 82.14 और 65.46 हो गया है। मुस्लिम सहित अल्पसंख्यकों में साक्षरता स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना है। परन्तु इसकी पुष्टि तभी की जा सकती है जब आरजीआई द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर आंकड़ों का समूह के अनुसार वर्गीकरण किया जाए।

[अनुवाद]

इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्शन

3761. **श्री सुल्तान अहमद:**
श्री अजय कुमार
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री प्रदीप माझी:
श्रीमती मौसम नूर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
प्रो. रामशंकर:
श्री आर. ध्रुवनारायण
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **संचार और सूचना औद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए और हासिल किए गए लक्ष्यों में भारी अंतर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड दोनों के संबंध में अलग-अलग इसके क्या कारण रहे हैं;

(ग) बीएसएनएल तथा एमीटीएनएल के अलावा देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा अभी तक कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार ग्रामों के चयन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं और कितने चरणों में एनओएफएन को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ङ) निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्यों में इस अंतर को पाटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) ग्राहकों को वहनीय कीमतों पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) और (ख) ब्रॉडबैंड नीति, 2004 में दिए अनुसार, देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैं।

को समाप्त वर्ष	इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)		ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2005	6	6.70	3	0.90
2006	18	10.36	9	3.13
2007	40	18.69	20	10.99

वर्ष से वर्ष आधार पर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, गत तीन वर्षों तथापि, गत तीन वर्षों के लिए उपभोक्ता आधार नीचे दिया गया है जैसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सूचित किया गया है:-

को समाप्त वर्ष	इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)
2010	18.69	10.99
2011	12.39	13.35
2012	25.33	14.98

मुख्य बाधाएं जोकि इंटरनेट/ब्रॉडबैंक की वृद्धि को बाधित कर रही हैं, निम्नवत हैं+-

- प्राइवेट प्रचालकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंक नेटवर्क के विस्तार के अलाभकारी होने के कारण उसमें रुचि का अभाव।
- मार्गाधिकार प्रभारों की ऊंची लागत और मार्गाधिकार मंजूरियों से संबंधित मुद्दों के कारण ओएफसी नेटवर्क बिछाने में कठिनाइयां।
- उच्च बैकहॉल लागत।
- कम पी.सी. विस्तार।
- ग्राहमक परिसर उपस्कर (सीपीई) की ऊंपी लागत।
- कम साक्षरता स्तर।
- स्थानीय सामग्री का अभाव।

(ग) बीएसएनएल और एमटीएनल को छोड़कर देश में इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंक सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा और जैसा ट्राई द्वारा सूचित किया गया है। दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। साथ ही, दिनांक 21.01.2013 की स्थिति के अनुसार बीएएनएल और एमटीएनल के ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का सर्किल-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इस परियोजना के तहत देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को 24 माह की अवधि के दौरान कवर किया जाएगा।

(ङ) और (च) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने वहनीय मूल्यों पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्राडबैंड/इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्कीमें चलाई हैं। यूएसओएफ की इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 (एनटीपी-2012) के अनुसार, ब्रॉडबैंड के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना और वर्ष 2017 तक 175 मिलियन

ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करना तथा वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की डाउनलोड गति से 600 मिलियन कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करना और मांग पर न्यूनतम 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की उच्चतर गति प्राप्त करना।

- अंतिम मील की पहुंच, एग्रीगेशन लेयर, पर्याप्त क्षमता का कोर नेटवर्क, प्रयोक्ता उपस्करों सहित वहनीय उपस्करों, टर्मिनलों ओर उपभोक्ता परिसर उपस्कर हेतु मीडिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/सरकारी विभागों/एजेंसियों सहित सभी स्टेकधारकों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करके ब्रॉडबैंड हेतु ईको-प्रणाली विकसित करना तथा संगत अनुप्रयोगों के विकास हेतु वातावरण तैयार करना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्कयता के रूप में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार को मान्यता देना और 'ब्रॉडबैंड का अधिकार' के लिए कार्य करना।
- ऑप्टिकल फाइबर, वायरलैस, वीसेट और अन्य प्रौद्योगिकियों के समुचित मिश्रण के द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को विश्वसनीय और वहनीय ब्रॉडबैंड पहुंच उपलब्ध कराने पर विशेष बल देना। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से धन प्राप्त करके आप्टिकल फाइबर नेटवर्क को प्रारंभ में ग्राम पंचायत स्तर तक बिछाया जाएगा। गांव पंचायतों से ऑप्टिकल फाइबर कनेस्टिविटी का प्रगामी तौर पर सभी गांवों और स्थानों तक विस्तार करना।
- 256 से 512 केबीपीएस की मौजूदा ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को संशोधित करना और वर्ष 2015 तक उसे 2 मेगाबाइट प्रति सेकेंड और उसके बाद न्यूनतम 100 एमबीपीएस की उच्चतर की गति प्राप्त करना।
- मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क में सक्षम प्रावधान शामिल करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च किस्म की ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए केबल टीवी नेटवर्कों सहित मौजूदा अवसंरचना का अधिकतम उपयोग हो सके।
- देश में ब्रॉडबैंड के शीघ्र विस्तार के लिए आप्टिकल फाइबर केबलों सहित दूरसंचार केबलों को बिछाने और उनके रखरखाव के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ समनव्य करने के लिए समुचित संस्थागत फ्रेमवर्क की स्थापना करना।
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे ई-अभिशासन, ई-पंचायत, मनरेगा, एनकेएन, आधार आकाश टेबलेट आदि और ब्रॉडबैंड के रोल आउट के बीच सिनर्जी को बढ़ावा देना।
- ब्रॉडबैंड अनुप्रयोगों और सेवाओं की माग को बढाना, क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय सामग्री के सृजन को बढ़ावा देने के लिए आईटी विभाग के साथ मिलकर नजदीकी रूप से कार्य करना जिससे एनजीएन सहित ऑल इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईटी) नेटवर्कों के निवेश में बढ़ोत्तरी होगी।

विवरण-I

क्र.सं.	आईएसपी का नाम	राज्य	ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या (>256)	कुल इंटरनेट कनेक्शन (ब्रॉडबैंड सहित)
1	2	3	4	5
1.	एबीटी लिमिटेड	तमिलनाडु	5	5
2.	एडवांस्ड फाईनेंशियल सर्विसेस प्रा.	आंध्र प्रदेश	0	0
3.	अद्यय टेक वन सर्विसिज प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	37	37
4.	एरोवे नेटवर्कस प्रा. लि.	कर्नाटक	43	43
5.	एलायंस ब्रॉडब्रैंड सर्विसिज प्रा.	पश्चिम बंगाल	31812	31812
6.	एंबर ऑनलाइन सर्विसिज प्रा.	आंध्र प्रदेश	469	469

1	2	3	4	5
7.	अंखनेट इंफॉरमेशन प्रा. लि.	महाराष्ट्र	31819	31819
8.	अपना टेलीलिंक लि.	पंजाब	3007	3007
9.	एशिया नेट सैलेलाइट	केरल	115052	115052
		तमिलनाडु		0
10.	एस्ट्रो नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	पश्चिम बंगाल	1	1
		पश्चिम बंगाल	1	1
		उत्तर प्रदेश	1	1
11.	एटीएंडटी ग्लोबल नेटवर्क सर्विसिज इंडिया प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	2	2
		दिल्ली	1	1
		कर्नाटक	12	12
		महाराष्ट्र	6	6
		तमिलनाडु	3	3
		उत्तर प्रदेश	2	2
		पश्चिम बंगाल	3	3
12.	एट्रिया कन्वर्जेस टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	3735	3735
		कर्नाटक	28134	28134
13.	बीम टेलीकॉम प्रा. लि0	आंध्र प्रदेश	253829	253829
	भारती एयरटेल लि.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	56765	56765
		असम	22	22
		बिहार	26	26
		छत्तीसगढ़	0	0
		दिल्ली	462777	462822
		गुजरात	21103	21103
		हरियाणा	11010	11010
		हिमाचल प्रदेश	8	8

1	2	3	4	5
		जिम्मू और कश्मीर	9	9
		झारखंड	0	0
		कर्नाटक	235384	235737
		केरल	17877ण53	17905ण53
		मध्य प्रदेश	117918	117967
		महरीराष्ट्र	66176	66188
		मणिपुर	11	11
		मेघालय	0	0
		मिजोरम	0	0
		नागालैंड	0	0
		ओडिशा	31	31
		पंजाब	56100	56100
		राजस्थान	16544	16547
		तमिलनाडु	252836.8	252878.8
		त्रिपुरा	0	0
		उत्तर प्रदेश	46096	46096
		उत्तराखंड	0	0
		पश्चिम बंगाल	31638	31638
14.	भिवानी कम्युनिकेशनस प्रा. लि.	हरियाणा	85	163
15.	भूपति होटलस् प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	2807	2807
16.	ब्लेजनेट लि.	गुजरात	1050	1050
17.	बोहरा प्रतिष्ठान प्रा. लि.	राजस्थान	175	175
18.	ब्रॉडबैंड पेसनेट (1) प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	3121	3121
		बिहार	3	3
		छत्तीसगढ़	71	71
		दिल्ली	10403	10403

1	2	3	4	5
		गुजरात	1703	1703
		हरियाणा	283	283
		हिमाचल प्रदेश	2	2
		जम्मू और कश्मीर	1	1
		कर्नाटक	2	2
		मध्य प्रदेश	969	969
		महाराष्ट्र	19041	19041
		ओडिशा	3	3
		पंजाब	177	177
		राजस्थान	292	292
		तमिलनाडु	3	3
		त्रिपुरा	1	1
		उत्तर प्रदेश	1177	1177
		उत्तराखंड	4	4
		पश्चिम बंगाल	2	2
19.	ब्रॉडबैंड नेटवर्कस् प्रा. लि0	महाराष्ट्र	0	0
20.	कैप्वर नेटवर्क सिस्टमस् प्रा. लि.	गुजरात	1450	1450
21.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्युटिंग सी-डैक	उत्तर प्रदेश	2	2
22.	चंद्रा नेट प्रा. लि.	गुजरात	27549	27663
23.	केमिकल एंड मेटालर्जिकल डिजाइन कॉ. लि.	दिल्ली	27	27
24.	सिटी ऑनलाइन सर्विसिज लि.	आंध्र प्रदेश	6439	6439
25.	सिटीकॉम नेटवर्कस प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	0	0
		दिल्ली	10124	10195
		गुजरात	2	2
		हरियाणा	1273	1274
		हिमाचल प्रदेश	1	1

1	2	3	4	5
		कर्नाटक	5423	5502
		महाराष्ट्र	8198	8339
		पंजाब	1	1
		राजस्थान	1	1
		तमिलनाडु	1804	1805
		उत्तर प्रदेश	3751	3782
		पश्चिम बंगाल	2	2
26.	सीजे ऑनलाइन प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	1597	1697
27.	सीजेएम कंसलटेंसी सर्विसिज प्रा. लि.	दिल्ली	2130	2130
28.	कंप्यूकॉम (1) प्रा. लि.	राजस्थान	0	2
29.	कॉनजाइनिक्स टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.	पंजाब	121	121
30.	कॉर्डिया एलटी कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.	दिल्ली	983	983
31.	डाटा इंफोसिस लि.	राजस्थान	379	49751
		उत्तराखंड	105	105
32.	डेल आईटीएसएल इंटरनेट प्रा. लि.	दिल्ली	217	217
		हरियाणा	288	293
33.	डेन नेटवर्कस् लि.	दिल्ली	550	684
		उत्तर प्रदेश	3362	3767
34.	डेस्कॉन लि.	पश्चिम बंगाल	3329	3329
35.	देवस मल्टिमीडिया प्रा. लि.	कर्नाटक	12	12
36.	डिजिटल नेटवर्क एसोसिएटल प्रा. लि.	महाराष्ट्र	6808	6808
37.	डिजिटल वर्चुअल आईएसपी प्रा. लि.	गुजरात	948	1177
38.	डिशनेट वायरलैस लि.	आंध्र प्रदेश	126	128
		असम	15	15
		बिहार	21	21
		छत्तीसगढ़	0	0

1	2	3	4	5
		दिल्ली	214	214
		गुजरात	136	137
		हरियाणा	160	161
		हिमाचल प्रदेश	8	8
		जम्मू और कश्मीर	4	4
		झारखंड	19	19
		कर्नाटक	397	397
		केरल	131	131
		मध्य प्रदेश	13	13
		महाराष्ट्र	579	581
		मणिपुर	1	1
		नागालैंड	1	1
		ओडिशा	43	43
		पंजाब	28	28
		राजस्थान	40	40
		तमिलनाडु	958	959
		त्रिपुरा	2	2
		उत्तर प्रदेश	234	234
		उत्तराखंड	13	13
		पश्चिम बंगाल	259	259
39.	ड्रीम प्लस मल्टि सर्विसिज प्रा. लि.	बिहार	9	9
40.	ड्रीमजक्राफ्ट इंफो सोल्युशन्स प्रा. लि.	हिमाचल प्रदेश	23	29
41.	डी-वोइस ब्रॉडबैंड प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	108	108
		बिहार	1	1
		दिल्ली	11	11
		गुजरात	2	2

1	2	3	4	5
		हरियाणा	5	5
		जम्मू और कश्मीर	1	1
		कर्नाटक	18440	18440
		केरल	4	4
		महाराष्ट्र	40751	40751
		पंजाब	92	92
		राजस्थान	1062	1062
		तमिलनाडु	2	2
		उत्तर प्रदेश	2	2
		उत्तराखंड	1	1
		पश्चिम बंगाल	149	149
42.	एक्वेंट नेटवर्क सर्विसिज इंडिया प्रा. लि.	दिल्ली	1	1
		महाराष्ट्र	1	1
		तमिलनाडु	0	0
43.	इर्नेट इंडिया	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40	42
		आंध्र प्रदेश	6	8
		अरुणाचल प्रदेश	3	23
		असम	7	20
		बिहार	0	8
		छत्तीसगढ़	2	3
		दिल्ली	36	38
		गुजरात	1	6
		हरियाणा	4	6
		हिमाचल प्रदेश	4	6
		जम्मू और कश्मीर	6	12
		झारखंड	1	6

1	2	3	4	5
		कर्नाटक	22	30
		केरल	5	8
		मध्य प्रदेश	6	11
		महाराष्ट्र	24	36
		मणिपुर	3	12
		मेघालय	3	10
		मिजोरम	0	2
		नागालैंड	3	7
		ओडिशा	8	11
		पंजाब	1	2
		राजस्थान	6	8
		तमिलनाडु	5	7
		त्रिपुरा	0	5
		उत्तर प्रदेश	12	19
		उत्तराखंड	4	16
		पश्चिम बंगाल	21	31
44.	एरोनेट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया प्रा. लि.	तमिलनाडु	69	69
45.	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लि.	अरुणाचल प्रदेश	0	25
		दिल्ली	0	1
		हिमाचल प्रदेश	0	5
		मध्य प्रदेश	0	3
		उत्तर प्रदेश	4	5
		उत्तराखंड	0	5
46.	एफ/एक्स वायरलैस टेक्नोलॉजी सर्विसिस	महाराष्ट्र	2868	2880
47.	फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिस कम्युनिकेशन्स लि.	महाराष्ट्र	16	16
48.	फाइव नेटवर्क सोल्युशन (इंडिया) लि.	हरियाणा	202	202

1	2	3	4	5
		महाराष्ट्र	53321	53321
		पंजाब	742	742
		राजस्थान	60	60
49.	जियोसिटी नेटवर्क सोल्युशन्स प्रा. लि.	दिल्ली	3018	3018
50.	गोदरेज इंफोटेक लि.	महाराष्ट्र	3	5
51.	गुज इंफो पेट्रो लि. (जीआईपीएल)	गुजरात	58	58
		महाराष्ट्र	0	0
52.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर को. लि. (जीएनएफसी)	दिल्ली	0	0
53.	गुजरात टेली लिंक प्रा. लि.	गुजरात	24247	24830
54.	हरि श्री केबलनेट प्रा. लि.	केरल	54	54
55.	हाथवे भवानी केबलटेल एण्ड डाटाकॉम प्रा. लि.	महाराष्ट्र	3624	3673
56.	हाथवे केबल एण्ड डाटाकॉम प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	63114	63114
		छत्तीसगढ़	583	583
		दिल्ली	10550	10737
		गुजरात	27808	27808
		हरियाणा	17	27
		कर्नाटक	45973	45974
		महाराष्ट्र	211453	211456
		पंजाब	2128	2129
		उत्तर प्रदेश	6301	6306
57.	एचसीएल कॉमनेट सिस्टम एडं सर्विसिज लि.	आंध्र प्रदेश	2	2
		असम	6	12
		दिल्ली	1	1
		कर्नाटक	98	98
		मध्य प्रदेश	2044	2044
		महाराष्ट्र	983	984

1	2	3	4	5
		राजस्थान	220	220
		तमिलनाडु	45	45
		उत्तर प्रदेश	13	13
		उत्तराखंड	1	1
58.	होम सिस्टम प्रा. लि.	महाराष्ट्र	13143	13143
59.	ऑनेस्टी नेट सोलयुशन्स (I) प्रा. लि.	महाराष्ट्र	19193	21883
60.	हयगिस कम्युनिकेशन्स इंडिया लि.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1
		आंध्र प्रदेश	47	47
		अरुणाचल प्रदेश	274	274
		असम	147	147
		बिहार	41	41
		छत्तीसगढ़	33	33
		दिल्ली	24	24
		गुजरात	75	75
		हरियाणा	50	50
		हिमाचल प्रदेश	48	48
		जम्मू और कश्मीर	171	171
		झारखंड	128	128
		कर्नाटक	135	135
		केरल	25	25
		मध्य प्रदेश	86	86
		महाराष्ट्र	187	187
		मणिपुर	31	31
		मेघालय	68	68
		मिजोरम	30	30
		नागालैंड	43	43

1	2	3	4	5
		ओडिशा	92	92
		पंजाब	31	31
		राजस्थान	76	76
		तमिलनाडु	60	60
		त्रिपुरा	7	7
		उत्तर प्रदेश	98	98
		उत्तराखंड	49	49
		पश्चिम बंगाल	112	112
61.	आईकैन सोल्युशन्स प्रा. लि.	महाराष्ट्र	63	63
62.	आईकेएफ टेक्नोलॉजिस लि.	आंध्र प्रदेश	28	71
		असम	45	102
		बिहार	20	42
		हरियाणा	14	68
		हिमाचल प्रदेश	38	127
		जम्मू और कश्मीर	89	159
		झारखंड	10	28
		कर्नाटक	22	34
		मध्य प्रदेश	52	90
		महाराष्ट्र	106	276
		ओडिशा	241	241
		पंजाब	14	62
		त्रिपुरा	24	72
		उत्तर प्रदेश	29	77
		उत्तराखंड	42	144
		पश्चिम बंगाल	188	550

1	2	3	4	5
63.	इंदुसिंह मीडिया एंड कम्युनिकेशन्स लि.	दिल्ली	708	756
	(इन2केबल) (I) लि.	गुजरात	432	490
		कर्नाटक	162	167
		मध्य प्रदेश	153	159
		महाराष्ट्र	26320	26894
64.	इंफोनेट कॉम सर्विसिज इंटरप्राइसेज प्रा. लि.	तमिलनाडु	174	174
65.	इंफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसिज लि.	हरियाणा	1	1
66.	इंटरमीडिया केबल कम्युनिकेशन्स	महाराष्ट्र	1500	1520
67.	आईओएल नेटकॉम लि.	महाराष्ट्र	9973	9973
68.	ईशान नेटसोल प्रा. लि.	गुजरात	101	1749
69.	आईएसपी सर्विसिज इंडिया प्रा. लि.	तमिलनाडु	24	24
70.	आईएसपी सोल्युशन्स इंडिया प्रा. लि.	तमिलनाडु	81	81
71.	केजन इंफोनेट प्रा. लि.	गुजरात	1331	1552
72.	कप्पा इंटरनेट सर्विसिज प्रा. लि.	राजस्थान	1233	1233
73.	कारूतुरू ग्लोबल लि.	कर्नाटक	0	0
74.	कारूतुरू टेलीकॉम प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	15	15
	(एस्टेल कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.)	दिल्ली	10	10
		हरियाणा	29	29
		कनार्टक	40	40
		उत्तर प्रदेश	14	14
75.	केलनेट कम्युनिकेशन्स सर्विसिज प्र. लि.	केरल	30	30
76. 0	केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलेपमेंट कॉ. लि. (केलट्रॉन)	केरल	ज्ञमतंसं	0
77.	खेतान केबल नेटवर्क (पी.) लि.	मध्य प्रदेश	55	55
78.	कोणार्क इंफोकॉम प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	42	42
79.	एलएंडटी फाइनेंस लि. (एलएंडटी नेटकॉम लि.)	महाराष्ट्र	1	1

1	2	3	4	5
80.	लिम्रास एरोनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रा. लि.	तमिलनाडु	58	58
81.	मदुरा केबल नेट प्रा. लि.	तमिलनाडु	0	0
82	मणिपाल ई-कॉमर्स लि.	कनार्टक	0	0
83.	मैपल पीसी एंड पेरीफेरलस् प्रा. लि.	बिहार	2	2
84.	मेघबेला केबल एंड ब्रॉडबैंड सर्विसिज (पी) लि.	पश्चिम बंगाल	14575	21674
85.	मिकी ऑनलाइन प्रा. लि.	उत्त प्रदेश	0	130
86.	माइक्रोसेंस प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	13	13
		दिल्ली	20	20
		गुजरात	8	8
		कर्नाटक	24	24
		केरल	13	13
		मध्य प्रदेश	1	1
		महाराष्ट्र	38	38
		पंजाब	1	1
		राजस्थान	14	14
		तमिलनाडु	29	29
		उत्तर प्रदेश	4	4
		पश्चिम बंगाल	11	11
87.	मल्टिनेट (उदयपुर) प्रा. लि.	राजस्थान	0	165
88.	माई ओन इंफोटेक प्रा. लि.	गुजरात	0	0
89.	नर्मदा साइबरजोन प्रा. लि.	गुजरात	1405	3255
90.	नेल्का लि.	आंध्र प्रदेश	1	1
		अरुणाचल प्रदेश	1	1
		असम	2	2
		छत्तीसगढ़	2	2
		दिल्ली	2	2

1	2	3	4	5
		गुजरात	0	0
		हरियाणा	1	1
		जम्मू और कश्मीर	1	1
		मध्य प्रदेश	1	1
		महाराष्ट्र	15	15
		मेघालय	2	2
		मिजोरम	1	1
		ओडिशा	9	9
		तमिलनाडु	3	3
		उत्तराखंड	1	1
		पश्चिम बंगाल	1	1
91.	नेटकॉम ऑनलाइन सोल्युशन्स इंडिया प्रा. लि.	तमिलनाडु	115	115
92.	नेटमैजिक सोल्युशन्स (पी.) लि.	कर्नाटक	2	2
		महाराष्ट्र	55	55
		तमिलनाडु	3	3
93.	नेटलिंक्स लि.	आंध्र प्रदेश	3828	3839
94.	नेक्स्टजेन कम्युनिकेशन्स लि. (आरपीजी इंफोटेक लि.)	तमिलनाडु	10	10
95.	नेक्स्ट्रा टेलीसर्विसिज प्रा. लि.	दिल्ली	126	126
		हरियाणा	40	40
		उत्तर प्रदेश	72	72
96.	निहार इंटरेट सर्विसिज (पी.) लि.	उत्तर प्रदेश	122	122
97.	निव्याह इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम सर्विसिज (सॉफ्टइंग कम्प्यूटर प्रा. लि.)	छत्तीसगढ़	426	426
98.		महाराष्ट्र	27735	27735
		पंजाब	360	360
99.	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लि.	आंध्र प्रदेश	92	92

1	2	3	4	5
		असम	2	2
		बिहार	678	678
		दिल्ली	3511	3511
		गुजरात	897	897
		हरियाणा	1863	1863
		हिमाचल प्रदेश	219	219
		झारखंड	193	193
		केरल	13	13
		महाराष्ट्र	1835	1835
		मणिपुर	89	89
		ओडिशा	72	72
		पंजाब	442	442
		राजस्थान	888	888
		तमिलनाडु	88	88
		उत्तर प्रदेश	1714	1714
		उत्तराखंड	514	514
		पश्चिम बंगाल	1246	1246
100.	नार्थ ईस्ट डाटज़ नेटवर्क प्रा. लि.	कर्नाटक	1421	1421
101.	नोवानेट लि.	महाराष्ट्र	36	36
102.	जोएसिस केबल प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	28	83
103.	ऑप्टो नेटवर्क प्रा. लि.	दिल्ली	0	0
104.	ओर्टेल कम्युनिकेशन्स लि.	आंध्र प्रदेश	1789	1789
		छत्तीसगढ़	2916	2916
		ओडिशा	43951	43951
		पश्चिम बंगाल	2094	2094

1	2	3	4	5
105.	पैसिफिक इंटरनेट इंडिया प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	0	27
		दिल्ली	0	62
		हरियाणा	0	37
		कर्नाटक	0	104
		महाराष्ट्र	0	237
		तमिलनाडु	0	12
		पश्चिम बंगाल	0	4
106.	पैन इंडिया नेटवर्क इंफ्रावेस्ट प्रा. लि.	महाराष्ट्र	0	0
107.	पाइपटेल को कम्युनिकेशन प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	2	3
		दिल्ली	0	0
		गुजरात	0	0
		हरियाणा	0	0
		कर्नाटक	4	4
		केरल	0	0
		महाराष्ट्र	74	78
		पंजाब	0	0
		तमिलनाडु	3	4
		उत्तर प्रदेश	0	0
		पश्चिम बंगाल	0	0
108.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आंध्र प्रदेश	1	1
		असम	3	3
		दिल्ली	6	6
		हरियाणा	2	2
		हिमाचल प्रदेश	1	1
		जम्मू और कश्मीर	1	1
		कर्नाटक	2	2

1	2	3	4	5
		केरल	1	1
		महाराष्ट्र	4	4
		मणिपुर	0	0
		मेघालय	2	2
		ओडिशा	1	1
		तमिलनाडु	1	1
		त्रिपुरा	1	1
		पश्चिम बंगाल	1	1
109.	प्राइमनेट ग्लोबल लिमिटेड	दिल्ली	22	22
		हरियाणा	30	30
		महाराष्ट्र	182	182
		उत्तर प्रदेश	3	3
110.	पल्स टेली सिस्टम प्रा. लि.	तमिलनाडु	42	42
111.	क्यूबीसी इनफोटेक प्रा. लि.	महाराष्ट्र	139	139
112.	क्वाडरेंट्स टेलीवेंचर्स लि. (एचएफसीएल)	पंजाब	102692	110536
113.	क्वेस्ट कन्सलटेंसी प्रा. लि.	गुजरात	3000	3000
114.	क्विक ऑनलाइन प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	59	59
115.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दिल्ली	2840	2840
116.	रेनबो कम्युनिकेशनस (इंडिया)	तमिलनाडु	197	197
117.	राजधानी टेलीकॉम प्रा. लि.	असम	444	450
118.	राजेश मल्टीचैनल प्रा. लि.	महाराष्ट्र	14777	14777
119.	राजेश पटेल नेट सर्विस प्रा. लि.	मध्य प्रदेश	2069	2069
120.	रिच नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	3	3
		दिल्ली	2	2
		गुजरात	1	2
		हरियाणा	3	3

1	2	3	4	5
		कर्नाटक	4	4
		महाराष्ट्र	10	10
		तमिलनाडु	3	4
		उत्तर प्रदेश	5	5
		पश्चिम बंगाल	1	1
121.	रेडीलिंक इंटरनेट सर्विसेस प्रा. लि.	तमिलनाडु	288	744
122.	रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	16530	618455
		अरुणाचल प्रदेश	0	201
		असम	7	2504
		बिहार	70	620244
		छत्तीसगढ़	53	10965
		दिल्ली	10552	435502
		गुजरात	30758	256938
		हरियाणा	2976	82400
		हिमाचल प्रदेश	49	34037
		जम्मू और कश्मीर	18	19
		झारखंड	79	5851
		कर्नाटक	13592	430631
		केरल	7709	214792
		मध्य प्रदेश	7525	356458
		महाराष्ट्र	32948	1037561
		मणिपुर	0	23
		मेघालय	0	163
		मिजोरम	0	205
		नागालैंड	0	158

1	2	3	4	5
		ओडिशा	186	54546
		पंजाब	10252	135165
		राजस्थान	5590	141196
		मिलनाडु	23856	684651
		त्रिपुरा	0	214
		उत्तर प्रदेश	10303	828341
		पश्चिम बंगाल	6765	288052
123.	रिलायंस विनमैक्स लि. (गेटवे)	दिल्ली	0	0
124.	रिडा कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	0	225
125.	आर.एस. नेटकॉम प्रा. लि.	नागालैंड	56	56
126.	एस.एस. नेटकॉम प्रा. लि.	नागालैंड	321	362
127.	सैब इनफोटेक (सैब इंडस्ट्रीज)	हरियाणा	7	7
		हिमाचल प्रदेश	38	38
		पंजाब	83	158
128.	संचार टेलीनेटवर्क प्रा. लि.	गुजरात	1631	1631
129.	सनयोग नेटवर्क्स प्रा. लि.	त्रिपुरा	2	150
130.	श्री ओमकार इनफोटेक प्रा. लि.	महाराष्ट्र	2065	2065
131.	श्री विनयागा इंटरनेट प्रा. लि.	तमिलनाडु	15	65
132.	श्याम इंटरनेट सर्विसेस लि.	राजस्थान	4011	20267
133.	सिफी टेक्नोलोजिस लि.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	2286	4116
		अरुणाचल प्रदेश	0	0
		असम	992	1408
		बिहार	1769	2444
		छत्तीसगढ़	80	110
		दिल्ली	5085	7144

1	2	3	4	5
		गुजरात	1318	1972
		हरियाणा	797	929
		हिमाचल प्रदेश	34	41
		जम्मू और कश्मीर	274	352
		झारखंड	284	337
		कर्नाटक	2293	3253
		केरल	313	423
		मध्य प्रदेश	232	493
		महाराष्ट्र	7811	10614
		मणिपुर	1	1
		मेघालय	0	6
		मिजोरम	7	11
		नागालैंड	12	31
		ओडिशा	1197	2180
		पंजाब	297	615
		राजस्थान	263	418
		तमिलनाडु	1786	2704
		त्रिपुरा	119	131
		उत्तर प्रदेश	1049	1527
		उत्तराखंड	431	502
		पश्चिम बंगाल	1496	2915
134.	सिक्का ब्रॉडबैंक (प्रा.) लि. (गोमती)	उत्तर प्रदेश	285	324
135.	सिलीगड़ी इंटरनेट एंड केबली टी.वी. प्रा. लि.	पश्चिम बंगाल	3484	3484
136.	सिसम टेक्नोलॉजिस प्रा. लि0	दिल्ली	0	0
137.	स्मार्ट लिंक ब्रॉडबैंड सर्विसस	महाराष्ट्र	0	0
138.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ	दिल्ली	448	448

1	2	3	4	5
139.	साउदर्न ऑन लाइन	आंध्र प्रदेश	9994	13061
140.	स्पेसनेट इंटरनेट सर्विसिस प्रा. लि.	दिल्ली	4057	4057
141.	स्पेक्ट्रा आईएसपी नेटवर्क्स प्रा. लि. (पुंजलॉयड)	आंध्र प्रदेश	1	1
		दिल्ली	204	204
		गुजरात	0	0
		हरियाणा	30	30
		हिमाचल प्रदेश	0	0
		कर्नाटक	40	40
		महाराष्ट्र	29	29
		पंजाब	0	0
		राजस्थान	0	0
		तमिलनाडु	65	65
		उत्तर प्रदेश	89	89
		पश्चिम बंगाल	0	0
142.	स्पेक्ट्रम सॉफ्टेक सॉल्यून प्रा.	केरल	1	1
143.	स्पीड ऑनलाइन प्रा. लि.	गुजरात	423	1073
144.	स्टार ब्रॉडबैंड सर्विस (I) प्रा. लि.	दिल्ली	1200	1200
		हरियाणा	27	27
		उत्तर प्रदेश	26	26
145.	एसटीएन कम्यूनिकेशन एंड एडवरटाइजिंग	असम	6	6
146.	स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा.	गुजरात	0	0
147.	स्विफ्टमेल कम्यूनिकेशनल लि.	छत्तीसगढ़	63	81
		दिल्ली	1922	2016
		हरियाणा	306	346
		जम्मू और कश्मीर	65	87
		झारखंड	1	1

1	2	3	4	5
		कर्नाटक	888	914
		केरल	107	107
		मध्य प्रदेश	0	0
		महाराष्ट्र	2	2
		पंजाब	11	19
		राजस्थान	219	219
		तमिलनाडु	10	10
		उत्तर प्रदेश	844	1111
		उत्तराखंड	51	197
		पश्चिम बंगाल	170	187
148.	सिमबोसिस क्रियशन प्रा. लि.	नागालैंड	2443	2443
149.	सिसकॉन इनफोवे प्रा. लि.	महाराष्ट्र	72210	84525
150.	तरंग कम्युनिकेशन प्रा. लि.	असम	82	82
151.	टाटा टेलीकम्युनिकेशंस प्रा.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	8988	9350
		अरुणाचल प्रदेश	7	7
		असम	11	29
		बिहार	58	79
		छत्तीसगढ़	6	6
		दिल्ली	6597	12283
		गुजरात	9967	10213
		हरियाणा	1568	1682
		हिमाचल प्रदेश	29	29
		जम्मू और कश्मीर	32	32
		झारखंड	25	28
		कर्नाटक	15483	18863

1	2	3	4	5
		केरल	4868	5783
		मध्य प्रदेश	452	493
		महाराष्ट्र	27528	44932
		मणिपुर	0	0
		मेघालय	1	1
		मिजोरम	0	0
		नागालैंड	0	0
		ओडिशा	48	75
		पंजाब	1015	1372
		राजस्थान	440	502
		तमिलनाडु	9095	13824
		त्रिपुरा	0	0
		उत्तर प्रदेश	4419	4602
		उत्तराखंड	58	152
		पश्चिम बंगाल	8275	12911
152.	टाटा इंटरनेट सर्विसेस लि.	दिल्ली	0	0
153.	टाटा टेलीसर्विससे लि.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	11797	11797
		अरुणाचल प्रदेश	0	0
		असम	26	26
		बिहार	94	94
		छतीसगढ;	55	55
		दिल्ली	1265	1265
		गुजरात	1339	1339
		हरिणा	118	118
		हिमाचल प्रदेश	36	36

1	2	3	4	5
		जम्मू और कश्मीर	9	9
		उत्तराखंड	164	164
		कर्नाटक	3612	3612
		केरल	200	200
		मध्य प्रदेश	338	338
		महाराष्ट्र	0	0
		मणिपुर	0	0
		मेघालय	0	0
		मिजोरम	0	0
		नागालैंड	0	0
		ओडिशा	200	200
		पंजाब	599	599
		राजस्थान	185	185
		तमिलनाडु	1483	1483
		त्रिपुरा	0	0
		उत्तर प्रदेश	116	116
		उत्तराखंड	51	51
		पश्चिम बंगाल	1220	1220
154.	टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लि.	महाराष्ट्र	87718	87718
155.	टाटा नेट सर्विसेज लि.	महाराष्ट्र	186	186
156.	तिकोना डिजिटल नेटवर्क्स प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	21549	21549
		छत्तीसगढ़	1018	1018
		दिल्ली	23214	23214
		गुजरात	31560	31560
		हरियाणा	8584	8584
		कर्नाटक	28726	28726

1	2	3	4	5
		केरल	0	0
		मध्य प्रदेश	15678	15678
		महाराष्ट्र	100789	100789
		ओडिशा	0	0
		राजस्थान	1349	1349
		तमिलनाडु	19174	19174
		उत्तर प्रदेश	21929	21929
		पश्चिम बंगाल	9520	9520
157.	तिकोना इनिफिनेट लि. (एचसीएल इनिफिनेट लि.)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	39	112
		अरुणाचल प्रदेश	0	0
		असम	4	26
		बिहार	8	31
		छत्तीसगढ़	5	15
		दिल्ली	76	155
		गुजरात	45	115
		हरियाणा	56	81
		हिमाचल प्रदेश	0	0
		जम्मू और कश्मीर	0	0
		झारखंड	0	0
		कर्नाटक	81	142
		केरल	12	53
		मध्य प्रदेश	17	63
		महाराष्ट्र	189	335
		मणिपुर	0	0
		मेघालय	0	0

1	2	3	4	5
		मिजोरम	0	0
		नागालैंड	0	0
		ओडिशा	5	17
		पंजाब	46	91
		राजस्थान	18	146
		तमिलनाडु	104	197
		त्रिपुरा	0	0
		उत्तर प्रदेश	51	103
		उत्तराखंड	22	27
		ओडिशा	46	83
158.	टचनेट इंडिया प्रा. लि.	हरियाणा	1157	1228
159.	ट्रेक ऑनलाइन नेट इंडिया प्रा. लि.	दिल्ली	0	0
161.	ट्रूस वर्चअल प्रा. लि.	असम	116	116
162.	ट्राइकोन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	महाराष्ट्र	0	0
163.	तुलिप टेलीकॉप लि. (तुलिप आईटी सर्विसे लि.)	अंडमान और निकाबोर द्वीपसमूह	0	0
		आंध्र प्रदेश	10	10
		अरुणाचल प्रदेश	0	0
		असम	2	2
		बिहार	0	0
		छत्तीसगढ़	0	0
		दिल्ली	8	9
		गुजरात	8	8
		हरियाणा	2	2
		हिमाचल प्रदेश	0	0
		जम्मू और कश्मीर	1	2
		झारखंड	0	0

1	2	3	4	5
		कर्नाटक	7	7
		केरल	0	0
		मध्य प्रदेश	1	1
		महाराष्ट्र	11	13
		मणिपुर	0	0
		मेघालय	0	0
		मिजोरम	0	0
		नागालैंड	0	0
		ओडिशा	0	0
		पंजाब	0	1
		राजस्थान	3	3
		तमिलनाडु	7	8
		त्रिपुरा	1	1
		उत्तर प्रदेश	5	5
		उत्तराखंड	3	4
		ओडिशा	10	10
164.	यूनाइटेड टेलीकॉम लि.	महाराष्ट्र	449	449
165.	अरबन कम्यूनिकेशंस	महाराष्ट्र	0	0
166.	वैनवी इंडस्ट्रीज लि.	आंध्र प्रदेश	200	200
167.	वैल्यू हेलकेयर लि.	महाराष्ट्र	1941	1 9 4 1
168.	वेसाय केबल प्रा. लि.	महाराष्ट्र	13444	13444
169.	वीकेयर कॉल सेंटरस इंडिया प्रा. लि.	दिल्ली	14	14
170.	वेरीजन कम्यूनिकेशंस लि. वर्ल्डकॉम कम्यूनिकेशंस)	दिल्ली	1	1
		गुजरात	2	2
		हरियाणा	8	8
		कर्नाटक	18	18
		महाराष्ट्र	64	64

1	2	3	4	5
		तमिलनाडु	10	10
		उत्तर प्रदेश	3	3
171.	वरगो ग्लोबल मेडिया लि. (ऑलाइन)	आंध्र प्रदेश	1	1
172.	विश्वशक्ति टेक्नोलोजिज प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	5	5
173.	वीवा कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	छत्तीसगढ़	1	1
	(मिलाई कारपंगामबल इनफोर्मेशन सिस्टम (पी) लि.)	कर्नाटक	1	1
		महाराष्ट्र	2	2
		ओडिशा	5	5
		तमिलनाडु	3	3
		पश्चिम बंगाल	12	12
174.	वोडाफोन स्पेसटेल लि.	आंध्र प्रदेश	35	35
		असम	7	7
		बिहार	9	9
		छत्तीसगढ़	17	17
		दिल्ली	34	34
		गुजरात	69	69
		हरियाणा	40	40
		हिमाचल प्रदेश	3	3
		जम्मू और कश्मीर	2	2
		कर्नाटक	50	50
		केरल	2	2
		कहाराष्ट्र	147	147
		नागालैंड	0	0
		ओडिशा	29	29
		पंजाब	31	31
		राजस्थान	49	49
		तमिलनाडु	98	98

1	2	3	4	5
		उत्तर प्रदेश	28	28
		पश्चिम बंगाल	78	78
175.	वान एंड लैन इंटरनेट प्रा. लि.	महाराष्ट्र	1328	1328
176.	पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिक्स इनडस्ट्रीज	पश्चिम बंगला	27	27
177.	वायर एंड वायरलेस इंडिया प्रा.	दिल्ली	44	44
178.	विश नेट प्रा. लि.	पश्चिम बंगाल	14834	14834
179.	वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसज प्रा. लि.	बिहार	21	21
		दिल्ली	147	147
		गुजरात	3	3
		हरियाणा	13	13
		उत्तर प्रदेश	31	31
180.	याशाश केबल नेटवर्क प्रा. लि.	कर्नाटक	1646	1646
182.	यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्रा. लि.	आंध्र प्रदेश	59513	70741
		दिल्ली	0	0
		गुजरात	102249	126144
		हरियाणा	9451	10754
		कर्नाटक	11690	12490
		महाराष्ट्र	95873	102937
		तमिलनाडु	16915	18809
183.	जायलॉग सिस्टम (इंडिया) लि.	आंध्र प्रदेश	8607	8685
		गुजरात	2395	2869
		हरियाणा	568	595
		कर्नाटक	3238	3675
		पंजाब	4749	5347
		राजस्थान	1339	1467
		तमिलनाडु	18454	21572
	कुल		4016281	10290985

विवरण-II

31.01.2013 तक बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का सर्किल बार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (31.01.2013 तक)
1	2	3
बीएसएनल		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6748
2.	आंध्र प्रदेश	1025130
3.	असम	92957
4.	बिहार	107969
5.	छत्तीसगढ़	98790
6.	गुजरात	653876
7.	हरियाणा	298857
8.	हिमाचल प्रदेश	88036
9.	जम्मू और कश्मीर	74382
10.	झारखंड	101861
11.	कर्नाटक	1093233
12.	केरल	976161
13.	मध्य प्रदेश	339239
14.	महाराष्ट्र	952468
15.	पूर्वोत्तरत-I	37440
16.	पूर्वोत्तरत-II	20142
17.	ओडिशा	193615
18.	पंजाब	573087
19.	राजस्थान	449364
20.	तमिलनाडु	876785
21.	उत्तराखंड	94083
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	346561
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	242879
24.	पश्चिम बंगाल	163291
25.	कोलकाता	367594
26.	चेन्नै	646591
एमटीएनएल		
1.	दिल्ली	509284
2.	मुंबई	590187

विवरण-III

1. यूएसओएफ द्वारा शुरू की गई/सुनियोजित: ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीमें

मौजूदा ग्रामीण एक्सजेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने ग्रामीण वायरलाईन ब्रॉडबैंड स्कीम के अन्तर्गत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड सृजन कार्य में सेवा प्रदाताओं को सहज और सुकर मार्ग प्रदान करके ग्रामीण और दूरस्थ ब्रॉडबैंड का मार्ग प्रशस्त करना है।

प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति निर्धारित स्तर पर डाटा, वाइस और वीडियो सेवाओं का वितरण करने संबंधी क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम 512 केबीपीएल रहेगी। ग्रामीण ब्रॉडबैंड संयोजकता में गांवों में अवस्थित संस्थागत प्रयोकता यथा ग्राम पंचायतें, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और वैयक्तिक प्रयोकता कवर होंगे।

इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक बीएसएनएल द्वारा एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथ 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह राज-सहायता संवितरण (i) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरण

और (ii) ब्रॉडबैंड सेवा की सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना करने के लिए के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित राज-सहायता 1,500/- करोड़ रुपये की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्रामक परिसर उपस्करों, कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए राज-सहायता भी शामिल है।

2. सामान्य अवसंरचनागत संवर्धन

ग्रामीण ट्रैफिक की बैकहोलिंग के लिए अंतराजिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन करना। इस संबंध में निम्नलिखित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीइमें शुरू की गई हैं:

- **असम में अंतराजिला एसडीएचक्यू-डश्रीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन करना**–इसके कार्यान्वयन के लिए सबसे पहले असम राज्य को चुना गया है। असम में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दी गई निविदा के निष्कर्ष के अनुसार बीएसएनएल ने 98. 89 करोड़ रुपये के सहायकी कोटेशन पर सफल बोलीदाता की घोषणा की है और इसके बाद इस संबंध में उनके साथ 12.02.2010 को एक करार पर हस्ताक्ष्रर किए गए हैं। इस ओएफसी स्कीम को असम राज्य के कुल 27 जिलों में कुल 354 अवस्थितियों से जोड़ा जाएगा। यह करार प्रभावी तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक वैध होगा। इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत असम क्षेत्र में ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22 प्रतिशत से कम की दरों पर, इालसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

- पूर्वोत्तर-1 सर्किल (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को मिलाकर) **में अंतराजिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन**-इस स्कीम में ओएफसी का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य को लिया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु दी गई निविदा के निष्कर्ष के अनुसार मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 89.50 करोड़ रुपये के सहायकी कोटेशन पर सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 24 महीनों के भीतर 19 जिलों में 188 स्थानों को कनेक्ट करेगी। इस संबंध में दिनांक 16.01.2012 को रेलटेल के साथ करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह करार इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 8 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यूएसओएफ 89.50/- करोड़ रुपये की राज सहायता प्रदान करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत, ओएफसी बिछाने का कार्य अभी शुरू किया जाना है। इस स्कीम के तहत सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 12 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

- पूर्वोत्तर-1 सर्किल (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को मिलाकर) **में अंतराजिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सृजन और प्रबंधन**-इस स्कीम में ओएफसी का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य को लिया गया है इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु दी गई निविदा के निष्कर्ष के अनुसार मैसर्स रेलटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 289.50 करोड़ रुपये के सहायकी कोटेशन पर सफल बालीदाता घोषित किया गया है। यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर 30 जिलों के 407 स्थानों को कनेक्ट करेगी। यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर 30 जिलों के 407 स्थानों को कनेक्ट करेगी। यह करार, करार पर हस्ताक्षर होने का तारीख अर्थात् 16.01.2012 से 8 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। इस स्कीम के तरह सृजित रियायती बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 27 प्रतिशत से कम की दरों पर, लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के साथ साझा किया जाएगा।

- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)-इस समय ऑप्टिकल फाइबर मुख्यत: राज्य की राजधानी, जिलों और ब्लॉकों तक पहुंच चुका है। एनओएफएन की यह योजना है कि ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच संयोजकता अंतराल को भरने के प्रयोजनार्थ जहां कहीं आवश्यक हो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बीएसएनएल, रेलटेल और पॉवर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों के ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके तथा संवृद्धिकृत फाइबर बिछाकर देश की सभी 2,50,000

पंचायतों को ब्रॉडबैंड संयोजकता प्रदान की जाए। संवृद्धिक नेटवर्क की लंबाई लगभग 5 लाख किलोमीटर है इस प्रकार सृजित डार्क फाइबर नेटवर्क को समुचित प्रौद्योगिकी द्वारा इस आशय के साथ रोशन किया जाएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कम-से-कम 100 एमबीपीएस पर बैंडविड्थ सुनिश्चित हो। ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-सुशासन आदि के लिए विभिन्न अनुप्रयोग किए जाएंगे। इस परियोजना को यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपये है।

इस नेटवर्क तक गैर-भेदभाव मूलक अभिगम सभी सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों को उपलब्ध कराया जाएगा। मोबाइल प्रचालक, इंटरनेट सर्विस प्रदाता, केबल टीवी प्रचालक विषय सामग्री प्रदाता जैसे अभिगम प्रदाता/सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं शुरू कर सकते हैं। इस परियाजना को एक विशेष प्रयोजन कंपनी नाकत: भारत ब्रॉडबैंड लिमिटेड (बीबीएनएल) जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1936 के तहत 25.02.2012 को निगमित किया गया है, के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्पेक्ट्रम की कमी

3762. डॉ. संजय सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री ताराचन्द्र भगोरा:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्पेक्ट्रम की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इन कदमों से सरकार को क्या सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या कुछ दूरसंचार प्रचालकों ने सशस्त्र सेनाओं के साथ स्पेक्ट्रम विनिमय सौदे के प्रयोजनार्थ सरकार से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सशस्त्र सेनाओं के पास कितनी मात्रा में स्पेक्ट्रम उपलब्ध है; और

(च) दूरसंचार प्रचालकों के अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) ऐतिहासिक रूप से, स्पैक्ट्रम को, विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स में विभिन्न प्रयोगों हेतु, रक्षा सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों को आवंटित किया गया था। इसलिए, आईएमटी बैंड्स में स्पैक्ट्रम की कमी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को एक अधिकार प्राप्त मंत्री (ईजीओएम) समूह का गठन किया गया था जिसके विचारार्थ विषयों में, अन- य बातों सहित, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाविधि के अनुरूप अन्य सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम को रिक्त करने हेतु स्पैक्ट्रम दक्ष्‍ज्ञ डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण को शीघ्र लागू करने हेतु उपाय सुझाने के लिए, राष्ट्रीय हित में, देश में मोबाइल टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड क्षेत्रों के विकास के लिए समयबद्ध तरीके से रक्षा, अंतरिक्ष, अर्ध-सैनिक बलों आदि जैसे मौजूदा बड़े प्रयोक्ताओं द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त स्पैक्ट्रम रिक्त करने हेतु उपाय सुझाना शामिल था।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) में अन्य बातों के साथ, दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने हेतु स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए, समय-समय पर, सेवा प्रदाताओं को वैकल्पिक बैंड्स या मीडिया आवंटित और रिफार्म करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, स्पैक्ट्रम को लाइसेंसों से अलग किया गया है और बाजार-जनित निर्धारित क्रियाविधि को नीलामी की मार्फत सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(घ) से (च) कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने कुछ सेवा क्षेत्रों में अपने मोबाइल नेटवर्कों में हस्तक्षेप किए जाने के बारे में सूचित किया है। ऐसे सेवा क्षेत्रों में वैकल्पिक फ्रीक्वेंसी को समन्वित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्पैक्ट्रम की पहचान की गई है जोकि सेवा क्षेत्रवार अलग-अलग है।

प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

3763. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अर्जुन राय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2009 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त 54 प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आगे कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार सरकार अधिकतम तीन महीनों में ऐसी अनुमति प्रदान कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेश की अनदेखी की गई है; और

(च) यदि हां, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सरकार द्वारा मामले-वार कितनी अवधि का समय लिया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) वर्ष 2009 से फरवरी, 2013 तक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन के लिए संस्वीकृति हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को 3413 अनुरोध किए। इनमें से 3004 अनुरोधों के संबंध में संस्वीकृति प्राप्त हुई तथा 232 अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए।

(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के केस में दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के अपने अधिनिर्णय द्वारा निदेश दिया है कि "अभियोजन के लिए संस्वीकृति प्रदान करने हेतु तीन माह की समय-सीमा का सख्ती से अनुपालन किया जाए। तथापि, एक माह के अतिरिक्त समय की अनुमति उस मामले में दी जा सकती है जहां महान्यायवादी (एजी) अथवा एजी कार्यालय के किसी विधि अधिकारी के साथ परामर्श किया जाना अपेक्षित हो।"

(घ) अभियोजन हेतु संस्वीकृति प्रदान करने में विलंब से बचने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 6.11.2006 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 399/33/2006-एवीडी-III द्वारा और तत्पश्चात् 20.12.2006 के एक अन्य कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिनमें लोक सेवकों के अभियोजन हेतु सीबीआई से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक चरण में निश्चित समय सीमा के लिए प्रावधान किए गए हैं।

भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित मंत्री समूह (जीओएम) ने भी अपनी प्रथम रिपोर्ट में लोक सेवकों के अभियोजन की संस्वीकृति हेतु अनुरोधों के त्वरित निपटान के लिए कुछ संस्तुतियां की थीं, जिनमें शामिल थीं–तीन माह के भीतर ऐसे मामलों पर निर्णय करना, संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव के स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी करना, मंत्रिमंडल सचिव को रिपोर्ट सौंपना तथा संस्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अस्वीकृति की स्थिति में सात दिनों के भीतर अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचनार्थ रिपोर्ट सौंपना (जहां सक्षम प्राधिकारी मंत्री हों, वहां ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाती है)। जीओएम की उक्त संस्तुति को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया है तथा 3 मई, 2012 को सरकार ने निदेश जारी कर दिए हैं।

सरकार ने 20 जुलाई, 2012 को एक और अनुदेश जारी किया जिसमें स्पष्टीकरणों/पुनर्विचारण हेतु सीबीआई/सीवीसी के साथ बार-बार पत्राचार से बचना और अपनायी जा रही प्रक्रिया से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 03.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथासंशोधित दिनांक 06.11.2006 एवं 20.12.2006 के कार्यालय ज्ञापनों में समाविष्ट अनुदेशों को सख्ती से अनुपालन करने की पुनः सलाह दी गई थी।

(ङ) सीबीआई द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इसे 3 माह की अवधि के भीतर 3004 अनुरोधों में से 2453 अनुरोधों के संबंध में संस्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं तथा शेष 581 अनुरोध 3 माह पश्चात् प्राप्त हुए थे।

अनेक बार निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करना संभव नहीं होता। कुछ मामलों में अभियोजन की संस्वीकृति प्रदान करने के विलंब अधिकांशतः भारी-भरकम केस रिकॉर्डों एवं साक्ष्य की विस्तृत जांच एवं विश्लेषण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करने तथा अनेक बार संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण होता है।

(च) ऐसे आंकड़ों को केंद्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौते

3764. श्री प्रदीप माझी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में रूस मे साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौतों की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों के बीच किस सीमा तक व्यापार में बढ़ोत्तरी हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां।

रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमिर वी पुतिन ने 13वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (24 दिसम्बर, 2012) के लिए नई दिल्ली की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारतीय पक्ष के साथ विविध प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की। इन बैठकों के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों, विशेष्ज्ञ रूप से ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन की व्यापक समीक्षा की।

रक्षा सहयोग के संबंध में दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि विभिन्न संयुक्त अभिकल्पन, विकास तथा उत्पादन परियोजनाओं में अच्छी प्रगति हो रही है।

ऊर्जा सहयोग के संबंध में, रूसी पक्ष को आपकी निवेश एवं संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देकर सहयोग को प्रगाढ़ बनाने में भारतीय हितों के बारे में सूचित किया गया है।

दोनों नेताओं ने भारत तथा रूस में भारत-रूस संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों के प्रचालन का स्वागत किया जिससे नैनो प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा तथा सुपर कम्प्यूटिंग के सहित उदीयमान, प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यकरण में सहायता मिलेगी।

आर्थिक विकास के संबंध में यह स्वीकार किया गया था कि वर्ष 2012 में द्वितीय व्यापार में वृद्धि हुई थी। तथापि, भेषज, उर्वरक, खनन, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, नागर विमानन, दूर संचार, अवस्थापना, खाद्य प्रसंस्करण, नवाचार एवं सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अभी-अभी कुछ क्षमताओं का उपयोग नहीं किया गया है जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा दोनों पक्षों ने शिखर सम्मेलन में "आपसी लाभ तथा बेहतर विश्व के लिए सहभागिता" नामक संयुक्त अंगीकृत किया। इस यात्रा के दौरान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार संबंधी समझौता ज्ञापन, प्रत्यक्ष निवेश, संवर्धित करने के लिए समझौता ज्ञापन, 71 एमआई-17वी-5 हैलिकाप्टरों की सुपुर्दगी तथा एसयू, 30 एमकेआई, विमानों के लाइसेन्सशुदा उत्पादन के लिए 42 प्रौद्योगिकीय किटों के लिए संविदाओं, बीएसएनएल/एमटीएनएल तथा एनआईएस, ग्लोनास के बची एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन के साथ-साथ कुछ और गैर-सरकारी क्षेत्रों में निविदाओं सहित 10 दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) वार्षिक शिखर संरचनाओं के अलावा भारत-रूस अंतर सरकारी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग आयोग तथा भारत-रूस व्यापार एवं निवेश संघ ने वार्षिक बैठक की तथा इनमें अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश प्राप्ति को संवर्धित करने के विशेष उद्देश्यों सहित विगत में सम्पन्न द्विपक्षीय करारों के कार्यान्वयन तथा विभिन्न वर्तमान व्यवस्थाओं की सूरक्षा की गई थी। अंतर-सरकारी आयोग ने दोनों पक्षों के विभिन्न मंत्रालयों का व्यापक प्रतिनिधित्व है। आंकड़ों के रूप में भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार 2012 में पहली बार 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया था जिसमें चुनौतिपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिवेश के बावजूद 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

नवोदय विद्यालयों का कार्यकरण

3765. श्री नरेनभाई काछादिया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस समीक्षा के दौरान क्या कमियां पाई गई;

(ग) इन विद्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का देश में विशेषकर देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में अवसंरचना विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ और श्री वाईएन चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों में जवाहर नवोदय विद्यालयों के सभी संगठनात्मक पहलुओं जैसे प्रवेश, विद्यार्थियों का निष्पादन, गति निर्धारित भूमिका और अन्य प्रबंधन मामलों को शामिल किया गया था। इन समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों पर समय-समय पर विचार किया गया था, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तंत्र निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता

में कार्यकारी समिति और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सतत आधार पर इसके कार्यकरण की समीक्षा भी की जाती है।

(ग) जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यकरण में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। स्कूल की अच्छी अवसंरचना, विद्यार्थियों के लिए भोजन, कपड़े, चिकित्सा सहायता, खेल के मैदान आदि को सुनिश्चित करने के लिए अच्छे प्रयास किए जाते हैं। इन संयुक्त कारकों के कारण वर्षों के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र लगातार प्रतिभाशाली कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) स्थाई/अस्थाई भवनों से कार्य कर रहे सभी 586 कार्यात्मक नवोदय विद्यालय अपने सुचारू कार्यकरण के लिए आवश्यक अवसंरचना से सुसज्जित हैं। इसे सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय की किसी भी सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

एयर इंडिया उड़ान सेवा

3766. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री मुरारी लाल सिंह:
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया देश के सभी प्रचालनरत विमानपत्तनों से उड़ानों का संचालन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में महानगरों को जोड़ने के लिए लघु विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों/मार्गों की पहचान की गई है और उक्त सेवा के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में विमान सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। इस समय एअर इंडिया भारत में 59 मंतव्यों से/के लिए उड़ानें प्रचालित कर रही है। ब्यौरा विरण के रूप में संलग्न है। एयरलाइनें सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार देश में कहीं भी अपनी सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के दृष्टिगत मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारिए किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

विवरण

घरेलू स्टेशन (ऑनलाइन) एअर इंडिया (इअर इंडिया एक्सप्रेस को छोड़कर)
08 मार्च, 2013 को

उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी
1	2	3	4
आगरा	अहमदाबाद	अगाती	अगरतला
अमृतसर	औरंगाबाद	बंगलौर	आइजल
इलाहाबाद	गोवा	चेन्नई	बागडोगरा

1	2	3	4
भोपाल	इंदौर	कोयम्बटूर	भुवनेश्वर
चंडीगढ़	जामनगर	हैदराबाद	डिब्रुगढ़
देहरादून	मुम्बई	कोच्चि	दीमापुर
दिल्ली	नागपुर	कोजीकोड	गया (मौसमी)
ग्वालियर	गुणे	मदुरै	गुवाहाटी
जयपुर	राजकोट		
ग्वालियर	पुणे		
जयपुर	राजकोट	मंगलौर	इम्फाल
जबलपुर	सूरत	त्रिवेन्द्रम	कोलकाता
जम्मू	वड़ोदरा	तिरूपति	पटना
जोधपुर		विशाखपत्तनम	पोर्ट ब्लेयर
कानपुर		विजयवाड़ा	रांची
खजहुराहो			सिलचर
लेह			
लखनऊ			
लुधियाना			
रायपुर			
श्रीनगर			
उदयपुर			
वाराणसी			
21	11	13	14

नागर विमानन क्षेत्र का राजस्व

3767. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में क्षेत्र-वार कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित हुआ है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे इस क्षेत्र के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कदम हैं:

(i) घरेलू अनुसूचित वाहकों में विदेशी एयरलाइनों द्वारा उनकी प्रदत्त पूंजी के 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) प्रचालनिक लागत को कम करने के लिए वास्तविक प्रयोग आधार पर एटीएफ की अनुमति।

(iii) सरकार ने अंतरराष्ट्रीय संपर्कता को संवर्धित करने के दृष्टिगत 109 देशों के साथ विमान सेवा करार किए हैं।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालकों को उनके स्वामित्व वाली हवाईअड्डा भूमि/स्थान के इष्टतम प्रयोग द्वारा राजस्व में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) नागर विमानन क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि से संबंधित आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

वाउचर प्रणाली

3768. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्पोरेट क्षेत्र ने विद्यालय शिक्षा में वाउचर प्रणाली और अधिकाधिक निजी भागीदारी अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्राइवेट विद्यालयों के विस्तार से बुनियादी शिक्षा में खामियों को दूर किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) कुछ संगठनों/मीडिया लेखों द्वारा समय-समय पर एक ऐसी वाउचर प्रणाली अपनाने के सुझाव दिए गए हैं जिसमें सरकार बच्चों को उनकी पसंद के निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए वाउचर प्रदान करे। हाल ही में पास-पड़ोस के स्कूल में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू किया गया है ताकि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए कक्षा-I अथवा प्राथमिक पूर्व, जैसा भी मामला हो, में 25 प्रतिशत दाखिले कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों से संबद्ध बच्चों को देने का प्रावधान है।

सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने बढ़ती हुई स्कूल अवसंरचना में निवेश किया है ताकि देश में 2012-13 में 3,71,264 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हों। स्कूलों तक पहुंच में वृद्धि के कारण आज प्राथमिक शिक्षा का लगभग सार्वभौमिक नामांकन है। सरकार, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरूआती ग्रेड में पठन, लेखन, गणित इत्यादि हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रावधान करती है।

[हिन्दी]

प्रचालकों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

3769. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती रमा देवी:
डॉ. संजय सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों में दूरसंचार प्रचालकों के खिलाफ लंबित सरकारी बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के मामलों का मामले-वार और प्रचालक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में मामले-वार और प्रचालक-वार कुल कितनी धनराशि शामिल है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में अपने पक्ष को मजबूरी से पेश करने के प्रयोजनार्थ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है।

(ग) विधि मंत्रालय द्वारा नामित वकीलों के माध्यम से और आवश्यक होने पर कानून अधिकारियों के परामर्श से विभिन्न सांविधिक न्यायालयों में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख रही है।

स्मारक डाक टिकट

3770. श्री किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संत वीर मेघमाया सहित विभिन्न प्रख्यात हस्तियों के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु राज्य सरकारों/जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इन हस्तियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) संत वीर मेघमाया सहित ऐसी हस्तियों के डाक टिकट कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपरानी किल्ली): (क) जी, हां.

(ख) से (घ) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

स्मारक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर विचार डाक विभाग की फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी)/पीएसी की उप-समिति द्वारा किया जाता है। जो प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं, उन्हें पीएसी/पीएसी की उप-समिति के समक्ष रखा जाता है। स्मारक डाक टिक जारी करने के नियमों के अनुसार समिति प्रस्तावों की जांच करती है और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के विचारार्थ उनकी सिफारिश करती है।

उन हस्तियों की राज्य-वार सूची जिन पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

01.01.2012 से आज की तिथि तक राज्य सरकारों/जन प्रतिनिधियों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

क्र.सं.	हस्तियों के नाम	प्रस्तावक का नाम*	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
		आंध्र प्रदेश	
1.	गुर्जाडा वैंकट अप्पाराव	डॉ. बोचा झांसी लक्ष्मी, एमपी (लोक सभा)	वर्ष 2013 में जारी होने के लिए अनुमोदित
2.	कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण	1. श्री के.एस. राव, एम.पी. (लोक सभा) 2. अरुण कुमार वन्दा वल्ली, एम.पी. (लोक सभा)	विशेष विरूपण के साथ विशेष कवर जारी करने का सुझाव
3.	बी. नागी रेड्डी	श्री जी.के. वासन, पोत परिवहन मंत्री	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
		बिहार	
4.	डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा	बिहार सरकार	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
5.	अमर मुनिजी महाराज	श्री संदीप दीक्षित, एमपी (लोक सभा)	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
6.	सच्चिदानन्द सिन्हा	श्री राम कृपाल यादव, एमपी (राज्य सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की

1	2	3	4
		गुजरात	
7.	महाराज कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर	श्री राजेन्द्र सिंह राणा, एमपी	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
8.	फूलचन्द तम्बोली	श्री विक्रम मादम, एमपी (राज्य सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
9.	जी.जी. जोशी धुमकेतू	श्री पी. रुपाला, एमपी (राज्य सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
10.	मेघमाया	श्री किरीट पी. सोलंकी, एमपी (लोक सभा)	विशेष विरूपण के साथ विशेष कवर जारी करने का सुझाव
		जम्मू और कश्मीर	
11.	वेन. कुशोक बाकुला रिनपोछ	डॉ. करन सिंह, एमपी (राज्य सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
12.	बासवेश्वर	श्री प्रह्लाद जोशी, एमपी (लोक सभा)	नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया
13.	यशोधर्मा दसप्पा	श्री सी.सी. पाटील, मंत्री कर्नाटक सरकार	पीएसी की उप-समिति ने सिफारिश नहीं की
		केरल	
14.	एम. जॉर्ज मुथूट	श्री के. बाबू, उत्पाद-शुल्क एवं पत्तन मंत्री, केरल सरकार	विशेष विरूपण के साथ विशेष कवर जारी करने का सुझाव
15.	मल्लीयूर शंकरन नम्पूथिरी	श्री पी.के. बिजू, एमपी (लोक सभा)	नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया
16.	तकाजी शिवशंकर पिल्लै	श्री के.सी. वेणुगोपाल, ऊर्जा राज्य मंत्री और श्री सुरेश कोडिकुन्नील, एमपी	विशेष विरूपण के साथ विशेष कवर जारी करने का सुझाव
17.	जोसेफ कार्डिनल पारकट्टिल	श्री के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री	विशेष विरूपण के साथ विशेष कवर जारी करने का सुझाव
18.	सच्चिदानंद शिवाभिनव नरसिम्हा भारती महास्वामीजी	डॉ. आर. राजेश्वरन, सीनेट सदस्य, केरल	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
19.	चंगमपुझा कृष्ण पिल्लै	श्री उम्मेन चन्दी मुख्यमंत्री, केरल	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
20.	मैथ्यू एम. कुझीवेली	डॉ. शशि थरूर एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
21.	एडीवी विट्टा जे. मथाई	प्रो. के.वी. थॉमस, उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
		मध्य प्रदेश	
22.	डॉ. भगवान दास माहौर	श्री ओ.पी. गुप्ता, विज्ञापन मंत्री	पीएसी की उप-समिति ने सिफारिश नहीं की
23.	आचार्य राजेन्द्र सुरीश्वर जी महाराज	श्री दिलीप गांधी, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की

1	2	3	4
24.	हुकम चंद नारद	श्री मोती लाल वोरा, एमपी (राज्य सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
25.	ठाकुर निरंजन सिंह	श्री उदय प्रताप सिंह, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
		महाराष्ट्र	
26.	शिवराम हरी राजगुरु	श्री शिवाजी अधलराव पाटील, एमपी (लोक सभा)	वर्ष 2013 में जारी होने के लिए अनुमोदित
27.	तुकदोजी महाराज	श्री हंसराज गंगाराम अहीर, एमपी (लोक सभा)	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
28.	आचार्य आनंद ऋषि	श्री दिलीप गांधी, एमपी (लोक सभा)	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
29.	बाबा जूमदेवजी	श्री प्रफुल्ल पटेल, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री	प्रक्रियाधीन
30.	स्व. केशवराव लक्ष्मणराव दफ्तरी	श्री दत्ता मेघे, एमपी (लोक सभा)	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
31.	सेवादासजी महाराज	विजय दर्डा, एमपी (राज्य सभा)	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रमाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
32.	श्रीमत चौ. प्रताप सिंह महाराज भोंसले	चौ. उद्यन राजे भौंसले, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
33.	बाबा आमटे	श्री सुधीर मनमत्तीवार विधायक, महाराष्ट्र सरकार	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
		पंजाब	
34.	महाराज यादवेंद्र सिंह	श्री तरलोचन सिंह, पूर्व एमपी, पंजाब	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
35.	विंग कमांडर श्री राकेश शर्मा	श्री एल. राजगोपाल, एमपी (लोक सभा)	नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया
		राजस्थान	
36.	श्री रामदन चौधरी (चौकिया)	श्री हरीश चौधरी, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
37.	शहीद गुलाब सिंह लोधा	श्री मनपाल सिंह, परिवहन राज्य मंत्री	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
38.	महर्षि नवल स्वामी जी	श्री कैलाश चन्द्र भंसाली, विधायक	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध

1	2	3	4
39.	राज बहादुर	श्री रतन सिंह एमपी (लोक सभा)	वर्ष 2013 में जारी होने के लिए अनुमोदित
40.	पुष्कर मुनि	श्री विजय दर्डा, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
41.	भंवर लाल नहाटा	श्री प्रदीप जैन आदित्य, राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
		तमिलनाडु	
42.	पंडित करुप्पन	श्री कविथीलकन, प्रवक्ता, केरल	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
43.	डॉ. एम. वरदराजन विदवन	श्री पी.आर. नटराजन, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
44.	डॉ. एम.यू. वरदरसनार	श्री ए. गणेश मूर्ति एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
45.	के. राममूर्ति	श्री विरेनद्र सिंह, एमपी, (राज्य सभा) डॉ. शशि थरूर, एमपी (लोक सभा) और श्री पी.टी. थॉमस, एमपी (लोक सभा)	पएसी ने सिफारिश नहीं की विशेष निरूपण के साथ विशेष कवर 2012 में जारी किया गया
46.	डॉ. सिरकाजी सी. गोविंदराजन	श्री पी. चिदम्बरम, केन्द्रीय गृह मंत्री	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
		उत्तर प्रदेश	
47.	बाबू बनारसी दास जी	श्री बेनी प्रसाद वर्मा, इस्पात मंत्री	पीएसी ने सिफारिश नहीं की
48.	शहीद राजा जयलाल सिंह	श्री दिलीप गांधी, एमपी (लोक सभा)	सरकारी स्रोतों से प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री के लिए अनुरोध
49.	देवी प्रसाद राही	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, एमपी (लोक सभा)	नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया
50.	पं. प्रताप नारायण मिश्र	श्रीमती अन्नू टण्डन, एमपी (लोक सभा)	वर्ष 2013 में जारी करने के लिए अनुमोदित
51.	सरदार अली जाफरी	श्री विनय कुमार 'विन्नू' पाण्डेय, एमपी (लोक सभा)	पीएसी ने सिफारिश नहीं की विशेष विरूपण के साथ विशेष कवर जारी करने का सुझाव दिया गया।
		पश्चिम बंगाल	
52.	डॉ. नीलरतन सरकार	डॉ. मानस रंजन भुनिया, मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार	अनुमोदित

* डाक विभाग को संदर्भ करने की तिथि के अनुसार वीआईपी पदनाम दिया गया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा के लिए रूपरेखा

3771. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2017 तक सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्राथमिक शिक्षा की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्राथमिक शिक्षा में पिछड़ रहे राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए विशेष बल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में गुणवत्ता को किस प्रकार बरकरार रखे जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिदेश देता है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने आस-पड़ोस संबंधी मानदण्डों को अधिसूचित किया है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या और उनमें नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र सरकार, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से सम्बंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नए प्राथमिक स्कूल खोलने में, स्कूल भवनों के निर्माण में, शिक्षक पदों को भरने में, नि:शुल्क वर्दियां, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्कूल अनुदान आदि प्रदान करने में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करती है। इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि 2017 तक कोई भी बच्चा स्कूल सुविधा से वंचित न हो।

(घ) 12वीं योजना में अधिगम के परिणामों में सुधार करने पर विशिष्ट जोर देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ एनसीईआरटी द्वारा प्रारम्भिक स्कूलों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर आदर्श सामग्री तैयार की गयी है और छात्र प्रगति और अपेक्षित सुधारात्मक शिक्षण का पता लगाने के लिए इसे सभी राज्यों को भेजा गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011-12	
		प्राथमिक स्कूलों की संख्या	नामांकन (प्राथमिक)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	251	32423
2.	आंध्र प्रदेश	70620	7440000
3.	अरूणाचल प्रदेश	2202	248357
4.	असम	45735	3927798
5.	बिहार	40934	15882000
6.	चंडीगढ़	14	98214
7.	छत्तीसगढ़	35477	3120598
8.	दादरा और नगर हवेली	202	39381
9.	दमन और दीव	61	17122
10.	दिल्ली	2574	1807829
11.	गोवा	1023	114236
12.	गुजरात	11105	5858019
13.	हरियाणा	10335	2443613
14.	हिमाचल प्रदेश	11215	619300
15.	जम्मू और कश्मीर	14371	1239955
16.	झारखंड	27070	4753088
17.	कर्नाटक	26345	5417838
18.	केरल	7872	2286189
19.	लक्षदीय	20	5828
20.	मध्य प्रदेश	92053	10396617
21.	महाराष्ट्र	49915	10337189
22.	मणिपुर	2447	366372

1	2	3	4
23.	मेघालय	9081	516342
24.	मिजोरम	1550	179993
25.	नागालैंड	1911	288540
26.	ओडिशा	37293	4433052
27.	पुदुचेरी	288	109803
28.	पंजाब	15702	2587691
29.	राजस्थान	49642	8657160
30.	सिक्किम	717	84291
31.	तमिलनाडु	34638	6040051
32.	त्रिपुरा	2317	384760
33.	उत्तर प्रदेश	145255	26188803
34.	उत्तराखंड	15893	1091485
35.	पश्चिम बंगाल	75516	10086047
	अखिल भारत	**841644**	**137099984**

विमानपत्तन को स्थानांतरित करना

3772. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्य में विमानपत्तन स्थानांतरित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मामले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सभी अनुरोधों को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो मामले-वार इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में यथा लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विमानपत्तन-वार क्या कदम उठाए हैं और इन विमानपत्तनों को कब तक स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 2011 में बिहार सरकार ने पटना हवाईअड्डे के विकल्प के रूप में नालंदा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए 4800 एकड़ भूमि की आवश्यकता दर्शाई थी, तथापि, राज्य सरकार ने केवल 1200 एकड़ भूमि उपलब्ध करने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को 468 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के बिहटा हवाईअड्डे के सिविल एन्क्लेव को विकसित करने पर विचार करना चाहिए। दोनों स्थनों के लाभों को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक अध्ययन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया था।

अक्तूबर, 2011 में राजस्थान राज्य सरकार ने मौजूदा हवाईअड्डे के विकल्प के रूप में कोटा में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध किया था। राज्य सरकार से स्थल की पहचान करने और स्थल संबंधी आगे का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त न होने के कारण ये प्रस्ताव लंबित हैं।

[हिन्दी]

डीडीए पार्कों का प्रबंधन

3773. श्री महाबल मिश्राः
श्री जयराम पांगीः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पार्कों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम दिल्ली सहित दिल्ली स्थित डीडीए के पार्क खराब दशा में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दि.वि.प्रा. ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्राधिकार में 1546 पार्क हैं। विवरण इस प्रकार है:

पूर्वी जोन	:	135
पश्चिमी जोन	:	191
उत्तरी जोन	:	344
दक्षिणी जोन	:	190
रोहिणी जोन	:	388
द्वारका जोन	:	298

(ख) और (ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि पुनर्विकास कार्यों के कारण कुछ पार्क अच्छी स्थिति में नहीं हैं। तथापि, डीडीए द्वारा अपने पार्कों में यथा आवश्यकतानुसार अनुरक्षण/स्वच्छता कार्य किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) दि.वि.प्रा. ने यह भी सूचित किया है कि संबंधित पार्कों की विकास योजना के अनुसार पार्कों का चारदीवारी, वर्षा आश्रय स्थलों, बाल खेल उपस्करों, शौचालयों, प्रकाश व्यवस्थाओं और घास लगाने आदि जैसी सुविधाओं के साथ विकास किया गया है।

वित्तीय संकट

3774. श्री के.डी. देशमुख:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संकट के कारण देश के विभिन्न शहरों में विकास कार्यों में बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित राज्यों के विभिन्न शहरों में शहरी अवसंरचना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा कर्नाटक समेत विभिन्न शहरों में वित्त पोषित परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त उद्यम किया जाता है।

सरकार राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में उल्लिखित अनुसार सार्वजनिक परिवहन और गैर मोटरीकृत परिवहन में पूंजी निवेश की प्राथमिकताएं निर्धारित कर रही है। तदनुसार सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 61 मिशन शहरों हेतु 21 द्रुत जन परिवहन प्रणाली परियोजनाओं और शहरी बस विनिर्दिष्टियों के अनुसार 15260 आधुनिक शहरी बसों को अनुमोदन प्रदान किया है। सरकार ने सरकारी वित्त पोषण माडल के तहत, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, मंगलौर, चेन्नई, कोलकाता (पूरब-पश्चिम), कोच्चि में तथा निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत मुंबई और हैदराबाद में मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भी वित्त पोषण किया है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों के लिए उच्च उड़ान प्रभार

3775. श्री पी. करूणाकरन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य के अनिवासी भारतीयों को उच्च उड़ान प्रभारों के कारण आ रही समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने विशेषकर अधिकतम व्यस्त समय के दौरान खाड़ी देशों के लिए अपने किरायों में बढ़ोत्तरी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामला मंत्रालय में विचाराधीन है।

परमाणु विद्युत संयंत्र

3776. श्री सोमेन मित्र:
श्री सुवेन्दु अधिकारी:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री जयराम पांगी:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने परमाणु विद्युत संयंत्र कार्यरत हैं और वे राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी संयंत्र-वार संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) कितने परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं और उनके स्थान/राज्य का ब्यौरा क्या है तथा संयंत्र-वार उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) स्थान-वार/राज्य-वार कितने परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और संयंत्र-वार उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या देश में पहले से ही संचालनरत परमाणु विद्युत संयंत्र अपनी संस्थापित क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक संयंत्र की संस्थापित क्षमता कितनी है तथा उनके द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(च) इन संयंत्रों द्वारा इष्टतम विद्युत उत्पादन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्माणाधीन और निर्माण हेतु प्रस्तावित संयंत्रों के लिए कितनी धानराशि आबंटित, जारी और खर्च की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में (श्री वी. नारायणसामी): (क) प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का स्थापित क्षमता सहित ब्यौरा निम्नानुसार है:

यूनिट-अवस्थिति	स्थापित क्षमता (मेगावाट-ई)
टीएपीएस-1 तारापुर, महाराष्ट्र	160
टीएपीएस-2 तारापुर महाराष्ट्र	160
आरएपीएस-1 रावतभाटा, राजस्थान*	100
आरएपीएस-2 रावटभाटा, राजस्थान	200
एमएपीएस-1 कलपाक्कम, तमिलनाडु	220
एमएपीएस-2 कलपाक्कम, तमिलनाडु	220
एनएपीएस-1 नरोरा, उत्तर प्रदेश	220
एनएपीएस-2 नरोरा, उत्तर प्रदेश	220
एनएपीएस-1 ककरापार, गुजरात	220
एनएपीएस-2 ककरापार, गुजरात	220
कैगा-2, कैगा, कर्नाटक	220
आरएपीएस-3 रावतभाटा, राजस्थान	220
कैगा-1 कैगा, कर्नाटक	220
आरएपीएस-4 रावतभाटा राजस्थान	540
आरएपीएस-4 तारापुर महाराष्ट्र	540
टीएपीएस-3 तारापुर महाराष्ट्र	540
कैगा-3 कैगा, कर्नाटक	220
कैगा-4 कैगा, कर्नाटक	220
आरएपीएस-5 रावतभाटा, राजस्थान	220
आरएपीएस-6 रावतभाटा, राजस्थान	220
कुल	4780

*आरएपीएल-1 को, प्रचालन की निरंतरता की समीक्षा करने के लिए 09.10. 2004 से शटडाउन किया हुआ है।

(ख) निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)	फरवरी, 2013 तक हुई प्रगति	उत्पादन शुरु करने की संभावित तारीख
केके-1 तथा 2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2x1000	97.32%	यूनिट-1 मई, 2013 यूनिट-2 दिसम्बर, 2013
केएपीपी 3 तथा 4	ककरापार, गुजरात	2x700	34.4%	2016-17
आरएपीपी 7 तथा 8	रावतभाटा, राजस्थान	2x700	21.4%	2016-17
पीएफबीआर	कलपाक्कम, तमिलनाडु	500	94%	2015

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रस्तावों के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में 19 नए नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के संबंध में संबंध में काम शुरू करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति	रिएक्टर की किस्म	क्षमता (मेगावाट)
स्वदेशी रिएक्टर			
गोरखपुर 1 तथा 2	गोरखपुर, हरियाणा	पीएचडब्ल्यूआर	2x700
चुटका 1 तथा 2	चुटका, मध्य प्रदेश	पीएचडब्ल्यूआर	2x700
कैगा 5 तथा 6	कैगा, कर्नाटक	पीएचडब्ल्यूआर	2x700
माही बांसवाड़ा 1 तथा 2	माही बांसवाड़ा, राजस्थान	पीएचडब्ल्यूआर	2x700
एफबीआर 1 तथा 2	कलपाक्कम, तमिलनाडु	एफबीआर	2x500
एएचडब्ल्यूआर	स्थल का निर्णय अभी किया जाना है	पीएचडब्ल्यूआर	300
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित किए जाने वाले साधारण जल रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर)			
कुडनकुलम 3 तथा 4	कुडनकुलम, तमिलनाडु	एलडब्ल्यूआर	2x1650
जैतापुर 1 तथा 2	जैतापुर, महाराष्ट्र	एलडब्ल्यूआर	2x1100
छाया मीठि विरदी 1 तथा 2	छाया मीठि विरदी, गुजरात	एलडब्ल्यूआर	2x1100
कोव्वाडा 1 तथा 2	कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश	एलडब्ल्यूआर	2x1500

परियोजना-पूर्व कार्यकलाप, जिनमें नए स्थलों (गोरखपुर, चुटका, माही बांसवाड़ा, छाया मीठि विरदी और कोव्वाडा) पर भूमि का अधिग्रहण करना, सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करना, और परियोजना प्रस्ताव तैयार करना शामिल है, किए जा रहे हैं, और कुडनकुलम स्थल जहां परियोजना-पूर्व कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं और परियोजना संबंधी प्रस्ताव, प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए सरकार के विचाराधीन है) को छोड़कर, उपर्युक्त स्थलों पर विभिन्न चरणों पर हैं।

(घ) और (ङ) देश में 4680 मेगावाट स्थापित क्षमता वाले 19 प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में से, 2840 मेगावाट क्षमता वाले दस नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों नामत: कैगा उत्पादन

केन्द्र यूनिट 1 से 4 (4×220 मेगावाट), नरोरा परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2 (2×220 मेगावाट), मद्रास परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2 (2×220 मेगावाट), मद्रास परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2 (2×220 मेगावाट) और तारापुर परमाणु बिजलीघर यूनिट 3 तथा 4 (2×540 मेगावाट) में, स्वदेशी यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है, जोकि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, इन्हें ईंधन की आपूर्ति के अनुरूप, अपेक्षाकृत कम विद्युत स्तर पर प्रचालित किया जात रहा है। 1840 मेगावाट क्षमता वाले शेष नौ नाभिकीय रिएक्टर, पृथकरण योजना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) के सुरक्षोपायों के अधीन हैं। इन नौ रिएक्टरों में, आयातित यूरेनियम को काम में लाया जाता है, जोकि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध है, और ये रिएक्टर निर्धारित क्षमता पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 में स्थापित क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अवस्थिति तथा राज्य	यूनिट	क्षमता मेगावाट	2011-12	
			उत्पादन (एमयू)	सीएफ (%)
तारापुर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-1	160	1371	98
	टीएपीएस-2	160	1337	95
	टीएपीएस-3	540	4325	91
	टीएपीएस-4	540	2781	59
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीएस-1	100	0	0
	आरएपीएस-2	200	1821	104
	आरएपीएस-3	220	1938	100
	आरएपीएस-4	220	1645	85
	आरएपीएस-5	220	1974	102
	आरएपीएस-6	220	1764	91
कलपाक्कम, तमिलनाडु	एमएपीएस-1	220	1240	64
	एमएपीएस-2	220	1276	66
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एमएपीएस-1	220	1047	54
	एमएपीएस-2	220	937	48
ककरापार, गुजरात	केएपीएस-1	220	1919	99
	केएपीएस-2	220	1868	97
कैगा, कर्नाटक	कैगा-1	220	1270	66
	कैगा-2	220	1381	71
	कैगा-3	220	1231	64
	कैगा-4	220	1330	69

(च) सरकार ने, अन्वेषण संबंधी प्रयासों को तेज करके, नई खानें तथा संसाधन सुविधाएं खोलकर, यूरेनियम की स्वदेशी आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है।

(छ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, वर्ष 2005-06 से लेकर कोई स्वदेशी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं की है। निर्माणाधीन और निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित तथा व्यय की गई राशि का करोड़ रुपये में ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय (जनवरी, 2013 तक)
निर्माणाधीन परियोजनाएं								
कैगा 3 तथा 4	18	133.45	233	139.40	-	-	-	-
आरएपीपी 5 तथा 6	125	208.07	-	-	-	-	-	-
केके 1 तथा 2	855	1083.02	377	8367	700	933.58	840	739.62
केएपीपी 3 तथा 4	400	150.08	344	352.89	1250	1077.38	1902	752.87
आरएपीपी 7 तथा 8	200	166.49	103	287.71	700	545.73	1110	643.93
प्रस्तावित परियोजनाएं								
केके 3 तथा 4	1	12.15	400	13.50	350	29.43	800	76.90
गोरखपुर 1 तथा 2	-	-	-	1.21	2	0.42	69	521.22
चुटका 1 तथा 2	-	-	-	1.05	2	0.5	5	0.8
माही बांसवाड़ा 1 तथा 2	-	-	-	-	-	-	-	0.69
कैगा 5 तथा 6	-	-	-	-	-	-	2	-
जैतापुर 1 तथा 2	30	4.11	105	9.40	250	18.12	250	18.71
कोव्वाडा 1 तथा 2	-	-	200	4.56	100	1.94	15	2.68
छाया मीठी विरदी 1 तथा 2	-	-	200	4.21	125	2.84	5	1.18
भीमपुर 1 तथा 2	-	-	-	-	-	-	-	0.32
हरिपुर 1 तथा 2	-	-	-	0.35	3	0.29	3	0.33

पिछले तीन वर्षों के दौरान भाविनि, और चालू वर्ष में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूनिट 1 तथा 2 के लिए आबंटित, जारी की गई और व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

परियोजना	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	बजट अनुमान	जारी की गई	व्यय	बजट अनुमान	जारी की गई	व्यय	बजट अनुमान	जारी की गई	व्यय	बजट अनुमान	जारी की गई	व्यय (जनवरी, 2013 तक)
पीएफबीआर	750	995.75	696.86	1275	330*	605.32	905	905*	31.33	600	174.67	386.22
एफबीआर 1 तथा 2	-	-	-	125	15	1.24	50	-	1.10	100	-	2.83

टिप्पणी:*इसमें वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त 30 करोड़ रुपये की इक्विटी शामिल है।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

3777. श्री अजय कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई योजनाओं, आबंटित धानराशि और निर्धारित/हासिल किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रथम श्रेणी के शहरों की राष्ट्रीय रेटिंग कवायद की तर्ज पर स्वच्छता मापदंडों के आधार पर शहरों के लिए द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रेटिंग शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह रेटिंग प्रक्रिया कब तक पूरी किए जाने की संभावना है और इसके लिए क्या पद्धति लागू की जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एन.यू.एस.पी.), 2008 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष स्कीम आरंभ नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रथम श्रेणी के शहरों की राष्ट्रीय रेटिंग के अनुरूप स्वच्छता मानदण्डों पर श्रेणी-2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 शहरों की रेटिंग आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां

3778. योगी आदित्यनाथ: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां तेजी से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारत-नेपाल के बीच मुक्त सीमा है जहां दोनों देशों के नागरिक बेरोक टोक आ-जा सकते हैं। हालांकि, यदा-कदा कुछ शरारती तत्वों द्वारा भारत-विरोधी कार्यकलापों के लिए इस मुक्त सीमा का दुरूपयोग किए जाने की रिपोर्टें आती रहती हैं, परन्तु नेपाल में भारत-विरोधी गतिविधियों में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ग) भारत-नेपाल के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। दोनों देशों में नियमित रूप से उच्च-स्तरीय यात्राओं तथा व्यापक स्तर पर लोगों के बीच आपसी संबंधों की परम्परा रही है। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन तथा सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में नेपाल के समाजार्थिक विकास में उसकी मदद कर रहा

है। परस्पर सरोकर वाले सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों जिनमें वार्षिक गृह सचिव स्तरीय वार्ताएं, सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह, सुरक्षा मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्शदात्री समूह और स्थानीय स्तर पर सीमा जिला समन्वयन समिति की बैठकों में नेपाल सरकार के साथ चर्चा की जाती है। नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अपनी जमीन से किसी भी भारत विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा।

संवेदनशील श्रेणी के विमानपत्तन

3779. **श्री हरीश चौधरी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोधपुर और जैसलमेर सहित देश के विभिन्न विमानपत्तनों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त संवेदनशील विमानपत्तनों की सुरक्षा और चौकसी के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन विमानपत्तनों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) हवाईअड्डों को प्रत्येक हवाईअड्डे के बारे में प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है और ये सूचनाएं 'गोपनीय' के रूप में वर्गीकृत होती हैं।

(ग) संवेदनशील हवाईअड्डों की संरक्षा और निगरानी के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं। नागर विमानन प्रचालनों में किसी भी गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्य को रोकने के लिए खतरे और जोखिमों के अनुरूप सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित हवाईअड्डे के सिटी-साइड एरिया में किसी भी हमले के विरुद्ध आंतकवाद-विरोधी योजनाओं सहित कानून-व्यवस्था के अनुरक्षण, यातायात ड्यूटियों, फॅनल एरिया की पहरेदारी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश जारी करे।

पुनर्वास और मुआवज़ा पैकेज

3780. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री समीर भुजबल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जैतपुर परमाणु विद्युत संयंत्र से प्रभावित लोगों के लिए मौजूद पुनर्वास और मुआवज़ा पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुआवज़ा पैकेज में बढ़ोतरी के लिए सरकार के पास कोई अनुरोध लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या जैतपुर की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन हेतु मुआवज़ा देने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालयों में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जैतपुर परमाणु विद्युत परियोजना के, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास पैकेज संबंधी एक करार पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और महाराष्ट्र सरकार के बीच 16 अक्तूबर, 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। पुनर्वास पैकेज में मुआवजे के अलावा, पुनर्वास अनुदान, विस्थापित महिलाओं, आश्रयहीन अथवा विस्थापित व्यक्तियों हेतु जीवन काल के लिए न्यूनतम पेंशन, परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रावधान अथवा रोजगार के बदले में एकमुख्य मुआवजा, स्थानीय लोगों को अपने कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति देना आदि शामिल है।

(ख) और (ग) फरवरी, 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में प्रति हेक्टेयर 22.50 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने की घोषणा की है। तद्नुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने, राज्य सरकार को निधियां जारी करना सैद्धांतिक रूप से मान लिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मास्को में त्रिपक्षीय बैठक

3781. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में मास्को में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, नहीं।

रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक अप्रैल, 2012 में मॉस्को में आयोजित की गई थी। इस बैठक के अंत में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस विज्ञप्ति में व्यापक तौर पर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे अफगानिस्तान की स्थिति, आतंकवाद से निपटने, परमाणु अप्रसार, कोरियन प्रायद्वीप में व्याप्त परिस्थिति, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रीका में परिस्थित। वैश्विक वित्तीय संकट, विश्व व्यापार संगठन, जलवायु परिवर्तन, एशिया-प्रशांत में सुरक्षा सहयोग आदि मुद्दों पर तीनों देशों के साझा पक्ष परिलक्षित हुआ है। इस बैठक में आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, कारोबार तथा शैक्षिक बातचीत के क्षेत्रों में विभिन्न विषय मूलक सहयोग फॉर्मेटों की भी समीक्षा की गई।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर अग्निशमन व्यवस्था

3782. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आग की घटनाओं से निपटने के लिए देश के अनेक विमानपत्तनों पर अग्निशमन व्यवस्था पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अपर्याप्तता से निपटने और भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं। आग की घटनाओं से निपटने के लिए देश के सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति

3783. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धान नीति को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो नीति का ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को अंतिम रूप देने से पूर्व समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को उक्त नीति में किस हद तक शामिल किया गया है; और

(च) राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन समिति ने वर्ष 2010 में व्यापक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाने के लिए बारह सदस्य कृतिक बल गठित किया है। कृतिक बल की मसौदा रिपोर्ट 07 जून, 2011 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 58वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी। प्रस्तावित राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति की मुख्य विशेषताओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए पुस्तकें सर्वाधित करना है ताकि बहुतायत में पुस्तकें उपलब्ध हों और वे हमारे देश के विभिन्न भागों में, यहां तक कि दूरस्थ स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों को भी सुलभ हो सकें। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को उच्च प्रौद्योगिकी की प्रगति के बारे में और पुस्तकों की दुनिया में उनके प्रभाव की जानकारी है। नीति में पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण परीक्षित क्षमताओं को बरकारार रखते हुए

नई प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। तत्पश्चात् एनबीपीसी ने दिनांक 5 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में सुझाव दिया है कि मसौदा नीति को संशोधित किया जाना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों/केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के विभागों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा अनुप्रधान और प्रशिक्षण परिषद् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण विद्यालय संस्थान सहित केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं से राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को अंतिम रूप देने से पहले सुझाव/टिप्पणियां मांगी हैं। इसके अतिरिक्त यह मसौदा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट में लेखकों, प्रकाशकों सिविल सोसायटी संगठनों, अध्यापकों, छात्रों और माता-पिता इत्यादि का प्रत्युत्तर जानने के लिए भी डाली गयी थी।

(ङ) मंत्रालय ने सभी स्थानों से 38 सुझाव/टिप्पणियां की हैं और संगत सुझावों को उपर्युक्त नीति में शामिल किया गया है।

(च) मुख्य विषयों पर संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने के पश्चात नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

डीएमआरसी के श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक

3784. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा विभिन्न अनुबंधों के माध्यम से ठेके पर रखे गए श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है और उन्हें जाली भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा खाते आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) डीएमआरसी द्वारा ऐसी कितनी कंपनियों को चिह्नित किया गया है और उन्हें काली सूची में डाला गया है; और

(घ) ऐसी कंपनियों से श्रमिकों के बकाया की वसूली हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यह सूचना दी है कि उसने विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से ठेके पर श्रमिक रखे हैं। डीएमआरसी न्यूनतम वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरत रहा है। तथापि, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डीएमआरसी इन शिकायतों की सत्यता की आंतरिक रूप से जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त ईपीएफ, ईएसाई, और केन्द्रीय श्रम विभाग जैसे विभिन्न सांविधिक प्राधिकरण द्वारा भी इनकी समय-समय पर जांच/लेखा परीक्षा की जाती है।

(ख) और (घ) तीन ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त की गई हैं। इन शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्रम सं.	ठेकेदार का नाम	सेवा	शिकायत	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	मै. बेदी और बेदी एसोसिएट्स	टिकिट वेंडिंग सेवा	वेतन के विलम्ब से भुगतान और ईपीएफ और ईएसआई संबंधी शिकायतें	(i) ठेकेदार पर 8,65,000 की शास्ति लगाई गई ओर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जांच पूर्ण किए जाने तक 78,09274 की बैक गारंटी रोक दी गई है। (ii) ईपीएफ और ईएसआई प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच/लेखापरीक्षा की जा रही है। (iii) यह मामले न्यायाधीन है, ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित मामलों में आर्थिक अपराध विंग दिल्ली, केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) और पुलिस विभाग, दिल्ली द्वारा जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5
2.	मै. जी 4 एस सिक्योर सोल्युशन (इंडिया) प्राईवेट लि.	उपभोक्ता सुविधा और निगरानी एवं सुरक्षा सेवा	ईपीएफ संबंधी शिकायत	ईपीएफ प्राधिकरण ने मै. जी4एस सिक्योर सोल्युशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड से देय राशि की गणना कर ली है, जो 85,02,38,258 रुपये और उस पर ब्याज 48,73,75,918 रुपये है। ठेकेदार ने ईपीएफ अपील प्राधिकरण में अपील दायर की है।
3.	मै. प्रहरी प्रोटेक्शन सिस्टमस प्राईवेट लि.	सुरक्षा कार्मिक	वेतन का विलम्ब से भुगतान	वेतन का विलम्ब से भुगतान करने के लिए फरवरी, 2013 माह में ठेकेदार के बिल से 22,800 रुपये की शास्ति की कटौती का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) डीएमआरसी द्वारा अब तक किसी भी कंपनी को काली सूची में नहीं डाला गया है। तथापि, उपर्युक्त उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर चोरी

3785. श्री सतपाल महाराजः
श्री उदय सिंहः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री शैलेन्द्र कुमारः
श्री जगदीश शर्माः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर सामान की चोरी की घटनाएं प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो सामान की चोरी के कितने मामले/शिकायतें प्रकाश में आए और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चुराए गए सामान के मूल्य का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामले सुलझाए गए/निपटाए गए और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लंबित मामलों के लंबन का क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त मामलों में से कुछ में विमानपत्तन कर्मचारियों को संलिप्त पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विमानपत्तन पर चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने विभिन्न परिपत्र/एवीएसईसी आदेश जारी किए हैं, जिसमें चैक-इन-बैगेज चोरी होने को रोकने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और सामान, कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मचारी की तैनाती आदि का उल्लंघन किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट ऑपरेटरों को सीसीटीवी लगाने और एयरपोर्टों के विभिन्न प्रचालनात्मक क्षेत्रों में स्थित सीसीटीवी को मॉनीटर करने हेतु एकीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की समीक्षा

3786. श्रीमती परमजीत कौर गुलशनः
श्री नवीन जिन्दलः

क्या **मानव संसाधान विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और के.मा.शि.बोर्ड की सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की दिनांक 06.06.2012 को हुई 59वीं बैठक में एक संलग्न पारित किया गया जिसमें नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आईटीई) अधिनियम, 2009 के तहत अनुतीर्ण न करने के संदर्भ में सतत एवं व्यापक शिक्षा (सीसीई) के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र के कुछ अन्य राज्यों/विशेषज्ञों के सदस्यों सहित और माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार, की अध्यक्षता में केब की एक उप-समिति गठित की गई थी। इस उप-समिति का अधिदेश अपनी सिफारिशें देने से पहले राज्य सरकारों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करना है।

[हिन्दी]

हज सुधार

3787. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री समीर भुजबल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हज समिति ने हज के संबंध में व्यापक सुधार आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हज यात्रा को और अधिक पारदर्शी, सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 12 अप्रैल, 2012 को उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के माध्यम से हज आवेदकों की यात्रा की संख्या मौजूदा पांच वर्षों में एक बार के स्थान पर जीवन काल में एक बार तक सीमित कर दी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन आवेदकों ने कभी भी हज यात्रा नहीं की है उन्हें भारतीय हज समिति के माध्यम से हज करने का फायदा मिल पायेगा। यह फंड हज-2013 से शुरू किया गया हैं दूसरे, सभी आवेदकों से हज आवेदन के साथ एक रद्द चेक की प्रति संलग्न करने को कहा गया है ताकि हज-2013 के दौरान आवेदकों के नामोदिष्ट बैंक खाते में शीघ्र पैसा वापिस भेजा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) सरकार का यह निरंतर प्रयास होता है कि कुशल एवं पारदर्शी ढंग से हज कार्य कराया जाए। प्रत्येक आगामी हज यात्रा में हज यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से लगातार विगत हज यात्राओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वांछित सुधार किये जाते हैं।

[अनुवाद]

किसानों को वैकल्पिक प्लॉट

3788. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली की विस्तार योजना को सुकर बनाने के लिए कितने किसानों ने अपनी जमीन दी;

(ख) क्या सरकार ने इन किसानों को कोई वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) "दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान" संबंधी स्कीम के तहत पात्र किसानों को प्लाट आबंटित करती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों और विभिन्न अदालतों के संदर्भों के अनुसार, पात्र किसानों को वैकल्पिक प्लाट पूरी तरह से उनकी बारी और वरिष्ठता के आधार पर संस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 1979-2000 तक की और वर्ष 2001 से अब तक की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है तथा अब तक वर्ष 1994 तक की वरिष्ठता सूची से संबंधित आवेदनों पर विचार किया गया है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक उक्त वरिष्ठता सूची के 15 मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्लाट आबंटित करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण किसानों को वैकल्पिक आवासीय प्लाट आबंटित करने पर विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की सिफारिशों के आधार पर करता है।

बीडब्ल्यूए और 3जी सेवाएं शुरू करना

3789. श्री कमलेश पासवान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे सभी कंपनियां जिन्हें एकल नीलामी में विभिन्न सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम मिला था अपनी-अपनी लाइसेंस शर्तों के अनुसार अपनी सेवा को शुरू करने के दायित्वों को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके सेवाप्रदाता कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रॉड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) और 3जी सेवाओं के सेवा शुरू करने के दायित्वों की उत्तर प्रदश सहित राज्य-वार स्थिति क्या है;

(घ) सेवा शुरू करने के दायित्वों के अनुसार गांवों में बीडब्ल्यूए सेवाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ङ) लाइसेंस आबंटन के अनुसार सेवा शुरू करने के दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) दूरसंचार अभिगम सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस)/सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस करार/करारों में किए गए संशोधनों में उल्लिखित रोल आउट दायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी किया गया है:

(i) 3जी स्पैक्ट्रम के लिए सेल आउट दायित्व: लाइसेंसधारक लाइसेंसशुदा क्षेत्र/क्षेत्रों की संबंधित श्रेणी के लिए 3जी स्पेक्ट्रम हेतु निम्नलिखित नेटवर्क रोलआउट दायित्वों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा:

- महानगर सेवा क्षेत्र लाइसेंस/लाइसेंसों के लिए लागू: लाइसेंसधारक, जिसको 3जी स्पेक्ट्रम दिया गया है, उसे प्रभावी तारीख से 5 वर्ष के भीतर सेवा क्षेत्र के कम से कम 90 प्रतिशत पर 3जी स्पेक्ट्रक का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीट स्तर की कवरेज देनी होगी।

- क, ख और ग सेवा क्षेत्र लाइसेंस/लाइसेसों के लिए लागू: वह लासेंसधारक जिसे स्पेक्ट्रम दिया गया है, वह सुनिश्चित करेगा कि सेवा क्षेत्र में जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) के कम से कम 50 प्रतिशत को 3जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए कवर किया जाएगा जिसमें से डीएचक्यू का कम से कम 50 प्रतिशत प्रभावी तारीख के पांच वर्षों के भीतर ग्रामीण अल्प दूरी वाले प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में होना चाहिए। एसडीसीए को भारतीय जनगणना द्वारा प्रयुक्त परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया ाता है। ग्रामीण एसडीसीए की परिभाषा उस क्षेत्र के रूप में की जाती है जहां 50 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा:

  - प्रचालक को जिला मुख्यालय के स्थान पर किसी अन्य कस्बों को कवर करने की अनुमति दी जाएगी।
  - जिला मुख्यालय/कस्बे की कवरेज का अभिप्राय ये होगा कि नगरपालिका/स्थानीय निकाय सीमा से घिरे हुए कम से कम 90 प्रतिशत क्षेत्र में अपेक्षित स्ट्रीट स्तर का कवरेज मिलता हो।
  - जिला मुख्यालय को प्रभावी तारीख के अनुसार लिया जाएगा।
  - कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/कस्बे का चयन और कम से कम 50 प्रतिशत जिला मुख्यालय/कस्बे का और अधिक विस्तारण प्रचालक पर निर्भर करेगा।
  - प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जब प्रदत्त स्पेक्ट्रम के वाणिज्यिक इस्तेमाल का अधिकार अर्थात् संबंधित लाइसेंसशुदा क्षेत्र के लिए संशोधन पत्र के निर्गमन की तारीख से शुरू हो जाएगा।

(ii) बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के लिए रोल आउट दायित्व: लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र/क्षेत्रों की संबद्ध श्रेणी के लिए बीडब्ल्यू स्पैक्ट्रम हेतु

निम्नलिखित नेटवर्क रोलआउट दायित्व की अनुपालना सनिश्चित करेगा:

- महानगर सेवा क्षेत्र लाइसेंस/लाइसेंसों के लिए लागू: लाइसेंसधारक प्रभावी तारीख के पांच वर्षों के भीतर सेवा क्षेत्र के कम से कम 90 प्रतिशत पर बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीट स्तर का कवरेज उपलब्ध कराएगा।

- श्रेणी क, ख और ग सेव क्षेत्र लाइसेंस/लाइसेसों के लिए लागू: लाइसेंसधारक बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए प्रभावी तारीख के 5 वर्षों के भीतर ग्रामीण अल्प दूरी प्रसारण क्षेत्रों एसडीसीए का कम से कम 50 प्रतिशत पर सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण एससीडीए के कवरेज से अभिप्रेत होगा कि नगरपालिका/स्थानीय निकाय सीमा से घिरे हुए कम से कम 90 प्रतिशत क्षेत्र में अपेक्षित स्ट्रीट स्तर का कवरेज प्राप्त हो रहा हो।

प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जब प्रदत्त स्पैक्ट्रम का वाणिज्यिक इस्तेमाल अर्थात् संबद्ध लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र के लिए संशोधन पत्र के निर्गमन की तारीख से शुरू हो जाएगा।

(iii) 3जी/बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम के उपयोगार्थ अधिकार के लिए संशोधन पत्रों के निर्गमन की अद्यतन तारीख 1.09.2010 है। तदनुसार उपर्युक्त उल्लिखित 3जी/बीडब्ल्यूए रोल आउट दायित्व से संबंधित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित रोल आउट दायित्वों को पूरा करने की अद्यतन तारीख 31.08.2015 है।

साज-सज्जा रहित विमानपत्तन

3790. श्री एम.आई. शानवास: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर के छोटे शहरों में साज-सज्जा रहित विमानपत्तन के निर्माण का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन विमानपत्तनों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि भारत के विकसित होते छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इनका विस्तार किया जा सके और ये विमानपत्तन छोटे शहरों की बढ़ती विमानन कार्गो आवश्यकता को पूरा कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) व्यवहार्य कम लागत वो साज सज्जा रहित विमानपत्तन मॉडल पर आधारित अधिक छोटे शहरों और सुदूर क्षेत्रों के शहरों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय और सुदूर क्षेत्र संपर्क के संबंध में अध्ययन किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि संपर्क को बढ़ाने हेतु कम लागत वाले विमानपत्तनों का गठन किया जाए। तथापि इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत तैनात भारतीय सुरक्षा बल

3791. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के निवेदन पर विभिन्न दशों में कितने सुरक्षा बलों के कार्मिक तैनात हैं और वे किस अवधि से तैनात हैं;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय नियमों/संधियों के अनुपालन सहित इस संबंध में सरकार द्वारा किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है;

(ग) क्या इन सुरक्षा बलों की तैनाती पर हुए सभी व्यय का वहन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 31 जनवरी, 2013 की स्थितिनुसार, संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली मिशनों में तैनात भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों की कुल संख्या 7840 थी, जिनमें गठित पुलिस इकाइयों तथा विशेषज्ञों सहित 7063

सैन्यबल तथा सेना विशेषज्ञ और 777 पुलिसकर्मी शामिल थे। सैन्यबलों तथा पुलिस कर्मियों का कार्यकाल 6 माह से 1 वर्ष तक होता है, जो विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली मिशन की चक्रानुसार नीति पर आधारित होता है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली मिशनों में भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों की तैनाती शांति बहाली ओपरेशन संबंधी संयुक्त राष्ट्र विभाग (यूएनडीपीकेओ) के प्राप्त अनुरोधों पर आधारित होती है। संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली मिशन के लिए अपने कर्मियों की तैनाती के बाबत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के समन्वयन से क्रमशः रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा सैन्यबलों तथा पुलिस कर्मियों की चयन प्रक्रिया और संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली मिशनों में उनकी तैनाती की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तैनाती संबंधी निबंधन व शर्तें प्रत्येक मिशन हेतु सरकार तथा यूएनडीपीकेओ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत अभिशासित होती हैं।

(ग) और (घ) सैन्यबलों तथा पुलिस कर्मियों हेतु मूल भत्ते, साथ ही सैनिक टुकड़ी के स्वामित्वाधीन उपकरणों की लागत सहित कर्मियों की तैनाती संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा तयशुदा दरों पर तथा सदस्य राष्ट्रों पर संयुक्त राष्ट्र के बीच हस्ताक्षरित प्रासंगिक करारों के अनुसार की जाती है।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय नागरिक

3792. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर का एक व्यक्ति गत तीन वर्षों से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यक्ति की रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) पाकिस्तानी अधिकारियों ने 29 मई, 2012 को भारतीय उच्चायोग को सूचित किया था तथा उसके बाद किसी रामदास पुत्र श्री बिजली सुहानी को 08 जून, 2012 को कोन्सली सहायता प्रदान की गई थी। कोन्सली सहायता के दौरान रामदास ने भारत में गांव सोनियापुर मेडिकल चौक, सीमामढ़ी रोड़, जीरो माइल, नाहियापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार के रूप में अपना आवास विवरण प्रदान किया था।

गृह मंत्रालय ने कोन्सली सहायता के दौरान रामदास द्वारा प्रदान किया गया विवरण उसकी राष्ट्रीयता का सत्यापन तथा रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए 28 जून, 2012 को बिहार राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया था। बिहार सरकार से उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।

परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास में बाधाएं

3793. श्री अर्जुन राय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाभिकीय क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम दश में परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास में बाधा बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त बाधाओं के कारण परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ संयुक्त उद्यम शुरु करने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में गम्भीर जोखिम की सम्भावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त अधिनियम उक्त जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010, देश में परमाणु ऊर्जा उद्योग के विकास में रुकावट पैदा नहीं कर रहा है।

(ख) उक्त अधिनियम, अन्य देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहकार के लिए बाधाएं नहीं पैदा करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नाभिकीय उद्योग के क्षेत्र मे, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों, और अन्य संबद्ध सुविधाओं तथा प्रक्रियाओं क संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, कठोर विनियामक व्यवस्थाएं तथा पर्यवेक्षण प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

(ङ) नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010, का उद्देश्य, किसी नाभिकीय घटना के असंभाव्य रूप से घटित होने की स्थिति में, पीड़ितों के लिए तुरन्त मुआवजे की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

3794. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः
श्री एन. चेलुवरया स्वामीः

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में शहरी निर्धनों के लिए आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का भवन सामग्री और श्रम लागत में बढ़ोतरी के मद्देनज़र आवास परियोजनाओं की लागत में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) "भूमि" और "कालोनाईजेशन" राज्य के विषय हैं, इसलिए आवास परियोजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/राज्य प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों का है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के शीर्षस्थ कार्यक्रमों के अंतर्गत सामान्यतया भूमि की लागत को शामिल नहीं किया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को आवास और उससे संबंधित अवसंरचना की व्यवस्था करने में राज्यों को सहायता प्रदान करना है। तथापि, भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को इन योजनाओं के अंतर्गत यदि आवश्यकता होती है तो भूमि के अधिग्रहण की लागत की 90% व्यवस्था करती है।

(ख) और (ग) भूमि की लागत सहित आवास क्षेत्र में कीमतों में कीमतों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय ने राजीव ऋण योजना (आरआरवाई) के नए नाम से अभिप्रेत शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचपी) के अंतर्गत ऋण की उच्चतम सीमा को मौजूदा 1-1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 5-18 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, चूंकि इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में इसको अंतिम रूप दिए जाने के बारे में कोई वचनबद्धता नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान के संबंध में रूस के साथ समझौता

3795. श्री ए.टी. नाना पाटीलः
श्री पी.सी. मोहनः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान के संबंध में रूस के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने अफगानिस्तान में भारत के हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) अफगानिस्तान के सम्बन्ध में रूसी परिसंघ के साथ किसी विशेष करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

तथापि, अफगानिस्तान में स्थिति भारत सरकार तथा रूसी परिसंघ के बीच सतत विचार-विमर्श का मामला है। सर्वोच्च राजनैतिक स्तर पर इस विषय पर चर्चा की जाती है तथा विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। सम्बंधित विदेश/विदेश कार्य मंत्रालयों के स्तर पर तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच इस मामले की आवधिक समीक्षा भी की जाती है।

अफगानिस्तान की स्थिति के सम्बंध में भारत तथा रूसी परिसंघ के बीच विचारों की अत्यधिक समानता तथा समरूपता है। रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमिर पुतिन की हाल ही की नई दिल्ली यात्रा (24 दिसम्बर, 2012) के दौरान दोनों पक्षों ने एक संयुक्त व्यक्तव्य जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान के सम्बंध में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निर्धारित स्थिति का उल्लेख किया गया था।

संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि आतंगवाद अफगानिस्तान की सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए एक मुख्य खतरा है। दोनों देशों ने आतंकवाद तथा उग्रवाद के क्षेत्रीय पहलू

को भी स्वीकार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद की सभी प्रकारों तथा सभी रूपों में इस चुनौती का सामना करने के लिए इस क्षेत्र से सभी देशों के बीच संयुक्त एवं ठोस प्रयास तथा सहयोग आवश्यक है।

इस संयुक्त वक्तव्य में अफगानिस्तान में निवेश संवर्द्धित करने के लिए जून, 2012 में अफगानिस्तान पर दिल्ली निवेश शिखर सम्मेलन के आयोजन का भी स्मरण किया गया।

(ग) और (घ) सरकार अफगानिस्तान में उत्पन्न हो रही स्थिति का गहन अनुवीक्षण कर रही है तथा अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान से संबंधित विकास पर सके क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों सहित विभिन्न हितधारकों के सम्पर्क में है। भारत उस देश में शांति तथा स्थिरता स्थापित करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी हिस्सा है। सरकार इस सम्बंध में भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेगी। भारत को विश्वास है कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर, लोकतांत्रिक तथा समृद्ध अफगानिस्तान उस देश में भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गारंटी है। तदनुसार भारत ने अक्तूबर, 2011 में अफगानिस्तान के साथ व्यापक रणनीतिक सहभागिता करार पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान के साथ राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बंधों को मजबूत बनाना था। भारत ने चालू सहायता के अलावा अफगानिस्तान में भारतीय तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के रूप में जून, 2012 में अफगानिस्तान पर दिल्ली निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

[अनुवाद]

इफको के विरुद्ध शिकायतें

3796. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने इंडियन कामर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) में भ्रष्ट संव्यवहार की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.वी.सी. को विगत में इफको के शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों/जांचों की स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार उन्हें श्री यूएस अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफ्को के विरूद्ध 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके संबंध में आयोग ने जांच एवं रिपोर्ट की मांग की है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	श्री यू.एस. अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफ्को के विरूद्ध आरोप	केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	पुत्र के फर्म आदि के जरिए रिश्वत लेकर सेनेगल एवं अन्य अफ्रीकी देशों की कंपनियों से कच्चा माल जैसे फॉस्फोरिक एसिड स्वीकार करना।	(i) दिनांक 23.02.2010 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत भेजी है तथा रिपोर्ट मांगी है। (ii) इफको, सीबीआई के क्षेत्राधिकार में नहीं आता इसलिए ब्यूरो ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। (iii) आयोग को प्रवर्तन निदेशालय से दिनांक 9.02.2012 को अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
2.	इफको द्वारा किसानों को निम्न श्रेणी के उर्वरक की आपूर्ति; दुबई में किसान इन्टरनेशनल ट्रेडिंग जैसी 100% सहायक कंपनी खोलकर सब्सिडी में कपट करने जैसी कई अनियमितताएं की गई हैं।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 8.7.2010 को उर्वरक विभाग से तथा दिनांक 20.06.2011 को कृषि और सहकारिता विभाग से रिपोर्ट मांगी है।

1	2	3
	सोसायटी की निधि से अपने लिए शानदार बंगला प्राप्त करने हेतु दो अवैध संविदा; एमएससीएस अधिनियम का उल्लंघन कर इफको की निधि का दुरुपयोग; कच्चे माल और अंतिम रूप से तैयार उर्वरकों के आयात से भारी मात्रा में दलाली के रूप में अवैध धन कमाया जिससे सोसाइटी को भारी क्षति हुई: श्री यू एस अवस्थी के स्वामित्व वाले लेजेंड इंटरनेशनल में निवेश; अवैध तरीकों से सरकारी साम्या का प्रत्यावर्तन; इफको के बोर्ड के निर्वाचन में जोड-तोड़ और अराजकता बनाए रखना आदि,	इसे कृषि एवं सहकारिता विभाग दिनांक 25.01.2012 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उर्वरक विभाग की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
3.	नई दिल्ली के हौज खास और वसंत कुंज स्थित इफको की कई करोड़ की संपत्ति को अपने नाम अंतरित करने के संबंध में श्री यूएस अवस्थी, प्रबंध निदेशक, इफको तथा श्री कपूर, संयुक्त प्रबंध निदेशक, इफको के विरुद्ध शिकायत।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 7.3.2013 को उर्वरक विभाग से रिपोर्ट मांगी है।

एअर इंडिया सेवाओं को आरम्भ करना/समाप्त करना

3797. श्री अनंत कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से एअर इंडिया की कितनी सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें विभिन्न गन्तव्यों से आरम्भ और समाप्त की गईं; और

(ख) इन सेवाओं को समाप्त करने का मार्ग-वार कारण क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए शुरू और बंद की गई सीधी सेवाओं का मार्ग-वार विवरण तथा बंद करने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

(क) विभिन्न राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए शुरू की गई सीधी सेवाओं की संख्या:

अंतर्राष्ट्रीय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सेक्टर	तारीख से शुरू की गई
1	2	3
	2010	
दिल्ली	दिल्ली-शिकागो	नवम्बर-10
महाराष्ट्र	मुंबई-नेवार्क	नवम्बर-10
	2011	
तमिलनाडु	दिल्ली से होकर चैन्ने-पेरिस के माध्यम	जुलाई-11

1	2	3
	2012	
दिल्ली	दिल्ली-बहरीन	अप्रैल-12
दिल्ली	दिल्ली-ढाका	दिसम्बर-12
	2013	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता-ढाका	फरवरी-13

(ख) अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए बंद की गई सीधी सेवाओं की संख्या तथा उसके कारण:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सेक्टर	तारीख से बंद की गई	कारण
1	2	3	4
		2010	
महाराष्ट्र	मुंबई-नैरोबी-मुंबई	जनवरी-10	- कम भार घटक - प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना
तमिलनाडु	चैन्ने-कुआलालामपुर-चैन्ने	नवम्बर-10	- कम भार घटक - प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना - एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों का दैनिक प्रचालन
केरल महाराष्ट्र	बैंगलुरू-सिंगापुर-बेंगलुरू	दिसम्बर-10	- कम भार घटक - प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शारजाह हैदराबाद	दिसम्बर-10	- कम भार घटक - प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना
		2011	
तमिलनाडु	चैन्ने-दम्मम-चैन्नै	जून-11	- कम भार घटक - प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना
		2012	
केरल	कोचीन-कोझीकोड-दमाम और वापसी	अप्रैल-12	एअर इंडिया एक्सप्रेस वर्तमान में केरल-दम्मम में सेवा उपलब्ध करा रही है।
	त्रिवेन्द्रम-दमाम और वापसी	अप्रैल-12	

1		2	3
महाराष्ट्र	मुंबई-दम्मम और वापसी	अप्रैल-12	- कम भार घटक - प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना - अप्रैल 2012 से एआई ने दिल्ली और दम्मम के बीच
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद-दम्मम और वापसी	अप्रैल-12	फ्रीक्वेंसी सप्ताह में 2 उड़ानों से बढ़ाकर दैनिक कर दी है। वर्तमान में, हैदराबाद / चैन्ने / मुम्बई से दम्मम का संपर्क दिल्ली में उपलब्ध कराया जाता है।
पंजाब/दिल्ली	अमृतसर-दिल्ली-टोरंटो और वापसी	जून-12	प्रचालन की नकद लागत का पूरा ना होना।

आई.एल.डी. सेवाएं

3798. श्री उदय सिंहः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने कुछ दूरसंचार कंपनियों द्वारा कथित रूप से वर्ष 2004 से गैर-कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आई.एल.डी.) सेवाएं प्रदान करके सरकार को करोड़ों रु. की क्षति पर मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार संचार सुविधाएं प्रदान करने में लगी निजी कंपनियों पर कोई नियंत्रण रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किए गए नेमी निरीक्षण के दौरान देखा गया था कि एक गैर लाइसेंसशुदा विदेशी कंपनी मैसर्स सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड (एसटीएल) भारत में बिल भी दे रही थी जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई। मैसर्स एसटीएल ने अपने उपभोक्ताओं को आईपीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) और मैसर्स टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीसीएल), अंतर्राष्ट्रीय दीर्घ दूरी (आईएलडी) सेवा लाइसेंसधारकों के साथ एक समझौता किया था। दूरसंचार विभाग ने सीबीआई के आर्थिक अपराध स्कंध (ईओडब्ल्यू) में केस दर्ज करा दिया था।

सीबीआई ने मामले की जांच करने के बाद मैसर्स सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड, मैसर्स भारतीय एयरटेल लिमिटेड और मैसर्स टाटा टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड के खिलाफ 19.02.2013 को मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) देश में दूरसंचार सेवाएं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा (4) के तहत लाइसेंस प्रदत्त कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं इस अधिनियम, के तहत लाइसेंस प्रदत्त कंपनियों का नियंत्रण लाइसेंस करार के निबंधनों और शर्तों के द्वारा किया जाता है।

पाकिस्तान से हिन्दुओं का पलायन

3799. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक हिन्दू और सिक्ख लोगों ने धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान से भारत में पलायन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों जिनमें हिन्दू भी शामिल हैं, के बारे में छपी रिपोर्ट देखी है जो वैध वीजा पर भारत आए थे परन्तु वे पाकिस्तान में धाार्मिक प्रताड़ना के कारण वापस नहीं गए हैं। ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने और साथ ही उन्हें दीर्घावधिक वीजा (एलटीवी) हेतु आवेदन करने की अनुमति दिए जाने के बाबत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न शिमला करार 1972 के तहत विशेष तोर पर एक-दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की व्यवस्था मौजूद है फिर भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों पर प्रताड़ना की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया था। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह इस परिस्थिति से पूर्णत: वाकिफ है और वह अपने सभी नागरिकों विशेषत: अल्पसंख्यक के साथ दिनांक 8 मई 2012 को एक कार्यवाही के तहत पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और उनकी इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम पुरुषों से साथ उनका विवाह किए जाने के मामले पर भारत की गंभीर चिंता जताई गई। यह सूचित किया गया कि हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदायों की देखभाल करेगी और इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। पाकिस्तान की ओर से उत्तर दिया गया कि पाकिस्तान को इस मामले की जानकारी है और पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को उठाया है तथा पाकिस्तान सरकार अभी अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।

मेट्रो परियोजनाओं के संबंध में मतभेद

3800. श्री समीर भुजबल:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेट्रो परियोजनाओं के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय और योजना आयोग के बीच कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन मतभेदों के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या दिल्ली के मेट्रो स्टशनों के बाहर प्रकाश व्यवस्था के अभाव में यात्रियों विशेषकर महिलाओं की संरक्षा/सुरक्षा एक बड़ी चिंता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के अंतर्गत आने वाले परिसरों में प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त है। प्रकाश की पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए डीएमआरसी द्वारा आवधिक रूप से जांच कराई जाती है। डीएमआरसी परिसारों से बाहर की प्रकाश व्यवस्था विभिन्न नागरिक एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में आती हैं जिन्हें दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर उचित/पर्याप्त प्रकाश व्यवस्थ सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं ताकि यात्रियों विशेष रूप से महिला यात्रियों की संरक्षा/सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

शारीरिक दंड

3801. श्री भूदेव चौधरी:
श्री महेश जोशी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में छात्रों को शारीरिक दंड दिये जाने के मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का विचार देश में विद्यालय के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी संहिता कब तक बनायी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण ज्यादातर स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के आते है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को शारीरिक सजा के छिट-पुल मामले प्राप्त होते हैं। पिछले 2 वर्षों

से के दौरान शारीरिक सजा की 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस संबंध में समय-समय पर अपने संबद्ध स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी करता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने वर्ष 2010 में अध्यापकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति संहिता तैयार की है। यह संहिता जुलाई, 2011 में राज्य सरकारों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति एवं अन्य स्कूल पधनों को अनुग्रहण हेतु सलाह के तौर पर परिचालित की गई हैं।

केन्द्रीय विद्यालय

3802. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेहद कठिन, संवेदनशील, अति संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में तैनात आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों (प्राचार्य/उप-प्राचार्य सहित) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या सामान्य श्रेणी के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में उक्त श्रेणी के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की तैनाती के लिए एक समान नीति अपनाये जाने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में जन-प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध वर्ष 2011 में प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ की तैनाती, प्रारंभिक सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण के समय पर निम्नलिखित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए होती है:–

- ➢ सीधी भर्ती पर तैनाती निम्न को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है:
    - (i) प्राथमिकता, यदि कोई हो, तो रिक्ति की उपलब्धता पर दी जाती है।
    - (ii) रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान के नजदीक ही तैनात करने को प्राथमिकता दी जाती है।
    - (iii) कम मांग वाले क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के संबंध में संगठनात्मक हित।
- ➢ सामान्यतया पदोन्नतियां, रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन ठीक उसी स्थान पर या उसके नजदीक स्थानों पर दी जाती है।
- ➢ स्थानांतरण, वर्तमान स्थानांतरण दिशानिर्देशों के आधार पर जो समस्त स्टाफ पर एक समान लागू होते हैं और उनके द्वारा दिए गए विकल्प को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, किए जाते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। इस संबंध में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को श्री प्रमोद, कुरील, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य (लोक सभा) से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्रमशः अपने 6 अगस्त, 2011 और 31 जनवरी, 2012 के पत्र के जरिए इनका उत्तर दे दिया गया है।

[अनुवाद]

आउटसोर्सिंग द्वारा रोजगार

3803. श्रीमती परमजीत कौर गुलशनः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से समूह 'ग' और 'घ' में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के मामले में आरक्षण नीति लागू होती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ग 'क' और 'ख' के लिए भी स्टाफ की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मंत्रालय/विभाग, केन्द्रीय वित्तीय नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कुछ सेवाओं को आउटसोर्स कर सकते हैं; इस संबंध में केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) मौजूद अनुदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के सभी घटकों को पूरा करने वाली 45 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए की गई सभी अस्थायी नियुक्तियों के लिए आरक्षण लागू हैं, भले ही नियुक्ति "संविदा आधार" पर की जाने वाली श्रेणी में आती हो।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय छात्रों पर हमले

3804. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री भक्त चरण दास:
डॉ॰ रत्ना डे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों पर हमले किये जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदेश में पढ़ रहे छात्रों के माता-पिता/परिवार से रंग/जाति के आधार पर उन छात्रों पर किये जा रहे अत्याचारों के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन छात्रों की सुरक्षा की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मुद्दे को संबंधित देशों के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) 2010-12 के दौरान, यूके से भारतीय छात्रों पर हमले की तीन घटनाएं (प्रतिवर्ष एक घटना) और यूएसए से चार ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है। आस्ट्रेलिया में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय छात्रों और भारतीय समुदाय के सदस्यों पर 50 (2009 में), 103 (2010 में) और 15 (2011 में) हमलों की सूचना आस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग के ध्यान में आयी है। हालांकि आस्ट्रेलिया में 2011 के पश्चात् ऐसे हमलों में तेजी से कमी आई है। किसी अन्य देश से विशेषकर भारतीय छात्र लक्षित ऐसे हमलों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) जब भी भारतीय नागरिकों पर किसी हमले की सूचना मिलती है तो संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मामला तत्काल स्थानीय विदेश मंत्रालय व अन्य संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है ताकि, भारतीय नागरिकों के प्रति हिंसा ऐसी घटनाएं न हों। भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा भारतीय छात्रों सहित प्रभावित भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर की सहायता सहित अनुवर्ती-कार्रवाई भी दी जाती है। संपर्क करने पर, मेजबान सरकार द्वारा सामान्यत: भारतीय छात्रों सहित उस देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक सुरक्षा और अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराई गई। दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा हिंसा के मामलों की विधिवत जांच की जाती है। भारतीय मिशन/पोस्ट दोषियों की जांच और सुनवाई के दौरान संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क में रहता है। हाल ही में, विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/पोस्ट ने भारतीय छात्रों के हितों का ध्यान रखने के लिए छात्र कल्याण अधिकारी नियुक्त किए हैं।

वीआईपी समाधियों का अनुरक्षण

3805. श्री यशवीर सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वीआईपी समाधियों के अनुरक्षण के लिए आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वीआईपी समाधियों के आकार और क्षेत्र के लिए अपनाए गये मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या वीआईपी समाधियों के आकार और क्षेत्र में अंतर है;

(घ) यदि हां, तो समाधि-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) गत तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है:

क्रम सं.	वर्ष	आवंटन (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)
1.	2009-10	301.00	301.00
2.	2010-11	447.00	446.86
3.	2011-12	608.00	602.76

(ख) और (ग) दिल्ली में वीआईपी की समाधियां भूमि के अविभक्त पॉकेट में स्थित हैं। विभिन्न समाधियों के बीच कोई वास्तविक सीमांकन विद्यमान नहीं है और समाधिकार आकार तथा क्षेत्र का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघरों का निर्माण

3806. श्री पूर्णमासी राम:
श्री राजू शेट्टी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्मित और निर्माणाधीन डाकघरों और उनके निर्माण पर किए गये व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान बनाए जाने के प्रस्तावित डाकघरों की संख्या और इसके लिए आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में ऐसे अहाते के स्वामियों ने, जहां डाकघर किराए पर चल रहे हैं, डाक प्राधिकारियों को उनके अहाते खाली करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपने निर्मित भवनों में स्थानांतरित किए गये डाकघरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) दिल्ली और मुम्बई में चल रहे डाकघरों सहित किराए के भवनों को खाली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने तथा किराए के भवनों को खाली करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा का मुम्बई सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) विगत वित्तीय वर्ष (2011-12) के दौरान और वर्तमान वर्ष में जनवरी, 2013 तक देश में निर्माणाधीन और निर्मित डाकघर भवनों की संख्या और उन पर किए गए खर्च की राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष (2012-13) के दौरान किसी नए डाकघर भवन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है तथा इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई है क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए "व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन" की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निजी निर्मित भवनों में स्थानांतरित डाकघरों की संख्या तथा ऐसे मालिकों जिन्होंने डाक प्राधिकारियों से उनके परिसरों जहां पर डाकघर किराये के मकान में कार्य कर रहे हैं, को खाली करने के लिए कहा है, कि संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) भवन मालिकों से अनुरोध प्राप्त होने पर विभाग दिल्ली एवं मुम्बई सहित किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों को शिफ्ट करने के लिए निविदा जारी करके, जहां कहीं संभव है, वैकल्पिक आवास की तलाश हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है।

(च) डाकघरों को शिफ्ट करने के लिए निजी भवनों का निर्माण एक सतत कार्यकलाप है। सरकार मुम्बई सहित सभी जगहों पर अपने निजी भवनों का निर्माण करने के लिए कार्रवाई कर रही है और किराए के भवनों में संचालित डाकघरों को शिफ्ट करने के लिए ऐसे मामलों को संकलित करके योजना कार्यकलाप तैयार कर ली है। इसके पश्चात व्यय वित्त समिति के अनुमोदन से एक प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी जो योजना आयोग से उपलब्ध निधि के अधीन होगी।

विवरण I

विगत वित्तीय वर्ष (2011-12) के दौरान और वर्तमान वर्ष में जनवरी, 2013 तक देश में निर्माणाधीन और निर्मित डाकघर भवनों की संख्या और उन पर किए गए खर्च की राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12 के दौरान निर्मित डाकघर भवन की संख्या	2011-12 के दौरान किया गया व्यय	चालू वर्ष (जनवरी, 2013 तक) के दौरान निर्मित डाकघर भवनों की संख्या	चालू वर्ष (जनवरी, 2013 तक) के दौरान निर्मित डाकघर भवनों की संख्या	आज की तिथि के अनुसार निर्माणाधीन डाकघर भवनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	11.9711 करोड़ रुपये (सतत भवन परियोजना सहित आंकड़े)	0	5.5468 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2013 के बाद व्यय के अंतिम आंकड़े को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें सतत भवन परियोजनाएं शामिल हैं।	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0		0		1
3.	असम	1		0		0
4.	बिहार	1		0		1
5.	छत्तीसगढ़	1		1		0
6.	दिल्ली	0		0		0
7.	गोवा	0		0		1
8.	गुजरात	0		1		0
9.	हरियाणा	0		1		1
10.	हिमाचल प्रदेश	1		0		0
11.	जम्मू और कश्मीर	1		0		0
12.	झारखण्ड	0		0		0
13.	कर्नाटक	1		1		0
14.	केरल	0		2		2
15.	मध्य प्रदेश	0		0		0
16.	महाराष्ट्र	0		0		1
17.	मणिपुर	0		0		0
18.	मेघालय	0		0		0
19.	मिजोरम	0		1		0

1	2	3	4	5	6	7
20.	नागालैंड	0		0		0
21.	ओडिशा	0		1		1
22.	पंजाब	1		0		0
23.	राजस्थान	1		3		1
24.	सिक्किम	0		0		0
25.	तमिलनाडु	4		2		2
26.	त्रिपुरा	0		0		0
27.	उत्तर प्रदेश	1		1		0
28.	उत्तराखंड	1		0		1
29.	पश्चिम बंगाल	0		0		0
	योग	14		14		13

विवरण II

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निजी निर्मित भवनों में स्थानांतरित डाकघरों की संख्या तथा ऐसे मालिकों जिन्होंने डाक प्राधिकारियों से उनके परिसरों जहां पर डाकघर किराये के मकान में कार्य कर रहे हैं, को खाली करने के लिए कहा है, की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	उन भवन मालिकों की संख्या जिन्होंने डाक प्राधिकारियों से उनके स्थानों को जहां डाकघर किराए के भवनों में चल रहे है, को खाली करने के लिए कहा है	विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निजी निर्मित भवनों में शिफ्ट किए गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	43	2
5.	छत्तीसगढ़	0	0

1	2	3	4
6.	दिल्ली	21	8
7.	गोवा	7	0
8.	गुजरात	172	3
9.	हरियाणा	0	2
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	9	1
12.	झारखण्ड	10	0
13.	कर्नाटक	20	4
14.	केरल	61	0
15.	मध्य प्रदेश	38	0
16.	महाराष्ट्र	83	0
17.	मणिपुर	2	0
18.	मेघालय	0	0
19.	मिजोरम	0	0
20.	नागालैंड	0	0
21.	ओडिशा	4	0
22.	पंजाब	3	2
23.	राजस्थान	126	3
24.	सिक्किम	4	0
25.	तमिलनाडु	0	10
26.	त्रिपुरा	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	5
28.	उत्तराखण्ड	3	1
29.	पश्चिम बंगाल	43	0
	योग	**666**	**41**

[अनुवाद]

भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय

3807. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में ऐसे स्कूलों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अनुदान सहायता दी गई तथा इन विद्यालयों में शिक्षक-छात्र का अनुपात क्या है;

(ग) क्या इन विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदायों में विद्यालय छोड़कर जाने वालों की दर

3808. श्री महेश जोशी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की नामांकन दर और विद्यालय छोड़कर जाने की दर का राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समुदायों के छात्रों की विद्यालय छोड़कर जाने की दर के अधिक होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने गांव के विद्यालयों में एक-चौथाई शिक्षकों की अनुपस्थिति और विशेषकर अल्पसंख्यकों और गरीबों में विद्यालय छोड़कर जाने की दर अधिक होने पर चिंता व्यक्त की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु वर्ग में प्राथमिक स्तर पर दाखिले में मुस्लिम बच्चों की भागीदारी 2008-09 में 11.03% थी जो 2011-12 में बढ़कर 13.31% हो गई है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर मुस्लिम बच्चों के संबंध में दाखिले के आंकड़े और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं।

(ख) बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों में सामाजिक-आर्थिक कारक और बालिका शिक्षा में सांस्कृतिक बाधाएं, शिक्षा और गरीबी की प्रासंगिकता पर अलग-अलग दृष्टिकोण, भाई-बहन की देखभाल और पारिवारिक कर्तव्य इत्यादि शामिल हैं।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलने, स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के नामांकन में हस्तक्षेप करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी इत्यादि की आपूर्ति करने के लिए सहायता दी जाती है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों पर लक्षित बजट के नियतन और स्कूल बुनियादी ढांचे के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भवनों, शौचालयों, पेयजल, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं इत्यादि और अतिरिक्त अध्यापक पद जैसे स्कूल के बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान करके माध्यमिक शिक्षा हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापक की अनुपस्थिति का निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन किया गया जिसमें यह पाया गया कि अध्यापक की औसत उपस्थिति प्राथमिक स्कूलों में 81.7% और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 80.5% थी। बच्चों के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा छोड़ने के कारण तलाशने हेतु एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी किया गया था। स्कूलों में बच्चों के अवधारणार्थ यथा मध्याह्न भोजन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दियां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए राज्यों को सहातया दी जा रही है।

[अनुवाद]

इम्फाल मांडले बस सेवा

3809. डॉ. थोकचोम मैन्याः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वीजा/आप्रवासन दस्तावेज सहित सीमा-पार इम्फाल मांडले बस सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बस सेवा कब तक शुरू होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) सरकार इम्फाल तथा मांडले के बीच बस सेवा प्रारंभ करने के बारे में म्यांमा सरकार से विचार-विमर्श करती रही है। मई, 2012 में प्रधान मंत्री की म्यांमा यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने दोनों पक्ष के संबंधित अधिकारियों को बस सेवा चालू करने संबंधी तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने का निदेश दिया है। प्रचालन के तौर-तरीकों से संबंधित प्रोटोकाल के मसौदे में आप्रवासन तथा वीजा प्रक्रियाओं के प्रावधानों को शामिल किया गया है और म्यांमा को भागीदार बनाया गया है ताकि प्रचालन शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

नौकरी दिलाने के झूठे वायदे

3810. श्रीमती ज्योति धुर्वेः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को किसी विश्वविद्यालय के विरुद्ध नौकरी दिलाने की ऊंची दर के लिए झूठे वायदे करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार के पास अधिकाधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों, विशेषकर मानित विश्वविद्यालयों द्वारा नौकरी दिलाने के झूठे वायदे करने के प्रयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र/प्रणाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुसार नौकरी दिलाने की ऊंची दर के लिए झूठे वायदे करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर अपनी वेबसाइट तथा समाचारपत्रों में जाली विश्वविद्यालयों के संबंध में चेतावनी जारी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सतत तौर पर मानित विश्वविद्यालयों एवं प्राइवेट विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करता है ताकि गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को इन विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इन विश्वविद्यालयों की निरीक्षण विशेषज्ञ समितियों की सहायता से किया जाता है जिनमें संबंधित सांविधिक परिषदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मानित विश्वविद्यालयों की नियोजन स्थिति का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है और यदि कोई झूठा वायदा पाया जाता है तो विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाती है। सरकार ने "तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं, एवं विश्वविद्यालयों में कदाचारों की रोकथाम विधेयक, 2010" संसद में पुनःस्थापित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन जारी करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

हवाई-अड्डे की स्थापना

3811. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोकराझार मे ग्रीनफील्ड हवाई-अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं, तथापि असम के कोकराझार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने स्थल निरीक्षण के बाद बार-बार बाढ़ आने की संभावना वाले क्षेत्र के कारण उस स्थान पर एयरपोर्ट स्थापना की सिफारिश नहीं की। इसके बजाए एएआई ने रूपसी एयरपोर्ट का पुनरुद्धार करने का सुझाव दिया, जिसे बोडोलैंड टेरीटोरियल काउंसिल (बीटीसी) सेक्रेटेरिएट द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।

[हिन्दी]

स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात

3812. श्री जगदानंद सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षक-छात्र और छात्र-कक्षा का उचित अनुपात सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में उक्त अनुपात हासिल नहीं किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उचित अनुपात नहीं बनाये रखने के प्रभावों का पता लगाने के लिए किये गये अध्ययन में शिक्षा का स्तर खराब पाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) छात्रों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी अवस्थापना और अन्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध करायी जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 में यह निर्धारित किया गया है कि विद्यालय स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात क्रमश: 30:1 और 35:1 बनाए रखा जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक अध्यापक के लिए न्यूनतम एक कक्षाकक्ष होना चाहिए। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, और झारखंड के संबंध में सभी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 59:1, 44:1, 25:1, 34:1 और 40:1 है।

उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के संबंध में सभी विद्यालयों में छात्र कक्षाकक्ष अनुपात क्रमश: 34:1, 27:1, 27:1 और 33:1 है जबकि बिहार में 79:1 है।

(ङ) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) कक्षा-III, V और III में बच्चों की अधिगम उपलब्धियों का बहत व्यापक आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करता है। एनसीईआरटी द्वारा इन राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणों के दो चक्र पूरे कर लिए गए हैं जिससे अधिगम स्तरों में सुधारों के बारे में पता चलता है हालांकि समग्र स्तर अभी भी कम ही है।

(छ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों के प्रावधान सहित सभी अवसंरचना सुविधाएं 31 मार्च, 2013 तक लागू होनी चाहिए। बेहतर पीटीआर और एससीआर सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2012-13 तक शिक्षकों के 19. 82 लाख पद और 3.04 लाख स्कूल भवन और 17.92 लाख अतिरिक्त कक्षाकक्ष संस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

लाइट वाटर रिएक्टरों का आयात

3813. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40,00 मेगावाट क्षमता वाले लाइट-वाटर रिएक्टरों के आयात का निर्णय वर्ष 2006 में लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने समेकित ऊर्जा नीति तैयार की है जिसमें वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है और ये आयात उसी का हिस्सा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन आयातों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन नहीं करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) एकीकृत ऊर्जा नीति में वर्ष 2032 तक परिकल्पित अनुसार, 63,000 मेगावाट की पूर्वानुमानित नाभिकीय विद्युत क्षमता, स्वदेशी और विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित दोनों किस्म के रिएक्टरों को प्रचालित करके क्षमता का विस्तार करने पर आधारित है।

(ङ) और (च) उच्चतम सुरक्षा संबंधी मानदंड और एक व्यवहार्य शुल्क-दर का निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए, अलग-अलग परियोजनाओं के लिए किया गया तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर विस्तार में की जा रही बातचीत का एक भाग है।

उड़ान ड्यूटी समय संबंधी मानक

3814. श्री रूद्रमाधव राय:
डॉ० पी. वेणुगोपाल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने काम करने के समय के मानकों के संबंध में डीजीसीए को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत में और विश्व में लागू उड़ान के घंटों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(घ) नये फ्लाइट ड्यूटी टाइम और फ्लाइट-टाइम सीमा के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां। भारतीय एयरलाइनों के पायलटों की एसोसिएशन की संयुक्त कार्य समिति तथा अन्यों ने मुंबई उच्च न्यायालय के 2008 की रिट याचिका सं. 1687 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2011 की सिविल अपील संख्या 3844 प्रस्तुत की है, जिससे 2007 में जारी एफडीटीएल पर नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के संबंध में नागर विमान महानिदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई को आस्थगित रखने का अनुमोदन मिला है। सिविल अपील का निपटान करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागर विमानन महानिदेशालय को एफडीटीएल पर अति शीघ्र नए विनियम बनाने का निदेश दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा एफडीटीएल के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित नई नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) निर्धारित की हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एफडीटीएल नागर विमानन अपेक्षाओं का कार्यान्वयन नही किए जाने का आरोप लगाते हुए सोसाइटी फॉर वेल्फेयर ऑफ इंडियन पायलट्स (एसडब्ल्यूयूआईपी) द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने दिनांक 11 अगस्त, 2011 की सीएआर खण्ड 7, शृंखला ने, भाग-III, अंक II जारी किया है जिसमें सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित/गैर-अनुसूचित विमान परिवहन प्रचालनों पर कार्यरत उड़ान कर्मियों के लिए उड़ान तथा कार्य समय की सीमाए तथा विश्राम अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट है। नागर विमानन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन में चूंकि उड़ान कर्मियों की थकान तथा विश्राम अवधि जैसे विभिन्न कारक सम्मिलित है अत: नागर विमानन अपेक्षाओं का कार्यान्वयन प्रगामी रूप में हुआ है। फरवरी 2013 तक अनुसूचित एयरलाइनों के 95% प्रचालन नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रावधानों के अंतर्गत हुए हैं। तथापि अब घरेलू, पड़ोसी देशों तथा लंबी दूरी वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित अनुसूचित एयरलाइनों के सभी प्रचालन नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रावधानों के अंतर्गत किये जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में विश्व के कुछ अन्य देशों द्वारा पालन किए जा रहे एफडीटीएल का भी समावेश है। आज की स्थिति के अनुसार एफडीटीएल नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार का पूरा अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन

3815. श्री सज्जन वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों विशेषकर महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में वर्ष-वार और राज्य-वार हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "उच्चतम और तकनीकी शिक्षा के आंकड़ें" के अनुसार वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (अनंतिम) के दौरान देश में

उच्चतर शिक्षा में नामांकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों की लिंग-वार संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष/श्रेणी		2007-08	2008-09	2009-10 (अनन्तिम)	2008-2009 की तुलना में 2009-10 के नामांकन में परिवर्तन प्रतिशत
अनुसूचित	पुरुष	1450808	1409151	1500336	6.47
जाति छात्र	महिला	851228	839685	939249	11.86
अनुसूचित	पुरुष	612909	591278	681099	15.19
जनजाति छात्र	महिला	335265	346608	399799	15.35

उच्चतर शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के नामांकन के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) वर्ष 2007-08 से 2009-10 (अनन्तिम) के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों के नामांकन, 2008-09 की तुलना में 2009-10 में प्रतिशत वृद्धि सहित, दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10 (अनंतिम)			
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	2008-09 की तुलना पुरुष नामांकन में परिवर्तन का%	2008-09 की तुलना में महिला नामांकन में परिवर्तन का%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	163105	88052	115433	52546	141330	69807	22.43	32.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	3	7	3	7	3	0.00	0.00
3.	असम*	23181	12922	28188	12494	28289	12913	0.36	3.35
4.	बिहार	69325	19200	49411	16331	66068	21501	33.71	31.66
5.	छत्तीसगढ़	20455	14236	24269	13887	37504	21967	54.53	58.18
6.	गोवा	205	163	211	189	244	236	15.64	24.87
7.	गुजरात	40210	25730	59316	34140	58262	32717	-1.78	-4.17
8.	हरियाणा	37749	24054	33489	18423	39752	23067	18.70	25.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	8556	7732	10562	10087	14007	12616	32.62	25.07
10.	जम्मू और कश्मीर	8381	5222	9039	5873	9127	7014	0.97	19.43
11.	झारखंड	19056	7272	18773	6989	17689	6755	-5.77	-3.35
12.	कर्नाटक	61670	40796	105021	60473	124819	72433	18.85	19.78
13.	केरल	22538	33734	20401	27349	22034	28872	8.00	5.57
14.	मध्य प्रदेश	89929	51347	84933	55483	73157	47885	-13.87	-13.69
15.	महाराष्ट्र	306483	198090	221735	162139	210934	142245	-4.87	-12.27
16.	मणिपुर	607	373	767	621	1110	918	44.72	47.83
17.	मेघालय	349	345	426	382	265	204	-37.79	-46.60
18.	मिजोरम	25	17	23	6	0	0	-100.00	-100.00
19.	नागालैंड*	182	118	319	171	270	233	-15.36	36.26
20.	ओडिशा	22569	8663	23767	9052	22144	8517	-6.83	-5.91
21.	पंजाब	20257	18512	21279	19275	25994	20668	22.16	7.23
22.	राजस्थान	53704	23503	63830	27671	65483	30609	2.59	10.62
23.	सिक्किम*	344	223	349	199	302	232	-13.47	16.58
24.	तमिलनाडु	77769	60832	83791	68635	98530	77376	17.59	12.74
25.	त्रिपुरा	3424	2536	4825	3148	5161	3364	6.96	6.86
26.	उत्तर प्रदेश	254192	125896	262368	135474	264962	166835	0.99	23.15
27.	उत्तराखंड	18567	15180	9023	6934	20736	27987	129.81	303.62
28.	पश्चिम बंगाल	89428	39289	114223	67249	120457	78573	5.46	16.84
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0		
30.	चंडीगढ़	5713	7030	2284	2154	1388	1122	-39.23	-47.91
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	31	33	49	58	58.06	75.76
32.	दमन और दीव	35	68	57	43	54	45	-5.26	4.65
33.	दिल्ली	30770	18084	38594	19591	27801	19836	-27.97	1.25
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0		
35.	पुदुचेरी	2023	2006	2407	2641	2407	2641	0.00	0.00
	भारत	1450808	851228	1409151	839685	1500336	939249	6.47	11.86

विवरण II

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2008-09		2009-10 (अनंतिम)			
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	2008-09 की तुलना पुरुष नामांकन में परिवर्तन का%	2008-09 की तुलना में महिला नामांकन में परिवर्तन का%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	60915	29724	41637	16258	73262	25820	75.95	58.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	8844	6285	10177	7181	11357	8364	11.59	16.47
3.	असम*	19085	8830	21364	10507	22357	11557	4.65	9.99
4.	बिहार	10027	2810	12554	3560	10040	3749	-20.03	5.31
5.	छत्तीसगढ़	17040	10371	47242	38410	80604	48430	70.62	26.09
6.	गोवा	833	453	848	519	896	940	5.66	81.12
7.	गुजरात	41341	28578	44596	27993	46340	26925	3.91	-3.82
8.	हरियाणा	0	0	0	0	3	0		
9.	हिमाचल प्रदेश	3539	3217	4324	3786	5569	4833	28.79	27.65
10.	जम्मू और कश्मीर*	7235	4665	6763	4427	7555	5575	11.71	25.93
11.	झारखंड	49886	19988	35574	13249	34442	13794	-3.18	4.11
12.	कर्नाटक	16817	8544	35290	17928	40757	22365	15.49	24.75
13.	केरल	3010	3454	2437	2600	2823	3309	15.84	27.27
14.	मध्य प्रदेश	65248	33561	61395	35721	48106	28219	-21.65	-21.00
15.	महाराष्ट्र	121548	70571	51083	30271	47105	19332	-7.79	-36.14
16.	मणिपुर	5201	3152	8612	5766	11128	7877	29.22	36.61
17.	मेघालय	21241	21702	24532	25255	25907	27681	5.60	9.61
18.	मिजोरम	12894	11000	18029	14019	18298	15133	1.49	7.95
19.	नागालैंड*	10836	8702	19072	14827	21246	18965	11.40	27.91
20.	ओडिशा	28270	6116	25999	5385	22667	5738	-12.82	6.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	128	75	58	21	176	93	203.45	342.86
22.	राजस्थान	47142	20304	51918	22063	52863	24652	1.82	11.73
23.	सिक्किम*	2142	1687	2481	1948	3166	2737	27.61	40.50
24.	तमिलनाडु	3296	2838	3508	3272	4101	3368	16.90	2.93
25.	त्रिपुरा	5070	3589	7011	4492	6584	4491	-6.09	-0.02
26.	उत्तर प्रदेश	3412	1663	3934	1880	5815	3371	47.81	79.31
27.	उत्तराखंड	7610	5092	3212	3222	12307	15397	283.16	377.87
28.	पश्चिम बंगाल	27226	10773	30043	18917	52304	37065	74.10	95.93
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	338	360	639	596	693	763	8.45	28.02
30.	चंडीगढ़	308	389	4025	6070	225	209	-94.41	-96.56
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	162	85	164	109	1.23	28.24
32.	दमन और दीव	75	87	64	62	109	42	70.31	-32.26
33.	दिल्ली	12168	6586	12563	6076	12017	8599	-4.35	41.52
34.	लक्षद्वीप	184	99	132	242	113	297	-14.39	22.73
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0		
	भारत	612909	335265	591278	346608	681099	399799	15.19	15.35

[अनुवाद]

निजी विमान पर ड्यूटी

3816. श्री आधि शंकरः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि विमान का निजी उपयोग या अनिर्दिष्ट वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए उपयोग किया जा रहा है, निजी विमान पर एक समान ड्यूटी लगायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ राजस्व पर इसके प्रभाव संबंधी मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्त मंत्रालय की इस संबंधा में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। गैर-अनुसूचित प्रचालन तथा निजी उपयोग हेतु विमान के आयात पर एक समान ड्यूटी लगाने पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है। तथापि वहां से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

एमडीएम की मॉनीटरिंग

3817. श्री दुष्यंत सिंहः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सफाई और बच्चों को दिये जा रहे भोजन के पोषण के संबंध में मिड डे मील रसोई-घरों और गोदामों की नियमित मॉनीटरिंग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोदामों, जहां अनाज रखा जाता है, को संक्रमण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि देश के विभिन्न राज्यों में रसोईघरों को चलाने के लिए धनराशि अभी तक नहीं दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) धनराशि कब तक जारी की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के दिशानिर्देशों में योजना की मानीटरिंग राज्य सरकारों के अधिकारियों, खाद्य और पोषण बोर्ड, पोषण विशेषज्ञों, मानीटरिंग संस्थानों, स्कूल प्रबंध समितियों आदि द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को संतोषजनक गुणता का पौष्टिक मध्याह्न भोजन मिले। ये अधिकारी/संस्थान स्वच्छता के संबंध में रसाईघरों/गोदामों का निरीक्षण भी करते हैं ताकि बच्चों को सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थितियों में तैयार किया गया पौष्टिक भोजन परोसा जाए।

एमडीएम दिशानिर्देशों में एफसीआई के गोदामों में से कम से कम उचित औसत गुणता (एफएक्यू) के अच्छी गुणता के खाद्यान्न उठाने संदूषित होने से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों का शुष्क एवं सुरक्षित स्थानों पर, एयर टाइट पात्रों/टोकरियों में भंडारण करने और समुचित रूप से प्रशिक्षित रसोइया-सह-हैल्परों द्वारा स्वच्छ वातावरण में भोजन पकाने की भी व्यवस्था है। पके हुए भोजन को बच्चों को परोसने से पूर्व एक अध्यापक सहित 2-3 वयस्कों द्वारा चखना होता है। पकाने के लिए प्रयुक्त घटक, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, खाद्य तेल और मसाले मिलावट और पीड़क जंतुओं से मुक्त होने चाहिए तथा इनका उपयोग उपयुक्त समुचित रूप से साफ करने और धोने के बाद ही किया जाना चाहिए। पकाने और परोसने के बर्तनों को उपयोग करने के बाद प्रतिदिन समुचित रूप से साफ करना और सुखाना चाहिए।

चालू वर्ष (2012-13) में दिनांक 2012 तक राज्य सरकारों के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में 69 प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त मानीटरिंग करने वाले संस्थानों ने अक्तूबर, 2010 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान 580 जिलों में 22,594 स्कूलों का निरीक्षण किया, केन्द्रीय समीक्षा मिशन ने वर्ष 2010 से 2013 तक 44 जिलों में 642 स्कूलों का निरीक्षण किया। मध्याह्न भोजन योजना के उच्चतम न्यायालय के कमिश्नरेट कार्यालय ने भी 49 जिलों में 585 स्कूलों का निरीक्षण किया है।

(घ) से (च) चालू वर्ष में एमडीएमएस के लिए आवंटित निधियों का 93 प्रतिशत राज्यों को जारी किया जा चुका है। अब तक, 9,79,164 रसोइघर-सह-भंडारघरों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 7524.37 करोड़ रुपये की गैर-आवर्ती केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। इनमें से 30.09.2012 तक 5,99,775 रसोइघर-सह-भंडारघरों का निर्माण किया गया है। 1,06,678 रसोईघर-सह-भंडारघरों का निर्माण चल रहा है।

[हिन्दी]

टावरों से विकिरण

3818. श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेलः
श्रीमती सुस्मिता बाउरीः
श्री मुरारी लाल सिंहः
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वायरलेस ऑन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में विशेषकर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू. एल.एल. तकनीक पर प्रतिस्थापित अधिकांश टेलीफोन कनेक्शन बैटरी की कमी के कारण खराब पड़े रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तारीख तक कितने डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन राज्य-वार खराब पड़े हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस तकनीक को स्तरोन्यन/संशोधन करने तथा उपकरणों/बैटरियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा):

(क) लाइसेंस सेवा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) अधिकांश डब्ल्यूएलएल टेलीफोन कनेक्शन सही हालत में बताये गए हैं तथापि यह भी बताया गया है कि कुछ डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन खराब हैं और ये कुछ खराब कनेक्शन बैटरियों की कमी के कारण हैं।

(घ) दूसरंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा बताया गया है कि खराब कनेक्शनों की संख्या दिन प्रतिदिन आधार पर घटती बढ़ती रहती है और अधिकांश खराबियों को सामान्यत: सूचना मिलने के 3 दिनों के भीतर शीघ्रतापूर्वक सही किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों की लाइसेंस सेवा की क्षेत्र-वार संख्या

क्रम. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र का नाम (एलएसए)	लोकल लूप कनेक्शन से संबंधित वायरलैस की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	591828
2.	असम	90032
3.	बिहार	405724
4.	दिल्ली	338173
5.	गुजरात	566045
6.	हरियाणा	329418
7.	हिमाचल प्रदेश	184347
8.	जम्मू और कश्मीर	70081
9.	कर्नाटक	1287674
10.	केरल	293449
11.	कोलकाता	24524
12.	मध्य प्रदेश	635636
13.	महाराष्ट्र	1730120
14.	मुंबई	461541
15.	पूर्वोत्तर	146431
16.	ओडिशा	146359
17.	पंजाब	108738
18.	राजस्थान	910740
19.	तमिलनाडु	483273
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	585761
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	619082
22.	पश्चिम बंगाल	175024

[अनुवाद]

नेबरहुड विद्यालय

3819. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक नि:शक्तता-अनुकूल निर्माण युक्त कितने नेबरहुड विद्यालय स्थापित किये गये है;

(ख) 2011-12 के दौरान ऐसे विद्यालयों में कुल कितने शिक्षक भर्ती किये गए;

(ग) क्या राजसहायता प्राप्त रसोई गैसों पर हाल की सीमा से ऐसे नेबरहुड विद्यालयों के मध्याह्न भोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे विद्यालय में विशेषकर बालिकाओं के लिए उपयुक्त रूप से कार्यरत शौचालयों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 के अनुसार देश में 10,78,407 सरकारी प्रांरभिक स्कूल हैं और इनमें से 54 प्रतिशत में बिना किसी कठिनाई के पहुंचा जा सकता है।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 2012-13 तक शिक्षकों के 19.82 लाख पदों को मंजूरी मिल गई है जिनमें से 12.86 लाख पदों पर 31.12.2012 तक भर्तियां भी की जा चुकी हैं। देश में सरकारी स्कूलों में कुल 42.88 लाख शिक्षक हैं।

(ग) मध्याह्न भोजन के लिए एलपीजी कनेक्शन पर केवल 31 प्रतिशत प्रारंभिक स्कूल निर्भर है। एलपीजी की ऊपरी मांग की पूर्ति हेतु मौजूदा निधीयन पद्धति के आधार पर अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(घ) डीआईएसई 2011-12 के अनुसार 65.35 प्रतिशत स्कूलों में पृथक बालिका-शौचालय हैं और उनमें से 88 प्रतिशत कार्य कर रहे हैं। स्कूलों को एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है।

[हिन्दी]

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों का मुद्रण

3820. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2012 में दिल्ली में आयोजित एन.सी.ई. आर.टी. की बैठक में सभी राज्यों ने एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों के मुद्रण पर उनसे रायल्टी शुल्क को समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालयों के समय पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें नहीं मिलती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार ने इच्छा व्यक्त की थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उनकी पुस्तकें लागू करने/अपनाने पर कापीराइट प्राप्त करने के लिए रायल्टी शुल्क नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए यह अनुरोध स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें समय पर उपलब्ध हो जाती हैं।

[अनुवाद]

सम्पत्तियों का गैर-कानूनी क्रय/विक्रय

3821. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सम्पत्तियों की गैर-कानूनी क्रय/विक्रय बड़े पैमाने पर होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारी भी ऐसे कार्यकलापों में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है/कर रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सूचित किया है कि वह एक योजनाकार निकाय है तथा यह सम्पतियों की बिक्री/खरीद पर सूचना का अनुरक्षण नहीं रखता है और न ही एनसीआर में सम्पत्तियों की बिक्री तथा खरीद को नियंत्रित करता है।

(ग) और (घ) दि.वि.प्रा. ने सूचित किया है कि कदाचार में लिप्त पाये जाने वाले डीडीए के अधिकारियों के संबंध में विभागीय कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में अनुसंधान परियोजनाएं

3822. श्री रामसिंह राठवा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने गुजरात राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कौन सी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या बीएआरसी ने राज्य में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से कृषि क्षेत्र में कोई अनुसंधान कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को, नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस) के माध्यम से, अनुसंधान तथा विकास संबंधी परियोजनाओं को प्रायोजित करके, देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में अवस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक

संस्थानों में चलाया जा रहा है। वर्ष 2005 से, इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, गुजरात राज्य में 41 अनुसंधान तथा विकास संबंधी परियोजनाओं को प्रायोजित किया गया है। इनमें से, पिछले तीन वर्षों के दौरान 16 परियोजनाएं प्रायोजित की गईं। अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के अलावा, नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, देशभर में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों के लिए भी अनुदान प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों में, नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड द्वारा गुजरात राज्य में 21 सम्मेलनों के लिए अनुदान दिया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड द्वारा गुजरात राज्य में प्रायोजित की गई अनुसंधान तथा विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए 130 लाख रुपये की राशि अनुदान स्वरूप दी गई।

(ग) और (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई में, कई दशकों से पारम्परिक प्रजनन सहित फसलों में सुधार लाने के लिए विकिरण आधारित उत्प्रेरित उत्परिवर्ती संबंधी अध्ययन किया जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने, मूंगफली में उत्परिवर्तन और पुनर्योजन प्रजनन दोनों को उपयोग में लाकर, मूंगफली की 14 किस्में विकसित की हैं, और उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन के लिए देशभर में जारी तथा अधिसूचित किया है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, पांच किस्में नामतः टीएजी-24, सोमनाथ, टीजी-26, टीजी-37ए और टीपीजी-41, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय (डीजीआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), जूनागढ़ और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ के सक्रिय सहयोग से गुजरात के लिए जारी की गई। इसके अतिरिक्त, हाल ही में जारी की गई किस्में जैसेकि टीजी-38, टीएलजी-45 और टीजी-51 (अन्यत्र जारी) गुजरात के किसानों के बीच भी लोकप्रिय हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मूंगफली की नई प्रजनन किस्मों का मूल्यांकन कृषि अनुसंधान स्टेशन, तालोड, गुजरात द्वारा किया जाता है। हाल ही में, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी ने, चार क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों में मूंगफली की प्रगत प्रजनन किस्मों का मूल्यांकन किया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से, मूंगफली अनुसंधान संस्थान, जूनागढ़ के साथ तना अपक्षय प्रतिरोधी उत्प्रेरित उत्परिवर्ती जैसी मूंगफली की नई अनुसंधान परियोजनाओं को भी वित्त-पोषित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जूनागढ़ और आनन्द में अवस्थित कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

3823. श्री राम सुन्दर दासः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यकरण की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समितिं का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोक में एनसीटीई के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार/एनसीटीई द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मई 2011 में एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति की थी जिसका कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की भूमिका और कार्यों और सुधार के लिए अनुशंसित उपायों सहित अध्यापक शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को 29.08.2012 को प्रस्तुत की और मुख्य 4 श्रेणियों में अनुशंसाएं की जो निम्नवत हैं:

(i) सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता

(ii) सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता

(iii) अध्यापक निष्पादन और अध्यापक लेखा परीक्षा

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के नियामक कार्यों का सुदृढ़ीकरण उक्त आयोग ने 300 संस्थाओं का निरीक्षण किया जिनमें से 44 संस्थाएं पात्र पाई गई है 249 संस्थाओं ने डीएड कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता की पात्रता पूरी नहीं की ओर 7 संस्थाएं उक्त कार्यक्रम को बंद करने के लिए आवेदन करने का निर्णय कर चुकी थीं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 30 के उपबंधों के अनुसार जुलाई 2011 में एनसीटीई परिषद का अधिक्रमण किया और परिषद के अधिकारों का उपयोग करने और कार्य करने के लिए एक समिति नियुक्त की।

(ङ) सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अध्यापक तैयार करने और अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अध्यापक की अर्हताएं निर्धारित करना, कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनिवार्य अर्हता के रूप में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए जाने का उललेख करना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या, एनसीएफटीई (2009) तैयार करना, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करना, 12वीं योजना के लिए अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना का संशोधन करना शामिल है जिसके लिए मौजूदा सांस्थानिक संरचनाओं यथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), अध्यापक शिक्षा के महाविद्यालय (सीटीई) और शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसई) का सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) का सुदृढ़ीकरण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अध्यापक शिक्षा की ब्लॉक संस्थाओं (बीआईटीई) की स्थापना करना आदि आवश्यक है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रतिष्ठित अध्यापक शिक्षा विशेषज्ञों को शामिल करके संयुक्त समीक्षा मिशन का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश के 10 राज्यों की संस्था के प्रत्येक स्तर के संबंध में इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहारिक कार्यक्रमों, आयोजना कार्यान्वयन निगरानी और मूल्यांकन से जुड़े विषयों की प्रगति की समीक्षा और विचार करना है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय में अनियमितताएं

3824. श्री पुलिन बिहारी बासके: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवोदय विद्यालयों के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निधियों का लेखापरीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लेखा परीक्षकों ने इस संबंध में कुछ अनियमितताओं की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्यालयों में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवोदय विद्यालयों को संस्वीकृत, निर्मुक्त एवं उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। तथापि, निधियों के राज्य-वार विभाजन का काई प्रावधान नहीं है।

वर्ष	संस्वीकृत/जारी की गई निधियां			उपयोग की गई निधियां		
	योजनेतर	योजना	कुल	योजनेतर	योजना	कुल
2009-10	376.20	1300.00	1676.20	357.46	1281.96	1639.42
2010-11	370.40	1285.00	1655.40	382.25	1285.12	1667.37
2011-12	421.90	1200.00	1621.90	431.76	1141.60	1573.36
2012-13	471.40	1250.00	1721.40	471.40*	1250.00*	1721.40*

*प्रत्याशित।

(ख) और (ग) जी, हां। नवोदय विद्यालय समिति को जारी की गई निधियों की लेखा परीक्षा, महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय) द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) लेखापरीक्षा रिपोर्टों में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है जिसे आवश्यक अनुपालन के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नोट कर लिा गया है।

तदनुसार, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर महानिदेशक लेखा परीक्षा को उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

हवाई किराया

3825. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घरेलू एयरलाइनों को प्रत्येक रूट के लिए स्लैब-वार प्रशुल्क प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है ताकि हवाई किराया निर्धारण में पारदर्शिता लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विभिन्न एयरलाइनों की एयरलाइन-वार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन और दोषी एयरलाइनों को दण्डित करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा विमान परिवहन परिपत्र 2010 का 2 जारी किया गया जिसमें सभी घरेलू एयरलाइनों को अपनी-अपनी वेबसाट पर विभिन्न किराया श्रेणियों में अपने नेटवर्क में मार्ग-वार टैरिफ शीट प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें अपनी-अपनी वेबसाइटों पर मार्ग-वार और श्रेणीवार किराए प्रदर्शित कर रही है ताकि यात्रियों को एयरलाइनों की मूल्य निर्धारण पद्धति की जानकारी मिल सके और उन्हें अपनी सुविधानुसार एयरलाइन चयन करने का अवसर मिल सके।

(ग) टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमित आधार पर घरेलू एयरलाइनों के विमान किरायों को मॉनीटर करने के लिए टैरिफ विश्लेषण एकक का गठन किया है। विमान किरायों की मॉनीटरिंग से पता चला है कि विमान किराए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा उनकी वेबसाइटों पर घोषित किराया बैंड के भीतर ही हैं।

एयरलाइनों के लिए लाइसेंस

3826. श्री वैजयंत पांडा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयरलाइनों मे 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के पश्चात् राष्ट्रीय एयरलाइन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या और नागर विमानन महानिदशालय (डीजीसीए) के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके मामला-वार क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एयरलाइनों में 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय एयरलाइन लाइसेंस के लिए कोई भी प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय को नहीं मिला है और इसलिए, नागर विमानन महानिदेशालय के समक्ष भी ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट सेवाएं

3827. श्री पी. कुमार:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री सी. शिवासामी:
श्री संजय निरूपम:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट सेवाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर संचालित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य हेतु निबन्धन और शर्तो सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसका कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् पीपीपी प्रणाली का नवीकरण नहीं करने और इन सेवाओं को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या निजी सेवा प्रदाता की कार्यकुशलता के बारे में आम जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) (i) पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली में सतत सुधार तथा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु उदारीकृत उपायों एवं पासपोर्ट चाहने वालों की संख्या में गत वर्षों के दौरान द्रुत वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के संदर्भ में नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में यह अनुभव किया गया था कि प्रणाली के पुनरुद्धार के बिना मांग की पूर्ति संभव नहीं होगी। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना के भाग के रूप में एक मिशन के तौर पर पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) नामक एक महत्वाकांक्षी ई-अभिशासन पहल की शुरूआत की थी जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी पासपोर्ट सेवाएं यथासमय पारदर्शी ढंग से, और विश्वसनीय तरीके से अधिक सुलभ बनाई जाएं तथा अधिक सरलीकृत प्रक्रिया एवं प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित तथा अनुप्रेरित कार्मिकों के जरिए सहज एवं आरामदायक परिवेश में उपलब्ध कराना है।

(ii) पीएसपी के अभिकल्पन के प्रथम कदम के रूप में विदेश मंत्रालय ने भारत में पासपोर्ट सेवाओं की वर्तमान प्रणाली तथा विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन करने और उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पुनराभिकल्पित प्रणाली की स्थापना करने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएं करने हेतु नेशनल इन्स्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) की सेवाएं प्राप्त कीं।

(iii) एनआईएसजी से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ (i) फ्रांट एंड पासपोर्ट सेवाओं की आउटसोर्सिंग (ii) पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की स्थापना (iii) सभी पीएसके, आरपीओ (पीओ), पुलिस तथा डाक विभाग को संबद्ध करने हेतु केन्द्रीयकृत औद्योगिक सूचना प्रणाली के निर्माण तथा (iv) प्रत्येक सेवा के लिए निजी भागीदार द्वारा सेवा प्रभार लगाए जाने की अनुमति के लिए दिनांक 6 सितम्बर, 2007 को संघीय मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया।

(iv) द्विस्तरीय बोली प्रक्रिया के बाद मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज (टीसीए) को पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के लि मई, 2008 में सेवा प्रदाता के रूप में चुन लिया गया। एमईए ने 13 अक्तूबर, 2008 को टीसीएस के साथ एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) किया। टीसीएस मात्रा के आधार पर तथा स्तर के अध्याधीन 27 युक्तियुक्त सेवा प्रदाय प्रत्येक पासपोर्ट पर सेवा प्रभार के माध्यम से अपनी लागत की वसूली करेगा। सेवा प्रदाय के इन स्तरों में विभिन्न मानदण्डों, यथा बाह्य एवं आंतरिक दक्षता; बाह्य, आंतरिक. एवं तकनीकी प्रभावकारिता परिवेश तथा ग्राहक संबंध शामिल हैं। इन सेवाओं के प्रदाय स्तर को प्राप्त करने तथा उसे निरंतर बनाए रखने के लिए सेवा प्रदाय के संबंध में समग्रतावादी दृष्टिकोण तथा समस्त प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित इस परियोजना में निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाता के 3000 से अधिक कर्मचारियों तथा विदेश मंत्रालय के 2500 कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। यह परियोजना निर्माण-स्वामित्व-प्रचालन-अंतरण मॉडल के आधार पर संचालित होती है जिसमें प्रारंभिक पूंजीनिवेश निजी क्षेत्र के भागीदार द्वारा किया जाता है। सरकार का निवेश न्यूनतम होता है।

(v) एमएसए में अभिशासन अनुसूची, पीएसके के उपयोग तथा नियंत्रण, सुरक्षा व बचाव, भुगतान की शर्तें, कराधान, उल्लंघन, सुधार व समाप्ति, संरक्षण व सीमाएं डाटा संरक्षण, गोपनीयता, लेखा-परीक्षा, मूल्यांकन व रिपोर्टिंग, बौद्धिक संपदा, ट्रेडमार्क/प्रचार, विच्छेदनीयता व छूट विवाद समाधान, परिवर्तन नियंत्रण, निष्कासन प्रबंधन तथा भुगतान की शर्तें संबंधी प्रावधान शामिल हैं। सेवा प्रदाता के दायित्व निम्नवत हैं-

(क) आरएफपी तथा एमएसए में यथाविनिर्दिष्ट संपूर्ण पासपोर्ट प्रणाली से संबंधित सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग तथा पीसी।

(ख) आरएफपी के विनिर्देशों के अनुसार, सभी पीएसके के लिए भौतिक अधिसंरचना तथा उसके आंतरिक भाग।

(ग) डाटा सेंटर, आपदा राहत केन्द्र (डीआरसी) तथा सेंट्रल पासपोर्ट प्रिंटिंग फैशिलिटी (सीपीपीएफ) संरचना।

(घ) उपर्युक्त सभी का अनुरक्षण व प्रचालन।

(ङ) पीएसके के सभी प्राइवेट काउंटरों के लिए स्टाफ

(च) पीएसके, पीओ, डीसी, डीआरसी, सीपीपीएफ के लिए तकनीकी कर्मचारी।

(छ) अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर संबंधी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर संबंधी सामान्य कौशल विषयक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स, ग्राहक सेवा एवं वितरण।

(ज) परिवर्तन प्रबंधन तथा संचार रणनीति एवं कार्यान्वयन।

(झ) पासपोर्ट प्रणाली के लिए आईएसओ (9001.27001. 20000) प्रमाणपत्र प्राप्त करना।

(ञ) सेवा स्तर करार (एसएलए) का अनुपालन।

(ट) कॉल सेंटर तथा शिकायत निवारण।

(vi) मई, 2010 में कर्नाटक में चार पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की गयी थी। बाद में, अगस्त,

2010 में चंडीगढ़, लुधियाना तथा अंबाला में तीन और पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में इन परियाजनाओं की शुरूआत की गई थी। मानक, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संगठन है, से जनवरी, 2011 में अपेक्षित प्रमाणपत्र मिलने के बाद इस मंत्रालय तथा सेवा प्रदाता, टीसीएस द्वारा संयुक्त रूप से एक रॉल-आउट योजना तैयार की गयी थी। उसे चालू कर दिया गय था और 14 जून, 2012 तक देश के सभी 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में प्रणाली सीपित कर दी गयी थी। एसटीक्यूसी ने मध्य जून, 2012 में अनुालन सत्यापन रिपोर्ट जारी कर दी तथा उसके बाद एमएसए की शर्तों के अनुसार परियोजना से संबंधित प्रचालन व अनुरक्षण चरा को 6 वर्षों की सेवा प्रदाय अवधि अर्थात् 11 जून, 2018 तक के लिए चालू कर दिया गया। नई प्रणाली के अन्तर्गत 28 फरवरी, 2013 तक 71.7 लाख पासपोर्ट जारी किए गए थे और 3-6 लाख विविध पासपोर्ट सेवाएं प्रदान की गई थीं।

(vii) सिर्फ फ्रांट एण्ड कार्य, अर्थात टोकन जारी करने, पासपोर्ट आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जॉच करने, शुल्क स्वीकार करने, प्रलेखों की जुांच करने, तस्वीर खींचने तथा बायोमैट्रिक्स तैयार करने आदि जैसे कार्य सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा किए जाते हैं। सार्वभौमिक तथा न्यासी कार्य जैसे प्रलेखों का सत्यापन, पुलिस सत्यापन, पासपोर्ट की मंजूरी से संबंधित निर्णय, प्रतिसंहरण, पासपोर्टों की जब्ती, पासपोर्टों के मुद्रण व प्रेषण आदि सरकारी कार्मिकों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

(viii) संपूर्ण प्रक्रिया ऑन लाइन कर दी गई है और सरल बना दी गई है तथा साथ ही आवेदकों के व्यक्तिगत ब्यौरे के भारतीय पुलिस द्वारा सत्यापन तथा पासपोर्टों के वितरण के लिए भारतीय डाक विभाग से सम्पर्क किया गया है। पासपोर्ट पोर्टल www.passportindia.gov.in के माध्यम से आवेदनों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सहायता के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन 18002581800 पर कॉल किया जा सकता है। पीएसके में आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति से पासपोट जारी करने वाले अधिकारी उनकी तस्वीर तथा उंगलियों की छाप प्राप्त कर लेते हैं ताकि छद्म पासपोर्ट की घटनाओं से बचा जा सक। आवेदकों को भी पूरा अवसर मिलता है कि वे पासपोर्ट में दर्ज किए जाने वाले व्यक्तिगत ब्यौरे को देखें तथा उसकी पुष्टि करें जिससे बाद में अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सके। ई-मेल आधारित हेल्प डेस्क सुविधा तथा 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना की गई है ताकि नागरिकों को 17 देशी भाषाओं में अपेक्षित जानकारी प्रदान की जा सकें। पासपोर्ट जारी कर दिए जाने के बाद आवेदकों को तत्काल एसएमएस संदेश भेज दिया जाता है।

(ix) नागरिकों के लिए इस परियोजना को लागू करने से निर्धारित सेवा स्तरों के भीतर सेवाओं का प्रावधान करना, सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में तथा निकटस्थ सम्पर्क स्थल, तथा वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी सहित ऑलाईन सेवा पोर्टफोलियो की उपलब्धता, प्रभावशाली शिकायत निवारण प्रणाली प्रणाली तथा सेवा प्रदान करने में पहले आओ पहले जाओ के सिद्धांतों का कड़ा अनुपालन शामिल है। नई प्रणाली में जन सुविधा काउण्टरों की संख्या पूर्ववर्ती 350 से बढ़ाकर 1610 कर दी गई है तथा पब्लिक डीलिंग घंटों की संख्या प्रतिदिन चार घंटों से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है।

(ग) इस पासपोर्ट सेवा प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए टीसीएस के साथ करार 11 जून, 2018 तक वैध है, जिसमें अगले दो वर्षों के लिए इसके नवीनीकरण का प्रावधान है। इस समय सरकार इस करार के नवीनीकरण अथवा रद्दीकरण के सम्बन्ध में भावी कार्यवाही का संकेत दे पाने की स्थिति में नहीं है।

(घ) और (ङ) इस स्तर की परियोजना, जिसमें पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में कार्मिक तैनात करके प्रतिदिन 30000 पासपोर्ट आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है तथा कॉल सेंटरों द्वारा कई हजार नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, परिचालन सम्बंधी चुनौतियों के बिना नहीं हो सकती। एमएसए के संदर्भ में टीसीएस 27 युक्तियुक्त सेवास्तरीय करारों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है, कार्यक्रम अभिशासन संरचना के भाग के रूप में एक शिकायत निवारण संरचना मौजूद है। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के प्रमुखों, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों तथा टीसीएस से परामर्श करके इसका तुरंत समाधान किया ाता है। सरकार ने प्रणाली के सुचारू कार्यपालन के लिए टीसीएस के स्टाफ की भूमिका का स्पष्ट निर्धारण कर दिया हैं टीसीएस स्टाफ में अच्दे कार्य की नैतिकता संचार करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण स्टाफ में अच्छे कार्य की नैतिकता संचार करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है। सरकार भी पासपोर्ट आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के मानकीकरण के अलावा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन तथा टीसीएस कार्मिकों के लिए अनुदेशों का एक सेट तैयार कर रही है ताकि सेवा सुपुर्दगी में सुधार कियाा जा सके तथा इस सम्बन्ध में शिकायतों को न्यूनतम किया जा सके।

पुनर्विकास योजना

3828. श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पुनर्विकास योजना आरंभ की है/आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना के अंतर्गत शामिल किए गए/शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजना का उद्देश्य क्या है; और

(घ) योजना के तहत कब तक पुनर्विकास कार्य आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) में अध्याय 3.0 में पैरा 3.3 (दिल्ली शहरी क्षेत्र -2021) के तहत बढ़ाये गए एफएआर सहित विद्यमान शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास की सिफारिश की गई है क्योंकि दिल्ली में भूमि की कमी के कारण बड़े पैमाने पर शहरी विस्तार के विकास की सम्भावना सीमित है। संबंधित स्थानीय निकाय (एमसीडी)/भूस्वामियों/निवासियों द्वारा अने संबंधित क्षेत्रों में पुनर्विकास स्कीमें तैयार की जाती है। अब तक डीडीए ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इस संबंध में निम्नलिखित विनियमन अधिसूचित किए हैं:

i. दिनांक 17.1.2011 के सा.आ.97 (ई) के माध्यम से अधिसूचित विशेष क्षेत्र, अनाधिकृत कॉलोनियों और गांव आबादी के लिए भवन विनियमन।

ii. दिनांक 1.4.2011 के सा.आ.683(ई) द्वारा अधिसूचित विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए विनियमन और दिशानिर्देश।

iii. दिनांक 1.5.2012 के सा.आ. 954(ई) द्वारा अधिसूचित नॉन कनफार्मिंग एरिया/गैर-योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र के क्लस्टर के पुनर्विकास के लिए विनियमन।

तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब तक कोई विशिष्ट क्षेत्र पुनर्विकास के लिए नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

हवाई किराया

3829. श्री दत्ता मेघे:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को घरेलू हवाई क्षेत्रों के लिए अत्यधिक किराया वसूलने के लिए घरेलू विमान कम्पनियों के विरुद्ध संसद सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और वर्तमान वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंधा में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तार्किक और पारदर्शी हवाई किरायों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले अन्य सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विमान किराए का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि ये बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। एयरलान टैरिफों में प्रचालनिक लागत, सेवा की विशेषताओं आदि सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ईंधन कीमतों में वृद्धि तथा भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण एयरलाइनों की प्रचालनिक लागतें बढ़ गई हैं इसके अलावा, प्रमुख हवाईअड्डों के लिए हवाईअड्डा/प्रयोक्ता विकास शुल्क में भी बढ़ोत्तरी हो गई है। वित्त वर्ष 2012 से सेवा कर में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक उड़ान के लिए विभिन्न किराए समूह की पेशकश की जाती है तथा एयरलाइनों द्वारा पेश किए जाने वाले निम्नतर किराया समूह सामान्य तौर पर वहनीय होते हैं। सीट की मांग में वृद्धि के साथ ही विमान किराया बढ़ता है, क्योंकि निम्नतम किराया समूह के टिकटों की बिक्री बहुत तेजी से होती है। दीर्घकालिक साप्ताकि अवकाशों, त्यौहारों तथा दीवाली, क्रिसमस नववर्ष की पूर्व संध्या आदि के दौरान जब मांग बढ़ जाती है तब निम्नतर किराया समूह के टिकट पहले समाप्त हो जाते हैं और उड़ान प्रस्थान के समय केवल उच्च किराए समूह की टिकटें उपलब्ध होती है। पर्यटन के लिए आकर्षक सेक्टरों पर ऐसा अधिकांशत: देखा जाता है।

(ङ) विमान किरायों में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 2010 का विमान परविहन परिपत्र 2 जारी किया गया है जिसके अनुसार सभी घरेलू एयरलानों को विभिन्न किराया श्रेणियों में अपने संपूर्ण नेटवर्क की मार्ग-वारन किराया दर सूची अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना अपेक्षित है। इन निदेशों का उद्देश्य एयरलाइनों की मूल्य पद्धति से यात्रियों को अवगत कराना है।

(ii) दर-सूची प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू एयरलाइनों के विमान करायों की नियमित मॉनीटरिंग के लिए किराया विश्लेषण यूनिट स्थापित की है। विमान किरायों की मॉनीटरिंग से ज्ञात हुआ है कि विमान किराए अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा उनकी वेबसाइट पर घोषित किराया बैंड के अनुसार होते हैं।

(iii) यह सूचना प्राप्त हुई है कि यात्रियों को अपनी मूल्य पद्धति से अवगत कराने तथा उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार एअरलाइन चुनने का अवसर देने के उद्देश्य से सभी अनुसूचित घरेलू एअरलाईनें अपनी वेबसाइट पर मार्गवार तथा श्रेणी वार किराया प्रदर्शित कर रही हैं।

एअरलाईनों की प्रचालन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) एटीएफ कीमतों से संबंधित मुद्दे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के समख रखा गया है।

(ii) विमान यात्रा की लागत का प्रभावित करने वाले करों से संबंधित मामले वित्त मंत्रालय के साथ उठाए गए है।

(iii) सरकार द्वारा एटीएफ पर वैट कम किए जाने के मुद्दे भी राज्य सरकारों के समक्ष उठाए गए हैं।

(iv) एअरलाइन उद्योग की अनुरक्षण लागत के भार को कम करने तथा अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवर हॉल (एमआरओ) उद्योगों की प्रगति के लिए कर रियायतें बढ़ाई गई हैं।

[अनुवाद]

स्वच्छ विकास तंत्र

3830. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **शहरी विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्द्श्य सहित इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तंत्र के अध्ययन के लिए कोई समिति गठित की गई और यदि हां, तो इसकी सिफारिशों सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) सरकार ने स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजनाओं के लिए मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए दिसम्बर, 2003 से पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) प्राधिकरण का गठन किया है। उक्त प्राधिकरण यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कैनवेनशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (यूएनएफसीसीसी) और उसके क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत सीडीएम के कार्यकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रणालियां और प्रक्रियाओं के तहत सीडीएम परियोजनाओं को मेजबान देश का अनुमोदन प्रदान करता है। यह प्राधिकरण पर्यावरण पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन अंतर मंत्रालयी निकाय है जिसमें विदेश मंत्रालय, वित्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न मंत्रालयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त प्राधिकरण भारत में सीडीएम परियोजनाओं की उपयोगिता को बढ़ाने में सहायता करने की दृष्टि से परियोजना प्रस्तावकों को संगत तकनीकी और क्षमता विकास सहातया भी उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ) वर्ष 2011 में यूएनएफसीसीसी ने सीडीएम नीति पर विमर्श के लिए 11 सदस्यों वाला एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय पैनल बनाया। ये सदस्य विश्व के विभिन्न क्षेत्र में हैं और विभिन्न

विधाओं के विशेषज्ञ हैं। इस उच्च स्तरीय पैनल ने अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केटों में उत्पन्न संकट को दूर करने और कम करने के प्रभाव को आज की तारीख में बढ़ाने के लिए नये दृष्टिकोण विकसित करने के वास्ते सीडीएम की भूमिका तथा कार्बन मार्केट पर इसके प्रभाव, सीडीएम के संचालन ओर प्रचालन तथा भावी सन्दर्भ जिसमें सीडीएम काम कर सकेगा से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है। पैनल में अन्य बातों के साथ-साथ सख्त मानक बनाने, पर्यावरणीय कार्रवाई के अतिरिक्त प्रभाव का आंकलन के लिए मानकीकरण पद्धतियों के कार्यान्वयन, सुस्थिर विकास को बढ़ावा देने, अल्प प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए सीडीएम तक अधिक पहुच को प्रोत्साहित करने और सीडीएम के लिए मौजूदा संचालन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंच

3831. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री मधु गौड यास्खीः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार दश में नए माध्यमिक विद्यालयों को खोलने के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से भौगोलिक दूरी कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण के अलावा कक्षा, खेल के मैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं, शौचालयों, पेयजल, विद्युत और टेलीफोन सुविधाओं जैसे भौतिक आधारभूत सुविधाओं को अद्यतन करना शामिल होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा की सर्वसलभता के लिए सर्वसुलभता के लिए केद्रीय प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' वर्ष 2009 से कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य प्रत्येक बस्ती से समुचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 12वीं योजना के लक्ष्यों में से एक माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र को 2017 तक सकल नामांकन दर 90 प्रतिशत से अधिक सार्वभौमिक नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत नए माध्यमिक स्कूलों (कक्षा IX-X) में अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है और विद्यमान माध्यमिक स्कूलों में अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाता है जिसमें अन्य के साथ-साथ कक्षा-कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला/शिल्प/संस्कृति कक्ष, शौचालय और पेयजल सुविधाएं शामिल हैं। आरएमएसए के अंतर्गत स्कूल स्तर पर जल, बिजली, टेलीफोन प्रभार सहित विभिन्न मदों की जरूरत पूरी करने के लिए स्कूलों को वार्षिक अनुदान भी उलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

3832. श्री नारायण सिंह अमलाबेः
डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः
श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्रीमती अन्नू टन्डनः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत ई-जिला, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) और एसडब्ल्यूएन योजना के कार्यान्वयन की परियोजना/योजना-वार, राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना/परियोजना के अधीन वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक शामिल और शामिल किए जाने वाले जिलों और इस उद्देश्य हेतु परियोजना/योजना-वार और राज्य-वार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत कब तक सभी जिलों और ग्रामों को शामिल कर लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार एनईजीपी के पैमाने और क्षेत्र में विस्तार करने और इस संबंध में आशोधन/परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) योजना के अंतर्गत ई-जिला, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) और एसडब्ल्यूएएन योजनाओं के कार्यान्वयन की परियोजना/योजना-वार और राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:

ई-जिला: इसके ब्यौरे http://www.mitcms.nic.in/sites/upload_files/Annex_%201.pdf) पर उपलब्ध हैं।

एसडब्ल्यूएएन: 31 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल) में एसडब्ल्यूएएन प्रचालनरत हैं।

नेटवर्क प्रचालक के चयन के लिए निम्नलिखित 4 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर) में नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।

सीएससी: सीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के विवरण http://www.mitcms.nic.in/sites/upload_files_dit/files/Annex_%2011.pdf) पर उपलब्ध हैं।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

ई-जिला: ई-जिला परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों का ध्यान गया है। 100 जिलों में ई-जिला सेवाएं शुरू करना वर्तमान वर्ष का लक्ष्य है और वर्ष 2013-14 में अतिरिक्त 200 जिलों को शामिल किया जाएगा। योजना के लिए निधि की व्यवस्था का विवरण http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/AnnexureIII.pdf) पर दिया गया है।

एसडब्ल्यूएएन: एसडब्ल्यूएएन योजना के अंतर्गत 610 जिले शामिल किए जाने थे। आज की तारीख तक, 580 जिलों में एसडब्ल्यूएएन को प्रचालनरत कर दिया गया है।

एक बार एसडब्ल्यूएएन के 4 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचालनरत हो जाने पर, शेष जिलों को शामिल कर लिया जाएगा। योजा के लिए निधियों के वितरण http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Annex_%21IV.pdf) पर दिए गए हैं।

सीएससी: वर्तमान वर्ष में 74 जिलों को शामिल किया जाएगा। ब्यौरा निम्नानुसार है:

हरियाणा-21 जिले, कर्नाटक-27 जिले, तमिलनाडु-26 जिले

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार है:–

ई-जिला: इस योजना के कार्यान्वयन की कुल अवधि 4 वर्ष है, जो वर्ष 2014-2015 में समाप्त हो रही है।

एसडब्ल्यूएएन: मार्च, 2014 तक सभी जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है।

सीएससी: वर्ष 2013-2014 तक सभी जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ई-शासन योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। इस समय एनईजीपी के स्तर और क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संबंधित विभागों (पीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य और डाक) के सुझावों के आधार पर वर्ष 2011-12 में एनईजीपी में 4 मिशन मोड परियोजनाओं को जोड़ा गया है।

[अनुवाद]

ई-वाणिज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध

3833. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोचैम ने सरकार से खुदरा ई-वाणिज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवश पर प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ई-वाणिज्य से वर्ष 2015 तक लगभग 15 बिलियन डॉलर के राजस्व का सृजन होने का अनुमान है और इससे कृषकों और अन्य घरेलू उत्पाद फर्मों की पहुंच में विस्तार होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 12वीं योजना अवधि के दौरान ई-वाणिज्य और आई-टी सक्षम सेवाओं द्वारा कितने अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा: (क) और (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उन्हें एसोचैम के महासचिव से एक नोट प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संघ के कुछ सदस्यों ने यह अनुरोध किया है कि बी2सी ई-वाणिज्य में 100% एफडीआई को अनुमति दी जाए। अन्य बातों के साथ-साथ यह नोट स्पष्ट करता है कि बी2बी ई-वाणिज्य में 100% एफडीआई को अनुमति देने से भारतीय विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर तक पहुंचने अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर शहरी-ग्रामीण विकल्पों की घर बैठे प्रदायगी को समर्थ बनाने में मदद मिलेगी जिससे उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

(ग) वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार बी2सी ई-वाणिज्य में एफडीआई पर रोक है।

(घ) और (ङ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्राध्यक्ष का बांग्लादेश दौरा

3834. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दौरे के दौरान किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 3-5 मार्च, 2013 को बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की। भारत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में यह उनकी प्रथम विदेश यात्रा थी। राष्ट्रपति के साथ रेल राज्य मंत्री, श्री अधीर रंजन चौधरी और माननीय संसद सदस्य श्री सीताराम येचुरी, डॉ. चंदन मित्रा, श्री मुकुल राय और श्री भुवनेश्वर कलिता गए थे।

राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद जिलुर रहमान से मुलाकात की और साथ ही बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को बांग्लादेश लिबरेशन वार ऑनर प्रदान किया। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति से एक के बाद एक बांग्लादेश के नेताओं ने मुलाकात की, जिनमें बांग्लादेश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, और सूचना मंत्री, बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष एवं सांसद; और बांग्लादेश की जातीय पार्टी, जातीय समाजतांत्रिक दल तथा वर्कर्स पार्टी जैसी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल थे।

राष्ट्रपति ने औपचारिक दीक्षांत समारोह में ढाका विश्वविद्यालय की ओर से डाक्टरेट की मादन उपाधि ग्रहण की और बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के सदसयों से मिलने के वास्ते एक स्वागत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के नारेल जिले में भद्राबिला और कुश्तिया जिले में शिलईदाहा और मिर्जापुर का भी दौरा किया।

सरकार द्वारा विगत वर्षो के दौरान उठाए गए कई व्यावहारिक कदमों से द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ हुए हैं, जिनमें सीमा प्रबंधन, व्यापार व निवेश, सुरक्षा, शिपिंग, विद्युत रेलवे, संस्कृति के क्षेत्र, लोगों का लोगों से संपर्क, क्षमता-निर्माण और मानव संसाधन विकास शामिल हैं। माननीय राष्ट्रपति की यात्रा से बांग्लादेश के साथ हमें दोनों देशों के लोगों के व्यापक तबके के बीच समान और परस्पर लाभकारी संबंध का दृष्टिकोण अपनाने एवं विकासात्मक प्रयासों और संवर्धित द्विपक्षीय सहयोग में सहायता सहित सशक्त भारत-बांग्लादेश सहभागिता का निर्माण करने के प्रति भारत की वचनबद्धता संसूचित करने में मदद मिली है।

वायु यात्रा की लागत

3835. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में हवाई यात्रा की कीमत में इजाफा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में मुख्यत: ईंधन कीमतों में वृद्धि तथा भारतीय रुपये के कारण एयरआलइनों की प्रचालनिक लागत बढ़ गई है। इसके अलावा, कुछ प्रमुख हवाईअड्डों के लिए हवाईअड्डा/प्रयोक्ता विकास शुल्क में भी बढ़ोत्तरी हो गई है। वित्त वर्ष 2012 से सेवा कर में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

विमान किराए का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि ये बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। एयरलाइन टैरिफों में प्रचालनिक लागत, सेवा की विशेषताएं आदि सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है। अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक उड़ान के लिए विभिन्न किराया समूह की पेशकश की जाती है तथा एयरलाइनों द्वारा पेश किए गए निम्नतर किराया समूह सामान्य तौर पर वहनीय होते हैं। सीट की मांग की वृद्धि के साथ ही विमान किराया बढ़ता है, क्योंकि निम्नतम किराया समूह के टिकटों की बिक्री बहुत तेजी से होती है।

तथापित, एयरलाइनों की प्रचालनिक लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) विमान यात्रा की लागत को प्रभावित करने वाले करों से संबंधित मुद्दे को वित्त मंत्रालय तथा एटीएफ कीमतों से संबंधित मुद्दों को पेट्रोलियम मंत्रालय तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के समक्ष उठाया गया है।

(ii) सरकार द्वारा एटीएफ पर वैट को कम करने के मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।

(iii) एयरलाइन उद्योग की अनुरक्षण लागत के भार को कम करने तथा एमआरओ उद्योग में तेजी लाने के प्रयोजन से हाल ही में एमआरओ उद्योग के लिए कर रियायतों को बढ़ाया गया है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा

3836. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री राजय्या सिरिसल्ला:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री एम. कृष्णास्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीबीएसई द्वारा आयोजित गत ऐसी परीक्षा का राज्य-वार और प्राथमिक/माध्यमिक-वार क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या अधिकांश बी.एड. शिक्षाप्राप्त अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करने में सफल नहीं रहे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में पढ़ाए जा रहे बी.एड. पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की परीक्षाएं आयोजित करता है। दिनांक 18.11.2012 को आयोजित सीटीईटी के कक्षा I-V (प्रश्न पत्र I) और कक्षा VI-VIII स्तर (प्रश्न पत्र II) के राज्यवार परिणाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बी.एड. उम्मीदवार प्रश्न पत्र I में प्रविष्ट होने के पात्र नही हैं। कक्षा VI-VIII स्तर के प्रश्न पत्र II की परीक्षा में बैठे 487215 प्रत्याशियों में से 1973 ने परीक्षा पास की है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफटीई), 2009 को बी.एड. पाठ्यक्रम की गुणवत्ता की पुनरीक्षा हेतु तैयार किया गया था और बी.एड. पाठ्यचर्या में गुणवत्तायुक्त परिवर्तन करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया गया था।

विवरण

कक्षा I-V (प्रश्नपत्र I) और कक्षा VI से VIII स्तर (प्रश्नपत्र II) के राज्यवार परिणाम

क्रम सं.	राज्य	कक्षा I-V के लिए प्रश्नपत्र I		कक्षा VI से VIII के लिए प्रश्नपत्र II	
		सम्मिलित	उत्तीर्ण	सम्मिलित	उत्तीर्ण
1	2	3	4	5	6
1.	अरूणाचल प्रदेश	302	--	391	1
2.	असम	744	1	1159	7
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1618	4	1338	1
4.	आन्ध्र प्रदेश	1178	12	2831	17
5.	बिहार	6258	32	14600	88
6.	छत्तीसगढ़	4881	27	5071	20
7.	चंडीगढ़	9911	62	27744	121
8.	दमन और दीव	379	--	389	--
9.	दिल्ली	56857	1028	55181	625
10.	दादरा और नगर हवेली	1850	3	1534	1
11.	विदंशी	16	ख्र.	29	1
12.	गोवा	187	2	257	1
13.	गुजरात	7329	11	6992	26
14.	हरियाणा	49652	360	63324	224
15.	हिमाचल प्रदेश	1263	4	5663	19
16.	झारखंड	10971	56	18270	93
17.	जम्मू और कश्मीर	1471	7	2885	12
18.	कर्नाटक	1180	18	1711	23
19.	केरल	2447	14	4275	36
20.	लक्षदीप (संघ राज्यक्षेत्र)	389	--	540	--
21.	मेघालय	100	--	126	--

1	2	3	4	5	6
22.	मणिपुर	607	2	551	1
23.	मध्य प्रदेश	10642	61	21575	76
24.	महाराष्ट्र	10769	63	7967	106
25.	मिजोरम	10	--	25	--
26	नागालैंड	81	--	118	2
27.	ओडिशा	1445	11	1951	13
28.	पंजाब	21498	53	46125	69
29.	पुदुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	343	3	622	1
30.	राजस्थान	14810	158	53474	166
31.	सिक्किम	48	--	64	--
32.	त्रिपुरा	56	1	109	1
33.	तमिलनाडु	1844	10	3151	11
34.	उत्तराखंड	8007	76	20166	86
35.	उत्तर प्रदेश	40112	388	148592	479
36.	पश्चिम बंगाल	2096	14	5632	41
	कुल	271351	2481	524432	2368

[हिन्दी]

सामाजिक सुरक्षा समझौता

3837. डॉ. भोला सिंह:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विदशों में भारतीय कामगारों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा/श्रम समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौतों की देश-वार प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी, हां। भारत ने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी (केवल तैनात श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा) स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, हंगरी, डेनमार्क, चेक गणराज्य, कोरिया गणराज्य, नार्वे, जर्मनी, फिनलैंड, कनाडा, जापान, स्वीडन, औस्ट्रिया और पुर्तगाल के साथ सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस प्रकार के समझौते निम्नलिखित लाभ प्रदान करके भारतीय व्यावसायिकों के हितों की रक्षा करते हैं:–

(i) नियुक्त (असम्बद्ध) कामगार को सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट (बशर्ते कि कामगार भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत कवर होता है संविदा की अवधि के दौरान भारतीय प्रणाली में अपने अंशदान करने के पश्चात करता रहता है)।

(ii) सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने के पश्चात भारत अथवा किसी अन्य देश में पुन: स्थापन के मामले में सामाजिक सुरक्षा लाभों को निर्यात करना।

(iii) दोनों देशों से सम्बंधित अंशदान की अवधि का प्रत्येक देश के विधान के अंतर्गत लाभ/पेंशन की पात्रता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, राशिकरण करना।

यू.ए.ई. जार्डन, कतर, कुबैत, ओमान, मलेशिया, और बहरीन के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है ताकि प्रवासी भारतीय कामगारों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाया जा सके।

ऐसे समझौता ज्ञापनों की प्रमुख विशेषताएं:

(i) कामगारों के संरक्षण और कलयाण से द्विपक्षीय सहयोग और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित आपसी घोषणा।

(ii) संगठित क्षेत्र कामगारों के संरक्षण और कल्याण के लिए मेजबान देश द्वारा अपेक्षित उपाय करना।

(iii) भारतीय कामगारों की भर्ती करने में विदेशी नियोक्ता द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि का विवरण।

(iv) भर्ती एवं रोजगार शर्तों का दोनों देशों के कानून के अनुरूप होना।

द्विपक्षीय श्रम समस्याओं के समाधान हेतु नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करने और समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित

विदेश में भारतीयों पर हमला

3838. श्री महाबली सिंह:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीयों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जातीय भावना से प्रेरित हमलो में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जब कभी भारतीय नागरिकों पर किसी हमले की रिपोर्ट की जाती है तो, सम्बंधित भारतीय मिशन/पोस्ट मामले को तत्परता से स्थानीय विदेश मंत्रालय और अन्य सम्बंधित प्राधिकरणों के साथ उठाते हैं। प्रभावित भारतीय नागरिकों को कान्सुलर सहायता भी प्रदान की जाती है।

एप्रोच करने पर, मेजबान सरकार, उस देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सामान्य रूप से सभी प्रकार से आवश्यक सहायता और अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करती है। दोषियों को न्याय दिलवाने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण हिंसा के मामलों में उचित रूप से जांच करते हैं। भारतीय मिशन/पोस्ट, दोषियों की जांच और परीक्षण के दौरान सम्बंधित प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क करते हैं।

[अनुवाद]

शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्य/जिले

3839. डॉ. रतन सिंह अजनाला:
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों और जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों/जिलों का सकल नामांकन अनुपात उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की इन राज्यों/जिलों में महाविद्यालय खोलने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त जिलों में सकल नामांकन अनुपात में सुधार के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य हेतु निर्धारित/आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात वाले ऐसे 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की थी। इस जिलों की पहचान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर की गई थी। 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की एक सूची पर http://kmhrd/gov.in.sites.upload_files/mhrd/files/Report-UGCDPR_O.pdf. दी गई है। विभिन्न राज्यों और जिलों में सकल नामांकन अनुपात विभिन्न कारण अलग-अलग होते हैं जैसे कि संस्थागत आधार के प्रसार में क्षेत्रीय असंतुलन, कतिपय सामाजिक समूहों तक उच्चतर शिक्षा की सुलभता के असमान अवसर, क्षेत्र के पिछड़ेपन की भौगोलिक बाधाएं, कठिन तथा पहाड़ी क्षेत्र आदि।

(घ) से (च) जी, हां। केन्द्र सरकार ने, XIवीं और XIIवीं योजना अवधि के दौरान पहचान किए गए 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में से प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। केन्द्रीय अनुमोदित योजना के तहत अनुमोदित मॉडल, डिग्री कॉलेजों का ब्यौरा http://kmhrd.gov.in/sites/uploadfiles/mhrd/files/Status_MDCs.pdf. पर उपलब्ध हैं। प्रत्येक मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए पूंजीगत लागत की सीमा 4 करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार प्रत्येक कॉलेज की स्थापना करने के लिए पूंजीगतलागत की एक-तिहाई सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए केन्द्रीय अंश, पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत है। राज्य सरकार, मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध कराती है और पूंजीगत लागत और आवर्ती लागत के शेष अंश को वहन करती है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना क लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 1079 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

हवाई-अड्डों का उन्नयन

3840. **श्री भक्त चरण दास:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में 80 हवाई अड्डों में बेहतर अवस्थापना का उन्नयन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में स्तरोन्नत किये गये हवाई अड्डों का राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 35 गैर-मैट्रो हवाई अड्डों का भी आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2011 और 2012 में राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में आधुनिक बनाये गये गैर-मेट्रो हवाई-अड्डों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि में विभिन्न राज्यों द्वारा इस उद्दश्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी भूमि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां, तथापि, मामला योजना स्तर पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा वर्ष 2011 और 2012 के दौरान 35 गैर-मेट्रो हवाईअड्डों में से 11 हवाईअड्डे का आधुनिकीकरण किया गया। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा 26 अन्य हवाईअड्डों को भी आधुनिकीकरण के लिए लिया गया, जिनमें से इस अवधि के दौरान दो हवाईअड्डे नामत: महाराष्ट्र में गोंदिया तथा जलगांव का आधुनिकीकरण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान हवाईअड्डे के विकास के प्रयोजन से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भातरीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2011-12 के दौरान आधुनिकीकृत/उन्नत किए गए 35 गैर-मेट्रो हवाई अड्डों (भारत सरकार द्वारा चिह्नित)

क्रम सं.	हवाई अड्डे का नाम	कार्य का नाम	पूरा होने की तारीख
असम			
1.	गुवाहाटी	गुवाहाटी हवाई अड्डे नई अर्जित की गई भूमि के निचले क्षेत्रों की मिट्टी भराई जनवरी-11 तथा आंतरिक जल निकासी प्रणाली में सुधार।	
चंडीगढ़			
2	चंडीगढ़	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	मार्च-11
छत्तीसगढ़			
3.	रायपुर	नए विस्तार योग्य मॉड्युलर एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	अक्तूबर-12
गुजरात			
4.	अहमदाबाद	नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण-द्वितीय चरण	जनवरी-11
झारखंड			
5.	रांची	रनवे का पुनर्सतहीकरण	जनवरी-11
		नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	दिसम्बर-12
जम्मू और कश्मीर			
6.	श्रीनगर	एप्रन फेज-II का विस्तार	मार्च-11
मध्य प्रदेश			
7.	इन्दौर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	मई-11
ओडिशा			
8.	भुवनेश्वर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण तथा संबद्ध कार्य	दिसम्बर-12
राजस्थान			
9.	उदयपुर	लिंग टैक्सीवे तथा एप्रन का निर्माण-फेज-I	जून-11
10.	कोयम्बटूर	टर्मिनल भवन का विस्तार व आशोधन	सितम्बर-11
उत्तर प्रदेश			
11.	लखनऊ	नए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	अक्तूबर-11

विवरण II

(क) हवाई अड्डे के विकास के प्रयोजन से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय विमानपत्तन को उपलब्ध कराई गई भूमि

क्र. संख्या	राज्य	हवाई अड्डे	भूमि क्षेत्र (एकड़ मे)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	526.49
2.		तिरुपति	230.73
3.	कर्नाटक	मंगलोर	423.62
4.		मैसूर	362.46
5.		हुबली	600
6.		बेलगाम	364
7.	केरल	त्रिवेंद्रम	38.71
8.	तमिलनाडु	चेन्नई	147.66
9.	संघ राज्य क्षेत्र	पॉन्डिचेरी	50
10.	गोवा	गोवा	9.5
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	387.5
12.		इंदौर	137.67
13.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	147
14.		पुणे	14.51
15.	ओडिशा	भुवनेश्वर	19
16.		बरहामपुर (एमएसएसएसआर स्टेशन)	1.954
17.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	126.02
18.		कुल्लू मनाली	13.02
19.		पठानकोट (सीई)	74.84
20.		शिमला	191.82
21.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	69.64
22.	मध्य प्रदेश	खजुराहो	387.31

1	2	3	4
23.	पंजाब	अमृतसर	209.76
24.		भटिंडा	40
25.		चंडीगढ़ सिविल इंक्लेव (मोहाली)	305.00
26.		लुधियाना	7,50
27.	राजस्थान	जैसलमेर	57.60
		जयपुर	210.09
29.		उदयपुर	469.20
30.		किशनगढ़	221
31.	उत्तराखंड	देहरादून	326.42
32.		पंतनगर	134.40
33.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	77.69
34.		वाराणसी	64.73
35.	असम	गुवाहाटी	75.56
36.	मेघालय	शिलांग	192.26
37.	मणिपुर	इम्फाल	644.31
38.	अरूणाचल प्रदेश	तेजु	208.25
39.	सिक्किम	पेक्यांग	201.97

(ख) हवाई अड्डे के विकास के प्रयोजन से अपेक्षित अतिरिक्त भूमि समेत राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे गए हवाई अड्डे

क्र. सं.	राज्य	हवाई अड्डे	भूमि क्षेत्र (एकड़ में)
1.	गुजरात	सूरत	783.32
2.	महाराष्ट्र	गोंदिया	1003
3.		जलगांव	649

शिकायतें/सुझाव

3841. श्री अमरनाथ प्रधान:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों/सुझावों की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतें/सुझाव आज की तिथि तक निपटाए गए हैं एवं लंबित हैं;

(ग) ऐसी शिकायतों/सुझावों की प्रकृति क्या है तथा दिल्ली सहित प्रत्येक राज्य से संबंधित शिकायतों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) प्रत्येक शिकायत/सुझाव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ब्लॉक/जिला स्तर पर शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ऑनलाइन पोर्टल केन्द्रीकृत लोक किशायत और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम्स) अर्थात http://pgportal.gov.in पर प्राप्त शिकायतों/सुझावों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों/राज्यों द्वारा सरकारी द्वारा निपटाए गए शिकायतों/सुझावों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

कैलेंडर वर्ष	वर्ष के दौरान नई प्राप्तियां	पिछले वर्ष के लंबित मामलों के सहित कैलेंडर वर्ष दौरान निपटान	31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार निपटान के लिए लंबित
2010	139240	117612	21628
2011	172520	147027	25493
2012	201197	168308	32889

चालू वर्ष के दौरान 1 जनवरी, 2013 से 14 मार्च, 2013 तक 44380 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 42049 शिकायतें निपटाई गईं और 2331 शिकायतें निपटान हेतु लंबित हैं।

(ग) प्राप्त शिकायतों/सुझावों की प्रकृति (i) भ्रष्टाचार/भ्रष्ट आचरण के आरोप; (ii) उत्पीड़न/दुर्व्यवहार के आरोप; (iii) नागरिक सुविधाओं/सेवा की गुणवत्ता; (iv) क्षतिपूर्ति/वापसियों; (v) निर्णय/निर्णय के कार्यान्वयन में विलम्ब; (vi) कानून और व्यवस्था; (vii) कानून समाधान; (viii) अनुरोध; (ix) सेवानिवृत्ति देयताओं; (x) राजस्व/भूमि/कर; (xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग; (xii) सेवा संबंधी मामले; (xiii) सामाजिक बुराइयों आदि से संबंधित हैं।

शिकायतों की संख्या का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों/राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकृत तरीके से शिकायतों/सुझावों पर कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक शिकायत/सुझाव के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों/राज्य सरकारों द्वारा पावती दिया जाना आवश्यक है तथा इसकी प्राप्ति की तारीख से दरो माह के भीतर इनका निवारण किया जाना होता है। यदि किसी विशेष मामले पर अंतिम निर्णय लेने में दो माह से अधिक समय लगने की संभावना हो तो संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग/राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को एक अंतरिम जवाब भेजा जाना अपेक्षित है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार द्वारा लोक सभा में 20 दिसम्बर, 2011 को पेश किए गए "नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान तथा शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011" में नागरिक चार्टर के अनुसरण में माल और सेवाओं की प्रदायगी में विफल रहने के फलस्वरूप उत्पन्न शिकायतों का निवारण करने के लिए केन्द्र, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों, नगरपालिका और पंचायत के सभी प्रशासनिक एककों अथवा कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त अथवा पदनामित करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

शिकायतों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्तियां (1 जनवरी 2010 से 14 मार्च 2013 तक)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	155
आंध्र प्रदेश	6027
अरूणाचल प्रदेश	110

1	2
असम	649
बिहार	1891
छत्तीसगढ़	508
गोवा	273
गुजरात	3071
हरियाणा	3130
हिमाचल प्रदेश	449
जम्मू और कश्मीर	863
झारखंड	961
कर्नाटक	3469
केरल	2298
मध्य प्रदेश	2975
महाराष्ट्र	8395
मणिपुर	93
मेघालय	98
मिजोरम	37
नागालैंड	60
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7329
ओडिशा	1609
पुदुचेरी	352
पंजाब	2729
राजस्थान	3153
सिक्किम	60
तमिलनाडु	11326
त्रिपुरा	143
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ	319
संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली	34
संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव	45
संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	62
उत्तर प्रदेश	8341
उत्तराखंड	1209
पश्चिम बंगाल	3736

आधार एवं नकद अंतरण स्कीम

3842. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में नकदी अंतरण स्कीम एवं आधार कार्ड जारी करने के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे दश में कार्यरत प्रायोगिक परियोजना केन्द्रों से किसी खामी/तकनीकी किलता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्रियान्वयन में सटीकता हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न स्कीमों के साथ आधार को एकीकृत करने के संभावित खतरों एवं बाधाओं का आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरूआत 7 केन्द्रीय मंत्रालयों से संबंधित 26 स्कीमों के लिए पहचान किए गए 43 जिलों में 1.1.2013 से की गई। नमें से प्रत्येक मंत्रालय सचिवों की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अपने कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में डीबीटी के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करते हैं। संबंधित मंत्रालय डीबीटी एमआईएस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए डेटा को संग्रहित, प्रमाणित, और अपलोड करते हैं, जो योजना आयोग को कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करने में सहायक होता है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष नकद अंतरण पर राष्ट्रीय समिति और प्रत्यक्ष नकद अंतरण पर कार्यकारी समिति को बीच में बदलाव करने के लिए, समय-समय पर उसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसी प्रकार, यूआईडीएआई नियमित आधार पर नामांकित किए गए लोगों के नामांकन की प्रगति और आधार संख्या प्रेषण की ध्यानपूर्वक निगरानी एवं समीक्षा करता है।

(ख) से (च) कुछेक खामियां और तकनीकी विफलताएं, जो पहचान किए गए जिलों में डीबीटी की शुरूआत (रोल आउट) के अनुभव से सरकार के ध्यान में लायी गई हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न हैं:–

- पहचान की गई स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों के कम्प्यूटरीकृत डेटाबेसों की उपलब्धता।
- लाभार्थियों के लिए आधार संख्या का नामांकन करना और उसे जारी करना।
- आधार के नामांकन और आधार पत्र/संख्या जारी करने के बीच समय अंतराल।
- लाभार्थी डेटाबेसों और बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना।
- बैंकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पोर्टल के रिकार्डों से जुड़े हुए आधार को साझा करने में देरी।

ऊपर उल्लिखित मुद्दों को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

- योजना आयोग ने लाभार्थी डेटाबेसों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए उसके फॉर्मेट का मानकीकरण करने हेतु 26 दिसम्बर, 2012 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम #1) जारी किया था। इसी प्रकार, 8 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम #2) में लाभार्थी डेटाबेसों और उनके बैंक खातों से जुड़े हुए आधार संख्या हेतु प्रक्रिया पर दिशा-निर्देशों का प्रावधान है। इसके अलावा, 8 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम #3) में आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) के माध्यम से निधि के अंतरण को सुगम बनाने हेतु बैंकों के लिए भुगतान संबंधी सलाह देने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण दिया गया है।
- बैंक खातों का आधार से जोड़ना सुनिश्चित करने और डीबीटी को सुगम बनाने के लिए एनपीसीआई के पोर्टल पर इसे साझा करने के संबंध में वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- यूआईडीएआई ने ई-आधार पत्र मुद्रण सेवा की शुरूआत की है। इसने ई-केवाईसी सेवा की शुरूआत भी की है, जिसमें आधार के नामांकन और आधार पत्रों को जारी करने के बीच समय अंतराल को दूर करने के लिए रियल टाइम आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है।

सभी स्तरों पर ध्यानपूर्वक निगरानी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की समीक्षा ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न स्कीमों के साथ आधार को एकीकृत करने में कोई भी विफलता नहीं मिली है।

बांग्लादेश में हिंसा

3843. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांग्लादेश में हुई हालिया हिंसा से प्रभावित हुए भारतीयों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा तथा उनकी संपत्ति एवं मंदिरों को नष्ट करने से रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी हिंसा को रोकने के लिए बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव डाल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा में कोई भारतीय राष्ट्रिक प्रभावित नहीं हुआ है।

हाल ही में बंग्लादेश में विभिन्न दलों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान हिन्दुओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के विरूद्ध हिंसा की रिपोर्ट मिली हैं। बांग्लादेश सरकार ने अल्संयकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने तथा बांग्लादेशी संविधान की विधिक संरचना के भीतर अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह माना जाता है कि बांग्लादेश अधिकारियों ने हिंसा समाप्त करने के लिए व्यापक रूप से सुरक्षा बल तैनात किये है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने 7 मार्च, 2013 को राजनयिक संवर्ग को ब्रीफिंग करते समय यह दोहराया था कि बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को क्षति पहुंचाने के किसी प्रयास को सहन नहीं करेगी।

सरकार का यह मानना है कि हाल ही की घटनाओं पर कार्यवाही करना बांग्लादेश का आन्तरिक मामला है। तथापि, सरकार ने बांग्लादेश में विभिन्न हित धारकों को उस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा शांति बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया है।

[हिन्दी]

पीएच.डी. स्तर तक निःशुल्क शिक्षा

3844. श्री इज्यराज सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दश में अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्यार्थियों को पीएचडी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा देने से पड़ने वाले वित्तीय प्रभावों का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने एससी/एसटी हेतु सुधारात्मक शिक्षण के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख प्रावधान के अंतर्गत 65 लाख रुपये प्रति जिला की वार्षिक वृद्धि की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि इसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी और समाज विज्ञान में उच्च अध्ययन और पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान हेतु पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियां तथा व्यावसायिक विषयों जैसे इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी इत्यादि में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। यूजीसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां भी कार्यान्वित की जाती हैं जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है जैसे निःशुल्क भोजन व्यवस्था (मूल सूची) और प्रतिमाह 250 रुपये का जेब खर्च बशर्ते, उनकी पैतृक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख से कम हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संस्थान छात्रवृत्ति धारकों को प्रति सेमेस्टर रुपये 500 के छात्रावास किराये के भुगतान से भी छूट प्राप्त है और बीटेक, दोहरी डिग्री, एमटेक, एमएससी, एमएस तथा पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिल सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को उनकी पैतृक आय पर ध्यान दिए बिना ट्यूशन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति छात्रों को लिए उच्च अध्ययन के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जैसी छात्रवृत्ति योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जीं, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मार्ग

3845. श्री एम.बी. राजेश:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री पी.के. बिजू:
श्री ए. सम्पत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में एयर इंडिया द्वारा प्रचालित किए जा रहे अन्तर्देशीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल प्रचालित मार्गों में कितने मार्ग हानि में चल रहे हैं तथा ऐसे मार्ग कौन से हैं जो ईंधन लागत, नकद लागत एवं कुल लागत को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हानि वाले मार्गों में कटौती करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों को निजी एयरलाइनों को दिए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनको लाभदायक मार्गों में बदलने के लिए कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) एअर इंडिया द्वारा प्रचालित किए जा रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ख) एअर इंडिया के कार्य निष्पादन की मार्ग अर्थनीति निम्नानुसार है:-

हानि वाले मार्ग-	188
ईंधन लागत की भरपाई न करने वाले मार्ग-	12
नकद लागत को पूरा न कर पाने वाले मार्ग-	74
कुल लागत की भरपाई न करने वाले मार्ग-	102

(ग) अनुमोदित कार्याकल्प योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार एअर इंडिया द्वारा पूर्ण मार्ग यौक्तकीकरण के उपाय कर रही है जिनमें हानिप्रद मार्गों वाले मार्ग नेटवर्क को हटाना/रिशिड्यूलिंग/जीर्णोद्धार करना शामिल है।

(घ) इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की शर्त पर और यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश में किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मार्गों का संबंध है जिनी एयरलाइनों के लिए इस तरह की पेशकश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) एअर इंडिया द्वारा उठाए गए कतिपय कदम निम्नानुसार है:

(i) मानकीकृत विमान के भीतर आरामदायक सुविधाओं के साथ सज्जित नए बेड़े को शामिल किया गया।

(ii) उपस्करों को बदलना

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के समय का यौक्तिकरण

(iv) ईंधन दक्षता और अन्तर विश्लेषण जिसके परिणामस्वरूप ईंधन पर व्यापक बचत हुई।

(v) समानान्तर प्रचालनों समेत मार्ग नेटवर्क को हटाना

(vi) कतिपय हानिप्रद मार्गों का यौक्तिकरण

(vii) तेल विपणन कंपनियों के लिए एटीएफ पर अधिक रियायत की मांग।

विवरण I

घरेलू मार्गो (2013/03/15)

बंगलौर-हैदराबाद	कोलकाता-बागडोगरा
बंगलौर-हैदराबाद-पुणे-गोवा	कोलकाता-बैंगलोर

बंगलौर-तिरुवनंतपुरम

चेन्नई, हैदराबाद

चेन्नई-कोच्चि-बैंगलोर

चेन्नई पोर्ट ब्लेयर

चेन्नई-तिरुअनंतपुरम

दिल्ली- अहमदाबाद

दिल्ली-अमृतसर

दिल्ली-औरंगाबाद-मुंबई

दिल्ली-बागडोगरा

दिल्ली-बंगलौर

दिल्ली-भुवनेश्वर

दिल्ली-चेन्नै

दिल्ली-गया-वाराणसी-दिल्ली

दिल्ली-गुवाहाटी-इम्फाल

दिल्ली-ग्वालियर-मुंबई

दिल्ली-हैदराबाद

दिल्ली-हैदराबाद-तिरुपति

दिल्ली-हैदराबाद-विजयवाड़ा

कोलकाता-चेन्नई

कोलकाता-डिब्रूगढ़-दीमापुर-कोलकाता

कोलकाता-दीमापुर-डिब्रूगढ़-कोलकाता

कोलकाता-गुवाहाटी

कोलकाता-इम्फाल-आइजोल कोलकाता

कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर

कोलकाता-सिलचर

मुंबई-अहमदाबाद

मुंबई-बंगलौर

मुंबई-भुवनेश्वर

मुंबई-चेन्नई

मुंबई-चेन्नई-मदुरै

मुंबई-दिल्ली-चंडीगढ़

मुंबई-दिल्ली-रांची

मुंबई-गोवा

मुंबई-हैदराबाद

मुंबई-हैदराबाद-कोलकाता

मुंबई-इंदौर-भोपाल-दिल्ली

दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर

दिल्ली-जोधपुर-मुंबई

दिल्ली-कोच्चि

दिल्ली-कोच्चि

दिल्ली-कोलकाता

दिल्ली लेह

दिल्ली-लखनऊ

दिल्ली-मुंबई

दिल्ली-मुंबई कोयंबटूर कोझीकोड

दिल्ली-मुंबई-गोवा

दिल्ली-मुंबई-गोवा

दिल्ली-नागपुर-रायपुर-दिल्ली

दिल्ली-पटना

दिल्ली - पुणे

दिल्ली-श्रीनगर

दिल्ली-वाराणसी

दिल्ली-वाराणसी-आगरा-खुजराहो-वाराणसी-दिल्ली

दिल्ली-विशाखापट्नम

जम्मू-लेह

कोलकाता-अगरतला

कोलकाता- आइजोल-इम्फाल-कोलकाता

मुंबई-जयपुर-दिल्ली

मुंबई-जामनगर

मुंबई-कोच्चि

मुंबई-कोलकाता

मुंबई लखनऊ

मुंबई मंगलौर

मुंबई-नागपुर

मुंबई-रायपुर-विशाखापट्नम

मुंबई-राजकोट

मुंबई तिरुवनंतपुरम

मुंबई-वाराणसी

श्रीनगर-लेह

विवरण II

अंतरराष्ट्रीय मार्ग (15.3.2013)

क्षेत्र	रूट	मार्ग
1	2	3
उत्तरी अमेरिका	नेवार्क	अहमदाबाद-मुंबई-नेवार्क
	न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन	मुंबई-दिल्ली-न्यूयॉर्क

1	2	3
	शिकागो	हैदराबाद-दिल्ली-शिकागो
यूरोप	पेरिस	चेन्नई-दिल्ली-पेरिस
	फ्रंकफर्ट	दिल्ली-फ्रेंकफर्ट
	लंदन	अमृतसर-दिल्ली-लंदन
		दिल्ली-लंदन
		अहमदाबाद-मुंबई-लंदन
एफईए	हांगकांग/सियोल	मुंबई-दिल्ली-हांगकांग-सियोल
	हांगकांग/ओसाका	मुंबई-दिल्ली-हांगकांग-ओसाका
	टोक्यो	दिल्ली-टोक्यो
	शंघाई	मुंबई-दिल्ली-शंघाई
एसईए	बैंकाक	गोवा-मुंबई-बैंकॉक-मुंबई
		दिल्ली-बैंकॉक
	सिंगापुर	मुंबई-सिंगापुर
		चेन्नई-सिंगापुर
		दिल्ली-सिंगापुर
मध्य पूर्व	अबूधाबी/बहरीन	दिल्ली-बहरीन-अबूधाबी-दिल्ली
		मुंबई-अबू धाबी
	दम्माम	दिल्ली-दम्माम
	दुबई	कालीकट-दुबई
		मुंबई-दुबई
		मुंबई-दुबई-मुंबई-गोवा
		दिल्ली-दुबई
		बंगलौर-गोवा-दुबई

1	2	3
		विशाखापट्टनम-हैदराबाद-दुबई
		चेन्नई-दुबई
	जेद्दा	मुंबई-जेद्दा
		मुंबई-हैदराबाद-जेद्दा
		दिल्ली-जेद्दा
		कोच्चि-कालीकट-जेद्दा
		कालीकट-जेद्दा
	कुवैत	चेन्नई-गोवा-कुवैत
		चेन्नई-हैदराबाद-अहमदाबाद-कुवैत
	मस्कट	अहमदाबाद-मुंबई-मस्कट-मुंबई
		बंगलौर-हैदराबाद-मस्कट
		दिल्ली-मस्कट
		चेन्नई-मस्कट
	रियाद	मुंबई-रियाद
		दिल्ली-रियाद
		रियाद-त्रिवेन्द्रम-रियाद
		कालीकट-रियाद
	शारजाह	दिल्ली-अमृतसर-शारजाह
		दिल्ली-लखनऊ-शारजाह
		कोच्चि-शारजाह
		चेन्नई-त्रिवेन्दम-शारजाह
दक्षिण एशिया	कोलंबो	चेन्नई-कोलंबो
	काबुल	दिल्ली-काबुल

1	2	3
	काठमांडू	कोलकाता-काठमांडू
		दिल्ली-काठमांडू
		वाराणसी-काठमांडू
	माले	चेन्नई-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम-माले
		बंगलौर-माले
	यंगून	कोलकाता-गया-यंगून-कोलकाता
		कोलकाता-यंगून-गया-कोलकाता

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान

3846. श्री रवनीत सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत तकनीकी/व्यावसायिक/ पेशेवर संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित नए सरकारी/निजी तकनीकी/व्यावसायिक/पशेवर तथा प्रबंध संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा पूरे दश में विभिन्न विषयों के लिए मंजूर अतिरिक्त सीटें राज्य-वार कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में इन संस्थानों को स्थापित करने में खर्च हुई राशि का संस्थान-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां देश में कुल तकनीकी संस्थानों की तुलना में तकनीकी संस्थानों की संख्या नगण्य या कम है;

(ङ) सरकार द्वारा तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा को अधिक संगत एवं प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) स्कूलों में शिक्षा बीच में छोड़ देने की ऊँची दर तथा राज्य में साक्षरता की निम्न दर के मद्देनजर पंजाब सहित देश में तकनीकी संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) देश में संचालनरत तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 2009-10 से 2012-13 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नई अनुमोदित तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्वयं कोई तकनीकी संस्था नहीं खोलती अथवा स्थापित नहीं करती है। यह एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 10(ट) के प्रावधानों के तहत विभिन्न भागीदारों द्वारा नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करने का केवल अनुमोदन प्रदान करती है।

(घ) से (च) असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पोलीटेक्निकों का उप-मिशन" के अंतर्गत नए पोलीटेक्निकों की स्थापना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को प्रति पोलीटेक्निक 12.30 करोड़ रुपये की सीमा तक एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 287 असेवित और अल्पसेवित जिलों में पोलीटेक्निकों की स्थापना करने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई

है। राज्य सरकारों को अब तक कुल 2005.49 करोड़ रुपये की राशि जाति की गई है। तकनीकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए पंजाब सहित राज्य सरकारों के जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा को अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) अधिसूचित किया है।

विवरण I

तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों की राज्यवार संख्या

			संस्थानों की कुल संख्या				
राज्य	इंजीनियरिंग	एप्लाईड आर्टस	वास्तुकला	होटल मैनेजमेंट	प्रबंधन	एमसीए	फार्मेसी
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	-	-	-	-	-	-
अरूणाचल प्रदेश	1	-	-	-	-	-	-
असम	16		1		8	6	3
झारखंड	14	-	1	1	14	4	1
मणिपुर	2	-	-	-	-	-	-
मेघालय	1	-	-	-	1	1	-
मिजोरम		-	-	-	-	-	1
ओडिशा	99	-	1	-	96	50	17
सिक्किम	1	-	-	-	1	1	1
त्रिपुरा	1	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	87		5	5	64	39	11
आंध्र प्रदेश	707	1	2	1	938	504	287
बिहार	22	-	-	-	20	11	4
उत्तर प्रदेश	341	4	24	16	560	133	101
उत्तराखंड	41		1	3	59	18	17
चण्डीगढ़	5	1			1		1

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	21		3	1	39	20	3
हरियाणा	168	1	6	5	174	52	33
हिमाचल प्रदेश	20	–	–	–	14	8	15
जम्मू और कश्मीर	8	–	–	–	12	11	–
पंजाब	106		6	4	140	63	35
राजस्थान	138		3	5	143	45	40
छत्तीसगढ़	51				28	10	11
गुजरात	110		4	2	133	74	81
मध्य प्रदेश	226		3	4	226	79	92
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	1	1	1
गोवा	5	1			1		2
महाराष्ट्र	372	6	8	12	459	153	151
कर्नाटक	195		14	15	237	92	63
केरल	159		8	6	76	55	33
पुदुचेरी	14	1			8	7	1
तमिलनाडु	516		9		413	306	39
कुल	3448	15	99	80	3866	1742	1044

देश में कार्यरत पोलिटेक्नीकों की संख्या

राज्य	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों की कुल संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
अरूणाचल प्रदेश	2
असम	9
झारखंड	21
मणिपुर	2
मेघालय	3

1	2
ओडिशा	103
सिक्किम	2
त्रिपुरा	3
पश्चिम बंगाल	80
आंध्र प्रदेश	371
बिहार	19
उत्तर प्रदेश	294
उत्तराखंड	65
चण्डीगढ़	4
दिल्ली	14
हरियाणा	204
हिमाचल प्रदेश	33
जम्मू और कश्मीर	14
पंजाब	139
राजस्थान	181
छत्तीसगढ़	30
गुजरात	106
मध्य प्रदेश	60
दादरा और नगर हवेली	1
दमन और दीव	1
गोवा	5
महाराष्ट्र	440
कर्नाटक	305
केरल	64
पुदुचेरी	8
तमिलनाडु	465
कुल	3049

विवरण II

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी/व्यावसायिक संस्थान

	इंजीनियरिंग				फार्मेसी				वास्तुकला			
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य प्रदेश	40	11	13	0	5	2	0	0	1	1	0	0
छत्तीसगढ़	10	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	23	8	13	9	14	3	0	0	0	0	0	1
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ओडिशा	46	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	24	4	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	9	0	0	5	0	0	0	3	0	0	1	0
मणिपुर	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
बिहार	12	0	18	3	2	0	4	0	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	202	0	306	12	105	0	101	0	7	0	16	3
उत्तराखंड	20	0	29	8	9	0	16	1	1	0	1	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	30	16	4	1	2	1	0	0	0	1	2	1
जम्मू और कश्मीर	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नई दिल्ली	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
पंजाब	20	17	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	23	31	0	7	2	0	0	0	0	0	0	1
हिमाचल प्रदेश	7	5	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	121	49	0	3	20	8	5	0	0	0	1	1
पुदुचेरी	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	88	28	11	18	1	0	0	0	0	1	0	2
कर्नाटक	20	7	7	7	1	0	0	0	2	0	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	22	12	18	11	2	2	1	0	1	0	8	0
महाराष्ट्र	0	31	44	22	0	3	0	6	0	0	0	1
गोवा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली												
सकल योग	726	231	470	102	172	20	130	10	5	4	39	14

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एचएमसीटी				एमसीए				एमबीए/पीजीडीएम				एप्लाईड आर्ट				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	41	0	32	12	119	0	0	0	0		0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	0	1	0	3	6	14	0	0	0	0		0
गुजरात	0	1	0	0	4	3	35	5	27	21	33	0	0	0	0		0
मिजोरम	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
सिक्किम	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		0
ओडिशा	0	0	0	0	31	0	27	0	50	0	33	0	0	0	0		0
पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	21	0	23	0	34	0	26	3	0	0	0		0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
असम	0	1	0	0	5	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0		0
मणिपुर	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
झारखंड	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1	2	3	0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बिहार	0	0	0	0	5	0	8	3	10	0	18	2	0	0	0		0
उत्तर प्रदेश	9	0	14	0	81	0	135	0	139	0	480	18	1	0	1		2
उत्तराखंड	7	0	4	0	14	0	18	0	10	0	50	4	0	0	0		0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0		0
हरियाणा	2	0	0	0	3	2	21	0	33	12	60	6	0	0	1		0
जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	1	1	4	1	0	0	3	0	0	0	0		0
नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	10	1	0	4	0	10	0	0	0		0
पंजाब	1	0	0	0	3	1	32	1	15	13	57	0	0	0	0		0
राजस्थान	0	0	0	0	0	1	26	3	84	30	25	0	0	0	0		0
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	4	2	2	0	4	1	0	0	0		0
आंध्र प्रदेश	0	0	1	0	1	245	0	0	40	594	0	0	0	1	0		0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0		0
तमिलनाडु	1	0	0	0	3	0	90	0	29	15	179	18	0	0	0		0
कर्नाटक	0	3	0	1	0	6	18	4	0	39	72	11	0	0	0		0
केरल	1	1	1	0	0	3	17	1	0	15	23	1	0	0	0		0
महाराष्ट्र	0	0	1	0	0	3	81	6	0	56	141	0	0	0	0		1
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0
दादरा और नगर हवेली																	
सकल योग	18	7	22	3	178	22	839	27	482	49	1938	80	1	0	3		3

विवरण III

पॉलिटेक्नीकों की स्थापना की योजना के अंतर्गत राज्य-वार/वर्ष-वार जारी निधियां

क्रम संख्या	राज्य	जिलों की संख्या	2008-09 (करोड़ में)	2009-10 (करोड़ में)	2010-11 (करोड़ में)	2011-12 (करोड़ में)	2012-13 (करोड़ में)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हरियाणा	07 जिलें	4.24	20.00	0	7.00	0	31.24
2.	हिमाचल प्रदेश	05 जिलें	2.12	08.00		25.00		35.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	जम्मू और कश्मीर	18 जिलें	8.48	28.00		54.00	45.00	135.48
4.	पंजाब	07 जिलें	--	14.00	35.00	21.00		70.00
5.	राजस्थान	15 जिलें	2.12	33.00	70.00	45.00		150.12
6.	उत्तर प्रदेश	41 जिलें	12.71	100.00	135.00	70.00	94.00	411.71
7.	उत्तराखंड	01 जिलें	--	2.00	5.00			7.00
8.	आंध्र प्रदेश	01 जिलें	--	2.00		6.00		8.00
9.	तमिलनाडु	07 जिलें	--	14.00	35.00	28.00		77.00
10.	लक्षद्वीप	01 जिलें	--	2.00				2.00
11.	दमन और दीव	01 जिलें	--	--	2.00			2.00
12.	गुजरात	05 जिलें	2.12	13.00		5.00	12.00	32.12
13.	छत्तीसगढ़	11 जिलें	8.47	14.00				22.47
14.	मध्य प्रदेश	21 जिलें	10.60	43.00	57.00	42.00	44.00	196.60
15.	महाराष्ट्र	02 जिलें	--	04.00	10.00	8.00		22.00
16.	बिहार	34 जिलें	10.59	22.00	61.00	80.00	47.00	220.59
17.	झारखंड	17 जिलें	8.47	26.00		85.00		119.47
18.	ओडिशा	22 जिलें	8.47	56.00	90.00	16.00	8.00	178.47
19.	पश्चिम बंगाल	11 जिलें	2.12	20.00		15.00	18.50	55.62
20.	अरूणाचल प्रदेश	10 जिलें	6.375	08.00		39.00	2.00	55.375
21.	असम	21 जिलें	--	--	--	42.00		42.00
22.	मणिपुर	08 जिलें	4.24	--			12.00	16.24
23.	मेघालय	04 जिलें	2.125	06.00				8.125
24.	मिजोरम	06 जिलें	4.24	04.00		28.00		36.24
25.	नागालैंड	06 जिलें	4.25	06.00			27.00	37.25
26.	सिक्किम	02 जिलें	2.125	02.00	5.00			9.125
27.	त्रिपुरा	03 जिलें	2.125	04.00	5.00	13.00		24.125
	कुल	287 जिलें	105.99	451.00	510.00	629.00	309.50	2005.49

आवासीय सोसाइटियों का पुनर्विकास

3847. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुनर्विकास के लिए दिल्ली में विभिन्न आवासीय सोसाइटियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा सोसाइटियों के नाम क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने आवेदनों को मंजूर किया गया है; और

(घ) कितने आवेदन अभी भी लंबित हैं तथा ऐसे लंबन के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) तथा पंजीयक सहकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों से पुनर्विकास के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए योग्य शिक्षक

3848. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यावसायिक कॉलेजों विशेषकर इंजीनियरिंग, भौतिकी तथा अन्य विज्ञान विधाओं में विद्वान संकाय की कमी के बारे में अकादमिक विद्वानों से कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए विद्वान शिक्षकों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कुछ संस्थाएं संकाय की कमी का सामना कर रही हैं।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन के भाग के रूप में, क्षेत्रीय प्रबंध स्कूलों और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासनिक प्रधानों हेतु कार्यक्रमों के लिए मुख्य परियोजना संकाय विकास कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड की पहचान की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, डिप्लोमा और डिग्री स्तर की तकनीकी शिक्षा परिषद् डिप्लोमा और डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं में नियोजित संकाय की अर्हता में सुधार करने के लिए कतिपय संकाय विकास योजना जैसी गुणवत्ता सुधार योजनाएं प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों के शोध और शिक्षण संसाधनों में वृद्धि करने के लिए "आपरेशन संकाय रीचार्ज कार्यक्रम" नामक एक योजना प्रारंभ की है ताकि विश्वविद्यालय प्रणाली में संकाय की कमी का समाधान किया जा सके। विश्वविद्यालयों में 66 प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज स्थित है जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में संकाय के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं।

सरकार ने देशभर में अध्यापकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता में चार राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। ये संस्थान पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के संकाय के लिए अल्प अवधि और दीर्घ-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

एमडीएमएस के लिए खाद्यान्न की अनुपलब्धता

3849. श्री कीर्ति आजाद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों को खाद्यान्न की अनुपलब्धता संबंधी कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में बने किचन-सह-स्टोर का राज्य-वार प्रतिशत क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। खाद्यान्न का आवंटन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक माह अग्रिम में खाद्यान्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रत्येक स्कूल/पकाने वाला अभिकरण एक माह की जरूरत के लिए खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार रख सके। स्कूल स्तर पर खाद्यान्न की अनुपलब्धता की कोई जानकारी पिछले दो वर्षों के दौरान नहीं मिली है।

(घ) संस्वीकृत और निर्मित रसोईघर-सह-भंडारगृहों की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत संस्वीकृत और निर्मित रसोईघर एवं भंडारों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य संघ	संस्वीकृत रसोई एवं भंडारघरों की संख्या	निर्मित रसोईघरों सह-भंडारगृहों की संख्या (30.9.2012 तक)	निर्मित रसोईघरों-सह-भंडारगृहों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75283	3077	4.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	4131	4085	98.89
3.	असम	56795	40593	7147
4.	बिहार	65977	36886	55.91
5.	छत्तीसगढ़	47266	36867	77.99
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	19868	16807	84.59
8.	हरियाणा	11483	5417	47.17
9.	हिमाचल प्रदेश	14959	12316	82.33
10.	जम्मू और कश्मीर	11815	9815	83.07
11.	झारखंड	39001	12546	32.17
12.	कर्नाटक	36571	25142	68.75
13.	केरल	2450	318	12.98
14.	मध्य प्रदेश	98462	82743	84.04
15.	महाराष्ट्र	65783	18364	27.92
16.	मणिपुर	3053	1174	38.45
17.	मेघालय	9491	5148	54.24
18.	मिजोरम	2396	1533	63.98
19.	नागालैंड	2223	1777	79.93
20.	ओडिशा	69152	33404	48.31
21.	पंजाब	18969	16169	85.24
22.	राजस्थान	81436	60795	74.65

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	859	800	93.13
24.	तमिलनाडु	28470	4275	15.02
25.	त्रिपुरा	4614	4052	87.82
26.	उत्तराखंड	16989	6151	36.21
27.	उत्तर प्रदेश	122572	108683	88.67
28.	पश्चिम बंगाल	68185	50713	74.38
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	527	0	0
30.	चण्डीगढ़	111	7'	6.31
31.	दादरा और नगर हवेली	149	0	0
32.	दमन और दीव	32	26	81.25
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षदीय	0	0	0
35.	पुदुचेरी	92	92	100
	कुल	979164	599775	61.25

संघ राज्य प्रशासन ने 111 स्कूलों के लिए 10 में से 7 कलस्टर आधारित रसाईघरों-सह-भंडारगृहों का निर्माण किया है।

दिल्ली मेट्रो

3850. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस खबर की जानकारी है कि दिल्ली मेट्रो आपदा अनुकूल नहीं है तथा इससे टेरेस्ट्रियल ट्रंक्ड रेडियो (टेट्रा) तथा वायरलेस सेट मेट्रो के अंदर विशेषकर भूमिगत मेट्रो मार्ग के अंदर काम करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीएमआरसी ने किसी दुर्घटना से बचने के लिए अपनी संस्थापनाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि वे विपदा का सामना करने में तत्पर रहते हैं और उनकी टेट्रा रेडियों प्रणाली और वायरलेस सेट्स भूमोपरि तथा भूमिगत मार्गों पर सामान्य रूप से कार्य कर रहें हैं। इस प्रणाली को दिल्ली मेट्रो के सभी विभागों द्वारा दैनिक आधार पर सभी प्रचालनों और आकस्मिकता में प्रयुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपी गई है। सीआईएसएफ डिपो और गंतव्य उप-स्टेशनों की सुरक्षा कर रहा है। सशस्त्र गोर्डो को मेट्रो स्टेशनों पर तैनात किया जाता है। सभी

यात्रियों की जांच/तलाशी ली जाती है और एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (शत प्रतिशत यात्री जांच और बैगेज निरीक्षण) के माध्यम से उनके बैगज की जांच की जाती है। डिपो से चलने से पूर्व ट्रेनों की एन्टी-सेबोटेज जांच की जाती है। सीआईएसएफ द्वारा 6 बम खोजी दस्ते भी आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात किए गये हैं। तीव्र कार्रवाई दल और अपराध आसूचना दल ट्रेनों ओर मैट्रो स्टेशनों के परिचालन क्षेत्रों में नियमित रूप गश्त करते हैं। किसी आकस्मिकता एवं दंगा रोकने के लिए सीआईएसएफ को उपकरण मुहैया कराए गए हैं। दिल्ली पुलिस के सात मेट्रो पुलिस स्टेशन हैं जिनको अपराध रोकने/उनका पता लगाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। स्टेशनों पर और ट्रेनों में नियमित घोषणाओं द्वारा और मेट्रो स्टेशनों पर तथा ट्रेनों के भीतर सार्वजनिक सूचना का प्रदर्शन करके यात्रियों को सुरक्षा सावधानी बरतने के बारे में व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान

3851. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्त-पोषण का पैटर्न क्या है;

(ख) इस अभियान के अंतर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ग) क्या एसएसए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के नामांकन के लिए हाल में विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित निधीयन पद्धति का अनुपात 65:35 है (उत्तर पूर्वी राज्यों के संबंध में निधीयन पद्धति का अनुपात 90:10 है)।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र और राज्य के भाग सहित कुल व्यय क्रमश: 21001.47 करोड़, 31353.44 करोड़ तथा 37834.10 करोड़ रुपये है। एसएसए निधियां, राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पर किए जाने वाले कुछ व्यय का केवल एक भाग है इसलिए केवल एसएसए निधियों के आधार पर प्रति छात्र लागत की गणना नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में नामांकन अभियान संचालित करते हैं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर नामांकन 2009-10 में 18.79 करोड़ था जो 2011-12 में बढ़कर 19.91 करोड़ हो गया।

[हिन्दी]

विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी

3852. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन की निगरानी में योजना आयोग कोई भूमिका निभाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग के पुनर्गठन का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) स्कीमों (केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, दोनों) की निगरानी करने का मुख्य दायित्व संबंधित मंत्रालय/विभाग का होता है। योजना आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में वार्षिक योजना चर्चाओं के समय भी इन स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में गठित डिलीवरी मॉनीटरण यूनिट (डीएमयू) द्वारा चुनिंदा फ्लैगशिप कार्यक्रमों/पहलों/विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है। डीएमयू की रिपोर्टें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान स्कीमों की समीक्षा की जाती है और मध्यावधि सुधारों का सुझाव दिया जाता है।

(ग) और (घ) पिछली बार योजना आयोग को 24 दिसम्बर, 2012 को पुनर्गठित किया गया था और इसका संघटन निम्नानुसार है:

1. श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री
2. श्री शरद पवार, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
3. श्री सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री
4. श्री पवन कुमार बंसल, रेल मंत्री
5. श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
6. श्री कमल नाथ, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री
7. श्री एम.के. अलागिरी, रसायन और उर्वरक मंत्री
8. श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
9. श्री अश्वनी कुमार, विधि एवं न्याय मंत्री
10. श्री एम.एम. पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास मंत्री
11. श्री राजीव शुक्ल, योजना राज्य मंत्री

बाद में, 17 जनवरी, 2013 को श्री जयराम, रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री को शामिल किया गया है।

उर्दू विश्वविद्यालय

3853. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में उर्दू विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए सरकार द्वारा जारी राशि का वर्ष-वार एवं विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे प्रमुख पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रतिवर्ष विभिन्न पाठ्यक्रम पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे विभिन्न विश्वविद्यालयों को विदेशों से भी धान मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संबंधित दशों के नाम तथा प्राप्त राशि वर्ष-वार क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) वर्तमान में देश में दो उर्दू विश्वविद्यालय हैं, एक आंध्र प्रदेश में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्याल (एमएएनयूयू), हैदराबाद और दूसरा उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ। दूसरा अभी कार्यात्मक नहीं है।

(ख) मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने का पात्र नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय को जारी निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर	कुल
2009-10	4064.39	1611.56	5675.95
2010-11	5620.30	1783.02	7403.32
2011-12	1720.00	2012.92	3732.92
2012-13	5112.50	1452.92	6565.42

(19.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

(ग) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) की स्थापना सभी पाठ्यक्रम उर्दू माध्यम से पढ़ाने के लिए की गई है। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(घ) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह विदेशों से कोई निधि प्राप्त नहीं करता। मान्वयर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है ओर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में सूचना नहीं रखी जाती।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देजनर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या

क्रम से.	कार्यक्रमों का प्रकार	कार्यक्रम का नाम	उत्तीर्ण छात्रों का विवरण			
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्नातकोत्तर कार्यक्रम	एम.ए. (उर्दू)	1	11	17	11
2.		एम.ए. (फारसी)	0	9	10	9
3.		एम.ए. (अरबी)	20	17	16	19
4.		एम.ए. (अंग्रेजी)	22	32	31	35
5.		एम.ए. (हिन्दी)	7	15	14	10
6.		एम.ए. (अनुवाद अध्ययन)	4	8	9	15
7.		एम.ए. (जन संचार और पत्रकारिता)	5	25	23	19
8.		एम.ए. (लोक प्रशासन)	21	7	12	11
9.		एम.ए. (महिला अध्ययन)	9	8	8	8
10.		मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)	32	33	61	55
11.		मास्टर ऑफ सोशल वर्क	0	0	16	24
12.		मास्टर ऑफ एजूकेशन	24	32	22	33
13.	एम. फिल कार्यक्रम	एम. फिल (उर्दू)	13	8	10	4
14.		एम. फिल (अरबी)	0	0	0	0
15.		एम. फिल (हिन्दी)	13	7	10	2
16.		एम. फिल (अंग्रेजी)	7	7	4	0
17.		एम. फिल (एस.ई.आई.पी.)	0	0	5	2

1	2	3	4	5	6	7
18.		एम. फिल (लोक प्रशासन)	0	2	3	0
19.		एम. फिल (महिला अध्ययन)	8	4	3	4
20.	पी.एच.डी. कार्यक्रम	पी.एच.डी. (उर्दू)	1	0	1	1
21.		पी.एच.डी. (हिन्दी)	4	0	1	3
22.		पी.एच.डी. (अंग्रेजी)	0	0	1	0
23.		पी.एच.डी. (महिला अध्ययन)	0	0	0	2
24.		पी.एच.डी. (लोक प्रशासन)	0	2	0	2
25.		पी.एच.डी. (शिक्षा)	0	0	0	0
26.	अवर स्नातक कार्यक्रम	शिक्षा स्नातक	369	386	425	341
27.	डिप्लोमा कार्यक्रम	पीजीडीआईटी	8	6	5	0
28.		पॉलिटेक्निक (डिप्लोमा इन सिविल/ सीएसई/ईसीई/आईटी)	0	0	280	263
29.		शिक्षा में डिप्लोमा	73	105	84	98
30.		अरबी अनुवाद में डिप्लोमा	3	4	5	6
31.		अरबी में डिप्लोमा	0	4	2	6
32.		फारसी में डिप्लोमा	0	0	5	0
33.	प्रमाणपत्र कार्यक्रम	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (तहसीन-ए-गजल)	0	0	10	0
		कुल संख्या	644	732	1093	983

[अनुवाद]

एटीएफ

3854. श्री प्रताप सिंह बाजवाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री प्रहलाद जोशीः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में एयर टर्बाइन "यूल (एटीएफ) पर बहुत कर लगता है तथा इसके परिणामस्वरूप यह एयरलाइनों के खराब वित्तीय प्रदर्शन का प्रमुख कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एटीएफ पर कर कम करने के लिए विमानन क्षेत्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एयरलाइनों द्वारा एटीएफ के प्रत्यक्ष आयात की अनुमति देने तथा इस ईंधन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एटीएफ पर वैट में कटौती किए जाने तथा उन्हें "घोषित माल" का दर्जा दिए जाने के लिए पिछले तीन वर्षों और यहां तक कि चालू वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस तथा विभिन्न एयरलाइनों से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं। सरकार द्वारा एटीएफ पर वैट में कटौती किए जाने के मामले को राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा भी एटीएफ को "घोषित माल" के अंतर्गत लाए जाने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा एयरलाइनों को या एयरलाइनों की ओर से वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में, वास्तविक प्रयोग के आधार पर, एटीएफ आयात की अनुमति दी गई है। तथापि, इस समय एटीएफ पर एन्टी-डम्पिंग शुल्‌ लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डीडीए द्वारा शॉपिंग परिसर

3855. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री एम. कृष्णास्वामी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नई दिल्ली के द्वारिका में वाणिज्यिक शॉपिंग परिसरों के निर्माण का विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेक्टर 12 द्वारका में निर्माण हेतु प्रस्तावित परिसरों सहित ऐसे परिसरों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त उद्दश्यों के लिए आवंटित राशि क्या है; और

(ङ) उक्त परिसरों के कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका, नई दिल्ली में निम्नलिखित व्यवसायिक शापिंग काम्प्लेक्स के निर्माण की सूचना दी है:

सुविधाजनक शापिंग सेंटर (सीएससी)	=	63
स्थानीय शांपिंग सेंटर (एलएससी)	=	34
सामुदायिक केन्द्र (सीसी)	=	10

(ग) पहले से विकसित शॉपिंग काम्प्लेक्स निम्नानुसार हैं:–

सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर	स्थानीय शॉपिंग सेंटर
सेक्टर-4	सेक्टर-6 प्लाट नं. 13-14
सेक्टर-5 में एलएससी-I प्लाट	सेक्टर-12
सेक्टर-9 पाकेट-2	
सेक्टर-10 सीएससी-3	
सेक्टर-10 पाकेट-बी	
सेक्टर-18	
सेक्टर-19 सीएससी-I	
सेक्टर-19 पाकेट-3	
सेक्टर-20 सी	
सेक्टर-22 पाकेट बी	

मिश्रित भूमि उपयोग (एमएलयू) मार्केट सेक्टर-20 में सेवा केन्द्र सहित सेक्टर-4, 5, 6, 10, 11 एवं 12 में पहले ही विकसित किए गए है। सेक्टर-17 में सामुदायिक केन्द्र में शॉपिंग काम्प्लेक्स शुरू हो गया है। अन्य शॉपिंग काम्प्लेक्सों की योजना बनाई जा रही है।

(घ) व्यावसायिक शॉपिंग केन्द्रों के लिए धनराशि का आबंटन (वर्ष-वार) निम्नानुसार है:

2009-10	-250 लाख
2010-11	-152 लाख
2011-12	-110 लाख
2012-13	-90 लाख

(ङ) द्वारका के सेक्टर-17 में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण शुरू हो गया है और अन्य शॉपिंग काम्प्लेक्सों की योजना बनाई गई है।

उत्तर प्रदेश में हज घोटाला

3856. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हज तीर्थ यात्रियों की सूची में हेर-फेर के संबंध में उत्तर प्रदेश से कोई रिपोर्ट मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, स्वीकृत आवेदनों की संख्या तथा प्रतीक्षा सूची में रखे गए लोगों की संख्या क्या है;

(ग) क्या हज समिति ने अनुमोदित सूची अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) भारत की हज समिति (एचसीओआई) को उत्तर प्रदेश राज्य हर समिति से उस राज्य में हज यात्रियों के आंकड़े में हेर-फेर किए जाने के बारे में दिनांक 7 जुलाई, 2012 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। विश्लेषण करने के पश्चात् यह पाया गया कि प्रतीक्षा सूची के 28 कवरों तथ अनंतिम रूप से चयनित हजयात्रियों की सूची के 3 ऐसे कवरों में रद्दोबदल किए गए हैं।

(ख) हज-2012 उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति से अंतिम तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 36732 थी, जिनमें से 32525 यात्री हज पर गए। हज-2012 हेतु प्रतीक्षा सूची में 189 हज यात्री रह गए।

(ग) और (घ) जी, हां। हज-2012 के दौरान कुर्राह के उपरांत भारत के हज समिति की वेबसाइट पर तत्काल अनुमोदित सूची प्रदर्शित की गई।

(ङ) भारत की हज समिति (एचसीओआई) ने 16 मई, 2012 के मूल बैकअप आंकड़े को पुन: बहला किया और 7 जुलाई, 2012 को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति को पत्र लिखकर कहा कि वह इस मामले की जांच करे तथा अपराधियों को दंडित करने के कड़ी कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति से यह भी अनुरोध किया गया कि वे सभी एहतियातन उपाय करें, ताकि आंकड़ों के छेडछाड़ से बचा जा सके। इस मुद्दे पर दिनांक 9 जुलाई, 2012 को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वीजा की अनुपलब्धता

3857. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से विद्यार्थियों सहित कई विद्यार्थी हाल में भारत आने के वीजा की अनुपलब्धता के कारण यू.के. में अटके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार के पास वीजा के कारण यूके में अटके भारतीय विद्यार्थियों की कोई सूचना नहीं है। भारतीय नागरिकों को भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती।

मदरसों की स्थापना

3858. श्रीमती मौसम नूर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदरसों की स्थापना के लिए मानदंड क्या हैं तथा इस संबंध में देश में राज्यों तथा जिलों को कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब के लिए आवंटित राशि क्या है;

(ग) प. बंगाल में केन्द्रीय प्रायोजित मदरसों की संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2009 से प. बंगाल में मदरसों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प. बंगाल सहित देश में मदरसों के कवरेज तथा अवसंरचना सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मदरसों की स्थापना के मानदंड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। तथापि, यह मंत्रालय मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना कार्यान्वित कर रहा

है जिसके अंतर्गत उन पात्र मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने इस योजना को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन गत तीन वर्षो के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों के मानदेय, कम्प्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालयों, विज्ञान तथा गणित किटों और शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अनुदानों के साथ-साथ 287.24 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई थीं।

(ग) से (ङ) वर्ष 2008-09 में इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय को पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दूरसंचार जिला स्थापित करना

3859. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार जिलों की स्थापना तथा द्विविभाजन के लिए मानदंड एवं मानक क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के द्विविभाजन के लिए दूरसंचार जिलों के द्विविभाजन या स्थापना के प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्किल जो इस समय मध्य प्रदेश के साथ साझा है, की स्थापना का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 08.04.1985 को दूरसंचार सर्किलों में संगठनात्मक पुन: संरचना के लिए मानदंड जारी किए थे। दिनांक 01.10.2000 को दूरसंचार प्रचालन विभाग (डीटीओ)/दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) का कॉरपोरेटकरण और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का गठन करने के बाद यह अपने जिला आधारित प्रचलनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर अपने दूरसंचार कार्यों का संचालन करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बीएसएनएल में छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल पहले से ही मौजूद है।

नागरिकों का कल्याण

3860. श्री नवीन जिन्दल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के विश्व मंच का ''विकास मूलक नीति निर्माण के लिए कल्याण मापन'' विषयक कार्यक्रम हाल में भारत में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मंच के प्रमुख परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि कई विकसित एंव विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपने नागरिकों में सामान्य कल्याण एवं प्रसन्नता का मापन कर रही हैं तथा उनके पास देश विशेष के सकल प्रसन्नता सूचकांक हैं जिसे नीति निर्माण प्रक्रिया में कारक के रूप में लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या आर्थिक मानदंडों के अतिरिक्त नीति निर्माण प्रक्रिया के दौरान कल्याण एवं प्रसन्नता के मानदंडों पर भी विचार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के कल्याण एवं प्रसन्नता को मापने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, हां।

(ख) सांख्यिकी, ऊर्जा और नीति पर आर्थिक सहयोग विकास संगठन (आईसीडी) के विश्व मंच का "विकासमूलक नीति निर्माण के लिए कल्याण मापन" विषयक कार्यक्रम नई दिल्ली, भारत में 16-19 अक्तूबर, 2012 तक आयोजित किया गया था। मंच के मुख्य उद्देश्य थे-दुनिया के विभिन्न देशों में वर्तमान तथा भावी जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करना तथा प्रभावी उत्तरदायित्व हेतु नए कल्याणकारी उपाय के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना। अपने समापन व्यक्तव्य में इसने कहा कि

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संगत चीजों को मापा जाए तथा माप और नीति के बीच के लिंक को सुदृढ़ किया जाए ताकि सही नीतियों की रूपरेखा तैयार की जा सके और उनका कार्यान्वयन हो सके।

(ग) और (घ) सरकार सकल प्रसन्नता सूचकांक की परिगणना नहीं करती।

(ङ) और (च) सभी नीतिगत निर्णयो का उद्देश्य नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक क्षेत्रकों में अधिक आवंटन किया जाता है, जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास आदि।

कॉलेजों की स्वायत्तता

3861. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान कुल कितने कालेजों को स्वायत्तता प्रदान की गई और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्वायत्तशासी कालेजों को कुल कितनी राशि आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 135 कॉलेजों को और 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 149 कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। स्वायत्त कॉलेजों का राजय-वार ब्यौरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/oldpdf/colleges/autonomous_colleges-list.pdf पर दिया गया है।

(ख) यूजीसी ने सूचित किया है कि उसने इन स्वायत्त कॉलेजों को वर्ष 2010-11 में 1718.72 लाख रुपये, 2011-12 में 2948.00 लाख रुपये और 2012-13 में 3550.29 लाख रुपये प्रदान किए हैं।

दूरस्थ विधि से इंजीनियरिंग शिक्षा

3862. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने दूरस्थ विधि द्वारा इंजीनियरिंग शिक्षा की स्वीकृति देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने दूरस्थ माध्यम से तकनीकी शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के पूर्व निदेशक प्रो. संजय गोविंद धांडे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। समिति ने तकनीकी शिक्षा के दूरस्थ माध्यम पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे एआईसीटीई की दिसम्बर, 2012 में आयोजित कार्यकारिणी समिति की 79वीं बैठक में रखा गया। कार्यकारिणी समिति ने अंतरिम रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया है। धांडे समिति आगे 22.03.2013 को बैठक करने जा रही है जिसमें आगे की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा।

हेलीकॉप्टर सौदे की जांच

3863. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मै. ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ब्रिटेन से मदद मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) ब्रिटिश प्रधानमंत्री, श्री डेविड कैमरून की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 19 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में भारत-यूके वार्ता आयोजित की गई। चर्चा के दौरान भारतीय पक्षकार द्वारा इस मामले को उठाया गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के लिए वर्ष 2010 हेतु ठेका प्राप्त करने के बाबत अनैतिक तरीके के इस्तेमाल से संबंधित भारत की गंभीर चिंताओं को सर्वोच्च स्तरों पर उठाया गया। इस मामले में भारत ने ब्रिटेन से पूर्ण सहायता की भी मांग की जिस पर ब्रिटिश पक्षकार ने सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया।

[हिन्दी]

फ्लाईंग स्कूल

3864. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में संचालित किए जा रहे फ्लाईंग स्कूलों/ग्लाईडिंग क्लबों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्कूल/क्लब किस तारीख से प्रचालन में हैं और इनके पास हवाई जहाजों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनको प्रदान की गई राजसहायता का वर्ष-वार, स्कूल-वार और क्लब-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) नागर विमानन महानिदशालय द्वारा ऐसे प्रत्येक क्लब को क्या वर्गीकरण प्रदान किया गया है; और

(ङ) इन फ्लाईंग स्कूलों/ग्लाइडिंग क्लबों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) फ्लाइंग स्कूलों की स्थापना की तारीख/वर्ष और उनके अधिकार में विद्यमान विमानों की संख्या सहित इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन्हें कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है।

(घ) उड़ान प्रशिक्षण प्रस्थानों को स्थापित करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता डीजीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाती है ओर डीजीएसीए द्वारा फ्लाइंग क्लबों का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता।

(ङ) फ्लाइंग क्लबों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का कोई रिर्कार्ड नहीं रखा जाता।

विवरण

फ्लाइंग स्कूलों की स्थापना और उनके अधिकार में विद्यमान विमानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	क्रम सं.	फ्लाइंग क्लब/स्कूल/संस्थान का नाम	स्थापना का तिथि	विमानों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1.	आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी, आंध्र प्रदेश पुराना हवाई अड्डा, हैदराबाद-500 011	08/09/1958	2
	2.	फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी, ए-1 कौसर, प्लॉट नं. 295 रोड नं. 10, पश्चिम मारेदपेली, सिकंदराबाद	06/02/1997	7
	3.	विंग्स एविएशन प्रा. लि., 1-11-256/बी, प्लॉट नं. 108, एडजेसेंट एयरपोर्ट रोड, बेगमपेट, हैदराबाद	09/10/1998	4
बिहार	4	बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, बिहार सरकार, केबिनेट सचिवालय नागर विमानन निदेशालय, पटना हवाई अड्डा, पटना	वर्ष 1942	9
छत्तीसगढ़	5.	साई फ्लाइटेक एविएशन प्रा. लि., चक्रभाटा एयरपोर्ट, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	22/10/2006	3
गुजरात	6.	द गुजरात फ्लाइंग क्लब, सिविल एयरोड्रोम, हरनी रोड, बड़ोदरा-390022 गुजरात	20/12/1958	3
	7.	अहमदाबाद एविएशन एंड एयरोनॉटिक्स लि., एएए हैंगर, ओल्ड टर्मिनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद-380 003 गुजरात	01/05/1994	4
	8.	रेनबो फ्लाइंग एकेडमी प्रा. लि., एटीसी टॉवर के नजदीक, हैंगर सं. 1 सूरत हवाईअड्डा, सूरत, गुजरात	27/08/2009	4

1	2	3	4	5
हरियाणा	9.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, करनाल ब्रांच, करनाल	03/03/1967	3
	10.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, हिसार ब्रांच, हिसार	1964-1965	2
	11.	हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, पिंजोर ब्रांच, पिंजोर	मई, 1980	4
झारखंड	12.	अल्केमिस्ट एविएशन ऑफ प्रा. लि., सोनारी एयरोड्रोम, जमशेदपुर, झारखंड	17/02/2006	4
कर्नाटक	13.	गवर्मेंट एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, जाक्कुर, बंगलौर	28/09/1988	3
	14.	एचएएल रोटरी विंग एकेडमी, हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, हेलीकॉप्टर डिविजन, पो.बॉ.सं. 1790, बंगलौर	22/02/2000	4
केरल	15.	राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी राधाश्री, टीसी.36/ 1200 (1और 2), वल्लाक्काडवू इन्चाककल, तिरूवनंतपुरम	14/07/1959	3
मध्य प्रदेश	16.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, राजा भोज हवाईअड्डा, भोपाल	09/10/1951	3
	17.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लि., देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट, सिविल एयरोड्रोम, बिजासान रोडद्व इंदौर-452 005	09/10/1951	8
	18.	मैसर्स चिम्स एविएशन-सागर (मध्य प्रदेश)	21/04/2008	8
	19.	पायलट ट्रेनिंग कॉलेज, गवर्मेंट एयरस्ट्रिप, पी.ओ. सिन्खेडा, खारगौन-451 001, मध्य प्रदेश	06/02/2009	2
	20.	शा-शिब फ्लाइंग एकेडमी, (गुना) मध्य प्रदेश	03/07/2009	5
	21.	मैसर्स यश एयर, दातवा एयर स्ट्रिप, देवास रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश	03/10/2003	16
महाराष्ट्र	22.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, मंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सिविल लाइंस, नागपुर-01	वर्ष 1947	3
	23.	द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, जुहू एयरोड्रोम, सांताक्रूज (प.), मुम्बई	09/05/1928	3
	24.	नेश्यानल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा. लि., मार्फत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसी एयरपोर्ट, पी.ओ. पारसवाडा, गोंदिया-425 614, महाराष्ट्र	08/09/2008	15
	25.	एकेडमी ऑफ कार्वर एविएशन प्रा. लि., प्लॉट पी-50, एमआईडीसी एयरपोर्ट, बारामती-413133	07/08/1997	2
	26.	एसकेवीएम फ्लाइंग एकेडमी ऑफ एविएशन, कैंपस-बाबुलडे, बैंक्स ऑफ तापी रिवर, मुम्बई-आगरा रोड, सिरपुरा, जिला-ढुले-425 405	29/05/2009	3
ओडिशा	27.	गवर्मेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर	16/12/1974	4
पंजाब	28.	अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर इंस्टीट्यूशनल एयरपोर्ट, पी.ओ. राजासांसी, अमृतसर-143 101, पंजाब	वर्ष 1962	5

1	2	3	4	5
	29.	लुधियाना एविएशन क्लब, सिविल एयरोड्रोम, पीओ, शाहनेवाल, लुधियाना-141 120	01/01/1968	3
	30.	पटियाला एविएशन क्लब सिविल एयरोड्रोम, सांगरूर रोड, पटियाला, पंजाब	वर्ष 1962	4
	31.	बिरमी फ्लाइंग एकेडमी प्रा. लि., हंगर नं. 2, सिविल एयरपोर्ट, पटियाला	31/03/2006	2
राजस्थान	32.	राजस्थान फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	23/04/2008	4
	33.	वनस्थली विद्यापीठ ग्लाईगिं एवं फ्लाइंग क्लब, वनस्थली विद्यापीठ, जिला-टोंक, राजस्थान-304 022	11/08/1961	5
तमिलनाडु	34.	द मद्रास फ्लाइंग क्लब लि., गेट सं. ओल्ड एयरपोर्ट मीनाम्बक्कम, चेन्नई-600 027	04/03/1930	7
	35.	ओरिएंट फ्लाइंग स्कूल-पीबी नं. 1306, 40, जीएसटी रोड, चेन्नई, तमिलनाडु	16/12/1994	10
	36.	सदर्न पायलट ट्रेनिंग एकेडमी, ए यूनिट ऑफ कोहिनूर एडुकेशनल सविर्सेज प्रा. लि. साईट-बी, सलेम एयरपोर्ट, ओमाल्लूर कमलापुराम, सलेम (तमिलनाडु)	10/10/2009	3
	37.	इंटरनेशनल एविएशन एकेडमी प्रा. लि., सलेम एयरपोर्ट, पीओ कमलापुरम सेलम, तमिलनाडु-636 309	24/12/2009	3
उत्तर प्रदेश	38.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज, जिला-रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229 302	12/09/1986	25
	39.	एंबिश्यांस फ्लाइंग क्लब प्रा. लि., एमएस-10, एनएच-91, अलीगढद्य एयरस्ट्रिप, धानीपुर, पोस्ट पनेथी, अलीगढ़-202 001 उत्तर प्रदेश	12/09/2008	3
	40.	चेतक एविएशन एकेडमी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	12/09/2008	3
	41.	गर्ग एविएशन लि., हैंगर सं. 3, सिविल एयरोड्रोम कैंट, कानपुर-208004 उत्तर प्रदेश	14/10/1996	5
	42.	पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा. लि., एमएस-10, एनएच-91, धानीपुर एयरपोर्ट, पोस्ट पनेथी, अलीगढ़-202 001 उत्तर प्रदेश	03/09/2009	3
	43.	सरस्वती एविएशन एकेडमी, सुल्तानपुर अमहट एयरफील्ड, उत्तर प्रदेश	10/02/2009	5
उत्तराखंड	44.	अंबर एविएशन प्रा. लि., सिविल एयरोड्रोम, पंत नगर, उत्तराखंड	27/10/2006	4

[अनुवाद]

मुस्लिम क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाएं

3865. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सही है कि देश के मुस्लिम क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाएं पर्याप्त संख्या में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुलभता, साम्यता और समानता सुधारने पर ध्यान देते हुए अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना सरकार की प्राथमिकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुस्लिम जनसंख्या वाले जिलों को अधिकतम स्कूल सुलभ कराने और अवसंरचना के अंतराल दूर करने के लिए विशेष लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में दिसम्बर,2012 तक कुल 20512 प्राथमिक और 9918 उच्च प्राथमिक स्कूल निर्मित किए गए हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 890 स्कूल खोलने का अनुमोदन किया गया। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की सर्वाधिक बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 3609 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अर्थात् बालिकाओ के आवासीय स्कूल में से 10,821 मुस्लिम बालिकाओं का नामांकन करते हुए अल्संख्यक बहुल जिलों में 544 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औसत से कम उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में 374 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय बहुल जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें अनुमोदित कर दिया गया। पॉलिटेक्निकों के उप-मिशन के अंतर्गत 13 राज्यों के प्रस्तावित 57 में से 54 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में नए पॉलिटेक्निक अनुमोदित किए गए हैं। अब तक 315.16 करोड रुपये जारि किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो परिसर मल्लापुरम (केरल) और मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थ आयोग (एनसीएमईआई) ने 31.1.2013 तक 7292 शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंक्ष्यक दर्ज का प्रमाणपत्र दिया है।

[हिन्दी]

तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थान

3866. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के उद्देश्य से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के चयन के लिए सरकार द्वारा क्या मानक/मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए कुछ तकनीकी और गैर-तकनीकी शैक्षिक संस्थाएं खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के खंड 10(ट) के उपबंध के तहत सोसाटियों/ट्रस्टों/कंपनियों द्वारा नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करती है। तथापि, "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के अंतर्गत पॉलीटेक्निक पर उप मिशन" की योजना के अंतर्गत मंत्रालय असेवित/अल्पसेवित जिलों में प्रत्येक में एक पोलेटेक्निक की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रति पोलिटेक्निक 12.30 करोड़ रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो इस शर्त के अध्यधीन है कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें नि:शुल्क भूमि मुहैया कराएं और शत प्रतिशत आवर्ती व्यय को वहन करें और अनावर्ती व्यय यदि 12.30 करोड़ रुपये से अधिक हो तो उसे भी वहन करें।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, एआईसीटीई ने ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस जो स्नात्मक कार्यक्रम/डिप्लोमा/डिप्लोमेत्तर कार्यक्रम चलाने वाले एआईसीटीई से अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है, से छूट देने की योजना की नीति लागू की है जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम है। मानदंडों के अनुसार, प्रति पाठ्यक्रम संस्वीकृत 5 प्रतिशत सामान्य रूप से अधिसंख्यात्मक है और वे इन प्रवेशों के लिए उपलब्ध है।

[अनुवाद]

ब्याज, कर और ऋण शोधन के पूर्व की आय

3867. श्री के. सुगुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के वित्तीय वर्ष 2012-13 के परिणामों में, उसकी ब्याज, कर और ऋण शोधन से पूर्व की आय के धनात्मक रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष की प्रथम छमाही में एयर इंडिया का कार्य-निष्पादन इसकी कायापलट योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2012-13 के संशोधित बजट अनुमानों में 19.45 करोड़ रुपये की ब्याज, कर और ऋण शोधन से पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) को धनात्मक दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अप्रैल-सितम्बर, 2012 के दौरान, एअर इंडिया की कायाकल्प योजना (टीएपी) में वित्त वर्ष 2013 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रचालनिक निष्पादन निम्नानुसार है:

मापदंड....................टीएपी के लक्ष्य.............उपलब्धि

समयबद्ध निष्पादन...........85 प्रतिशत......80.35 प्रतिशत

यात्री लोड फैक्टर............69.5 प्रतिशत.......70.9 प्रतिशत

प्रतिफल (आरपीकेएम)...........3.53 रुपये.......4.41 रुपये

परमाणु ऊर्जा निगम का विनिवेश

3868. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसी) में विनिवेश के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करना एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ई-प्रशासन की शुरुआत

3869. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने नए पोलीटेक्निक संस्थान खोलने और पाठ्यक्रमों के विस्तारण को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग हेतु राज्यों को दी गई शक्तियों को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा डिग्री-स्तरीय तकनीकी संस्थाओं और पोलीटेक्निक संस्थानों की संख्या के बीच अंतर को कम करने के लिए किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने पारदर्शिता और निर्णय लेने में शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए डिप्लोमा और पी.जी. डिप्लोमा-स्तरीय संस्थाओं को अपनी स्वीकृति की प्रक्रिया में ई-प्रशासन तंत्र आरंभ करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (ट) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को का प्रयोग करते हुए, इस परिषद ने दिनांक 24.11.2010 को हुई अपनी बैठक में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए अनुमोदन प्रदान करने के आवेदनों पर कार्रवाई हेतु राज्य सरकारें को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के मुद्दे पर विचार किया और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को परिषद द्वारा वर्ष 2002 में दी गई शक्ति को वापस लेने का निर्णय किया था।

इस परिषद ने डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थानों और पालीटेक्निकों की संख्या के बीच के बड़े अंतर को नोट किया तथा देश में पालीटेक्निक शिक्षा के संवर्धन की आवश्यकता को महसूस किया। परिषद ने नए पालीटेक्निकों को अनुमोदन देने और वर्तमान डिप्लोमा संस्थानों में दाखिले/नए पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्रदान करने संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करने की राज्य सरकार को प्रत्यायित शक्तियां वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। यह निर्णय किया था कि इन आवेदनों पर एआईसीटीई द्वारा ई-प्रशासन वाली उसी प्रक्रिया को अपना कर, आन-लाइन प्रस्तुत करने के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी जो डिग्री स्तरीय संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अपनायी जाती है, ताकि निर्णय करने में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं तत्परता सुनिश्चित की जा सके। इससे देश भर में एक समान उच्च मानव सुनिश्चित होंगे।

(घ) और (ङ) इस परिषद ने एक वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी अनुमोदन प्रक्रिया में ई-प्रशासन आरम्भ किया है जिसे 10.01.2010 को सार्वजनिक किया गया था। परिषद ने तकनीकी संस्थानों को विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने के लिए

मानदंडों और मानको को भी संशोधित किया है। इन उपायों से पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

लक्षद्वीप में सर्वशिक्षा अभियान

3870. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में टीजीटी और पीएसटी शिक्षकों को अपेक्षानुरूप प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लक्षद्वीप में सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्षद्वीप में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम में लक्षदीप सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षकों को वार्षिक सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान, लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र में कुल 2569 शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिस पर 23.98 लाख रुपये खर्च हुआ था।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, लक्षदीप सहित सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न घटकों की तिमाही मानीटरिंग करने हेतु एक तंत्र है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के तहत, राज्य परियोजना निदेशक/शिक्षा सचिवों की बैठकों में भी प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 के दौरान विकास अध्ययन केन्द्र तिरुवनन्तपुरम , केरल जो कि संघ राज्यक्षेत्र के लिए स्वतंत्र मॉनिटरिंग संस्थान है, द्वारा क्षेत्र स्तरीय मानीटरिंग की गई थी।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रीकरण

3871. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों में संकेंद्रित होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समानुपाती आर्थिक गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) राष्ट्रीय आय का अनुमान सामान्यतया आर्थिक कार्यकलाप के आधार पर लगाया जाता है जहां से यह उत्पन्न होती है अर्थात् कृषि खनन और उत्खनन विनिर्माण, परिवहन, रियल एस्टेट तथा बैंकिंग, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं आदि। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने वर्ष 2004-05 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले निवल घरेलू उत्पाद के हिस्से का अनुमान लगाया था और यह नवीनतम उपलब्ध अनुमान है। सीएसओ ने अनुमान लगाया था कि निवल घरेलू उत्पाद का 48.14% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अत: स्पष्ट है कि आर्थिक कार्यकलाप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से संकेद्रित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रक और शहरी क्षेत्रक का विकास एक दूसरे से जुड़ा है और अर्थव्यवस्था की पूर्ण विकास क्षमता हासिल करने के लिए दोनों को तालमेल रखते हुए विकास करना होगा। 12वीं योजना दस्तावेज में कहा गया है कि "अधिक तीव्र, संधारणीय और समावेशी विकास" पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। समावेशिता का अर्थ आय असमानता पर अधिक ध्यान देना भी है। रोजगार सृजन कार्यक्रमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल है।

आधार कार्ड का निरस्तीकरण

3872. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री पुलीन बिहारी बासके:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बायोमीट्रिक अपवाद खंड के तहत निकाली गयी लाखों आधार संख्याओं को निरस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा दश के विभिन्न भागों में इस हेतु और अधिक केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी निवासियों को आधार संख्या जारी किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल): (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार, बायोमीट्रिक अपवाद खंड के अंतर्गत 3,84,237 आधार संख्याएं निरस्त की गई हैं।

(ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की नामांकन में शून्य असफलता की बचनबद्धता के लक्ष्य को देखते हुए, नामांकन क्लाइंट अनुप्रयोग में, बायोमीट्रिक अपवादी वाले लोगों के नामांकन का प्रावधान किया गया है। यूआईडीएआई को जानकारी मिली कि कुछ ऑपरेटर इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे निवासियों के नामांकन हेतु इस प्रावधान का दुरूपयोग कर रहे थे, जो बायोमीट्रिक अपवादों की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। सभी बायोमीट्रिक अपवाद नामांकनों की संवीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप 3,84,237 सृजित आधार संख्याएं रद्द की गई जैसा कि उक्त पैरा (क) में कहा गया है।

यूआईडीएआई ने गलत बायोमीट्रिक अपवाद नामांकनों के प्रयासों को रोकने के लिए कई उपाय कार्यान्वित किए हैं, जो निम्नवत हैं-

(i) पूर्ण बायोमीट्रिक अपवादों के साथ हुए नामांकनों की जांच व्यक्तिगत सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपवाद वास्तव में है। इस प्रयोजन हेतु, नामांकन के समय ली गई बायोमीट्रिक अपवाद फोटो का उपयोग किया जाता है।

(ii) बैकएंड में, जनांकिकी दुहराव रोकने की प्रणालियां शुरू की गई हैं।

(ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार परियोजना को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय डाक आदि के साथ साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। इन साझेदारों ने फील्ड में नामांकन करने के लिए इन साझेदारों को शामिल किया है। नामांकन एजेंसियों की तैनाती करना नामांकनों का उत्तरदायित्व है जो नामांकन केन्द्रों की स्थापना करते हैं। यूआईडीएआई ने हाल ही में, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक कम्पनी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर पंजीयों की सूची में वृद्धि की हैं यूआईडीएआई ने सक्रिय नामांकन एजेंसियों की संया में वृद्धि के लिए अपने साझेदार पंजीयकों के साथ मिलकर काम किया है जिसके कारण ऐसी एजेंसियों की संख्या 2012 के 90 से बढ़कर फिलहाल 100 से अधिक है।

(घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को देश के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या सृजित और जारी करने का अधिदेश दिया गया है। यूआईडीएआई को 2014 तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 60 करोड़ निवासियों के नामांकन का अधिदेश दिया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। शेष आबादी को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) प्रक्रिया के तहत भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा कवर किया जाएगा।

विवरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश
2.	चंडीगढ़
3.	दमन और दीव
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	झारखंड
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	महाराष्ट्र
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	पुदुचेरी
15.	पंजाब
16.	राजस्थान
17.	सिक्किम
18.	त्रिपुरा

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं की घटती संख्या

3873. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री सोमेन मित्रा:
शेख सैदुल हक:
श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के उन उपभोक्ताओं का कंपनी-वार और राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल फोन और लैन्ड लाइन फोन को सरेन्डर कर दिया है, और इसके क्या कारण हैं;

(ख) अभी तक उक्त दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित टेलीफोन केन्द्रों और मोबाइल टावरों का राज्य-वार/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है एवं इस संबंध में राज्य सरकारों से उक्त प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. की सेवा देश के ग्रामीण, दूर-दराज के और पिछड़े क्षेत्रों में संतोषजनक नहीं है तथा इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु उपकरणों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त दोनों कंपनियों की मोबाइल तथा लैन्डलाइन सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं एवं अपेक्षित उपकरणों/सामग्री की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के ऐसे उपभोक्ताओं का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अपने मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। इन कनेक्शनों को सरेंडर कर देने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:–

- उपभोक्ता आधार का स्थिर लाइन कनेक्शनों से बेतार मोबाइल संचार में बदलना।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्र्धा।
- प्रतिस्पर्धी कम्पनियों द्वारा प्रबल विपणन।

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल को राज्य सरकारों सहित विभिन्न अभिकरणों से नए टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशन संस्थापित किए जाने के संबंध में अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल तकनीकी-वाणिज्यिक जरूरतों के आधार पर अपनी नेटवर्क क्षमता का संवर्धन करते हैं। दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों तथा मोबाइल बीटीएस का सर्किल वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में ग्रामीण दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों सहित इनके सेवा क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के संबंध में समय-समय पर उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होती हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सेवा की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। ट्राई ने समय-समय पर विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में सेवा के निर्दिष्ट पैरामीटरों में कमी को इंगित किया है। सेवा प्रदायगी में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

बीएसएनएल पिछले चार वर्षों के दौरान निविदाएं रद्द हो जाने के कारण अपनी मोबाइल क्षमता में वृद्धि नहीं कर सका है। तथपि, अब तक, भारत संचार निगम लि. ने ग्रामीण, दूरस्थ ओर पिछड़े क्षेत्रों सहित अपने सेवा क्षेत्रो में अपनी क्षमता में 14.37 मिलियन वैश्विक मोबाइल संचार पद्धति (जीएसएम) लाइनों तक की वृद्धि करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(ङ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों का वरिष्ठ प्रबंधन, बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। बीएसएनएल

और एमटीएनएल द्वाश्रा अपनी मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:–

बीएसएनएल

- बिक्री तथा वितरण पद्धति को सुदृढ़ करना।
- विशेष उपभोक्ता अनुरक्षण कैम्प।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों का पालन करने के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी।
- 'प्रोजेक्ट स्माइल' के माध्यम से उपभोक्ताओं की देखभाल (कस्टमर केयर) में लगातार सुधार।
- विभिन्न आकर्षक टैरिफ प्लानों और विकसित बाजार रणनीतियों को लागू करना।
- ब्रॉडमैंड सेवाओं, इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं और ब्रॉडबैंड आधारित मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे वीडियो/गेम्स/म्यूजिक ऑन डिमांड आदि सहित मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान करना।

एमटीएनएल

- कन्वरजेंट विलिंग को लागू करने की योजना/इस पद्धति से उपभोक्ताओं को सभी सेवाओं के लिए एक बिल प्राप्त होगा और इससे सेवाओं, प्रशुल्क आदि के संबंध में उपभोक्ताओं के अनुरोधों का समाधान होगा।
- टेलीफोन बिलों के सरल भुगतान को सुकर बनाने के लिए उपाय करना।
- विभिन्न सेवाओं के लिए बुकिंग तथा लैंडलाइन और मोबाइल सेवा से संबधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन पद्धति।
- एमटीएनएल के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाएं जैसे नई सेवा के लिए पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन के लिए डुप्लीकेट बिल, बिलों के भुगतान, वर्चुअल कॉलिंग कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए दिल्ली में संचार हाट तथा मुम्बई में उपभोक्ता सेवा केन्द्र (सीएससीएस) हैं।

बीएसएनएल और एमटीएनएल में उपस्करों/सामग्री की कोई कमी नहीं है। तथापि, अब तक, भारत संचार निगम लि. ने ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों सहित अपने सेवा क्षेत्रों में अपनी क्षमता में 14.37 मिलियन वैश्विक मोबाइल संचार पद्धि (जीएसएम) लाइनों तक की वृद्धि करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के सरेंडर हुए टेलीफोन कनेक्शनों का सर्किल वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.01.13 तक)	
		वायरलाइन	मोबाइल	वायरलाइन	मोबाइल	वायरलाइन	मोबाइल	वायरलाइन	मोबाइल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बीएसएनएल									
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,960	10,029	3,465	2,553	2,066	67,274	3,058	11,554
2.	आंध्र प्रदेश	402,639	330,960	355,613	67,228	255,768	1,527,321	252,436	1,303,523
3.	असम	59,227	142,708	69,015	77,049	41,699	568,470	44,451	280,607
4.	बिहार	26,662	240,646	23,527	178,736	603,510	651,443	178,412	663,171
5.	छत्तीसगढ़	38,066	1,204	63,971	11,845	16,840	10,793	20,526	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	178,597	91,488	270,835	38,177	200,514	29,799	108,555	40,273
7.	हरियाणा	112,162	56,058	232,339	154,211	110,243	646,841	60,047	361,672
8.	हिमाचल प्रदेश	34,186	40,512	39,876	68,762	40,968	337,499	24,985	278,918
9.	जम्मू और कश्मीर	25,349	94,543	29,227	650,917	26,949	208,563	17,996	187,374
10.	झारखंड	21,211	21,590	241,934	128,559	14,348	684,922	92,153	194,595
11.	कर्नाटक	292,476	188,232	246,586	103,270	260,121	654,806	419,314	710,312
12.	केरल	253,380	227,687	291,145	49,382	240,175	40,631	178,730	55,790
13.	मध्य प्रदेश	126,485	177.57	168,531	182,067	239,502	611,487	93,415	502,245
14.	महाराष्ट्र	537,830	316,838	365,938	383,727	384,943	1,682,697	233,713	1,105,677
15.	पूर्वोत्तर-I	13,037	28,871	74,561	62,453	22,363	26,235	8,140	2,247
16.	पूर्वोत्तर-II	7,207	34,770	21,361	26,896	19,452	258,863	38,024	113,545
17.	ओडिशा	66,341	34,344	84,158	120,498	161,310	414,148	84,632	586,528
18.	पंजाब	163,089	271,861	125,127	107,177	207,683	885,681	121,759	834,582
19.	राजस्थान	129,455	367,064	267,788	297,836	192,175	1,306,521	163,521	482,890
20.	तमिलनाडु	351,967	182,036	314,956	177,835	287,356	712,325	176,673	642,760
21.	उत्तराखंड	28,719	57,722	63,242	46,187	31,839	185,397	25,037	196,978
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	58,334	167,337	77,376	143,120	312,462	333,274	239,735	120,176
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	44,949	216,062	480,282	151,526	79,439	282,937	34,754	661,850
24.	पश्चिम बंगाल	213,027	417,570	190,613	69,553	121,590	295,088	113,200	77,137
25.	कोलकाता	141,064	252,970	106,443	188,205	261,127	298,506	62,789	228,710
26.	चैन्ने	97,623	187,937	98,585	19,643	235,972	13,012	74,220	108,826
एमटीएनएल									
1.	दिल्ली	77060	119286	65697	111963	56621	10328	43535	505607*
2.	मुम्बई	103241	29781	88714	10939	76835	42419	ळ2688	433813*

*एमटीएनएल ने वर्ष 2012-13 में दिनांक 28.02.2013 तक सिस्टम डाटा का मिलान हो जाने के बाद दिल्ली में 380262 जीएसएम कनेक्शनों को तथा मुम्बई में 455335 जीएसएम कनेक्शनों को निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) कर दिया है।

विवरण II

बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन एक्सचेंजों और बेस ट्रांसीवर स्टेशनों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल	31.01.2013 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	31.01.2013 की स्थिति के अनुसार बीटीएस की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	52	168
2.	आंध्र प्रदेश	3276	7271
3.	असम	624	1801
4.	बिहार	1332	2828
5.	छत्तीसगढ़	573	2150
6.	गुजरात	2985	6557
7.	हरियाणा	1104	2103
8.	हिमाचल प्रदेश	809	1149
9.	जम्मू और कश्मीर	380	1544
10.	झारखंड	496	1852
11.	कर्नाटक	3110	6169
12.	केरल	1509	5636
13.	मध्य प्रदेश	2669	5045
14.	महाराष्ट्र	4927	9281
15.	पूर्वोत्तर-I	224	852
16.	पूर्वोत्तर-II	228	757
17.	ओडिशा	1168	2619
18.	पंजाब	1527	3980
19.	राजस्थान	2292	4594
20.	तमिलनाडु	2039	6446
21.	उत्तराखंड	483	1131
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2178	6105
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1067	2897
24.	पश्चिम बंगाल	1387	3019
25.	कोलकाता	460	1807
26.	चेन्नै	518	2481
एमटीएनएल			
1.	दिल्ली	361	1876
2.	मुम्बई	222	1755

[अनुवाद]

आईपीएस आईएफएस की प्रतिनियुक्ति

3874. श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री हरीश चौधरी:
श्री सी. शिवासामी:
श्री संजय निरूपम:
श्री के. सुगुमार:
श्री पी. कुमार:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस) आदि के अनेक अधिकारियों को केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन सहित बहुत से संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें विभिन्न विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है;

(ग) क्या प्रतिनियुक्ति की न्यूनतम अनुमत अवधि दो वर्ष की है;

(घ) यदि हां, तो बहुत से विभाग/संगठन प्रतिनियुक्ति की दो वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी ऐसे अधिकारियों को उनके मूल विभाग में वापस नहीं भेज रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसे अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति के कारण उनके मूल विभागों और संगठनों को अधिकारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति वाले विभागों/संगठनों से वापस बुलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां।

विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफएस), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को स्वीकृत पदों तथा उनके कार्यकाल समयावधि के सम्बन्ध में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनके भर्ती नियमों के अनुसर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। 15.03.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में 4 आईपीएस, 1 आईएएस, 6 आईएफएस तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से 29 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे।

(ख) गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त इनपुट के अनुसार 462 आईपीएस तथा 278 आईएफएस अधिकारी केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन सहित अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(ग) कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिनियक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है तदानुसार केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की 3 वर्षो की प्रारंभिक अवधि की नीति का पालन करता है।

(घ) और (ङ) कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के अनुमोदन से केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन म प्रतिनियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल उनकी सामान्य प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद कार्यात्मक अपेक्षाओ के अनुसारा प्रत्येक मामले-दर-मामले के अनुसार वार्षिक आधार पर पांच वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाता है।

(च) और (छ) जहां तक केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय का सम्बंध है, इन अधिकारियों को उनकी सामान्य प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाता है। ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें मूल विभाग में अधिकारी को वापस भेजने की मांग की हो तथा इस मंत्रालय ने उनके अनुरोध पर कार्रवाई न की हो। किसी भी मूल विभाग में अधिकारियों के अभाव का मामला विदेश मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

हवाई-संचालन सेवाएं

3875. श्री तकाम संजय क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विशेषकर देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विद्यमान हवाई अड्डों की हवाई-संचालन सेवाओं का उन्नयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले कुशल मानव-संसाधन की पूर्ति के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और कितनी राशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी हां। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश के, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में, मौजूद हवाई अड्डों की हवाई दिक्चालन सेवाओं (एएनएस) को नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए स्तरोन्नत करने से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) गुवाहाटी, अगरतला, इंफाल और दीमापुर सहित भारत भर में 34 हवाईअड्डों पर एटीएस ऑटोमेशन सिस्टम का कार्योन्वयन किया गया है।

(ii) गुवाहाटी और अगरतला सहित 14 स्थानों पर ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस-ब्रॉडकास्ट (एडीएस-बी) की संस्थापना की गई है।

(iii) भारतीय मिनपत्तन प्राधिकरण (एएआई) दूसरे चरण में डिब्रूगढ़ में एडीएस-बी संस्थापित कर रहा है जिससे पूर्वोत्तर के हवाईक्षेत्र के ऊपर सर्विलांस कवरेज में इजाफा होगा।

(iv) तेजू और पेक्योंग में वीओआर की योजना बनाई गई है।

(v) अपर एयरस्पेस हार्मोनाइजेशन प्रोग्राम (यूएएच) के तहत, गुवाहटी के अतिरिक्त अगरतला में एरिया कंट्रोल विकसित किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप हवाई यातायात प्रबंधन का प्रभावी प्रावधान किया जा सकेगा।

(vi) गुवाहाटी-दीमापुर और दीमापुर-सिलचर के बीच दो नए एटीएस मार्ग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे ईंधन की बचत होगी और एयरलाइनों की प्रचालनिक लागत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

(vii) बारापानी में आईएलएस संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जेएनएनयूआरएम का कार्य-निष्पादन

3876. श्री जोस के. मणि: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि को कवर करने वाली जेएनएनयूआरएम संबंधी वर्ष 2012-13 की कार्य-निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट संख्या-15 की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार मिशन में शामिल उत्तर प्रदेश के सात शहरों में जांच के लिए चुनी गयी एक भी शहरी अवसंरचना परियोजना को पूरा नहीं किया गया जबकि गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या इस रिपोर्ट में अच्छा कार्य कर रहे राज्यों को प्रोत्साहन दिए जाने की सिफारिश की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां। सरकार ने वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि को शामिल करते हुए जेएनएनयूआरएम की वर्ष 2012-13 की कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं. 15 पर विचार किया है और राज्यों को रिपोर्ट में इंगित किए गए अनुसार उनसे संबंधित टिप्पणियों/कमियों पर अनुपालन/सुधार हेतु परामिर्शिका जारी की है।

(ख) और (ग) जी हां। कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा रिकार्डों की जांच के माध्यम से कराई गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सात मिशन शहरों में कोई भी शहरी अवस्थापना परियोजना पूरी नहीं की गई है और गुजरात में 71 परियोजनाओं में से 33, कर्नाटक में 46 परियोजनाओं में से 16 तथा आंध्र प्रदेश में 50 परियोजनाओं में 17 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

परियोजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा भारत सरकार द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। तथापि, परियोजनाओं का निष्पादन और निगरानी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा की जाती है। राज्यों को सलाह दी गई है कि जेएनएनयूआरएम की बढ़ाई गई अवधि के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाई जाये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 33 परियोजनाओं में 4, गुजरात में 71 परियोजनाओं में से 47, कर्नाटक में 47 परियोजनाओं में से 23 और आंध्र प्रदेश में 52 परियोजनाओं में से 20 पूरी की जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) मापन-प्रौद्योगिकी

3877. श्री भर्तृहरि महताबः
श्री प्रहलाद जोशीः
श्री हंसराज गं. अहीरः
श्री अनंत कुमारः
श्री पी. विश्वनाथनः
श्री संजय धोत्रेः
श्री रूद्रमाधव रायः
श्री जयराम पांगीः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) स्तर को मापने के लिए दश में कोई अचूक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने मोबाइल फोन और आधार प्रसारण-स्टशनों (बीटीएस) से निकलने वाले विकिरण की निगरानी के लिए किसी विनियामक तंत्र की स्थापना की है या करने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बीटीएस और मोबाइल फोनों से होने वाले विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र-विकिरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) के स्तर को माप्ने संबंधी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और एसएआर से संबंधित प्रयोगशाला दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अभियांत्रिक केन्द्र (टीईसी) में स्थापित की गई है।

(ग) से (ङ) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि मोबाइल फोन और बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशनों (बीटीएस) से होने वाले विकिरण की निगरानी करने के लिए किसी विनियामक तंत्र की स्थापना की जाए। बीटीएस से वैद्युत चुम्बकीय फील्ड (ईएमएफ) विकिरण की निगरानी दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और अनुवीक्षण (टीईआरएस) प्रकोष्ठों द्वारा की जा रही हैं मोबाइल फोनो से होने वाले विकिरण को मापने के लिए टीईसी में एक एसएआर प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

बिजनेस स्कूलों के स्नातक

3878. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एम.के. राघवन:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के कॉर्पोरेट जगत में प्रति वर्ष औसत रूप में बिजनेस स्कूलों के 10% स्नातकों को ही नौकरी मिल पाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत से बिजनेस स्कूल बंद कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन बिजनेस स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) मंत्रालय ने इस संबंध में ऐसे किसी अध्ययन का आयोजन नहीं किया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान बंद हुए बिजनेस स्कूलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अपनी विभिन्न स्कीमों जैसे 'संकाय विकास कार्यक्रम', उद्योग संस्था भागीदारी प्रकोष्ठ, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, नवाचार प्रोन्नयन स्कीम तथा विद्यार्थियों हेतु फिनिशिंग स्कूल के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता का प्रोन्नयन करती है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्व औद्योगिक निकायों जैसे सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, नैसकॉम इत्यादि संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु इनके साथ संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देती हो।

विवरण

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बंद हुए बिजनेस स्कूलों की राज्य-वार संख्या

वर्ष 2011-12 के दौरान बंद की गई प्रबंधन संस्थाएं

राज्य	बंद की गई संस्थाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	28
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	3

1	2
केरल	4
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	12
पंजाब	16
राजस्थान	15
उत्तर प्रदेश	24
कुल	124

वर्ष 2012-13 के दौरान बंद की गई प्रबंधन संस्थाएं

राज्य	बंद की गई संस्थाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	42
दिल्ली	1
गुजरात	2
हरियाणा	1
केरल	2
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	6
ओडिशा	1
पंजाब	1
राजस्थान	20
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश	7
कुल	101

उत्तर-पूर्वी राज्यों में तकनीकी/व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान

3879. श्री जोसेफ टोप्पो:
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व के राज्यों में कार्यरत तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये संस्थान छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर-पूर्व के राज्यों विशेषकर असम के विभिन्न भागों में ऐसे और संस्थानों और कालेजों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ आवंटित/प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संस्थानों के कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) इस समय, पूर्वोत्तर राज्यों में 12 केंद्रीय वित्त-पोषित तकनीकी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इनमें एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवहाटी में, शिलांग में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, दो पुराने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला और सिलचर में, और छह नए भारतीय प्रैद्योगिकी संस्थान, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर में, एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, अरूणाचल प्रदेश में और एक केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम में है। इसके अतिरिक्त 96 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अनुमोदित तकनीकी शिक्षा संस्थाएं (अरूणाचल प्रदेश में 4, असम में 51, मणिपुर में 7, मेघालय में 6, मिजोरम में 7, सिक्किम में 6, नागालैंड में 5 और त्रिपुरा में 10) भी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रही हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय द्वारा असम और त्रिपुरा राज्य में क्रमशः गोवहाटी और बोधजंग नगर, पश्चिम त्रिपुरा में, सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति के तहत नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानो की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रत्येक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ रुपये है जिसके लिए क्रमशः केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग द्वारा 50:35:15 के अनुपात में अंशदान किया जाना है। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूंजीगत राज्यों में उद्योग की सहभागिता को 7.5 प्रतिशत पर और केन्द्र सरकार की सहभागिता को 57.50 प्रतिशत जबकि राज्य सरकारों की सहभागिता को 35 प्रतिशत पर रखा जाएगा। नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना/कार्यकरण, उद्योग साझेदारी को अंतिम रूप दिए जाने, समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर करने, एक सोसाइटी के रूप में नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के पंजीकरण, आदि के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्युत्तर पर निर्भर करेगा।

इसके अतिरिक्त "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पोलीटेक्निकों संबंधी उप मिशन" की योजा के तहत, मंत्रालय संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने, 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय और साथ ही रुपये 12. 30 करोड़ से अधिक होने वाले अनावर्ती व्यय, यदि कोई हो, को पूरा करने के अध्यधीन, देश के असेवित/अल्पसेवित जिलों में नए पॉलीटेक्निक स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रति पोलीटेक्निक 12.30 करोड़ रुपये की एकबारगी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। पूर्वोत्तर राज्यों में, 66 जिलें अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इन 66 जिलों में से, असम में 21 जिलों को 42.00 करोड़ रुपये सहित 228.48 करोड़ रुपये की आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

वापस भेजे गए कामगार

3880. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण अन्य देशों, विशेषकर खाड़ी-देशों, से भारतीय कामगारों को वापस भेजे जाने के प्रभाव का सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे कामगारों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सी.आर. (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) श्रेणी के अधिकांश कामगार खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं और अपने रोजगार संबंधी करार के समापन पर वापस लौट आते हैं। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय वापस भेजे गए कामगारों के बारे में आंकड़े नहीं रखता।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसे कामगारों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य, उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीय कामगारों जो ईसीआर दोों को जा रहे हों को (क) उनकी वापसी और पुनःस्थापना के लिए बचत करने (ख) बुढ़ाने हेतु बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, (ग) प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध जीवन बीमा कवर प्रदान करना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति

3881. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री विजय बहादुर सिंह:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय आईटी क्षेत्र के साफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों क्षेत्रों के लाभप्रदता स्तर में गिरावट हो रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा साफ्टवेयर और हार्डवेयर निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का देश-वार और वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान राजकोषीय वर्ष के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा आईटी को बढ़ावा देने तथा साफ्टवेयर निर्यात के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति (एनपीआईटी) तैयार किया है जिसे 14.09.2012 को अधिसूचित किया गया। नीति का उद्देश्य है भारत की स्थिति को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में सुदृढ़ करना एवं उसे आगे ले जाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर स्पेस का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के त्वरित, समेकित और स्थायी वृद्धि के लिए इंजन के रूप में प्रयोग करना। इस नीति में आईटी और आईटीईएस उद्योग के राजस्व को वर्तमान के 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2020 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर करने और निर्यात को वर्तमान 69 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2020 तक 200 बिलियन अमरीकी डॉलर करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान आईटी-बीपीओ का निर्यात 76-78 बिलियन अमरीकी डॉलर करने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2012-13 में देश का आईटी-बीपीओ निर्यात 75.8 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।

(च) सरकार देश में आईटी और आईटीईएस निर्यात राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन देती है। (i) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना जिसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा शासित किया जाता है, के अंतर्गत आईटी और आईटीईएस इकाइयां विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जैसे आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एमडीए) ओर बाजार अभिगम प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन के कार्यकलापों के लिए निर्यातकों विशेषकर लधु और मझौले उद्यमों की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 आईटी-आईटीईएल विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिसूचित किए गए हैं। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 10कक में एसईजेड में स्थित इकाइयां चरणबद्ध तरीके से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर लाभ के पात्र हैं। आईटी और आईटीईएस एसईजेड इकाइयां क्षेत्र के निर्यात राजस्व में वृद्धि के लिए काफी योगदान दे रही हैं। (ii) सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2012 शामिल है जिसे देश की जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को परा करने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण करने की परिकल्पना के साथ अधिसूचित किया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के संवर्धन के लिए 50 नीतियां शामिल हैं।

विवरण

अर्जित विदेशी मुद्रा

यूएसडी बीन	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष
आईटी-बीपीओ/सॉफ्टवेयर	49.7	59.0	68.8
हार्डवेयर	0.4	0.4	0.4

स्रोतः नैसकॉम

आईटी-पीपीओ/सॉफ्टेयर निर्यात के लिए देश/क्षेत्रवार ब्यौरा

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

	सॉफ्टवेयर निर्यात वित्त वर्ष 2011-12
यूएसए	42.3
यूके	11.7
यूरोप (यूके को छोड़कर)	7.9
एशिया	5.3
शेष विश्व	1.6
कुल	68.8

आईटी-बीपीओ/सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए देश/क्षेत्रवार ब्यौरा

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

देश/क्षेत्र	हार्डवेयर निर्यात (वित्त वर्ष 2011-12)
सिंगापुर, हांगकांग एवं अन्य एशियाई देश	83.33
यूरोप (यूरोपीय देश)	50.00
उत्तरी अमेरिका	83.33
मध्यपूर्व देश	160.42
जापान, कोरिया व अन्य सुदुर पूर्व के देश	26.04
लातिन अमेरिका	16.67
अफ्रीकी देश	13.54
रूस और सीआईएस देश	0.83
आस्ट्रेलिया और अन्य सामुद्रिकदेश	2.08
यूरोप (गैर-यूरोपीय देश)	1.25
कुल	438

स्रोतः ईएससी

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

3882. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कार्यरत अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार और संस्थान-वार प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन संस्थानों के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 12,33,601 अध्यापक प्रशिक्षकों की दाखिला क्षमता के साथ 15,106 नई अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में एनसीटीई, एनसीटीई अधिनियम (1993) की धारा 13 के अंतर्गत संस्थाओं का निरीक्षण करती है तथा यदि परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों एवं अन्य शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित हो जाता है तो एनसीटीई, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत मान्यता वापस लेती है। 2010 तथा 2011 के दौरान उन अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों/संस्थाओं, जिनसे एनसीटीई की क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता वापस ले ली गई थी, की कुल संख्या क्रमश: 404 और 317 है।

विवरण

दिनांक 15 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भारत में अध्यापक शिक्षा संस्थानों का राज्य-वार ब्यौर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या	दाखिला क्षमता
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	205
आंध्र प्रदेश	1681	121285
अरूणाचल प्रदेश	12	895
असम	74	5790
बिहार	198	19985
चंडीगढ़	10	2290
छत्तीसगढ़	183	15150
दमन और दीव	4	210
दिल्ली	79	14185
गोवा	09	595
गुजरात	751	67579
हरियाणा	833	64852
हिमाचल प्रदेश	109	13500
झारखंड	121	11560
कर्नाटक	1649	104240
केरल	486	33228
लक्षद्वीय	1	50
मध्य प्रदेश	1005	71935
महाराष्ट्र	2254	137948
मणिपुर	15	1380
मेघालय	15	1024
मिजोरम	4	515
नागालैंड	10	790
ओडिशा	94	6359
पुदुचेरी	101	8130
पंजाब	274	33455
राजस्थान	703	98355
सिक्किम	7	515

1	2	3
तमिलनाडु	2100	182007
त्रिपुरा	9	1150
उत्तर प्रदेश	1837	174240
उत्तराखंड	79	9122
पश्चिम बंगाल	397	31077
सकल योग	15106	1233601

निधियों का दुरुपयोग

3883. श्री निशिकांत दुबे:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राज्यों से सरकार को राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आवंटित/जारी निधियों के दुरुपयोग की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंधा में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) जी हां। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना एवं शासन के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि जैसे राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। तथापि, परियोजनाओं का निष्पादन और मॉनिटरिंग वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) और अन्य निगरानी एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। परियोजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कमी/अन्तर आता है तो उन्हें राज्य सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार यथोचित सुधार और उन पर उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तिमाही प्रगति रिपोर्टों (क्यूपीआर) के माध्यम से निधियों के उचित उपयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

[हिन्दी]

प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता

3884. श्री राकेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए समुचित वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे छात्रों के लिए अलग निधि के सृजन का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ओपन स्काई नीति

3885. श्री प्रेम दास राय:
श्री जयराम पांगी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आसियान देशों के साथ 'ओपन स्काई' नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी नीति अपनाकर विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यातायात में वृद्धि की क्या संभावना है;

(ग) क्या सरकार के विभिन्न देशों के साथ उदार वायु सेवा समझौते से बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां आ गई हैं जिससे देश के अधिकांश हवाई अड्डों पर यातायात में भीड़-भाड़ और विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने तथा वायु सेवाओं में विलंब से बचने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या विदेशी कंपनियों की मौजूदगी और प्रचालकों की संख्या में वृद्धि से किसी भी तरह से यात्री किरायों में कमी हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) इस समय, आसियान देशों के साथ कोई 'ओपन स्काई' नीति नहीं है। तथापि, आसियान सदस्य देशों की सरकार के साथ विमान सेवाओं पर बहुपक्षीय करार करने का प्रस्ताव है। ऐसे बहुपक्षीय करारों के प्रावधान राष्ट्रों की प्रभुसत्ता, वाहकों की राष्ट्रीयता तथा स्टेकधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए भाग लेने वाले सदस्य देशों की एयनलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों की दृष्टि से आदान-प्रदान के सिद्धांतों पर आधारित होंगे।

(ग) और (घ) जी नहीं। विमान यातायात की उन्नत सेवाओं और प्रबंधन के लिए हवाईअड्डों पर सुविधाओं का विकास/स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बढ़ती हुई विमान यातायात मांग को पूरा करने और आकाश तथा भूमि पर विलंबों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय कार्यान्वित/नियोजित किए हैं जैसे राडार एकीकरण, ऊपरी वायु क्षेत्र की संगतता, केन्द्रीय विमान यातायात प्रबंधन, कार्य निष्पादन आधारित दिक्चालन, मानक उपकरण, प्रस्थान, मानक टर्मिनल आगमन मार्ग, क्रॉस रनवे प्रचालन आदि।

(ङ) विमान यात्री किराये विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं जैसे मांग, प्रचालन की लागत, ईंधन का मूल्य तथा कर आदि। विदेशी वाहन प्रचालनों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तथा ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी विमान किराये उपलब्ध होंगे।

स्टार एलायंस

3886. श्री खगेन दासः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एअर इण्डिया का विचार स्टार एलायंस में शामिल होने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) स्टार एलायंस में शामिल होने के लाभ और हानियां क्या हैं;

(घ) स्टार एलायंस में भारत से सम्मिलित अन्य निजी एअरलाइनों और अन्य मुख्य अंतरराष्ट्रीय एअरलाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) स्टार में एअर इंडिया (एआई) के एकीकरण की प्रक्रिया को स्टार एलायंस द्वारा 01 अगस्त, 2011 को रोक दिया गया था जबकि एअर इंडिया द्वारा 31 जुलाई, 2011 की निर्धारित समय-सीमा तक एकीकरण की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया था। तत्पश्चात, एअर इंडिया ने इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई के लिए स्टार एलायंस के साथ अनेक बैठकें की थीं। तथापि, अब तक स्टार द्वारा इस मुद्दे पर एअर इंडिया को कोई ठोस उत्तर नहीं दिया गया है।

(ग) स्टार एलायंस में शामिल होने से एअर इंडिया को होने वाले संभावित लाभ हैं: (i) उन्नत ब्रांड छवि (ii) स्टार एलायंस वाहकों के साथ कोड भागीदारी व्यवस्थाओं में संभावित वृद्धि (iii) स्टार एलायंस वाहकों के साथ एफएफसी में वृद्धि (iv) स्टार एलायंस के विभिन्न उत्पादों में भागीदारी तथा (v) संवर्धित राजस्व।

तथापि, स्टार एलायंस में शामिल होने की हानि यह है कि एअर इंडिया को अन्य प्रतिस्पर्धी एलायंसों जैसे स्काई टीम तथा वनवर्ड की किसी एयरलाइंस के साथ कोड भागीदारी व्यवस्था तथा/या एफएफसी भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।

(घ) स्टार एलायंस की सदस्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ङ) सरकार स्टार एलायंस में शामिल होने के लिए एअर इंडिया द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन कर रही है।

विवरण

स्टार एलायंस के सदस्य निम्नवत हैं:

क्रम सं.	एयरलाइन (एयरलाइनें)
1	2
1.	एड्रिया एयरवेज (जेपी)
2.	एजीयन एयरालाइंस (ए3)
3.	एयर कनाडा (एसी)

1	2
4.	एयर चाइना (सीए)
5.	एयर न्यूजीलैंड (एनजेड)
6.	ऑल निप्पॉन एयरवेज (एनएच)
7.	एसियाना एयरलाइंस (ओजेड)
8.	आस्ट्रेलियन एयरलाइंस (ओजेड)
9.	एवियांसा (एवी)/टीएसीए एयरलाइंस (टीए)
10.	ब्रसेल्स एयरलांस (एसएन)
11.	कोपा एयरलाइंस (सीएम)
12.	क्रोएशिया एयरलाइंस (ओयू)
13.	इजिप्ट एयर (एमएस)
14.	इथोपियन एयरलाइंस (ईटी)
15.	लॉट पॉलिश एयरलाइंस (एलओ)
16.	लुफ्तांसा (एलएच)
17.	स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस (एसके)
18.	शेन्जेन एयरलाइंस (जेएच)
19.	सिंगापुर एयरलाइंस (जेएच)
20.	साऊथ अफ्रीकन एयराइंस (एसए)
21.	स्विस (एलएक्स)
22.	टैम एयरलाइंस (जेजे)
23.	टैप पुर्तगाल (टीपी)
24.	थाई एयरवेज (टीजी)
25.	तर्किस एयरलाइंस (टीके)
26.	यूनाइटेड एयरलाइंस (यूए)
27.	यूएस एयरवेज (यूएस)

[हिन्दी]

शिक्षा में सुधार

3887. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री बलीराम जाधव:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शिक्षा में क्या सुधार लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सुधारों के प्रत्येक मामले में होने वाले प्रस्तावित व्ययों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सुधारों के प्रत्येक मामले में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सुधारों के लिए राज्य विधानों में क्या सांविधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा सुधार एक सतत् प्रक्रिया है तथा सरकार द्वारा सरकारी खर्च में वृद्धि करके संस्थागत और नीतिगत सुधार के जरिए शिक्षा का विस्तार, समावेशन एवं गुणता में तेजी से सुधार करके इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा समवर्ती सची में शामिल विषय है इसलिए यह केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। सभी पणधारियों, जिनमें राज्य सरकारें और शिक्षाविद् भी शामिल हैं, के साथ परामर्श करने के बाद शैक्षिक सुधार किए जा रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है, वह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकान ने (i) आयु के अनुसार पाठ्यचर्या और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) 2005 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने, (ii) विषय संतुलन बनाए रखना (iii) पाठ्यपुस्तक विषयवस्तु और निर्माण सुधार शुरू करना, (iv) अध्ययन हेतु सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना इत्यादि सहित पाठ्यचर्या सुधार शुरू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने सम्बद्ध स्कूलों में गुणवत्ता को सुधारने के लिए चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में सतत एवं वपक मूल्यांकन (सीसीई) योजना प्रारम्भ की है। बोर्ड ने वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उन बच्चों के लिए जो कक्षा X के बाद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पद्धति से बाहर नहीं जाने चाहते हैं, के लिए भी कक्षा X बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक बना दी है।

उच्चतर शिक्षा के स्तर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी, भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाता रहा है जैसे सेमेस्टर पद्धति प्रारम्भ करना पाठ्यचर्या का नियमित अद्यतन, रुचि आधारित क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) दाखिला प्रक्रिया एवं परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करना शमिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (आईसीटीई) ने भी कौशल जन शक्ति और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांवा (एनवीईक्यूफ) तैयार किया है।

12वीं योजना अवधि के लिए शिक्षा क्षेत्र 4,53,728 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जो 11वीं योजना आबंटन से 68.12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। पृथक श्रेणी के रूप में प्रत्येक सुधार पर वित्तीय निहितार्थ को निर्धारित करना संभवन नहीं है।

(ग) मंत्रालय का प्रयास रहा है कि वह शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों के साथ परामर्थ तथा सतत चर्चा करें। विगत तीन वर्षो में केब की नियमित बैठकें और राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन हुए हैं इससे प्रथमिक, प्रौढ़, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी, व्यावसायिक और मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा की श्रेणी की शिक्षा के उप-सेक्टरों के साथ विभिन्न मुद्दों और योजनाओं पर आम सहमति बनाने में सहायता मिली है।

(घ) सरकार ने उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से संसद में चार विधेयक पहले ही प्रस्तुत है जिनमें तकनीकी/शिक्षा संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए प्रस्ताव उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य प्रत्यायन, विवादों का निर्णय करने हेतु शैक्षिक न्यायाधिकरण और विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश तथा संचालन को नियमित करने हेतु विधान शामिल है। अधिनियम होने के बाद ये विधेयक राज्य विधानों के लिए उदाहरण बना जाएंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को वित्तीय सहायता

3888. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी आवासन वित्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को ऋण नहीं प्रदान कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में आवासीय और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) द्वारा ईडब्ल्यूएस के लोगों को प्रदान किए गए आवासीय ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ईडब्ल्यूएस के लोगों को कितनी राशि का आवास ऋण प्रदान किए जाने का विचार है;

(घ) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घरों के निर्माण के लिए कोई ऋण प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जैसा कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से पता चला है, वर्ष 2011-12 के दौरान एनएचबी के पास पंजीकृत 54 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में से 42 आवास वित्त कंपनियों ने दो लाख रुपये तक की ऋण सीमा के अंतर्गत 361.97 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है (अलग-अलग व्यक्तियों को वितरित किए गए कुल ऋण का 0.53 प्रतिशत) जो कि निम्न आय समूहों के परिवारों से संबंधित है। सके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित ऐसे व्यक्तियों जिन्हें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) द्वारा आवास ऋण प्रदान किए गए है, के वर्ष और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(ग) प्रस्तावित राजीव ऋण योजना जिसे शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएसएचयूपी के बतौर पुनर्गठित किया गया है) द्वारा सरकार का प्रस्ताव यह है कि 12वीं योजना अवधि के दौरान सरकार का 10 लाख आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों निम्न आय समूह के लाभार्थियों को इमदादी ऋण देने का प्रस्ताव है। तथापि, चूंकि अभी इसका आवश्यक अनुमोदन प्रतिक्षित है इसलिए ऐसी स्थिति में कोई निश्चित वचनबद्धता नहीं की जा सकती है।

(घ) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में 28.02.2013 तक आवास क्षेत्र में विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

2 लाख रुपये के स्लैब में व्यक्तियों को संवितरण

क्र.सं.	हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी के नाम	लाख रुपये में
1	2	3
1.	फर्स्ट ब्लू होम फाइनेंस लि.	9.47
2.	कैन फाइन होम्स लि.	308.71
3.	कैंट बैंक होम फाइनेंस लि.	47.87
4.	दीवान हाउसिंग फाइनेस कारपोरेशन लि.	419.30
5.	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.	1018.93
6.	जीआरयूएच फाइनेंस लि.	2871.54
7.	हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.	4436.00
8.	हाउसिंह एंड अर्बनडेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	0.00
9.	आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लि.	19.75
10.	रिलायंस होम फाइनेंस प्राईवेट लि.	2.00
11.	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.	1867.24
12.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.	6.00
13.	टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.	15.09
14.	सुदंरम डीएनपी परिबास होम फाइनेंस लि.	172.20
15.	डीएचएफएल वैश्या हाउसिंग फाइनेंस लि.	77.19
16.	जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस	0.00
17.	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि.	59.46
18.	आरईपीसीओ होम फाइनेंस लि.	523.50
19.	इंडो पैसेफिक हाउसिंग फाइनेंस लि.	16.89
20.	सहारा हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.	98.46
21.	मणीपाल हाउसिंग फाइनेंस सिडिकेट लि.	9.55
22.	महिन्द्रा रूलर हाउसिंग फाइनेंस लि.	21343.47
23.	रोज वैली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.	0.00
24.	नेशनल ट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस लि.	19.45
25.	विश्वक्रिया हाउसिंग फाइनेंस लि.	8.25
26.	एचबीएन हाउसिंग फाइनेंस लि.	4.00
27.	इनारा हाउसिंग फाइनेंस लि.	30.70
28.	इंडिया होम लोन लि.	3.25
29.	केरला हाउसिंग फाइनेंस लि.	160.03
30.	रेली गर हाउसिंग डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.	0.00
31.	एमएएस रूलर हाउसिंग एंड मोरगेज फाइनेंस लि.	24.64
32.	माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.	51.85
33.	औरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेंस लि.	0.00
34.	इंडिया शैल्टर फाइनेंस कारपोरेशनल लि.	1152.00
35.	एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लि.	27.50
36.	स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि.	26.05
37.	वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.	0.00
38.	इंड बैंक हाउसिंग लि.	0.00
39.	इंडिया इनफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.	0.00
40.	मुत्थुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि.	2.08
41.	स्वर्ण प्रगति हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस प्रा. लि.	552.00
42.	एकमेए स्टार हाउसिंग फाइनेंस लि.	30.50
43.	पंतहोबी हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि.	0.00
44.	नार्थ-ईस्ट रिजन हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लि.	332.70
45.	हैबीटेट हाउसिंग फाइनेंस लि.	0.00
46.	ईडल वेस्स हाउसिंग फाइनेंस लि.	2.00
47.	अपतुष वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लि.	10.25
48.	आधार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.	409.50
49.	होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया प्राइवेट लि.	6.81
50.	इक्वीटीस हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लि.	0.00
51.	शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी	7.31
52.	श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लि.	11.05
53.	ए यू हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि.	2.59
54.	माइलस्टोल होम फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लि.	0.00
	कुल	36197.13

विवरण II

निम्न आय वर्ग आवास के लिए राज्यवार रिलीज

(लाख रु. में)

राज्य के नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (28/2/13 की स्थिति के अनुसार)	कुल
	ईडब्ल्यूएस-रिलीज	ईडब्ल्यूएस-रिलीज	ईडब्ल्यूएस-रिलीज	ईडब्ल्यूएस-रिलीज	ईडब्ल्यूएस-रिलीज
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1455.59	798.03	0.00	0.00	2253.62
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	19241.53	395.05	0.00	19636.58
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00
कर्नाटक	7598.42	0.00	2531.90	0.00	10130.32
केरल	0.00	90.53	0.00	0.00	90.53
मध्य प्रदेश	2906.00	1325.50	5141.00	2621.16	11993.66
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	1500.00	0.00	5946.00	500.00	7946.00
राजस्थान	0.00	0.00	94535.72	72766.90	167302.62
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	13460.01	32130.59	108549.67	75888.06	230028.33

बीएसएनएल और एमटीएनएल को हानि

3889. **डॉ. बलीराम:**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल में अप्रभावी विपणन रणनीति और खराब ग्राहक सेवा, उक्त दूरसंचार सरकारी उपक्रमों की बाजार में घटती हिस्सेदारी और घाटे में रहने के कुछेक कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल की विपणन रणनीति और ग्राहक सेवा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल ने खेल-कूद कार्यकलापों और इसके प्रोत्साहन पर भारी धानराशि खर्च की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दोनों पीएसयू द्वारा इस संबंध में कुल हुए व्यय का पीएसयू-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दोनों पीएसयू को हुए घाटे को देखते हुए खेलों पर होने वाले व्यय में कटौती करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंधा में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की बाजार में हिस्सेदारी में गिरावट के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:–

- उपभोक्ता आधार का स्थिर लाइन कनेक्शनों से बेतार मोबाइल संचार कनेक्शनों में बदलना।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का होना।
- बीएसएनएल द्वारा मोबाइल संचार वैश्विक पद्धति (जीएसएम) उपस्करों के लिए अपनी क्षमता के संवर्धन में विलम्ब करना।

बीएसएनएल और एमटीएनएल के राजस्व में गिरावट और होने वाले घाटे के कारण निम्नानुसार हैं:–

- उपभोक्ता आधार का स्थिर लाइन कनेक्शनों से बेतार मोबाइल संचार कनेक्शनों में बदलना।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का होना।
- 3जी और ब्राडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यू) स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ब्याज से होने वाली आय में कटौती।
- मोबाइल क्षेत्र में औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू) में कमी आना।

पहले से ही कार्यरत भारी कार्य-बल को वेतन देने के कारण मुख्य रूप से व्यय में वृद्धि हुई है।

दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों का वरिष्ठ प्रबंधन, बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता रहता है विशेष रूप से उनकी उपभोक्ता देखभाल पद्धति (कस्टरम केयर सिस्टम) और बाजार संबंधी रणनीतियों में सुधार के उद्देश्य से समीक्षा की जाती है। बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अपनी बाजार संबंधी रणनीति और कस्टर केवल पद्धति में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:–

बीएसएनएल

- बिक्री तथा विवरण पद्धति को सुदृढ़ करना।
- विशेष उपभोक्ता अनुरक्षण कैम्प।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों का पालन करने के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों की निगरानी।
- "परियोजना स्माइल" क माध्यम से उपभोक्ताओं की देखभाल (कस्टमर केयर) में लगातार सुधार।
- विभिन्न आकर्षक टैरिफ प्लानों और विकसित बाजार रणनीतियों को लागू करना।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं, इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं और ब्रॉडबैंड आधारित मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे वीडियो/गेम्स/म्यूजिक ऑन डिमांड आदि सहित मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान करना।

एमटीएनएल

- कन्वरजेंट बिलिंग को लागू करने की योजना। यह पद्धति एक उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक

बिल प्रदान करेगी ओर इससे सेवाओं, प्रशुल्क आदि के संबंध में उपभोक्ताओं के अनुरोधों का समाधान होगा।

- विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रशुल्क की समीक्षा।
- टेलीफोन बिलों के सरल भुगतान को सुकर कनाने के उपाय करना।
- विभिन्न सेवाओं के लिए बुकिंग तथा लैंडलाइन और मोबाइल सेवा से संबंधित शिकायतों के लिए ऑनलाइन पद्धति।
- एमटीएनएल के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाएं जैसे नई सेवा के लिए पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शन के लिए डुप्लीकेट बिल, बिलों के भुगतान, वर्चुअल कॉलिंग कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए दिल्ली में संचार हाट तथा मुम्बई में उपभोक्ता सेवा केन्द्र (सीएससीएस) हैं।

(ग) से (च) जैसा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा सूचित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों ने खेल-कूद संबंधी गतिविधियों और उनके प्रोत्साहन हेतु कोई भारी राशि खर्च नहीं की है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा इस संबंध में खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	बीएसएनएल (रुपये करोड़ में)	एमटीएनएल (रुपये करोड़ में)
2009-10	2.42	26.30
2010-11	3.09	9.31
2011-12	1.22	1.95
2012-13 (31.01.2013 तक)	1.08	0.57

[अनुवाद]

निजी विद्यालयों में अनियमितताएं

3890. श्री सुल्तान अहमद:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसौचेम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली सहित दश में निजी विद्यालय कैपिटशन और अन्य प्रकार की फीस के नाम पर अभिभावकों से मनमाने ढंग से धान बटोर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उक्त कृत्य के लिए कुल कितने विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार कैपिटशन फीस, बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करना एवं झूठे दावों के रूप में विद्यालयों को कदाचार में लिप्त होने से रोकने के लिए कानून बनाने का है; और

(ङ) क्या शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की जांच की है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में कैपिटेशन शुल्क मांगे जाने संबंधी सहित उसके संबद्धन उपनियमों के उल्लंघन संबंधी छिट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। गत तीन वर्षो के दौरान कुल 32 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्कूलों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों की जांच के बाद प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर चूककर्ता स्कूलों के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार सूची इस प्रकार है:

राज्य	2010	2011	2012
केरल	8	1	7
कर्नाटक	1	0	1
दिल्ली	1	1	1
पंजाब	0	1	0
तमिलनाडु	0	1	0
महाराष्ट्र	0	1	0
उत्तर प्रदेश	0	0	5
हरियाणा	0	0	1
आंध्र प्रदेश	0	0	3

(घ) कैपिटेशन शुल्क लेने, गुमराह करने और उच्चतर कक्षाओं में छात्रों के दाखिले में अपनाई जाने वाली अपारदर्शी प्रक्रिया तथा अपात्र एवं अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति सहित स्कूल शिक्षा क्षेत्र में कदाचार की रोकथाम के कानून का मसौदा तैयार किया गया है।

(ङ) स्कूलों में कदाचार-निषेध संबंधी कानून का मसौदा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) के समक्ष रखा गया था और उसने सर्वसम्मति से प्रस्तावित कानून का समर्थन किया।

[हिन्दी]

सीबीआई और सी.वी.सी. द्वारा की गई छापेमारी

3891. डॉ. संजय सिंहः
श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षो के दौरान आज की तारीख तक देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कितनी बार छापे मारे गए हैं;

(ख) उपर्युक्त छापों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उपर्युक्त मामलों में दंडित किए गए और बरी किए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अन्वेषण के दौरान अलग-अलग मामलों के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों के आधार पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी लेता है। विभिन्न मामलों में ली गई तलाशियां, उन अलग-अलग मामलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं एवं ऐसे आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, पिछले तीन वर्षो अर्थात् 2010, 2011, 2012 एवं 2013 (दिनांक 31.01.2013 तक) के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
2010	1009
2011	1003
2012	1048
2013 (दिनांक 31.01.2013 तक)	0102

जहां तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का संबंध है, आयोग न तो छापे मारता है और न ही अन्वेषण करता है।

(ख) से (घ) इन तलाशियों के दौरान की गई गिरफ्तारियों एवं प्रत्येक मामले में दंडित/बरी पदाधिकारियों के ब्यौरे, अलग-अलग मामले के रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं एवं ऐसे आंकड़े केंद्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् सीबीआई द्वारा अंतिम सक्षम न्यायालय में दाखिल की जाती है जो दोषी पदाधिकारियों के दोष एवं साथ ही सजा का भी निर्णय लेता है।

हालांकि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010, 2011, 2012 एवं 2013 (दिनांक 31.01.2013 तक) के दौरान दोषसिद्धि या विमुक्ति के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	दोषसिद्धि होने वाले मामलों की संख्या	विमुक्ति के मामलों की संख्या
2010	468	178
2011	497	209
2012	743	345
2013 (दिनांक 31.01.2013 तक)	058	116

[अनुवाद]

सामुदायिक महाविद्यालयों पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन

3892. श्री प्रदीप माझीः
श्री उदय सिंहः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में सामुदायिक महाविद्यालयों के बारे में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में पुराने पाठ्यक्रम और उद्योग की बदलती हुई आवश्यकताओं के बीच विषमता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट को अभिव्यक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यूएस ने दश में समुदाय महाविद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (च) देश में मांग-आपूर्ति में भारी असंगति है क्योंकि अर्थव्यवस्था को वार्षिक रूप से तैयार करने की तादाद से भी अधिक 'दक्ष' कार्यबल के साथ-साथ प्रबंधकों और उद्यमियों की जरूरत है। बाजार में उपलब्ध कौशलोन्मुख पाठ्यक्रम, उद्योग की तेजी से बदलती परिस्थिति की जरूरतों में नियोक्ताओं के लिए विश्वसनीय अथवा स्वीकार्य नहीं हैं। देश में पारम्परिक उच्चतर शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रमों की अवधि, शिक्षण-अधिगम के समय, अध्ययन के स्थान और विषयों के चुनाव की दृष्टि से कठोर है। उद्योग-अनुकूल 'दक्ष' कार्यबल उपलब्धता में मांग-आपूर्ति असंगति केवल मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक भी है।

सामुदायिक कॉलेज मॉडल जो विभिन्न रूपों में विश्व में विद्यमान हैं, उपर्युक्त सरोकारों का मोटे तौर पर समाधान करते प्रतीत होते हैं। ऐसे कॉलेज कमोवेश स्थानीय तौर पर कम लागत और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हैं जिसमें व्यावसायिक दक्षता विकास एवं अधिक पारम्परिक पाठ्यक्रम कार्य, दोनों सम्मिलित होते हैं, जो जॉब मार्किट से उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जांब मार्किट में जाने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। यह समुदाय आधारित, जीवनपर्यन्त जरूरतों को भी पूरा करता है। 9 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने "दक्ष" कार्यबल की असंगत मांग-आपूर्ति का अन्तर पाटने के प्रयास के रूप में परीक्षण आधार पर विद्यमान कालेजों/पालीटेक्निकों से 200 सामुदायिक कालेज स्थापित करने और शैक्षणिक सत्र 2013 से उन्हें कार्यात्मक बनाने का निर्णय लिया है। सामुदायिक कालेज स्तर प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचा (एनवीईक्यूएफ) का अनुसरण करेंगे। उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों को अधिक उद्योग-अनुकूल और रोजगार उन्मुखी बनाने की योजना में सभी स्तरों पर अर्थात् पाठ्यचर्या का अभिकल्प, विकास और वितरण, प्रशिक्षकों/शिक्षकों का प्रशिक्षण, सहायक संकाय की आपूर्ति, हाथों-हाथ व्यावहारिक प्रशिक्षण, मूल्यांकन और रोजगार, व्यवसाय, सेवा, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र सहित उद्योग से सहयोग का अनुबंध किया गया है।

योजना के कार्यान्वयन में ऐसे स्टेकहोल्डर जिनको महत्वपूर्ण भूमिका निभारी पड़ती है, सुग्राही बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की कई संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इस क्षमता निर्माण कार्रवाई के अनुसरण में, विश्वभर में सीसी के प्रबन्धकों के अनुभवों से सीखने का सुअवसर प्राप्त करने, सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 6 और 7 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में दो दिन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सामुदायिक कालेजों के प्रबंधकों तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैण्ड, यू.के. और यू.एस.ए. के संबंधित उद्योगों के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ हमारे देश के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

हैलिकॉप्टर दुर्घटनाएं

3893. श्री वरूण गांधी:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री संजय निरूपम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हैलिकॉप्टर/विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जान और माल की क्षति का दुर्घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करवायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके दुर्घटना-वार क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंगलोर विमान दुर्घटना में मारे गए सभी यात्रियों के मुआवजा दावों का मानदंडों के अनुसार निपटान कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक ऐसा किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का एक स्वतंत्र निकाय एयर सेफ्टी बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल 25 विमान दुर्घटनाएं हुईं। चालू वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली हैं। इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) दो वर्षों की प्रतिबंधित अवधि, अर्थात 22 मई, 2012 समाप्त होने से पहले सभी 160 मामलों (152 मृत्यु तथा 8 घायल के मामले) को एअर इंडिया द्वारा 115.74 करोड़ रुपये की समग्र राशि से निपटाया गया। उपर्युक्त कुल 160 मामलों में से 130 मामले पूर्ण रूप से निपटाए गए तथा 30 मामलों का निपटान माननीय केरल उच्च न्यायालय को खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार पूर्ण रूप से जारी तथा निस्तारित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना "पावती आधार" पर किया गया।

(च) जी, हां। सरकार ने दिनांक 30.07.2012 के आदेश सं. 11012/01/2011 डीजी द्वारा विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया।

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

- विभिन्न न्यायालययों/जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आवधिक आधार पर डीजीसीए के नेतृत्व में गठित स्थायी समिति द्वारा की जाती है।
- प्रचालकों के बीच संरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डीजीसीए द्वारा संगोष्ठी आयोजित की गई।
- महत्वपूर्ण टिप्पणियों/निष्कर्षों को प्रचालकों के ध्यान में लाने के लिए विमान संरक्षा परिपत्र जारी किया गया ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
- विमान संरक्षा के माध्यम से संरक्षा संबंधी सावधानियां भी परिचालित की गईं।
- डीजीसीए की संरक्षा ऑडिट टीमों द्वारा प्रचालकों तथा अनुरक्षण संगठनों का आवधिक आधार पर संरक्षा ऑडिट किया गया।
- पुराने विमान पर उड्नयोग्यता नियंत्रण
- विमान से पक्षी टकराने की घटनाओं का निवारण।

विवरण

2010 में भारतीय सिविल पंजीकृत विमान और हेलीकाप्टर दुर्घटनाएं

एस/एन	दिनांक/जगह	ए/सी प्रकार /पंजीकरण	प्रचालक	हताहतों की संख्या	नुकसान विवरण	दुर्घटना/संभावित कारण का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	19.05.2010 कल्याणपुरा, गांव, उज्जैन	सेसना 152 यश एअर विमान वीटी-एमएमएम		02	ध्वस्त	• डीजीसीए द्वारा दुर्घटनाओं की जांच के लिए विमान वायुयान नियम, 1937 क नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • स्थानीय उड़ान के दौरान टेलीफोन के तार से टकराने के बाद सेसना -152 विमान में आग लग गई और उज्जैन के समीप कल्याणपुरा गांव के शिप्रा नदी के सूखे क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पीआॅसी तथा प्रशिक्षु पायलट की मृत्यु हो गई। संभावित कारण; दुर्घटना का कारण लो फ्लाइंग

1	2	3	4	5	6	7
						था ओर इसके अंशदायी कारक उड़ान गतिविधियों को मॉनीटरिंग और अप्रभावी पर्यवेक्षण थे।
2.	22.5.2010 मंगलौर हवाई अड्डे,	बोइंग 737-800 वीटी-एक्सवी	एअर इंडिया एक्सप्रेस	158	ध्वस्त	• दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए डीजीसीए द्वारा विमान वायुयान नियम 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • मंगलौर हवाईअड्डे पर विमान अवतरण के दौरान 'अन्स्टेब्लाइज्ड एप्रोच' को बंद करने में कप्तान की विफलता तथा फर्स्ट ऑफिसर से "गो अराउण्ड" के लिए तीन बार काल किए जाने ओर ईजीपीडब्ल्यूएस से कई चेतावनियां दिए जाने के बावजूद उसके द्वारा विमान के अवतरण को जारी रखने से दुर्घटना हुई।
3.	06.08.10 चुखम, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश	एमआई 172 हेलीकाप्टर वीटी-पीएचएफ	पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड	1	शून्य	• दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए डीजीसीए द्वारा विमान वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • नामसाई से तेजू के लिए उड़ान के दौरान दुर्घटना हुई। उड़ान में आगे के यात्री के दायी तरफ दरवाजे के बंद करने का प्रयास किए जाने के समय हेलीकाप्टर से केबिन क्रू के गिरने की वह से दुर्घटना का संभावित कारण था।
4.	27.08.2010 एचएएल बंगलौर हवाई अड्डे बैंगलोर	चेतक हेलीकाप्टर वीटी-ईआईवी	एम/एस रोटरी विंग सोसाइटी बंगलौर	शून्य	भारी	• दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए डीजीसीए द्वारा विमान वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • स्थानीय उड़ान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान, हेलीकाप्टर 0323 यूटीसी पर रनवे 27 के सामने मुख्य टैक्सी वे पर गिर गया और व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अनुदेशक द्वारा उचित रूप से हैंडलिंग नियंत्रण न किए जाने के कारण हॉवर के दौरान अचानक उछलने के कारण टेल रोटोर भूमि से टकरा गया और हेलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हो गया।

1	2	3	4	5	6	7
5.	16.12.2010 चंडीगढ़	डॉफिन 365 एन 3 हेलीकाप्टर के रूप में डॉफिन वीटी-एसओके	एम/एस पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड	शून्य	भारी	• दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए डीजीसीए द्वारा विमान वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • विमान की टैक्सिग के दौरान दुर्घटना हुई। टैक्सिग के दौरान ढलान क्षेत्र पर गलत नियंत्रण किए जाने के फलस्वरूप हेलीकाप्टर डायनामिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया जिसके द्वारा तेजी से भूमि से टकराया और हेलीकाप्टर को व्यापक क्षति हुई। एप्रन क्षेत्र पर ढलान दुर्घटना का प्रमुख कारण था।

वर्ष 2011 में भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाएं

क्र. सं.	तारीख/स्थान	विमान प्रकार/ /पंजीकरण	प्रचालक	हताहतों की संख्या	क्षति का ब्यौरा	दुर्घटना/संभावित कारण का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7
1.	19.04.2011 तवांग हेलीपैड, अरूणाचल प्रदेश	एमआई-172 हेलीकाप्टर वीटी-पीएचएफ	पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड	19	ध्वस्त	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • गुवाहाटी-तवांग सेक्टर पर उड़ान प्रचालित करते समय, हेलीकाप्टर अपनी फाइनल एप्रोच के दौरान क्रैश हो गया। संभावित कारण, हेलीकाप्टर हेलीपैड पर लगभग 27 मीटर अंडरशॉट हो गया और हेलीपैड से लगभग एक मीटर नीचे सिंक कर गया।
2.	30.04.2011 लबोतांग, अरूणाचल प्रदेश	एएस 350 बी-3 हेलीकाप्टर वीटी-पीएचटी	पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड	5	ध्वस्त	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • जब हेलीकाप्टर तवांग आर्मी हेलीपैड से ईटानगर के लिए उड़ान पर था तो दुर्घटना का शिकार हो गया। संभावित कारण: खराब मौसम में अनजाने में नियंत्रित उड़ान टैरेन में चली गई।

1	2	3	4	5	6	7
3.	04.05.2011 लेंगपुई हवाईअड्डा आइजोल, मिजोरम	सेसना सी-208 बी विमान वीटी-इनएईएस	नार्थ ईस्ट शटल्स (प्रा.) लि.	शून्य	भारी	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई। • जांच पूरी हो गई है। • लेंगपुई हवाईअड्डे पर लैंडिंग करते समय विमान के साथ रनवे ओवररन की दुर्घटना हो गई। संभावित कारण: आंशिक मौसम स्थिति के दौरान सुरक्षित लैंडिंग करने के पायलट के कौशल का अपर्याप्त स्तर
4.	13.05.2011 फतेहपुर गांव, निकट माउंट आबू, राजस्थान	चेतक हेलीकाप्टर वीटी-ईक्यूएल	सीमा सुरक्षा बल	4	ध्वस्त	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई। • जांच पूर्ण हो चुकी है। • गांधीनगर से मंडोर के लिए उड़ान प्रचालित करते समय चेतक हेलीकाप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। संभावित कारण: हाइड्रॉलिक ड्रैग डैम्पर्स की संभावित विफलता के परिणामस्वरूप हेलीकाप्टर का पायलट के नियंत्रण से बाहर हो जाना।
5.	25.05.2011 पार्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद	पाइलेट्स 12 विमान वीटी-एसीएफ	एयर चार्टर्स सर्विसेज प्रा.लि.	10	ध्वस्त	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई। • जांच पूर्ण हो चुकी है। • पटना से नई दिल्ली के लिए उड़ान प्रचालित करते समय विमान घातक दुर्घटना का शिकार हो गया। संभावित कारण: बाहरी मौसम संबंधी स्थिति, कंट्रोल्स की खराब हैंडलिंग, आकाशीय भटकाव यह इन तीनों के संयुक्त प्रभाव की वजह से विमान नियंत्रित उड़ान से बाहर प्रस्थान कर गया।

1	2	3	4	5	6	7
6.	19.06.2011 लाडपुर, हेदरादून	बेल 407 हेलीकाप्टर वीटी-एसडब्ल्यूए	स्वजास एयर चार्टर्स प्रा.लि.	शून्य	भारी हानि	• नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति की गई। • जांच पूर्ण हो चुकी है। • किसी तकनीकी खामी की वजह से हैलीकाप्टर की आपातकालीन लैंडिंग
7.	29.07.2011 अलीगढ़	सेसना 152 विमान वीटी-पीएसजे	पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा.लि.	02	भारी हानि	• नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षण की नियुक्ति की गई। • जांच पूर्ण हो चुकी है और रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। • प्रशिक्षण उड़ान के दौरान, टेक ऑफ के समय विमान रनवे छोर 29 से लगभग 1 किलोमीटर दूर धान के खेत में क्रैश हो गया।।
8.	11.10.2011 जगतपुर, रायबरेली	ज्लिन 242 विमान वीटी-आईजीपी	इग्रुआ	शून्य	ध्वस्त	• नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के तहत दुर्घटना निरीक्षण की नियुक्ति की गई। • जांच पूर्ण हो चुकी है। • विमान हाई टेन्शन (एचटी) केबल से टकरा कर उलट कर (अपसाइड डाउन) भूमि पर क्रेश हो गया।
9.	14.10.2011 सूरत	सेसना साइटेशन 550 विमान वीटी-सीएलसी	एअर एयरवेज	शून्य	भारी हानि	• नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के दुर्घटना निरीक्षण की नियुक्ति की गई। • जांच चल रही है। • लैंडिंग के दौरान विमान दायीं ओर मुड़ कर कच्ची जमीन में चला गया।
10.	19.10.2011 खूंटी, रांची के निकट	ध्रुव हैलीकाप्टर वीटी-बीएसएच	सीमा सुरक्षा बल	03	ध्वस्त	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई।

1	2	3	4	5	6	7
						• जांच पूर्ण हो चुकी है। • विमान रांची के निकट खुंटी गांव में क्रैश हो गया। दुर्घटना का कारण स्थितिगत जानकारी का समाप्त हो जाना था जिसमें एक आपातकालीन चेतावनी के प्रत्युत्तर में बेस को लौटने के लिए मुड़ते समय क्रू आकाश में भटक गया। इस प्रक्रिया में, विमान अपनी संरचनागत सीमाओं से बाहर जाकर फ्लाइट एनवेलप से परे चला गया और इसके परिणामस्वरूप रोटर सिस्टम फेल हो गया।
11.	29.08.2011 कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा	ए9 सीएजी उड़ान सं. जीएफ-270	गल्फ एयर	शून्य	भारी	• भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों के अन्वेषण के लिए वायुयान नियम, 1937 के नियम 74 के तहत जांच समिति नियुक्त की गई। • जांच पूर्ण हो चुकी है। • लैंडिंग के दौरान विमान दायीं ओर मुड़ कर कच्ची जमीन में चला गया। रवने से भटकाव पायलट-इन-कमांड की निर्णय संबंधी त्रुटि की वजह से हुआ जो कि कम दृश्यता स्थितियों में स्थितिगत जानकारी के विलुप्त हो जाने के कारण हुआ।

2012 में भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाएं

क्र. सं.	दिनांक/स्थान	विमान प्रकार/ /पंजीकरण	प्रचालक	हताहतों की संख्या	नुकसान का विवरण	दुर्घटना/संभावित कारण का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	15.01.2012/ रायपुर एयरबेस	ध्रुव हेलीकाप्टर वीटी-बीएसएन	सीमा सुरक्षा बल एयर विंग	शून्य	भारी	वाइब्रेक्स जांच करते समय हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
2.	03.02.2012/ धना हवाई मध्य प्रदेश	सेसना-172/ वीटी-सीएजी	चिम्स एविएशन	शून्य	भारी	अवतरण के दौरान विमान नोज व्हील तथा बाएं पंख पर रनवे के बाएं सोल्डर पर भूमि से टकराया। नोज व्हील का स्टर्ट अलग हो गया तथा विमान प्रोपेलर तथा इंजन के बल गिर गया।
3.	12.4.2012/ एचएएल हवाईअड्डा बंगलौर के समीप	स्विजर 300 सी हेलीकाप्टर वीटी-एचएवी	रोटरी विंग	शून्य	भारी	इंजन खराब होने के कारण हेलीकाप्टर ने एक भवन की छत पर लैंड किया जिसके परिणामस्वरूप हेलीकाप्टर को क्षति पहुंची।

1	2	3	4	5	6	7
4.	09.05.2012/ रांची हवाई अड्डा	अगस्त ए109 हेलीकाप्टर	आर्यन एविएशन	शून्य	भारी	लेफ्ट रडर की पूर्ण विफलता के कारण हेलीकाप्टर कुचई में लैंड नहीं कर पाया। वह ओवरहेड होते हुए कुचई से रांची वापस चला गया। हेलीकाप्टर लैंड करते समय रनवे 13 के आरंभ से लगभग एक तिहाई दूरी पर भूमि पर टकराया और बायीं ओर लुढ़क गया।
5.	12.05.2012/ डॉ. अम्बेडकर हवाई पट्टी, मेरठ	एक्स-एयर एफ माइक्रोलाइट विमान	राजस्थान एयरोस्पोर्ट्स क्लब प्रा.लि.	01	भारी	जैसे ही विमान रनवे के ऊपर लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और लैंडिंग/ओवरशूट करते समय और गो अराउंड की प्रक्रिया में था तो पायलट को महसूस हुआ कि लैंडिग गियर किसी वस्तु से टकराए थे उसने तत्काल विमान को ऊपर लिया और विमान को नियंत्रित कर लिया।
6.	29.08.2012/ गोधरा	बेल 206 बी III	फास्ट हेलीचार्टर्स प्रा. लि.	शून्य	भारी	हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए शॉट फाइनलों के दौरान हेलीकाप्टर नीचे को जाने लगा। पायलट ने हेलीकाप्टर को नियंत्रित करने का प्रयास किया और ऊपर आते हुए उसके गिरने की अवस्था को नियंत्रित किया तथापि हेलीकाप्टर निरंतर अपनी ऊंचाई खोता चला गया और भूमि से आकार टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप हेलीकाप्टर को भारी हानि हुई।
7.	07.09.2012/ पुणे	किंग एयर सी90ए	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	शून्य	भारी	विमान रनवे 28 के थ्रेसहोल्ड से 850-880 फीट तक रनवे से टकराया और कच्चे स्थान पर भूमि पर गिरा। भूमि से संपर्क होते ही प्रभाव पड़ने के कारण विमान के दाएं तथा बाएं मुख्य लैंडिंग गियर विमान के ढांचे से अलग हो गए और नोज गियर विमान के भीतर मुड़ गया।
8.	22.09.2012/ दिल्ली	प्रीमियर 1ए	उत्तर प्रदेश	शून्य	भारी	अवतरण के दौरान विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा और सर्वप्रथम रनवे पर बायां गियर टकराते हुए वह भूमि पर गिरा। कुछ दूरी तक विमान लुढकता रहा और तत्पश्चात वायां गियर बाहर निकल गया। विमान मध्य रेखा से बायीं और खिसकने लगा। रनवे से बाहर निकलने से पहले उसका दायां लैंडिंग गियर भी टूट गया और तत्पश्चात विमान अंतिम रूप से रूकने से पूर्व बैली के सहारे कच्ची भूमि पर घसीटता रहा।
9.	30.12.2012/ जम्मू (कटरा)	बेल 407	पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड	शून्य	भारी	पावर लॉस के कारण हेलीकाप्टर ने कटरा में नदी के किराने आपातकालीन लैंडिंग की। भूमि पर आग के संकेत देखे गए थे। टेल बूम सहित हेलीकाप्टर के मुख्य तथा पिछले रोटर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए थे।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. में शहरों को शामिल करना

3894. श्री नरेनभाई काछाड़िया:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री रवनीत सिंह:
श्री रामसिंह कस्वां:
श्री भीष्मशंकर ऊर्फ कुशल तिवारी:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उपघटकों शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) और छोटे एवं मझोले शहरों का शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत अपने और शहरों को शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शहरों के नाम सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इन प्रस्तावों को मंजूर किया जायेगा; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत अनुदान देने के लिए 10 लाख की आबादी की सीमा को भी शिथिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ङ) जी हां। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत अमरावती, औरंगाबाद, अयोध्या, बेलगाम, बेल्लारी, बिहार शरीफ, कालीकट, दार्जिलिंग, देवधर, धुले, फैजाबाद, गांधीनगर, गया, गोरखपुर, गुलबर्गा, गुंटूर, गुडगांव, ग्वालियर, हल्दिया, हुबली-धारवाड़, झांसी, जोधपुर, कैथल, कलीपोंग और कुरसेवांग, करमसाद, कोल्हापुर, कुरनूल, कुरूक्षेत्र-पेहोवा, मालेगांव, नालंदा, पानीपत, पावापुरी, पोर्ट ब्लेयर, राजगीर, सम्भलपुर, सिलिगुडी, शोलापुर, सुलतानपुर-लोधी, वृंदावन, वारंगल आदि को मिशन अवधि में शामिल किए जाने हेतु राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

यूआईजी के दिशानिर्देशानुसार, इस मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या लगभग 60 रहेगी। वर्तमान में जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत 65 शहर शामिल हैं और कोई अन्य शहर शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि, यूआईजी के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहर छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हों तथा धनराशि उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

आरक्षित पदों को बनाए रखना

3895. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को जब तक कि इन श्रेणियों का उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तब तक पद को बनाए रखने और उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा नहीं भरे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जन प्रतिनिधि या अन्य सामाजिक संगठनों से उस स्थिति में जब दोनों श्रेणियों से कोई उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो एससी/एसटी के लिए आरक्षित पदों को अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से नहीं भरे जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एससी/एसटी के लिए आरक्षित पदों को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) अनूसूचित जातियों (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजातियां (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछडें वर्गों के बीच रिक्तियों की अदला-बदली का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार के समक्ष उपर्युक्त नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2जी जांच की निगरानी

3896. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती रमा देवी:

श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2जी स्पेक्ट्रम मामलों संबंधी जांच के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जिनके विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में लाइसेंस रद्द किए गए हैं, के उपभोक्ता प्रचालकों द्वारा मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने के कारण कठिनाइयां झेल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे उपभोक्ताओं के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था बची है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी हां।

(ख) भारत का माननीय उच्चतम न्यायालय 2010 की सिविल अपील संख्या 10660 के रूप में दाखिल 2010 की एसएलपी (सिविल) संख्या 24873 में दिनांक 16.12.2010 के आदेश द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्योरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय और आयकर महानिदेशालय द्वारा की गई जांच का अनुवीक्षण कर रहा है। सभी जांच अभिकरण समय-समय पर भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ष 2.2.2012 से प्रगति रिपोर्टों को जांच अभिकरणों के द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.02.2012 के आदेश के संबंध में केन्दीय सतर्कता आयोग के माध्यम से दर्ज कराया जा रहा है।

(ग) जी हां, कुछ मामलों के बारे में बताया गया है कि उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के उपभोक्ताओं द्वारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

(घ) मैसर्स यूनिटेट वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड के पास मुंबई और कोलकाता के सेवा क्षेत्रों में सक्रिय उपभोक्ताओं की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी। मैसर्स यूनिटेट वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेवाओ को अचानक ही काट दिए जाने के कारण इन मोबाइल उपभोक्ताओं की अधिकांश संख्या अपने अकाउंट में मौजूद शेष राशि का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें अपने सेवा क्षेत्र के अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास अपने नंबर पोर्ट-आउट कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था।

(ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मुंबई और कोलकाता सेवा क्षेत्रों में मैसर्स यूनिटेट वायरलैए (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड के उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ 22 फरवरी, 2013 को निदेश जारी किया है।

[अनुवाद]

स्कूल पाठ्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम

3897. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में विद्यालय और महाविद्यालय पाठ्यक्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पाठ को शामिल करने के लिए लगातार मांग हो रही है ताकि युवा नागरिक अधिकारों की बुनियाद पर दृढ़तापूर्वक रह सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पाठ को स्कूल और कालेज की पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने के लिए विशेषज्ञों से लगातार कोई ऐसी मांग प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, की पाठ्यपुस्तकों में सार्वजनिक प्राधिकारियों में कार्यचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में आरदीआई की भूमिका का आभास होता है। आरटीआई की विषयवस्तु का उल्लेख राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में भी किया जाता है। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) का संदेश एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में मुद्रित करने का अनुरोध किया था। इसे

एनसीईआरटी की उच्च प्राथमिकता स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डी.ई.सी. में भ्रष्टाचार

3898. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी.ई.सी.) में कथित रूप से भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा डीईसी के निष्पक्ष कार्य करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी सरकार के अभिलेखों के अनुरूप नहीं है। तथ्यों का इग्नू से पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) यदि शिकयतें साक्ष्य द्वारा प्रमाणित होती हैं तो दोषी अधिकारियो के विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

खराब मोबाइल नेटवर्क

3899. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न टेलीकॉम जिलों/सर्किलों में मोबाइल सिग्नल बहुत खराब हैं और स्पष्ट मोबाइल सिग्नल्स न मिलने के कारण लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा उनके सेवा क्षेत्रों में अधिष्ठापित किए गए 'बेस ट्रान्समिटिंग स्टशन्स' (बीटीएस) का राज्य और टेलीकॉम सर्किल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में बीटीएस और डिजीटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल्स (डीएसपीटीएस) के अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और नए बी०टी०एस० और नए डीएसपीटीएस की स्थापना संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कम-से-कम आधो टॉवर्स में 'हाईब्रिडपॉवर सोर्सेज' का प्रयोग हो; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाता जिला मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय के बदले किसी अन्य शहर में सुविधा प्रदान करते हुए अपनी पसंद के कुल 50% जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्यकारी होते हैं। सेवा प्रदाताओं द्वारा रॉल-आउट बाध्यताओं से अधिक नेटवर्क का और विस्तार उनके अपने तकनीकी-वाणिज्यिक हितों के अनुसार किया जाता है। तथापि, हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 56000 गांवों में पर्याप्त मोबाइल सेवाएं प्रदान की जानी शेष हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों (क्यूओएस) के संबंध में ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों में निर्धारित किए गए पैरामीटरों के संबंध में सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्टों, स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा सेवा की गुणवत्ता की जांच और मूल्यांकन तथा सर्वेक्षणों के माध्यम से उपभोक्ताओं की अवधारणाओं के मूल्यांकन के द्वारा करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को समाप्त तिमाही की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के अनुसर सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता समग्र रूप से सेवा क्षेत्र के नेटवर्क संबंधी पैरामीटरों के लिए सेवा की गुणवत्ता बैंचमार्कों का सामान्य रूप से पालन कर रहे हैं।

(ग) दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार बेस ट्रांसीवर स्टेशनों के संबंध में लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) वार और

दूरसंचार सेवा प्रदाता वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पूर्वोत्तर-I (सेवा क्षेत्र) और ओडिशा राज्य सरकारों से डीएसपीटी संस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बीएसएनएल ने इन क्षेत्रों मे डीएसपीटी संस्थपित करने के लिए एक निविदा जारी की थी और क्रय आदेश मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को दिए गए हैं।

बीटीएस की संस्थापना के संबंध में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) का सर्वेक्षण बीएसएनएल के माध्यम से किया गया था। विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोधों के अनुसार, बीएसएनएल द्वारा 2199 स्थलों पर बीटीएस संसीपित करने का ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसे सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) स्कीम द्वारा धन मुहैया कराया जाएगा।

(च) और (छ) दूरसंचार विभाग के दिनांक 23.01.2012 के पत्र सं. 800-61/2012-वीएएस और दिनांक 04.01.2012 के पत्र सं. 16-6/2011-सीएस-III द्वारा सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2015 तक कम से कम 50% सभी ग्रामीण टॉवरों को क्या 20% शहरी टॉवरों को हाईब्रिड विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी) (आरईटी)+ ग्रिड पॉवर) द्वारा विद्युत प्रदान की जानी है जबकि 2020 तक 75% ग्रामीण टॉवरों को तथा 33% शहरी टॉवरों हाइब्रिड पॉवर द्वारा विद्युत प्रदान की जानी है।

वर्तमान स्थिति के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण I

बीटीएस का लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) वार ब्यौरा

क्र.सं.	एलएसए का नाम	दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार कुल बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	61311
2.	असम	14483
3.	बिहार	45306
4.	चेन्नई	21779
5.	दिल्ली	22142
6.	गुजरात	45672
7.	हरियाणा	17447
8.	हिमाचल प्रदेश	7026
9.	जम्मू और कश्मीर	10450
10.	कर्नाटक	53272
11.	केरल	32348
12.	कोलकाता	19349
13.	महाराष्ट्र	63891
14.	मध्य प्रदेश	46026
15.	मुंबई	29052
16.	नार्थ ईस्ट	7882
17.	ओडिशा	19862
18.	पंजाब	26856
19.	राजस्थान	34937
20.	टीएनईसी	45409
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	45844
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	38073
23.	पश्चिम बंगाल	29627
	कुल जोड़	738044

विवरण II

बीटीएस का दूरसंचार सेवा प्रदाता-वार ब्यौरा

क्र.सं.	टीएसपी का नाम (सामान्यकृत)	दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार कुल बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	बीएसएनएल	101022
2.	लूप	2141

1	2	3
3.	रिलायंस	94603
4.	यूनिनॉर	23219
5.	वीडियोकॉन	6143
6.	वोडाफोन	120415
7.	एयरसेल/डिशनेट	51065
8.	एयरटेल/बीएचएल	153627
9.	एटिस्लाट/एलियांज	1560
10.	आइडिया/एबीटीएल	95907
11.	एमटीएनउल	2745
12.	क्यूटीएल/एचएफसीएल	1818
13.	स्पाइस टेलीकॉम	5620
14.	एसएसटीएल (एमटीएस)	11506
15.	एसटीईएल	1045
16.	टीटीएसएल/टीटीएमएल	65608
	कुल जोड़	738044

कुडनकुलम एन.पी.पी. का आरंभ

3900. श्री पी.आर. नटराजन:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके निर्माण हेतु अब तक कितनी निधियों का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या परियोजना के व्यवसायिक संचालन में और भी अधिक देरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ङ) रोजगार के अवसरों, पर्यावरण की सुरक्षा, छोटी-छोटी बस्तियों और आस-पास के गांवों की आजीविका के परिप्रेक्ष्य में परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) वर्तमान में, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (केकेएनपीपी-यूनिट-1) में, पहली बार क्रांतिकता प्राप्त करने (विखण्डन श्रृंखला अभिक्रिया का पही बार शुरू होना) के संबंध में विभिन्न गतिविधियों, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से चरणवार अनुमतियों प्राप्त होने पर की जा रही हैं। यूनिट-2 में कमीशनन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। कुडनकुलम परियोजना (केकेएनपीपी यूनिट-1 तथा 2-2×1000 मेगावाट) के संबंध में जनवरी, 2013 तक किया गया व्यय 15,454 करोड़ रुपये है।

(ख) से (घ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में, ईंधन के भरण के बाद, वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू होने से पहले, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद से चरणवार अनुमतियां प्राप्त होने के अनुसार, कई गतिविधियों की जानी होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, एकीकृत प्रणाली परीक्षण, प्रथम क्रांतिकता, उसके बाद, कार्यनिष्पादन संबंधी परीक्षण, यूनिट को ग्रिड के साथ जोड़ा जाना, और विद्युत स्तर को कई चरणों में बढ़ाना आदि। माध्यमिक चरणों में विनियामक सहमतियां प्राप्त होने की स्थिति में, मई, 2013 तक यूनिट-1 की कमीशनिंग करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) परियोजना ने, व्यापार संबंधी बहुत से अवसर उपलब्ध कराने के अलावा कई स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया है। इस क्षेत्र में हुआ आर्थिक विकास, निकटवर्ती गांवों में लोगों की आजीविका के, मछली पकड़ना जैसे पारम्परिक साधनों के अनुरूप है। कुडनकुलम स्थित नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में, गंभीरता प्राकृतिक घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप विद्युत की ओर शीतलक जल की आपूर्ति की हानि होती है, जैसे अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति में भी लोगों के और पर्यावरण के बचाव को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा कई प्रगत विशेषताएं माजूद हैं।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भ्रष्टाचार

3901. श्री पी. करूणाकरन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.के., कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोगों और यू. एस.ए. के दूतावास में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) प्रसंगाधीन मिशनों में से केवल लंदन स्थित उच्चायोग को कोंसूली सेवाओं के संबंध में दो विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित उपाय किए गए हैं।

पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन

3902. **श्री सोमेन मित्रा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थापित की जाने वाली परमाणु बिजली परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है और क्या कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बिजली परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए, संयंत्र की स्थापना और उसके प्रचालन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) और (घ) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, यूनिट-3 तथा 4, और जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना, यूनिट-1 तथा 2, जिन्हीं 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू किए जाने की योजना है, के लिए पर्यावरणीय अनुमति दे दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में जिन अन्य योजनाओं को शुरू किए जाने की योजना है उनके मामले में, पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर सीएसटी की कमी

3903. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री बढ़ाने के लिए इन पर से केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.)कम करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोधा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में राज्य के वित्त मंत्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से 1956 के सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत मोबाइल फोन और टैबलेट को विशेष महत्व की सामग्री घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में विशेष महत्व की सामग्री पर अधिकतम 5% का वेट लागू होता है। कुछ राज्यों के पावती प्राप्त हो चुके हैं हरियाणा एवं जम्मू और कश्मीर ने राज्य के वित्त मंत्रियां की अधिकर प्राप्त समिति की बैठक में इस संबंध में विचार-विर्मश का सुझाव दिया है।

शहरी परिवहन परियोजनाएं

3904. **श्री अजय कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी परिवहन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम्पनी की उधारी संप्रभुता गारंटी द्वारा संरक्षित की जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) उन परियोजनाओं का जिनको दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में असंतुलन

3905. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज, क्षेत्रों और समूहों के विभिन्न स्तरों पर असंतुलन रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्च शिक्षा से इस असंतुलन को खत्म करने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आने वाली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में निवश को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) देश में उच्चतर शिक्षा की सुलभता में संस्थागत आधारों के प्रसार में क्षेत्रीय असन्तुलन, कतिपय सामाजिक समूहो के लिए उच्चतर शिक्षा की सुलभता के असमान अवसर, लैंगिक असमानता इत्यादि के कारण भिन्नता है। वर्ष 2009-10 में देश में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 9 प्रतिशत (असम) से लेकर सकल नामांकन अनुपात की तुलना में अनुसूचित जाति (महिलाओं) का सकल नामांकन अनुपात 7.5 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा XIIवीं योजना में कार्यान्वयन के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई गई है ताकि संस्थागत आधार के संतुलित एवं साम्य विस्तार, मौजूदा संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता के सृजन और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कतिपय अकादमिक ओर अभिशासनात्मक सुधार के माध्यम से सुलभता, समानता और उत्कृष्टता के मामलों का व्यापक रूप से समाधान किया जा सके। इस योजना के मसौदे के ब्यौरे http://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/rusa 0.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथाअनुमोदित XIIवीं योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए 1,10,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि XIवीं योजना में 84,943 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इनमें से 25,000 करोड़ रुपये नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए आवंटित किए गए हैं।

अस्पतालों और नर्सिंग होमों के लिए भूमि

3906. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री चंद्रकांत खैरे:
प्रो. सौगत राय:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि और विकास कार्यालय ने निबंधन और शर्तों के उल्लंघन करने पर कुछ अस्पतालों और नर्सिंग होमों के लीज संबंधी विलेख, जिनके तहत इन अस्पतालों और नर्सिंग होमों को दिल्ली में राजसहायता प्राप्त दरों पर भूमि आबंटित की गई थी, रद्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) भूमि तथा विकास कार्यालय ने सूचना दी है कि उन्होंने कोई पट्टा विलेख निरस्त नहीं किया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्धारित समय में भवन का निर्माण नहीं किए जाने पर दिनांक 30.12.2010 को परमार्थ मिशन अस्पताल, पीतमपुरा पट्टा विलेख निरस्त कर दिया है।

[अनुवाद]

उपचारी शिक्षा

3907. श्री धनंजय सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन बच्चों जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं के सीखने के परिणामों में सुधर लाने के लिए उन्हें बढ़ावा देने/उपचारी शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों को उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए वर्ष 2009 में आरम्भ किए गए रचनात्मक मूल्यांकन से सुधारात्मक शिक्षण देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम की कठिनाइयों का निदान तथा नैदानिक उपाय करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन सुरक्षा

3908. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को उसके विमानन सुरक्षा प्रणाली को डाउनग्रेड करने की संभावना के बारे में यू.एस. फेडरल एविऐशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चेतावनी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त के संबंध में डीजीसीए के मानव संसाधनों के उन्नयन लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, नहीं। यूएसए के एफएए द्वारा मार्च, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय विमानन संरक्षा मूल्यांकन (आईएएसए) कार्यक्रम के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय का ऑडिट कराया गया था। सितम्बर, 2009 में एफएएटीम समीक्षा करने और मार्च, 2009 में इंगित की गई कमियों को दूर करने के लिए डीजीसीए द्वारा की गई कार्रवाई को वैधता प्रदान करने के लिए आई थी और सितम्बर, 2009 में एफएए को निरूपित कार्रवाईयों के सत्यापन के लिए टीम जुलाई, 2010 में पुनः आई। एफएए ने पाया कि भारत द्वारा विमानन संरक्षा के न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जी, हां। समूह "क" के 427 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और इस प्रकार कुल पदों की संख्या 574 हो गई। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई की गई है। इस अंतराल में संबंधित तकनीकी क्षेत्रों की गहन जानकारी रखने वाले 62 विशेषज्ञों को परामर्शदाता के तौर पर नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में योग

3909. श्री जगदीश शर्मा:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने विद्यालयों में योग शिक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एनसीईआरटी द्वारा तैयार योग पाठ्यक्रम को विद्यालय में शुरू करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ)-2005 के अनुसार स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर योग स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अभिन्न भाग है जिसे कक्षा I से X तक अनिवार्य तथा कक्षा XI एवं XII में वैकल्पिक बनाया गया है। कक्षा I से XII तक की योग पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार की गई है। योग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के मुख्य घटकों में से एक है। एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की पाठ्यचर्या तैयार की है जिसमें योग को पर्याप्त स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार नामक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों में योग शुरू करना शामिल है। योजना के इस घटक के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अभिन्न भाग के रूप में शिक्षकों के योग प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और योग संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने सम्बद्ध स्कूलों को कक्षा I&VIII के छात्रों को शारीरिक गतिविधियों या खेलों के लिए प्रतिदिन अनिवार्य 30 मिनट प्रदान करने और कक्षा IX-XII के छात्रों के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 2 पीरियड (90-120 मिनट/सप्ताह) शारीरिक गतिविधियों/खेल/सामूहिक पीटी/योग में भाग लेने की सलाह दी है। सीबीएसई अंतर-विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में योग का एक विद्या के रूप में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों की अभिरक्षा में मछुआरे

3910. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की अभिरक्षा में भारतीय मछुआरों और उनकी मत्स्यन नौकाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार मात्स्यिकी संबंधी आरोपों में पाकिस्तान की हिरासत में लगभग 400 मछुआरे तथा लगभग 600 नावें हैं तथा श्रीलंका की हिरासत में 19 मछुआरे तथा 4 नावें हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं। इसके अलावा, श्रीलंका की समुद्री सीमा में एक नाव सहित 5 मछुआरों को सवापकों तथा मादक द्रव्यों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

(ख) सरकार भारतीय मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा तथा रक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उनकी शीघ्र रिहाई तथा वापसी के मामले को संबंधित सरकारों के साथ तत्काल तथा निरन्तर उठाया गया है। कई स्तरों पर द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी इस मामले को उठाया गया है। सरकार ने मानवीय व्यवहार तथा यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में मछुआरों के विरूद्ध हिंसा की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

*[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

...(व्यवधान)

अपराह्न $12.0^1/_2$ बजे

इस समय, श्री ई.जी. सुगावनम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8704/15/13]

(दो) वर्ष 2013-14 के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8705/15/13]

...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8706/15/13]

(दो) वर्ष 2013-14 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8707/15/13]

...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): महोदय, मैं अपने वरिष्ठ साथी, श्री जी.के. वासन की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8708/15/13]

(दो) वर्ष 2013-14 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8709/15/13]

...*(व्यवधान)*

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अजय माकन): मैं वर्ष 2013-2014 हेतु आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8710/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): मैं वर्ष 2013-2014 हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8711/15/13]

...*(व्यवधान)*

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8712/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8713/15/13]

(तीन) वर्ष 2013-2014 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8714/15/13]

(चार) वर्ष 2013-2014 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का परिणामी बजट रखी गई।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8715/15/13]

(पांच) वर्ष 2013-2014 के लिए अन्तरिक्ष विभाग का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8711/16/13]

...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8717/15/13]

(3) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8718/15/13]

(5) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8719/15/13]

(7) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8720/15/13]

(9) केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखण्ड, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8721/15/13]

(11) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8722/15/13]

(13) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8723/15/13]

(15) डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8724/15/13]

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8725/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए विदेश मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8726/15/13]

...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8727/15/13]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रिजन), मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्व के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8728/15/13]

(5) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8729/15/13]

(7) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8730/15/13]

(9) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्री संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8731/15/13]

(11) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8732/15/13]

(13) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, कानपुर के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8733/15/13]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8734/15/13]

(17) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8735/15/13]

(19) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडामिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखें।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8736/15/13]

...*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8737/15/13]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8738/15/13]

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए नागर विमानन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8739/15/13]

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) संशोधन नियम, 2012 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 23 अक्तूबर 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम 212 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 5 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2012 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 5 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8740/15/13]

...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): मैं वर्ष 2013-2014 के लिए दूर संचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पलट पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8741/15/13]

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखारीक्षत लेखे।

(दो) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 कें कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8742/15/13]

...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) वर्ष 2013-2014 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8743/15/13]

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नं दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8744/15/13]

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8744क/15/13]

...*(व्यवधान)*

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 13.3.2013 को सभा पटल पर रखे गए।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): मैं वर्ष 2013-2014 के लिए डाक विाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8745/15/13]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

कार्य सारांश

[अनुवाद]

महासचिव: मैं 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां-कार्य सारांश (31 अगस्त 2010 से 30 अगस्त, 2011 तक)' का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03½ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

33वां प्रतिवेदन

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

26वां प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव): मैं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित "भारत सरकार में वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा" के बारे में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 20

श्री राज बब्बर–उपस्थित नहीं

राजकुमारी रत्ना सिंह–उपस्थित नहीं

मद संख्या 21 श्री विजय बहादुर सिंह।

अपराह्न 12.04½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

56वां और 57वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कार्मिक, लोक शिकातय और पेंशन मंत्रालय को अनुदानों की मांगों (2012-2013) विषयक 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) विषयक 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

"केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में दिनांक 19.12.2012 तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): महोदय, मैं (एक) श्री मंगनी लाल मंडल द्वारा 19.12.2012 को (केन्द्रीय विद्यालयों) के बारे में दिनांक 19.12.2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के संबंध में दिए गए उत्तर को शुद्ध किये जाने; और उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों में अध्यापक की संस्वीकृत संख्या और वास्तविक अध्यापक संख्या के ब्यौरों के संबंध में, दिनांक 19.12.2012 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर दिए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 3262 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक-I में शुद्धि करने वाला वितरण सभा पटल पर रखता हूं जो निम्नानुसार है:–

लोक सभा प्रश्न का भाग			दिनांक 19.12.2012 को दिया गया उत्तर			इस प्रकार से पढ़ा जाए		
भाग (क) में संदर्भित संलग्नक	क्र.सं.	राज्य का नाम	विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या	अध्यापकों की वास्तविक संख्या	विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या	अध्यापकों की वास्तविक संख्या
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.	अंडमान और निकोबार (संघ शासित प्रदेश)	02	102	71	02	102	71

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	53	1976	1561	53	1976	1561
3.	अरूणाचल प्रदेश	14	360	219	14	360	219
4.	असम	55	1819	1365	55	1819	1365
5.	बिहार	45	1479	1272	45	1479	1272
6.	चंडीगढ़	05	945	762	05	299	282
7.	छत्तीसगढ़	26	3236	3140	26	9645	762
8.	दादरा और नगर हवेली	01	186	98	1	38	22
9.	दमन और दीव	01	1439	1223	01	174	12
10.	दिल्ली	43	599	528	43	3236	3140
11.	गोवा	05	1096	1021	05	186	98
12.	गुजरात	44	1079	770	44	1439	1223
13.	हरियाणा	28	1067	866	28	1096	1021
14.	हिमाचल प्रदेश	23	1665	1223	23	599	528
15.	जम्मू और कश्मीर	37	1521	1199	37	1079	770
16.	झारखंड	32	17	10	32	1067	866
17.	कर्नाटक	39	2603	2226	39	1665	1223
18.	केरल	35	225	175	35	1521	1199
19.	लक्षद्वीप	01	229	149	014	17	10
20.	मध्य प्रदेश	92	80	44	92	3356	2514
21.	महाराष्ट्र	56	3356	2514	56	2603	2226
22.	मणिपुर	07	121	64	07	225	175
23.	मेघालय	07	1532	1261	07	229	149
24.	मिजोरम	04	106	73	04	80	44
25.	नागालैंड	05	1748	1492	05	121	64
26.	ओडिशा	53	2304	2159	53	1532	1261
27.	पुदुचेरी	04	58	41	04	106	73
28.	पंजाब	48	1620	1136	48	1748	1492
29.	राजस्थान	64	231	152	64	2304	2159
30.	सिक्किम	02	299	282	02	58	41
31.	तमिलनाडु	40	1495	1335	40	1620	1136
32.	त्रिपुरा	09	4866	4621	09	231	152

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	उत्तर प्रदेश	105	17	12	105	4866	4621
34.	उत्तराखंड	43	38	22	43	1495	1335
35.	पश्चिम बंगाल	58	2236	1657	58	2236	1657
	कुल	1086	41750	34743	1086	41750	34743

2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-I में, जिसमें विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या और अध्यापकों को वास्तविक संख्या के बारे में राज्यवार विस्तृत सूचना शामिल थी, अनजाने में एक त्रुटि के कारण विवरण को ठीक करना अनिवार्य हो गया है। उक्त सूचना को केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त किया गया था। अब यह ध्यान में आया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में राज्यों की राज्यवार सूचना को शामिल करते समय इसमें घालमेल हो गया है। परिणामस्वरूप जबकि केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या के साथ-साथ केन्द्रीय विद्यालयों की कुल आंकड़े ठीक हैं लेकिन पृथक-पृथक राज्यों के सामने क्र.सं. 6 से 34 तक अध्यापकों की संस्वीकृत संख्या के आंकड़े और अध्यापकों की वास्तविक संख्या को गलती से शामिल किया गया है।

3. विवरण में, असावधानीवश त्रुटि को प्रतिस्थापित करने में हुए विलंब का कारण यह तथ्य है कि ये भूल हाल ही में विभाग के ध्यान में आई है।

4. सदन के ध्यान में ठीक किया गया विवरण, लाया जाए।

5. असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8747/15/13

[अनुवाद]

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, मैं, दिनांक सितम्बर 1,2004 के लोक सभा समाचार भाग-II (सं. 456) द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 389 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसारण में, अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 2012-13 अनुदनों की मांगों के संबंध में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह व्यक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय स्थायी समिति ने 11 अप्रैल, 2012 को वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर विचार करते हुए अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये। समिति ने 18 मई, 2012 को राज्य सभा में प्रस्तुत तथा 18 मई, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखे अपने 225वें प्रतिवेदन में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों की सिफारिश की।

स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट दस सिफारिशें की। समिति की सभी सिफारिशों पर अन्तरिक्ष विभाग द्वारा सितम्बर 2012 के दौरान की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने की गई कार्यवाही प्रतिवेदन पर विचार किया और दिसम्बर, 2012 में आयोजित अपनी बैठक में इसे स्वीकार किया तथा अपने 235वें प्रतिवेदन को राज्य सभा में प्रस्तत किया और उसे 20 दिसम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर भी रखा। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को संतोषपूर्वक स्वीकार करते समय समिति ने और सुझाव दिये जो निरंतर जारी रहने वाली प्रकृति के हैं। विभाग ने इन सुझावों को कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया है। संसदीय स्थायी समिति की सभी सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

अपराह्न 12.07 बजे

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही से संबंधित समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय, मैं परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही से संबंधित समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक बड़े गभीर प्रसंग की तरफ लाना चाहती हूं। मुलायम सिंह यादव जी हमारे सदन के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। वे समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और सत्ता पक्ष के समर्थक दल भी हैं, लेकिन यह विडम्बना है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए एक मंत्री ने पहले उनके खिलाफ बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहां यह मुद्दा उठाकर उनसे माफी मांगने की बात की तो बजाय माफी मांगने के, उन्होंने अपनी सारी बातों को दोहराते हुए एक बात और जोड़ दी कि अगर यूपीए को मुलायक सिंह यादव समर्थन देते हैं तो क्या करते हैं, वह तो उसके बदले में कमीशन लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8748/15/13

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विधारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, वे सत्ता पक्ष को समर्थन भी दे सकते हैं, लेकिन सदन के एक सम्मानित नेता के प्रति इस तरह के निराधार आरोप लगाये जायें, जिसे वे समर्थन देते हैं, वे कमीशन लेते हैं ...*(व्यवधान)* मैं सत्ता पक्ष लोगों को कहना चाहूंगी कि इसके बारे में तुरन्त यहां बयान देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* ऐसी निराधान और अनर्गल बातों के लिए ऐसे मंत्री को एक क्षण भी मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* या तो वह अपना आरोप साबित करें, नहीं तो उनो एक क्षण भी मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)* इससे पूरे सदन की अवमानना होती है। ...*(व्यवधान)* यह संसद के विशेषाधिकार का सवाल है। ...*(व्यवधान)* यह विशेषाधिकार हनन हुआ है। ...*(व्यवधान)* नेता के खिलाफ इस तरह की बात कहना ...*(व्यवधान)* इस सदन के सम्मानित सदस्य पर यह आरोप लगाना कि वह कमीशन खाता है, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* मैं चाहूंगी कि आप इस विषय को विशेषाधिकर हनन समिति को दें। ...*(व्यवधान)* सरकार तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे, यह मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने को सम्बद्ध कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शरद जी और बसुदेव आचार्य जी, आप दोनों मिलकर सम्बद्ध कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सम्बद्ध कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवकुमार उदासी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अशोक अर्गल, श्री सोहन पोटाई, श्री नामा नागेश्वर राव अने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कोई और बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए।]*

अपराह्न 12.31 बजे

इस समय श्री ई.जी. सुगावनम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मद संख्या 20, राजकुमारी रत्ना सिंह।

अपराह्न 12.31 $^{1}/_{2}$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): महोदय, मैं सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया सभा की कार्यवाही चलने दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, आपने अपनी बात कह दी है और अब आप सभा की कार्यवाही चलने दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः मद संख्या 24 श्री गुरुदास दासगुप्त।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री दासगुप्त, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.32 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं तत्काल सभा पटल पर पर्ची रख दे। केवल वहीं मामले सभ पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...(व्यवधान)

(एक) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के विजेथुआ महावीरन धाम पर्यटन स्थल पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह (सुलतानपुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के विकास खण्ड करौंदी कला में स्थित विजेथुआ माहवीरन धाम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

विजेथुआ महावीरन धाम एक पौराणिक स्थल है तथा इस धाम के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा एवं शक्तिभाव है। मंगलवार और शनिवार के दिन इस धाम में हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं।

अत्यंत खेद का विषय है कि भारत सरकार की अमेठी-सुल्तानपुर पर्यटन योजना, वर्ष 2008-09 के माध्यम से 171.48 लाख रुपये स्वीकृत होकर खर्च होने के बावजूद इस धाम पर श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस योजना के तहत पेयजल व्यवस्था के लिए 5 बोरिंग, 3 ओवरहेड टैंक का निर्माण होने के बावजूद पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है।

मकरी कुंड तथा हत्याहरण कुंड में स्वच्छ पानी भरे जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त धाम पर ले जाये गये विभागीय बोर्ड द्वारा इस धाम के ऐतिहासिक महत्व को भी गलत दर्शाया गया है जिससे स्थानीयवासियों में रोष व्याप्त है। इस धाम के बारे में यह बात प्रचलित है कि लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी इसी मार्ग से जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए रावण ने कालनेमि नामक राक्षस को लगाया था। हनुमान जी ने इसी स्थल पर कालनेमि का वध किया और हत्यहरण कुण्ड में स्नान किया। जबकि पर्यटन विभाग द्वारा लगाये गये बोर्ड पर दर्शाया गया है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेकर वापस आते समय कालनेमि ने रोकने का प्रयास किया और हनुमान जी ने इसी स्थान पर उसका वध किया।

मेरा यह अनुरोध है कि पर्यटन विभाग द्वारा विजेथुआ महावीरन धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवंटित धनराशि एवं उससे कराये गये विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा विकास कार्यों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा लगाये गये भ्रामक बोर्ड के स्थान पर इस ऐतिहासिक महत्व वाले पैराणिक स्थल की प्रचलित एवं सत्य घटना को दर्शाकर दूसरा बोर्ड लगाने एवं इस मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(दो) तमिलनाडु के महान आध्यात्मिक कवि नायकी स्वामीगल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): नायकी स्वामीगल की लोकप्रिय भक्ति कवि के रूप में पूजा की जाती है। उन्हें तमिलनाडु के अझवार संतों जैसे नम्मलवार, अंदल निरूमंगाई अझवार इत्यादि को श्रेणी में सौराष्ट्र अझवार माना जाता है। उन्हें उत्तर भारत के महान वैष्णव कवियों नामतः सूरदास, परमानंद दास, भक्त मीरा, नरसिम्हा मेहता, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर इत्यादि के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। उन्हें सदैव पुरंदरदास, पोथन्ना, एझुथाचेन के साथ याद किया जाता है।

नायकी स्वामीगल का जन्म 9 जनवरी, 1943 को मदुरै, तमिलनाडु में हुआ था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने नागालिंग आडिगल से परमाकुड़ी में आणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि अष्टसिद्धियों के बारे में सीखा। अपनी योग सिद्धि के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय हो गए।

उन्होंने अपना पूरा जीवन भजन, गायन काव्य-लोक और पूजा-पाठ इत्यादि में व्यतीत किया। उन्होंने सौराष्ट्र और तमिल दानों ही भाषाओं में सैकड़ों कविताएं लिखीं।

उन्होंने मुक्ति के लिए ज्ञान, योग और कर्म के मार्ग की बजाय भक्ति मार्ग पर बल दिया। उन्हें संगीत और गीति-काव्य में महारत हासिल थी।

उन्होंने लोगों को शांतिमय और भक्तिमय जीवन का मार्ग दिखाया। सौराष्ट्र को लोग उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरू मानते हैं। मदुरै के निकट 'कडाकिनारू' अलगर कोविल रोड पर नायकी स्वामीगल की समाधि पर एक सुन्दर मंदिर का निर्माण कराया गया।

केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि नायकी स्वामीगल की मुक्ति शताब्दी का पूर्ण संध्या पर उनके सम्मान और उनकी याद में एक डाक टिकट जारी की जाए।

(तीन) सूखा प्रभावित केरल के लिए राहत पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शानवास (वयनाड): वर्ष 2012-2013 में मानसून के दौरान कम वर्षा के कारण केरल का कृषि समदाय गंभीर रूप से चिंतित है क्योंकि राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून में 24 प्रतिशत, उत्तर-पूर्वी वर्षा में 35 प्रतिशत की कमी आई है। केरल के अधिकांश किसानों को फसल का भारी नुकसान हुआ है और लगभग 305787 हेक्टेयर कृषि उत्पाद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि इस संकट के कारण केरल को लगभग 5810 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सभी जिलों में वयनाड जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और अनुमान है कि यहां पर 1766 करोड़ रुपये की हानि हुई है। वयनाड एक जनजातीय और अल्पसंख्यक जिला है, जो छोटे पैमाने पर होने वाली कृषि पर निर्भर रहता है और इसे पूर्व के कृषि संकटों से पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केरल के मामले को एक विशेष

मामला माना जाए और तत्काल एक सूखा राहत पैकेज जारी किया जाए और साथ ही कृषि ऋणों के संबंध में तत्काल अधिस्थगन की घोषणा भी की जाए।

(चार) राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नीलगायों और जंगली सुअरों से फसलों को बचाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की भूमि पर नील गायों एवं जंगली सुअरों द्वारा बड़ी मात्रा में फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा हैं रात के समय में जंगलों से यह नील गाय और सुअर किसानों के खेतों में पहुंचकर किसानों की फसल को तहस नहस कर देती है जिसके कारण किसानों के द्वारा जो लागत खेती में लगाई जाती है उसके नुकसान से किसान बहुत दुखी है। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। नील गायों एवं जंगली सुआरों को भगाते समय किसी की मौत हो जाये तो किसानों को वन अधिकारी वन जीव कानून उल्लंघन करने के कारण परेशान करते हैं जिसके कारण किसान कुछ नहीं कर पाता है। किसानों की फसल को नील गायों एवं जंगली सुअर से बचाने के लिए जिला स्तर पर प्रयास किये जाये और वन्य जीवन कानूनों में संशोधन किया जाये। नील गाय और जंगली सुअर पानी की तलाश में जंगलों से आते हैं और फसल को देखकर नील आए उनको चरने लग जाती है एवं जंगली सुआर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर जंगलों में इनके लिए पानी को उपलब्ध करवाया जाये तो कुछ सीमा तक समस्याओं का निाकरण किया जा सकता है।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों की फसल को नील गाय और जंगली सुअर से बचाने हेतु गंभीरता से विचार किया जाये।

(पांच) ओलम्पिक में कुश्ती को एक खेल के रूप में बनाए रखे जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से मांग किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): विश्व की प्रमुख खेल कुश्ती को 2020 की ओलंपिक से बाहर किया जा रहा है। जबकि इस खेल में भारत ही नहीं बल्कि 180 देश इस खेल में हिस्सा लेते हैं तथा 200 से अधिक देश के लोगों की आत्मा इस खेल में रची बसी है। इस फैसले से भारतीय कुश्ती प्रेमियों और पहलवानों को तगड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने इस प्रमुख खेल की जगह मॉडर्न पेंटाथलन को तवज्जों दे रही है। इस फैसले से भारत में कुश्ती की तरफ बढ़ रहे भारतीय युवाओं का सपना चकनाचूर हो गया। इस कठोर फैसले से नाराजगी जाहिर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (एफआईएलए) के अध्यक्ष रफेल मार्टिनेटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अत: मैं मुश्ती को फिर वापस ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मांग करता हूं।

(छह) केरल में काली मिर्च उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): मैं सरकार का ध्यान केरल में काली मिर्च उत्पादक किसानों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों की ओर आकर्षित करता हूं। काफी समय के बाद काली मिर्च का 440 रुपये प्रति किलो ग्राम का लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ। परन्तु अचानक इसके मूल्य तेजी से गिरने शुरू हुए और किसान इसके मूल्य को लेकर काफी चिंतित हैं। केरल में वर्तमान सूखे की स्थिति ने इस परिदृश्य और साथ ही साथ उन किसानों की स्थिति को भी बदतर बना दिया है जो पौधों में रोग लगने की वजह से पहले ही परेशान थे। उच्च मजदूरी दर और अन्य लागतों में शुद्धि की वजह से उत्पादन लागत पहले ही काफी बढ़ी हुई है। काली मिर्च उत्पादक अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जो सिर्फ इस फसल पर निर्भर करते हैं। काली मिर्च के मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव को रोकने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता हैं। ऐसा बताया गया है कि बाजार में अनैतिक गठजोड़ों (कार्टेल) की मौजूदगी से मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव हो रहा है वायदा बाजार आयोग (फॉरवार्ड मार्केटिंग कमीशन) (एफएमसी) को इसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में काली मिर्च उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए।

(सात) महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं गत तीन वर्ष से लगातार विदर्भ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) में कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज की मांगे आरणीय रेल मंत्री जी के सामने रखता आया हूं, किंतु मेरी एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में कई बड़े टाउन है यथा वर्धा, हिंगनघाट, चांदुर (रेलवें) पुलगांव और धामनगांव जहां से पूर्व पश्चिम और दक्षिण-उत्तर जाने वाली सभी रेलगाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन प्रमुख रेलगाड़ियों को इन शहरों में स्टॉपेज नहीं होने के कारण यहां के रेल प्रवासियो को असुविधा हो रही है। रेलगाड़ियां होने के बावजूद

प्रवासियों को उनका कोई उपयोग नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि हिंगणघाट शहर के लिए जयपुर एक्सप्रेस, मद्रास-जोधपुर एक्सप्रेस और सिकंदराबाद-बीकानेर एक्सप्रेस गाड़ियों को स्टापेज दें क्योंकि यहां से वर्धा और नागपुर जाने वाले व्यापारी, छात्र और और नौकरी करने वाले स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में आना-जाना करते हैं। नई गाड़ी नागपुर-सिकंदराबाद शुरू हुई है। इस नई ट्रेन के छोटे-छोटे स्टेशन पर स्टॉपेज है लेकिन दो लाख की आबादी वाले हिंगणघाट शहर में स्टॉपेज नहीं है। मेरा निवेदन है कि हिंगणघाट शहर को नागपुर-सिकंदराबाद का स्टॉपेज जल्द से जल्द देना चाहिए।

चांदूर रेलवे और धामणगांव के रेल यात्रियों की बहुत पुरानी मांग है कि निजामुद्दीन-गोंडवाना एक्सप्रेस, अमरावती-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा जबलपुर एक्सप्रेस आदि गाड़ियों के स्टॉपेज उन्हें मिले।

सिंदी रेलवे एक बड़ा रेल स्टेशन है। नागपुर-अमरावती इंटरसिटी एक्सप्रेस और अमरावती-नागपुर गाड़ियों का सिंदी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है। यहां से प्रतिदिन सैंकड़ों लोग और छात्र-छात्राएं वर्धा और नागपुर आना-जाना करते हैं। अगर रेल मंत्रालय उपर निर्देशित स्टॉपेज देता है तो भारतीय रेल को लाखों रुपये की आमदनी भी होगी और यात्रियों को सुविधा भी होगी। इसी तरह मोर्शी और वरूड के लोगों की मांग है कि हफ्ते में एक दिन चलने वाली इंदौर-यशवंतपुरम ट्रेन का स्टॉपेज उन्हें मिले।

मैंने स्वयं यह बात सभागृह में दो बार रखी है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आशा है आप मेरी इन मांगों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए निर्देश देंगी।

(आठ) महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति है; इसके कारण, चारा, पानी, अनाज की गंभीर स्थिति है।

सबसे गंभीर स्थिति मराठवाड़ा में है मेरा संसदीय क्षेत्र मराठवाड़ा में जालना-औरंगाबाद में आता है, जहां की भोकरदन, जाफराबाद, बदनापुर, जालना, अंबड़ और औरंगाबाद में पैठन, औरंगाबाद, फुलंब्री, सिल्लेड़, सोयगांव, मंठा, परतूर और घनसावंगी में बहुत ही कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने वहां सूखे की घोषणा कर दी है लेकिन स्थिति में कोई फर्क नहीं है।

चारा छावनी खोली है लेकिन जो व्यक्ति छावनी में जानवर लायेगा उसे ही प्रति जानवर 60 रुपये छावनी पर मिलते हैं। मेरे क्षेत्र में 5 लाख में से केवल 3000 जानवर छावनी में है। हमारी मांग है कि छावनी पर नहीं दावनी पर यह अनुदान देना चाहिए।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य में एवं विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न विकट स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जायें।

(नौ) उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं द्वारा पेठे की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रामशंकर (आगरा): आगरा विश्व की प्रसिद्ध स्थली है। यहा पर 50-70 हजार देशी-विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आगरा उत्तर मध्य रेलवे का बहुत बड़ा केन्द्र है, जहां दिल्ली से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, चेन्नई जाने वाली ट्रेनें होकर गुजरती हैं। आगरा कैंट स्टेशन पर बहुत लंबे समय से पेठा वेन्डरों को लाइसेंस के आधार पर पेठा बेचने की अनुमति थी, किन्तु 1 डेढ़ वर्ष से पेठा वेन्डरों को रेलवे के अधिकारियों ने उनके अधिकार से वंचित ही नहीं किया, बल्कि लाखों यात्री जो पेठा को स्टेशन पर से खरीदते थें, उन्हें भी उससे वंचित किया गया। पेठा आगरा की विश्व प्रसिद्ध मिठाई है जो कभी खराब नहीं होती।

मेरा अनुरोध है कि पेठा वेंडरों को स्टेशन पर पूर्व की भांति लाइसेंस के आधार पर पेठा बेचने की अनुमति दी जाये साथ ही गुणवत्ता की दृष्टि से आगरा के प्रतिष्ठित पेठा निर्माताओं को चिह्नित का पेठे का मूल्य भी सुनिश्चित किया जाये।

(दस) छत्तीसगढ़ में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): वर्ष 2000 में देश में तीन नए राज्यों का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड, और झारखण्ड। जब भी नए राज्य का गठन होता है तो प्रशासनिक एवं सभी आवश्यक संस्थाओं के गठन एवं स्थापना में धन लगता है, क्योंकि राज्य भी नया होता हैं इसलिए राजस्व की प्राप्ति भी समुचित नहीं रहती। इस हेतु केन्द्र द्वारा कई राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज भी जारी किया जाता है। किन्तु यह विडम्बना है कि इन राज्यों के गठन के पश्चात् सिर्फ उत्तराखण्ड को ही आर्थिक पैकेज दिया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम उस प्रदेश में दिखाई भी पड़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं किन्तु उसके लिए केवल संसाधन ही नहीं आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की लागत 46 प्रतिशत भूमि वनाच्छादित और पहाड़ी है। खनिज भी इन्हीं वनों के नीचे है जिससे इनका दोहन लगभग असंभव हो जाता है। राज्य का औद्योगिक विकास मुख्यत: कोर सेक्टर अर्थात् स्टील, ऊर्जा, सीमेंट तथा एल्युमीनियम क्षेत्र में बना है। उपभोक्ता क्षेत्र, केमिकल, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लग पाए है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है तथा समुद्री किनारों और बंदरगाहों से भी काफी दूर है जिससे इसके तेजी से औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी काफी क्षीण हो जाती हैं। अत: यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ राज्य को भी केंद्र विशेष आर्थिक पैकेज दे जिससे इस राज्य में भी अन्य प्रकार के उद्योग लग सके। इससे न सिर्फ इस राज्य के लघु और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे। अत: यह उचित होगा कि जल्द से जल्द केन्द्र इस बाबत निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ को विशेष पैकेज प्रदान करें।

(ग्यारह) महाराष्ट्र में अमरावती और धुलिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को शीघ्र चार लेन का किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैं सरकार का ध्यान एक गंभीर एवं चिंताजनक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एनएच-6 अमरावती से धुलिया तक फोर लाइन रोड़ बनाने के लिए एनएचएआई ने बीओटी आधार पर लगभग 280 किमी. दूरी और लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का टेंडर निकालकर उसे आवंटित कर दिनांक 6 जून, 2012 को एग्रीमेंट की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। उसके बाद भी आज तक उस पर काम शुरू नहीं हो सका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेंटनेंस के नाम पर 12.6.2012 से आज तक जो भी काम हुआ है, उसकी पूरी तरह से जांच की जाए।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग पर फोर-लेनिंग का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। पर उन जातियों को अनुसूचित जाति में केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह उन जातियों के साथ न्याय नहीं है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार पुन: एक सूची केन्द्र को विधिवत उन जातियों के बारे में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अध्ययन करवाकर अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजी है।

मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव लंबित है, उनमें से कई किसी न किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति में हैं पर केन्द्र सरकार ने इस मामले में अभी तक आवश्यक कार्यवाही नहीं की है।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर उन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें जिससे वे अनुसूचित जाति को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर आ सकें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मऊआइमा विकास खंड के गांवों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): जनपद इलाहाबाद के मऊआइमा विकास खण्ड अंतर्गत शेखपुर, सेमरी, बटहा, किगिरिंहा का पूरा, खानपुर, मादपुर, कठवर, परवेजपुर, ददौली एवं मऊआइमा खास आदि गांवों में पीने का पानी आर्सेनिक एवं फ्लोराइड युक्त तथा खारा है। उक्त गांवों में रोग की अधिकता के कारण उक्त क्षेत्र की एक बड़ी आबादी असमय विकलांग हो रही है। गर्मियों में प्रतिवर्ष जल स्तर और नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं और उसमें गंदा व आर्सेनिक तथा फ्लोराइड युक्त खारा पानी निकलता है। उक्त क्षेत्र के निवासी आर्सेनिक व फ्लोराइड युक्त गंदा व खारा पानी पीने के लिए विवश है। ओवरहेड टैंक निर्माण से ही उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था संभव है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड मऊआइमा अंतर्गत स्थित उपरोक्त ग्रामों में ओवरहैड टैंक बनवाकर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(चौदह) बिहार में खगड़िया नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत खगड़िया नगर परिषद की आबादी लगभग 70 हजार है। इससे सटी

पंचायत मथुरापुर की आबादी 22 हजार एवं सन्हौली की आबादी 25 हजार है। खगड़िया जिला मुख्यालय है, यहां के पानी में अत्यधिक मात्रा में आयरन एवं आर्सेनिक युक्त रहने के कारण आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खगड़िया शहर में शहरी जलापूर्ति योजना की कोई व्यवस्था नहीं है।

अत: सरकार खगड़िया शहर में शहरी जलापूर्ति योजना से जल आपूर्ति कराने की व्यवस्था करे।

(पंद्रह) संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): संघ लोक सेवा आयोग हमारे राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्पूर्ण देश के युवा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होते हैं और वे आईएएस ओर आईपीएस हेतु प्रतिभागी बनते हैं। यही कारण है कि हम यह देखते है कि प्रत्येक वर्ष की संघ लोक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। तथपि, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में संघीय ढांचे का वास्तविक रूप नहीं दिखता क्योंकि इसमें सूची क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है और आयोग के अधिकांश सदस्य एक ही क्षेत्र से आते हैं। यही वजह है कि पाठ्यक्रम और दिशानिर्देशों की समीक्षा हेतु लिए गए अधिकांश निर्णयों की व्यापक अलोचना हुई है। ऐसे निर्णयों में वर्तमान निर्णय भी शामिल है जिसमें संघ लोक सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रतिभोगियों को तमिल सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाएं चुनने से मना किया गया है। इस राष्ट्र को चलाने हेतु लोक सेवा अधिकारियों के चयन में नई धारणाएं लागू किए जाने की भी आवश्यकता है। आयोग की संरचना को प्रत्येक दो वर्ष पर नए सदस्यों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संघ लोक सेवा आयोग को संरचना में सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व मुहैया कराए और प्रत्येक दो वर्ष में इसे पुनर्गठित करे।

(सोलह) तमिलनाडु के चित्तलपक्कम सेकंड मेनरोड, चेन्नई में आवंटित भूमि पर डाकघर भवन का निर्माण करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): भारत में डाकघर स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जानता की सेवा काफी अच्छी तरह से करते आ रहे हैं। परन्तु बैंकिंग क्षेत्र के उभरते और प्रौद्योगिकीय विकास के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि डाकघर दौड़ में पिछड़ गए हैं। लेकिन वर्तमान में, उच्च ब्याज दरों वाली अनेक नई डाक योजनाओं और मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे जोर के साथ डाकघर अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने और एक नए रूप में अपने को पेश करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अनेक डाकघरों का आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार किया गया है।

तमिलनाडु में चेन्नई स्थित चित्तलपक्कम डाकघर पुराने टाउन पंचायत विल्डिंग में किराये पर कार्य कर रहा है। करीब 40 वर्ष पहले विभाग ने इस डाकघर के निर्माण हेतु चित्रलपक्कम सेकंड मेन रोड में भूमि आवंटित की थी। वर्तमान में, वह भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है जबकि विद्यमान डाकघर पुराने और छोटे से टाउन पंचायत बिल्डिंग में कार्य कर रहा है। चूंकि यह क्षेत्र अब पूर्ण विकसित हो गया है जनता आधुनिक सुविधाओं सहित बेहतर डाक सुविधाएं चाहती है। यदि इस भूमि पर इस डाकघर के निर्माण की स्वीकृति दे दी जाती है तो जनता को बहुत लाभ होगा और विभाग के पास भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्वयं का अपेक्षाकृत बड़ा भवन होगा।

मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे चित्रलपक्कम में डाकघर भवन के निर्माण हेतु यथाशीघ्र आवश्यक स्वीकृति दें।

(सत्रह) देश में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट): यह बड़ी पीड़ा और वेदना का विषय है कि नि:शक्त व्यक्तियों के साथ कर्तव्य का व्यवहार नहीं किया जाता जिसके वे हकदार हैं चूंकि उनके लिए कोई विशेष प्रावधान अथवा सुविधा नहीं है, जिसके वाजिब हकदार हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल पर मुहैया कराई जा रही राजसहायता का कार्यान्वियन व्यावहारिक रूप में किया जाना चाहिए। उन्हें एसी बसों सहित सार्वजनिक परिवहन में नि:शुल्क यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें बीपीएल श्रेणी को मुहैया कराई गई सभी सुविधाएं दी जाएं। उनकी पेंशन 1000 रुपये नियत कि जाए और इसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य किसी प्रकार की पेंशन से विलगित किया जाए। नि:शक्त कर्मचारियों को कतिपय राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराए जा रहे यात्री भत्ते के समान भत्ता दिया जाए।

मुझे पूरी आशा है कि सरकार नि:शक्त व्यक्तियों की वास्तविक मांगों पर सहृदयता से विचार करेगी।

(अठारह) अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोति सिविल सेवा परीक्षा के पुराने स्वरूप को ही बनाए रखे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आईएएस/आईपीएस जैसे पदों के चयन हेतु जो इम्तिहान लिया जाता था उसमें 6 मार्च, 2013 के संघ लोक सेवा आयोग के घोषित निर्णय के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं में इम्तिहान देने वाले छात्रों पर अन्याय हो रहा है। गुणवत्ताधारक छात्रों को केवल प्रादेशिक भाषाओं में इम्तिहान देने से रोकने से ग्रामीण इलाकों से और प्रादेशिक भाषाओं में इम्तिहान देने वाले छात्र जो अंग्रेजी या अन्य माध्यम से स्नातक पदवी प्राप्त किए हैं वह भी प्रादेशिक भाषा में जवाब लिख सकते थे एवं वे मराठी साहित्य जैसे वैकल्पिक विषय का चुनाव मुख्य इम्तिहान में कर सकते थे। किंतु अब केवल उसी प्रादेशिक भाषा में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र उसी प्रादेशिक भाषा साहित्य का विकल्प चयन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरा नियम जो प्रादेशिक भाषा में जवाब लिखने वाले छात्र के लिए बाधा बन सकता है वह नियम है कम से कम 25 छात्र मुख्य इम्तिहान में उस विषय में उत्तीण होना अनिवार्य है और तीसरे नियम के तहत अगर छात्र दूसरे किसी भी शाखाओं में जैसे विज्ञान, वाणिज्य एवं अभियांत्रिकी शाखाओं में स्नातक उपाधि प्राप्त हो तो यह छात्र प्रादेशिक भाषा साहित्य विकल्प के रूप में नहीं ले सकेंगे। इस बदलाव से महाराष्ट्र के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले छात्र और मराठी साहित्य भाषाओं में इम्तिहान देने वाले छात्र काफी चिंतित हैं। इस नई चयन प्रक्रिया से ऐसे छात्रों के चयन की संभावना बहत कम हो जाएगी। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग इस बदलाव को तुरंत वापस लें एवं छात्रों पर होने वाल अन्याय को दूर करने की नितांत आवश्यकता है।

अपराह्न 12.33 बजे

अविलम्बनीय लोक सभा के महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मलेशियाई कम्पनी को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मरिना याच और स्टार होटल बनाने संबंधी अनुमति से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री विष्णु पद राय

...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, मैं लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर माननीय गृहमंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनके तत्संबंधी वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं:–

"मलेशियाई कंपनी को वायपर द्वीप अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में 50 वर्ष वाले याच मरिना और 30 विस्तर वाले तीन सितारा होटल बनाने संबंधी अनुमति से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): महोदय आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने गृह मंत्रालय को यह सूचित किया है कि उन्होंने निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए व्यवहार्यता के विस्तृत अध्ययन के बाद 31.19 हेक्टेयर क्षेत्र में से दो हेक्टेयर क्षेत्र में वायपर द्वीप पर बंदरगाह स्थापित करने की परियोजना शुरू की है। यह बात ध्यान में रखी गई कि यह द्वीप एक निर्जन द्वीप है, जो बंदरगाह स्थापित किए जाने के लिए प्रौद्योगिकी-आर्थिक रूप से आदर्श स्थान है। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया।

उपर्युक्त संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने गृह मंत्रालय को यह सूचित किया है कि इस समय परियोजना पर कोई क्रियाकलाप/अन्य कोई परियोजना नहीं चल रही है और इसलिए यह घोर उपेक्षा की स्थिति में है। यह महसूस किया गया है कि इस परियोजना को स्थापित करने से द्वीप का समग्र उत्थान होगा तथा इसका समुचित रूप से रख-रखाव होगा जिससे और अधिक पर्यटक इसकी ओर आकृष्ट होंगे। इस प्रकार की परियोजना के फलस्वरूप सरकार हेतु राजस्व सृजन के अतिरिक्त निकटवर्ती द्वीपों के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की स्थापना से इस द्वीप को विश्वभर के पर्यटकों के बीच पहचान मिलेगी और वे उसकी ओर आकृष्ट होंगे जो कि उपेक्षा की वर्तमान स्थिति के विपरीत द्वीप को निश्चित रूप से एक बेहतर कार्य होगा।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने बताया है कि मरीना परियोजना की अवधारणा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही उन्होंने यह बात अने ध्यान में रखी कि स्मारकों को न तो कोई क्षति पहुंचायी जानी

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 8749/15/13

चाहिए और न ही उनके प्रति अनादर दर्शाया जाना चाहिए तथा द्वीप की पवित्रता के ऐतिहासिक महत्व के साथ कोई छेड-छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इस प्रयोजन को यह सुनिश्चित किया गया था कि मरीना मौजूदा घाट से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए तथा मरीना आने वाले पर्यटकों के लिए एक अलग मार्ग/घाट होना चाहिए मरीना के लिए अलग से और स्पष्टतया निर्धारित क्षेत्र होगा जिससे इसके ऐतिहासिक स्मारकों के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं होगी।

द्वीप प्रशासन ने बताया कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कला और संस्कृति विभाग क्षेत्र की संरचनाओं के संरक्षण और उसकी लैंड स्केपिंग सहित वाइपर द्वीप स्थित विरासती भवनों/संरचनाओं हेतु समग्र विकास योजना बनाने के लिए पहले से ही आवश्यक पहल प्रारंभ कर चुका है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने बताया कि परियोजना के लाभ निम्नवत् होंगे:–

* इसके परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन होगा क्योंकि 60% कर्मचारी स्थानीय होंगे।

* इससे इन द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

* इसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व आय प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): मुझे गृह मंत्रालय के माध्यम से जो स्टेटमेंट मिला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया। ...*(व्यवधान)* अंडमान का मुद्दा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के इतिहास में, वर्ष 1857 में जब पहला क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री विष्णु पद राय, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 21 मार्च, 2013/ 30 फाल्गुन, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी श्रीमती पुतुल कुमारी	321
2.	श्री आर. थामराई सेलवन श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	322
3.	श्री तकाम संजय	323
4.	श्री जोस के. मणि श्री बसुदेव आचार्य	324
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह श्री पी.के. बिजू	325
6.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	326
7.	डॉ. अनूप कुमार साहा श्री नीरज शेखर	327
8.	श्री भर्तृहरि महताब श्री ताराचन्द भगोरा	328
9.	श्री ए. गणेशमूर्ति श्री आनंद प्रकाश परांजपे	329
10.	श्री चार्ल्स डिएस श्री सुरेश कलमाडी	330
11.	श्री जोसेफ टोप्पो	331
12.	श्री रायापति सांबासिवा राव	332
13.	श्री आनंदराव अडसुल	333
14.	श्री संजय भोई श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	334
15.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा श्री ए. सम्पत	335
16.	डॉ. संजीव गणेश नाईक कुमारी सरोज पाण्डेय	336
17.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री अर्जुन राम मेघवाल	337
18.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम श्री वरूण गांधी	338
19.	डॉ. एम. तम्बिदुरई श्री रेवती रमण सिंह	339
20.	श्री निशिकांत दुबे	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	3725, 3869, 3887
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3768, 3830, 3831, 3840,3897
3.	श्री आधि शंकर	3816
4.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	3776
5.	श्री आनंदराव अडसुल	3830, 3831, 3840,847
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3738, 3776, 3905
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	3691, 3752, 3761
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	3737, 3780, 3877, 3896
9.	श्री सुल्तान अहमद	3761, 3890
10.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3757, 3839
11.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	3832
12.	श्री अनंत कुमार	3797, 3877
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3744, 3754
14.	श्री सुरेश अंगड़ी	3813

1	2	3
15.	श्री कीर्ति आजाद	3686, 3849
16.	श्री गजानन ध. बाबर	3768, 3830, 3831, 3840, 3844
17.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3842
18.	श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल	3842
19.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	3696, 3762, 3854
20.	डॉ. बलीराम	3757, 3889
21.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	3787
22.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	3735
23.	श्री पुलीन बिहारी बासके	3824, 3872
24.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	3818, 3873
25.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3742, 3794, 3910
26.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	3740
27.	श्री सुदर्शन भगत	3704
28.	श्री ताराचन्द भगोरा	3762, 3800
29.	श्री संजय भोई	3743
30.	श्री समीर भुजबल	3780, 3787, 3800
31.	श्री पी.के. बिजू	3845
32.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3682
33.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	3804
34.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	3811, 3879
35.	श्री सी. शिवासामी	3699, 3750, 38274, 3829, 3874
36.	श्री हरीश चौधरी	3722, 3760, 3779, 3844, 3874
37.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3714, 3894
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3776, 3838
39.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3833, 3834, 3872
40.	श्री भूदेव चौधरी	3801
41.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3723, 3868, 3899
42.	श्री भक्त चरण दास	3814, 3840
43.	श्री खगेन दास	3749, 3886
44.	श्री राम सुन्दर दास	3758, 3823
45.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3715
46.	श्री के.डी. देशमुख	3774
47.	श्रीमती रमा देवी	3769, 3891, 3896
48.	श्री के.डी. देशमुख	3774
49.	श्री संजय धोत्रे	3828, 3877
50.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3697, 3719, 3761
51.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3752, 3765, 3810
52.	डॉ. रामचन्द्र डोम	3873
53.	श्री निशिकांत दुबे	3837, 3838, 3883
54.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3765, 3873
55.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3799
56.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3833, 3834, 3872, 3878
57.	श्रीमती मेनका गांधी	3788
58.	श्री वरुण गांधी	3893
59.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	3744
60.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3878
61.	श्री अनंत गंगाराम गीते	3847
62.	डॉ. काकोली घोष दस्तिकार	3819
63.	श्री शेर सिंह घुबाया	3739

1	2	3
64.	श्री एल. राजगोपाल	3771, 3839
65.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3762, 3785, 3796, 3843
66.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3786, 3803
67.	शेख. सैदुल हक	3873
68.	श्री महेश्वर हजारी	3693, 3706
69.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3695, 3752, 3761, 3853
70.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3767, 3889, 3896
71.	श्री बलीराम जाधव	3729, 3887
72.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3889
73.	श्री बद्रीराम जाखड़	3694, 3733, 3755, 3852, 3873
74.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3742
75.	श्री नवीन जिन्दल	3708, 3786, 3836, 3860
76.	श्री महेश जोशी	3801, 3808
77.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3763
78.	श्री प्रहलाद जोशी	3774, 3854, 3873, 3877, 3908
79.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3707, 3840, 3859
80.	श्री पी. करुणाकरन	3775, 3838, 3893, 3901
81.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3758, 3766
82.	श्री राम सिंह कस्वां	3894
83.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	3745
84.	श्री चंद्रकांत खैरे	3906
85.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3832, 3880

1	2	3
86.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3766, 3895
87.	श्री विश्व मोहन कुमार	3759
88.	श्री अजय कुमार	3761, 3777, 3904
89.	श्री पी. कुमार	3827, 3843, 3874
90.	श्री शैलेन्द्र कुमार	3785, 3821
91.	श्री यशबंत लागुरी	3767, 3874
92.	श्री एम. कृष्णास्वामी	3711, 3836, 3855
93.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3865, 3873
94.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3782, 3891
95.	श्री सतपाल महाराज	3785
96.	श्री नरहरि महतो	3689, 3807, 3851
97.	श्री भर्तृहरि महताब	3828, 3829, 3877
98.	श्री प्रदीप माझी	3761, 3764, 3783, 3832, 3892
99.	श्री जोस के. मणि	3876
100.	श्री दत्ता मेघे	3829
101.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3843, 3890, 3905
102.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3809
103.	श्री महाबल मिश्रा	3773
104.	श्री सोमेन मित्रा	3776, 3873, 3902
105.	श्री पी.सी. मोहन	3690, 3795, 3909
106.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3873
107.	श्री विलास मुत्तेमवार	3785, 3820, 3909
108.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3756, 3841, 3888
109.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3835, 3836, 3881
110.	श्री नामा नागेश्वर राव	3784

1	2	3
111.	श्री नारनभाई काछड़िया	3752, 3765, 3894
112.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	3757
113.	श्री संजय निरुपम	3685, 3827, 3874, 3893
114.	श्रीमती मौसम नूर	3705, 3761, 3858
115.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3863
116.	श्री पी.आर. नटराजन	3701, 3842, 3900
117.	श्री वैजयंत पांडा	3826
118.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3702
119.	कुमारी सरोज पाण्डेय	3776
120.	श्री जयराम पांगी	3741, 3773, 3776, 3877, 3885
121.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3833, 3834, 3872
122.	श्री कमलेश पासवान	3789
123.	श्री बाल कुमार पटेल	3751
124.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3761, 3783, 3832, 3892
125.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	3894, 3896
126.	श्री संजय दिना पाटील	3835, 3836, 3881
127.	श्री ए.टी. नाना पाटील	379, 3909
128.	श्रीमती भावना पाटील गवली	3765, 3873
129.	श्री सी.आर. पाटिल	3716, 3894
130.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3743, 3833, 3834, 3872, 3878
131.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3736, 3839, 3887
132.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3700, 3761, 3854
133.	श्री अमरनाथ प्रधान	3841
134.	श्री नित्यानंद प्रधान	3688, 3850, 3899
135.	श्री प्रेमदास	3759
136.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3713, 3785
137.	श्री एम.के. राघवन	3878
138.	श्री अब्दुल रहमान	3748, 3762
139.	श्री प्रेम दास राय	3747, 3885
140.	श्री सी. राजेन्द्रन	3718
141.	श्री एम.बी. राजेश	3845
142.	श्री पूर्णमासी राम	3806
143.	प्रो. रामशंकर	3691, 3752, 3761
144.	श्री जगदीश सिंह राणा	3720, 3733, 3846, 3866
145.	श्री रामसिंह राठवा	3741, 3761, 3766, 3822, 3874
146.	डॉ. रत्ना डे	3804
147.	श्री अशोक कुमार रावत	3802
148.	श्री अर्जुन राय	3763, 3793
149.	श्री रुद्रमाधव राय	3814, 3877
150.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3781, 3829
151.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	3687, 3871, 3881
152.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3687, 3871, 3881
153.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3689, 3807, 3851
154.	श्री महेन्द्र राय	3873
155.	प्रो. सौगत राय	3906
156.	श्री एस. सेम्मलई	3717
157.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3684, 3848, 3894

1	2	3
158.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3796
159.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3850, 3862
160.	श्री ए. सम्पत	3845
161.	श्री तकाम संजय	3875
162.	श्रीमती सुशीला सरोज	3693, 3706
163.	श्री तूफानी सरोज	3731
164.	श्री हमदुल्लाह सईद	3681, 3724, 3870, 3883
165.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3727
166.	श्री एम.आई. शानवास	3790,3900
167.	श्री जगदीश शर्मा	3785, 3820, 3909
168.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	3733
169.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3700, 3854, 3857
170.	श्री राजू शट्टी	3806
171.	श्री एंटो एंटोनी	3746
172.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	3734, 3742, 3910
173.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3724, 3818, 399
174.	डॉ. भोला सिंह	3837
175.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3752, 3864, 3899
176.	श्री दुष्यंत सिंह	3817, 3829
177.	श्री इज्यराज सिंह	3769, 3844
178.	श्री जगदानंद सिंह	3812
179.	श्री महाबली सिंह	3838
180.	श्रीमती मीना सिंह	3728
181.	श्री मुरारी लाल सिंह	3766, 3818
182.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3697, 3703, 3890

1	2	3
183.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3766, 3794, 3829, 3910
184.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3792, 3894
185.	श्री राकेश सिंह	3692, 3884
186.	श्री रतन सिंह	3760
187.	श्री रवनीत सिंह	3733, 3776, 3846, 3894
188.	श्री उदय सिंह	3785, 3798, 3892
189.	श्री यशवीर सिंह	3805
190.	श्री धनंजय सिंह	3730, 3907
191.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3754
192.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3761, 3762
193.	श्री विजय बहादुर सिंह	3761, 3762
194.	डॉ. संजस सिंह	3762, 3769, 3891
195.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3697, 3836, 3855
196.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	3770
197.	श्री ई.जी. सुगावनम	3683
198.	श्री के. सुगुमार	3721, 3867, 3874
199.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3836
200.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3709, 3794, 3846, 3861
201.	श्री मानिक टैगोर	3712, 3837, 3896, 3903
202.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3732, 3832
203.	श्री आर. थामराईसेलवन	3721, 3274, 3874
204.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	3882
205.	श्री पी.टी. थॉमस	3752, 3761

1	2	3
206.	श्री मनोहर तिरकी	3689, 3851
207.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3894
208.	श्री जोसेफ टोप्पो	3879
209.	श्री लक्ष्मण टुडु	3726, 3761, 3906
210.	श्री शिवकुमार उदासी	3753
211.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3693
212.	श्री हर्ष वर्धन	3693
213.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3769, 3898
214.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3750, 3814, 3827, 3843, 3874
215.	श्री सज्जन वर्मा	3815
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3693, 3706
217.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3887
218.	श्री पी. विश्वनाथन	3698, 3845, 3856, 3877, 3890
219.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3768, 3830, 3831, 3840, 3844
220.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3744
221.	श्री ओम प्रकाश यादव	3743
222.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3772, 3873
223.	श्री मधुसूदन यादव	3755
224.	श्री मधु गौड यास्खी	3761, 3830, 3831, 3897
225.	योगी आदित्यनाथ	3778

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	–
परमाणु ऊर्जा	:	324
नागर विमानन	:	323, 327, 328, 330, 337, 340
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	333
विदेश	:	322, 329
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	326
मानव संसाधन विकास	:	321, 325, 332, 334, 338
प्रवासी भारतीय कार्य	:	–
संसदीय कार्य	:	–
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	–
योजना	:	331, 339
अंतरिक्ष	:	335
शहरी विकास	:	336.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	3745
परमाणु ऊर्जा	:	3686, 3692, 3696, 3715, 3737, 3754, 3776, 3780, 3793, 3813, 3822, 3868, 3900, 3902
नागर विमानन	:	3684, 3693, 3694, 3700, 3719, 3724, 3752, 3766, 3767, 3772, 3775, 3779, 3782, 3785, 3790, 3797, 3811, 3814, 3816, 3825, 3826, 3829, 3835, 3840, 3845, 3854, 3864, 3867, 3875, 3885, 3886, 3893, 3908
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3682, 3687, 3701, 3702, 3708, 3744, 3751, 3758, 3761, 3762, 3769, 3770, 3789, 3798, 3806, 3818, 3832, 3833, 3859, 3873, 3877, 3881, 3889, 3896, 3899, 3903
विदेश	:	3688, 3764, 3778, 3781, 3787, 3791, 3792, 3795, 3799, 3809, 3827, 3834, 3843, 3856, 3863, 3874, 3901, 3910
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	3699, 3707, 3794, 3888

मानव संसाधन विकास	:	3681, 3683, 3685, 3689, 3691, 3697, 3698, 3705, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3716, 3717, 3718, 3721, 3723, 3727, 3732, 3734, 3735, 3742, 3743, 3747, 3748, 3750, 3753, 3755, 3757, 3760, 3765, 3768, 3771, 3783, 3786, 3801, 3802, 3804, 3807, 3808, 3810, 3812, 3815, 3817, 3819, 3820, 3823, 3824, 3831, 3836, 3839, 3844, 3846, 3848, 3849, 3851, 3853, 3857, 3858, 3861, 3862, 3865, 3866, 3869, 3870, 3878, 3879, 3882, 3884, 3887, 3890, 3892, 3897, 3898, 3905, 3907, 3909
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3733, 3738, 3837, 3838, 3880
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3690, 3703, 3725, 3729, 3739, 3740, 3759, 3763, 3796, 3803, 3841, 3891, 3895
योजना	:	3695, 3706, 3726, 3741, 3749, 3756, 3842, 3852, 3860, 3871, 3872 1091 1092
अंतरिक्ष	:	3722, 3746
शहरी विकास	:	3704, 3714, 3720, 3728, 3730, 3731, 3773, 3774, 3777, 3784, 3788, 3800, 3805, 3821, 3828, 3830, 3847, 3850, 3855, 3876, 3883, 3894, 3904, 3906.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/32/19/2013 (एन.)
339

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।